ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.
(A Government of India Enterprise)

निर्यातकों के जोखिम बीमा के साथ, राष्ट्र उत्थान की सुरक्षा।

INSURING THE EXPORTER'S RISKS, ENSURING THE NATION'S RISE.

67th ANNUAL REPORT 2024-25

विज़न

निर्यात ऋण बीमा एवं व्यापार संबंधी बेहतरीन सेवाएं प्रदान करना।

मिशन

भारतीय निर्यात बाज़ार की बढती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध स्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए किफायती बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाएं प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना।

VISION

To excel in providing export credit insurance and trade-related services.

MISSION

To support the Indian export industry by providing cost-effective insurance and trade-related services to meet the growing needs of the Indian export market through the optimal utilization of available resources.

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.
(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे।
You focus on exports. We cover the risks.

पंजीकृत कार्यालय

ईसीजीसी भवन, सीटीएस नं 393, 393/1 से 45, एम. वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069
सीआईएन: U74999MH1957GOI010918
आईआरडीएआई पंजीकरण सं.: 124

REGISTERED OFFICE

ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45, M. V. Road, Andheri (East), Mumbai – 400069,
CIN: U74999MH1957GOI010918
IRDAI Regn. No. 124

कम्पनी सचिव:	श्रीमती स्मिता वी. पंडित
COMPANY SECRETARY	Smt. Smita V. Pandit
नियुक्त बीमांकिक	श्रीमती प्रिसिल्ला सिन्हा
APPOINTED ACTUARY	Smt. Priscilla Sinha
संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक	मेसर्स एम एल पूरी एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं.: 002312एन
JOINT STATUTORY AUDITORS	M/s. M. L. Puri & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 002312N
	मेसर्स शाह एंड तपाडिया सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं.: 109463डबल्यू
	M/s. Shah & Taparia Chartered Accountants Firm Registration No. 109463W
बैंकर्स	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक
BANKERS	Union Bank of India State Bank of India

ईसीजीसी लि. (भारत सरकार का उद्यम) ECGC Ltd. (A Government of India Enterprise)

क्र. सं. S. No.	विवरण/CONTENTS	पृष्ठ संख्या Page No.
1	निदेशक मण्डल Board of Directors	04
2	वरिष्ठ प्रबंधन Senior Management	07
3	निष्पादन विशेषताएँ – पिछला दशक Performance Highlights - The Past Decade	08
4	अध्यक्षीय सम्बोधन Chairman's Message	10
5	निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	18
6	कंपनी शासन Corporate Governance	34
7	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व Corporate Social Responsibility	63
8	प्रबंधन परिचर्चा एवं परिचालन समीक्षा Management Discussion and Analysis	96
9	लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण Audited Financial Statements	
	i. राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता एवं तुलन पत्र i. Revenue Account, Profit & Loss Account & Balance Sheet	131
	ii. वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 15) ii. Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15)	138
	iii. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 16) iii. Significant Accounting Policies (Schedule 16)	150
	iv. लेखा टिप्पणियाँ (अनुसूची 17) iv. Notes to Accounts (Schedule 17)	159
	v. मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात v. Key Analytical Ratios	179
	vi. प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता vi. Receipts & Payments Account	186
10	प्रबंधन रिपोर्ट Management Report	189
11	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ Comments of CAG	192
12	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report	193
13	सेवा तंत्र Service Network	209

ईसीजीसी लि. (भारत सरकार का उद्यम) ECGC Ltd. (A Government of India Enterprise)

ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल - वित्तीय वर्ष 2024-25
THE BOARD OF DIRECTORS OF ECGC LIMITED-FY 2024-25

कार्यकारी निदेशक-
कार्यपालक
Functional Director -
Executive

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड
(दिनांक 16 दिसंबर, 2024 से अध्यक्ष
सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त)
(दिनांक 14 नवंबर, 2023 से निदेशक के रूप में नियुक्त)

Shri Sristiraj Ambastha
Chairman-cum-Managing Director,
ECGC Limited
(appointed as CMD from December 16, 2024)
(appointed as a Director from
November 14, 2023)

सरकार द्वारा नामित निदेशक-
गैर-कार्यपालक
Government Nominee
Director - Non - Executive

श्री सिद्धार्थ महाजन, भा.प्र.से.
संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
(दिनांक 16 अप्रैल, 2024 से)

Shri Siddharth Mahajan, IAS
Joint Secretary,
Department of Commerce,
Ministry of Commerce & Industry,
Government of India
(from April 16, 2024)

सरकार द्वारा नामित निदेशक -
गैर-कार्यपालक
Functional Director -
Executive

श्री विपुल बंसल, भा.प्र.से.
संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
(दिनांक 16 अप्रैल, 2024 तक)

Shri Vipul Bansal, IAS
Joint Secretary,
Department of Commerce,
Ministry of Commerce & Industry,
Government of India (up to April 16, 2024)

सरकार द्वारा नामित निदेशक -
गैर-कार्यपालक
Government Nominee
Director - Non - Executive

सुश्री अपर्णा भाटिया, भा.आ.से.
आर्थिक सलाहकार,
आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार

Smt. Aparna Bhatia, IES
Economic Adviser,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance,
Government of India

ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल - वित्तीय वर्ष 2024-25
THE BOARD OF DIRECTORS OF ECGC LIMITED-FY 2024-25

गैर-आधिकारिक स्वतंत्र
निदेशक-गैर-कार्यपालक
Non-Official Independent
Director - Non - Executive

श्री शिरीष चंद्र मुर्मू,
कार्यपालक निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक

Shri Shirish Chandra Murmu,
Executive Director,
Reserve Bank of India

गैर-आधिकारिक स्वतंत्र
निदेशक-गैर-कार्यपालक
Non-Official Independent
Director - Non - Executive

सुश्री हर्षा बंगारी,
प्रबंध निदेशक,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

Ms. Harsha Bangari
Managing Director,
Export-Import Bank of India

गैर-आधिकारिक स्वतंत्र
निदेशक-गैर-कार्यपालक
Non-Official Independent
Director - Non - Executive

श्री रामास्वामी नारायणन,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
भारतीय साधारण बीमा निगम

Shri Ramaswamy Narayanan,
Chairman-cum-Managing Director,
General Insurance
Corporation of India

गैर-आधिकारिक स्वतंत्र
निदेशक-गैर-कार्यपालक
Non-Official Independent
Director - Non - Executive

श्री अश्विनी कुमार,
अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ
(दिनांक 07 मई, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक)

Shri Ashwani Kumar,
President, Federation of Indian
Export Organisations
(from May 07, 2024 to March 31, 2025)

ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल - वित्तीय वर्ष 2024-25
THE BOARD OF DIRECTORS OF ECGC LIMITED-FY 2024-25

गैर-आधिकारिक स्वतंत्र
निदेशक-गैर-कार्यपालक
Non-Official Independent
Director - Non - Executive

श्री अमित कुमार अग्रवाल
(दिनांक 02 नवंबर, 2024 तक)
Shri Amit Kumar Agarwal
(up to November 02, 2024)

गैर-आधिकारिक स्वतंत्र
निदेशक-गैर-कार्यपालक
Non-Official Independent
Director - Non - Executive

सुश्री प्रतिभा कुशवाहा
(दिनांक 02,नवंबर 2024 तक)
Smt. Pratibha Kushwaha
(up to November 02, 2024)

गैर-आधिकारिक स्वतंत्र
निदेशक - गैर - कार्यपालक
Non-Official Independent
Director- Non-Executive

श्री पलनियप्पन मुथु
गैर-आधिकारिक स्वतंत्र
निदेशक-गैर-कार्यपालक
Shri Palaniappan Muthu
Non-Official
Independent
Director - Non - Executive

कार्यकारी निदेशक -
कार्यपालक
Functional
Director - Executive

श्री सुबीर कुमार दास
कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड
(दिनांक 13 जनवरी, 2025 से)
Shri Subir Kumar Das
Executive Director (Policy Matters),
ECGC Limited
(from January 13, 2025)

वरिष्ठ प्रबंधन
SENIOR MANAGEMENT

श्री सुबीर कुमार दास
कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)
Shri Subir Kumar Das
Executive Director (Policy Matters)

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
Shri Srishtiraj Ambastha
Executive Director &
Chairman-cum-
Managing Director

श्री परमदीप लाल ठाकुर
कार्यपालक निदेशक (परिचालन)
Shri Pramdeep Lal Thakur
Executive Director(Operations)

महाप्रबंधक
GENERAL MANAGERS

श्रीमती स्मिता वी. पंडित
Smt. Smita V. Pandit

श्री आनंद सिंह
Shri Anand Singh

श्री अभिषेक कुमार जैन
Shri Abhishek Kumar Jain

श्री गौरव अंशुमान
Shri Gaurav Anshuman

श्रीमती अर्पिता सेन
Smt. Arpita Sen

श्री आर. के. पांडियन
Shri R. K. Pandian

श्री कुमार अंशुमान
Shri Kumar Anshuman

श्रीमती प्रिसील्ला सिन्हा
Smt. Priscilla Sinha

श्री सब्यसाची दास
Shri Sabyasachi Dash

उप महाप्रबंधक / DEPUTY GENERAL MANAGERS

1. श्री बलबीर सिंह मान	Shri Balbir Singh Maan	10. श्रीमती सिवासंकरी मुरूगन	Smt. Sivasankari Murugan
2. श्री एन सुब्रमणियन	Shri N. Subramanian	11. श्रीमती रचना बबेरवाल	Smt. Rachana Baberwal
3. श्री यशवंत ब्रीद	Shri Yashwant B. Breed	12. श्री राजेश जोशी	Shri Rajesh Joshi
4. श्री वाई सुधीर	Shri Y. Sudheer	13. सुश्री आरती पाण्डेय	Ms. Aarti Pandey
5. श्री सुभाष चंद्र चाहर	Shri Subhash Chandra Chahar	14. श्री कुमार स्मित सौरव	Shri Kumar Smit Saurav
6. श्री नीरज गुप्ता	Shri Niraj Gupta	15. श्री पार्थ प्रतिम बनर्जी	Shri Partha Pratim Banerjee
7. श्री राहुल	Shri Rahul	16. सुश्री रोज़मेरी हुटेन	Ms. Rosemary Huten
8. श्री सचिन खन्ना	Shri Sachin Khanna	17. श्री अमोघ दीपक जड़े	Shri Amogh Deepak Zade
9. श्री अमित कुमार	Shri Amit Kumar		

निष्पादन विशेषताएँ - पिछला दशक
PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(₹ करोड़ में) / (₹ In Crores)

वर्ष/YEAR	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
संरक्षित कारोबार मूल्य /VALUE OF BUSINESS COVERED										
अल्पावधि पॉलिसियाँ */** Short Term Policies */**	428905.28	356867.00	321767.00	269272.00	241934.17	215021.77	198872.00	177349.00	172788.00	135871.97
अल्पावधि ईसीआईबी ***/**** Short Term ECIB ***/****	422700.00	373252.00	338984.00	345676.00	354200.12	341826.72	455267.00	456684.00	448604.00	127534.80
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं/ Medium & Long Term Covers	3591.25	4709.00	2851.00	3896.97	6667.25	4757.37	5787.00	7415.57	6027.26	5979.06
कुल/Total	855196.53	734828.00	663602.00	618844.97	602801.54	561605.86	659926.00	641448.57	627419.26	269385.83
प्रीमियम आय/ PREMIUM INCOME										
अल्पावधि पॉलिसियां/ Short Term Policies	639.07	572.02	540.22	485.45	429.99	405.17	412.26	367.95	359.99	382.99
अल्पावधि ईसीआईबी/ Short Term ECIB	694.27	657.47	632.50	600.84	603.78	644.78	806.83	843.21	881.07	910.64
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं/ Medium & Long Term Covers	33.19	41.28	24.81	20.33	28.51	25.52	28.45	29.25	26.56	27.10
कुल/Total	1366.53	1270.77	1197.53	1106.62	1062.28	1075.47	1247.54	1240.41	1267.62	1320.73
प्रदत्त दावें/CLAIMS PAID										
अल्पावधि पॉलिसियां/ Short Term Policies	283.21	282.93	190.42	237.91	284.87	146.77	168.13	136.70	206.85	127.32
अल्पावधि ईसीआईबी/ Short Term ECIB	170.25	158.35	415.70	443.42	761.87	261.64	813.39	1131.47	655.50	995.52
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं **Medium & Long Term Covers**	-	9.03	156.93	5.87	-	-	31.79	14.99	22.99	-
कुल/Total	453.46	450.31	763.05	687.20	1046.74	408.41	1013.31	1283.16	885.34	1122.84
वित्तीय शुल्क / RECOVERIES MADE										
अल्पावधि पॉलिसियां/ Short Term Policies	19.86	19.36	10.55	16.53	9.77	10.21	21.47	18.55	9.77	7.80
अल्पावधि ईसीआईबी/ Short Term ECIB	165.35	124.65	136.85	93.44	107.53	156.17	129.36	166.39	109.76	106.06
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं/ Medium & Long Term Covers	36.82	29.90	22.11	0.00	0.17	0.06	-	0.67	19.14	0.18
कुल/Total	222.03	173.91	169.51	109.97	117.47	166.44	150.83	185.61	138.67	114.04

नोट:/ Note:

* इसमें घोषणा आधारित पॉलिसियाँ तथा जोखिम आधारित पॉलिसियाँ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा उसके पश्चात जोखिम आधारित पॉलिसियों के अधीन संरक्षित कारोबार का मूल्य, वित्तीय प्रत्येक पॉलिसी के लिए निर्धारित औसत हानी सीमा, अनुमानित निर्यात पण्यावर्त के आधार पर अनुमानित मूल्य हैं।

* Comprises exposure under declaration based policies & exposure based policies. Value of business covered under exposure based policies for FY 2011-12 and onwards is the value estimated based on Aggregate Loss Limit fixed for each policy.

** कस्टमाइज्ड एम बी ई पॉलिसियों के अंतर्गत जो. मू. सकल हानी सीमा(ए एल एल) का बीआईएस गुना लिया गया हैं क्योंकि ए एल एल से निर्यात पण्यावर्त अनुपात 5% तक होता हैं जबकि सामान्य एम बी ई पी में 10% अथवा अधिक होता हैं। जो. मू. की गणना की संशोधित प्रक्रिया दिनांक 01/04/2017 से प्रभावी हैं। विवरण को तुलनात्मक बनाने के लिए पिछले वर्ष दिनांक 01/04/2016 से 31/03/2017 तक के आकड़ों की पुनर्गणना की गई हैं।

** The RV for customised MBE Policies has been taken as 20 times of the Aggregate Loss Limit (ALL) the reason being under customized policies the ALL to Export Turnover (ETO) ratio is upto 5% unlike normal MBEPs where the ratio is 10% or more. The revised procedure of calculating the RV has been implemented with retrospective effect from 1.4.2017. To make the comparison equitable the figure w.e.f 1.4.2016 to 31.03.2017 has also been reworked.

*** वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं उसके पश्चात बैंकों द्वारा मंजूर सीमाएं जो कंपनी द्वारा रक्षित हैं औसत बकाया को दर्शाता हैं।

*** Represents average outstanding under the limits sanctioned by banks which are covered by the Company for the financial years 2011-12.

**** ये अनुमान, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए हैं। ये अनुमान आर बी आई से प्राप्त आकड़ों एवं अल्पावधि निर्यात के अंतर्गत व्यापार चक्र 90 दिन के आधार पर हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना के लिए कंपनी द्वारा रक्षित बकाया निर्यात ऋण एवं चार के कारक से गुणन किया गया हैं।

**** The estimation has been done in compliance of the instruction of the Department of Economic Affairs Ministry of Finance. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that business cycle under short term exports is around 90 days. Accordingly the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value.

उत्पाद समूह वितरण
Product group Distribution

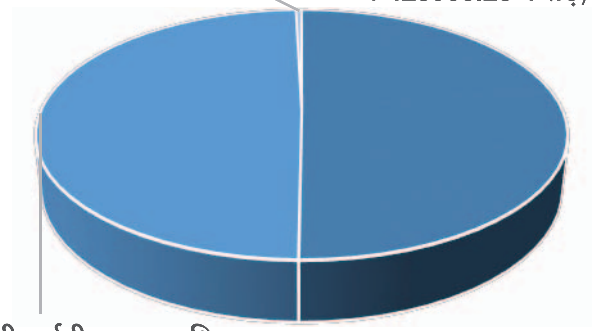

दिनांक 31.03.2025 तक संरक्षित कारोबार मूल्य (जो मू) ₹ 855196.53 करोड़

Value of Business Covered (RV) ₹ 855196.53 Cr. as on 31.03.2025

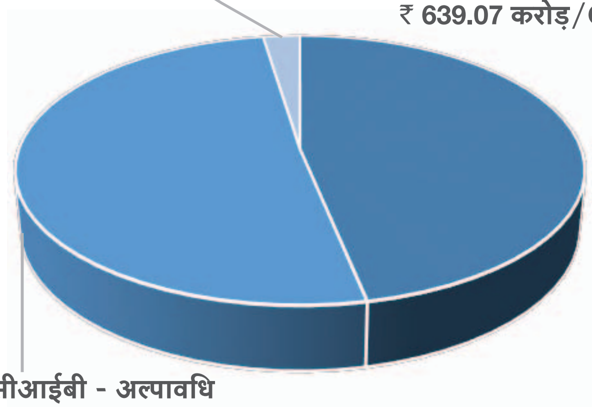

दिनांक 31.03.2025 तक कुल प्रीमियम आय ₹ 1366.53 करोड़

Total Premium Income ₹ 1366.53 Cr. as on 31.03.2025

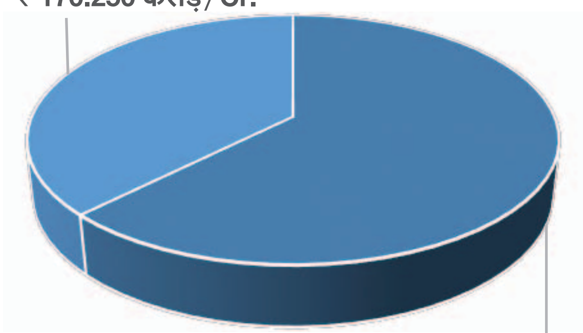

दिनांक 31.03.2025 तक कुल प्रदत्त दावे ₹ 453.46 करोड़

Total Claims Paid ₹ 453.46 Cr. as on 31.03.2025

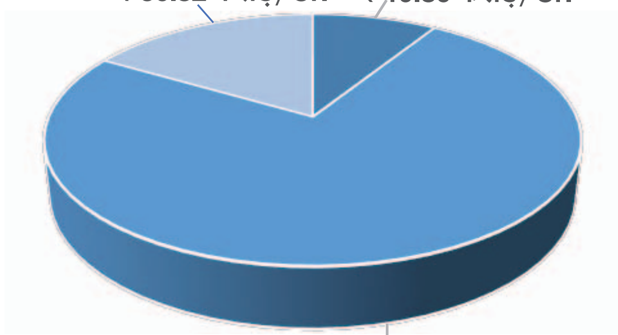

दिनांक 31.03.2025 तक की गयी कुल वसुलियाँ ₹ 222.03 करोड़

Total Recoveries Made ₹ 222.03 Cr. as on 31.03.2025

अध्यक्ष का संदेश - 67वीं वार्षिक साधारण बैठक
Chairman's Message - 67th Annual General Meeting

श्री. सृष्टिराज अम्बष्ठ
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

SHRI. SRISTIRAJ AMBASTHA
Chairman-cum-Managing Director

वैश्विक अर्थव्यवस्था

विगत वर्ष के दौरान एक गतिशील एवं चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य परिलक्षित हुआ। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ साथ व्यापार बाधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि तथा ऐतिहासिक रूप से स्थिर व्यापारिक साझेदारों द्वारा व्यापार नीतियों में लगातार किए जाने वाले परिवर्तनों के कारण कारोबार एवं उपभोक्ता दोनों ही प्रभावित हुए। अनिश्चितताओं को कम करने तथा तीव्र गति से परिवर्त परिस्थितियों में स्वयं को सक्षम करने हेतु एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (अं मु को) के विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा वर्ष 2024 में 3.3 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि दर्ज की गयी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 4.3 प्रतिशत के सशक्त दर के साथ विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ इस वृद्धि की प्रमुख परिचालक साबित हुई। कारोबारों के लिए आवश्यक है कि वे यह सुनिश्चित करे कि उनके नीतिगत निवेश निर्णयों आगे की ओर अग्रसर हों तथा दूर दृष्टिपूर्ण एवं समन्वेशी हों। भविष्य की ओर देखते हुए, वैश्विक अर्थव्यस्था का वर्ष 2025 में 2.8 प्रतिशत एवं वर्ष 2026 में 3.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का वर्ष 2025 में 1.4 प्रतिशत तथा वर्ष 2026 में 1.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है, जबकि विकासशील व उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्ष 2025 में 3.7 प्रतिशत तथा वर्ष 2026 में 3.9 प्रतिशत की दर से महत्वपूर्ण विकास प्रतिनिधि साबित होने की संभावना है।

यह काफी उत्साहवर्धक है कि वर्ष 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति पूर्वगामी वर्ष में 7.4 प्रतिशत से घटकर 6.1 प्रतिशत हो गयी है। वर्ष 2024 में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति 2.8 प्रतिशत एवं विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए 7.7 प्रतिशत रही। वर्ष 2025 में वैश्विक मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2026 में 3.9 प्रतिशत रहने के अनुमान के साथ इन आंकड़ों में और अधिक गिरावट होने की संभावना है।

Global Economy

The past year presented a dynamic and challenging international trade landscape. A significant rise in trade barriers and changing policies from historically stable trading partners, coupled with global headwinds, have impacted business and consumer sentiments. A proactive approach is required to minimize uncertainty and position oneself to thrive amid rapidly changing conditions.

According to the IMF's World Economic Outlook, the global economy demonstrated a steady growth of 3.3 per cent in 2024. Advanced economies grew by a measured 1.8 per cent, while developing economies proved to be the primary drivers of the growth, expanding by a robust 4.3 per cent. Businesses are required to be more strategically driven in their investment decisions, and ensure that their strategies are both prudent and agile. Looking ahead, the global economy is projected to grow by 2.8 per cent in 2025 and 3.0 per cent in 2026. Advanced economies are forecasted to grow at a rate of 1.4 per cent in 2025 and 1.5 per cent in 2026, while developing and emerging economies are expected to remain significant growth engines with rates of 3.7 per cent in 2025 and 3.9 per cent in 2026.

It is encouraging to see that global inflation has continued its downward trajectory, declining to 6.1 per cent in 2024 from 7.4 per cent the previous year as per estimates from EIU. In 2024, inflation for advanced economies was 2.8 per cent and for developing and emerging economies was 7.7 per cent. These figures are expected to further decline, with global inflation projected at 4.6 per cent in 2025 and 3.9 per cent in 2026.

वैश्विक व्यापार

वर्ष 2024 में इन न्यून मुद्रास्फीति दबावों की सहायता से, वैश्विक व्यापार मात्राओं में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। वर्ष 2025 में व्यापार की मात्रा में 1.7 प्रतिशत की अस्थायी गिरावट की संभावना है, तदुपरान्त वर्ष 2026 में इसके 2.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य में गतिशील विकास के साथ साथ इन परिवर्तनशील स्वरूप के कारण कुछ सुअवसरों की प्राप्ति संभावित है।

यह पाया गया है कि वैश्विक चालू खाता शेष में गिरावट संभावित है एवं एक ओर जहाँ यह एक व्यापक आर्थिक पुनर्गठन को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह देशों के लिए अपनी वित्तीय स्थितियों को अनुकूल बनाने का अवसर भी प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार, सकल बाह्य देयतायें विशेष रूप से उच्च ऋण सेवा दायित्वों वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक संभावित जोखिम का कारण भी बनी हुई हैं।

एक विशिष्ट संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से संरेखित देशों के मध्य व्यापार का अनुपात बढ़ रहा है तथा स्थानीयकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति उन्हें न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण भागीदारों के साथ अपने संबंधों को गहन करने तथा अधिक सुरक्षित एवं कुशल आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनाने में सक्षम बनाती है, अपितु अभूतपूर्व व्यापार-विघटनकारी उपायों का सामना करने की उनकी क्षमता को भी दर्शाती है।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती जारी रखने की संभावना है, जिससे निवेश के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित होगा। राजकोषीय मोर्चे पर, जहाँ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा नीतियों को सख्त किए जाने का अनुमान है, वहीं भारत जैसे उभरते बाजारों में विकास को गति देने के पूर्व सख्त नीतियों के दौर में घाटे में वृद्धि संभावित है।

वैश्विक निर्यात ऋण एजेंसियों का निष्पादन

सार्वजनिक ईसीए तथा निजी बीमा कंपनियों, दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं निवेश बीमाकर्ता संघ (बीयू) द्वारा प्रदर्शित नवीनतम आंकड़ों में दर्शाया गया है कि वर्ष 2024 में, बर्न यूनियन के सदस्यों द्वारा सीमा पार व्यापार में 3.30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के नए कारोबार को समर्थन दिया गया, जो विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में विस्तार के साथ वर्ष प्रति वर्ष के 10% की वृद्धि को दर्शाता है।

विशेष रूप से, मध्यम व दीर्घावधिक (म.व.दी.अ.) कारोबार द्वारा एक और उल्लेखनीय वर्ष दर्ज किया गया, जिसमें 17% की वृद्धि के साथ विश्व भर में 161 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया कारोबार हुआ। इसे ईसीए समर्थित महत्वपूर्ण रक्षा व क्रूज पोत संव्यवहार जिसके कारण परिवहन क्षेत्र, कुल नए कारोबार का समग्र समव्यवहारों के एक-चौथाई से अधिक अंश साबित हुआ। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा पहलों से संबंधित उत्साहजनक प्रवृत्तियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं।

जबकि वर्ष 2023 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम समर्थन वर्ष 2024 में घटकर 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, इसका मुख्य कारण पिछले वर्ष में एक बड़े, विशिष्ट जलविद्युत संयंत्र का संव्यवहार रहा। यदि इसे अलग कर दिया जाये तो, इस क्षेत्र में वर्ष प्रति वर्ष 14.8 प्रतिशत की उत्तम वृद्धि परिलक्षित हुई, जो एक सशक्त, निरंतर गति का संकेत है। यह इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट होता है कि वर्ष 2024 में नया नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय वर्ष 2019-2023 की अवधि के औसत से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक था, जो इसके दीर्घकालिक विकास पथ का प्रमाण है।

सभी ईसीए द्वारा भुगतान किए गए दावे बढ़कर 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए हैं, जो विशेष रूप से राजनीतिक दावों में वृद्धि के साथ एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य की वास्तविकता को दर्शाता है। राजनीतिक दावे वर्ष 2020 में मात्र 7 प्रतिशत की तुलना में 31 प्रतिशत बढ़कर 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए जो कि कुल दावों का एक तिहाई अंश हैं। इसका मुख्य कारण संकटग्रस्त उभरते बाजारों में संप्रभु गैर भुगतान एवं परियोजना-विशिष्ट राजनीतिक जोखिम बीमा (पीआरआई) दावों में वृद्धि,है।

Global Trade

Aided by these reduced inflationary pressures, global trade volumes increased by 3.8 per cent in 2024. Trade volumes are projected to see a temporary dip to 1.7 per cent in 2025 before rebounding to 2.5 per cent in 2026. While the global trade outlook is evolving dynamically, some opportunities may arise from these shifting patterns.

It is being observed that global current account balances are expected to narrow, and while this reflects a broader economic realignment, it also presents an opportunity for nations to optimize their financial positioning. Similarly, gross external liabilities remain a potential risk for some economies, particularly those with high debt service obligations.

A peculiar structural shift is underway, with a growing proportion of trade occurring between historically aligned countries and an increasing focus on localised supply chains. This trend allows them to deepen their relationships with geographically important partners and build more secure and efficient supply chains while also increasing their own resilience when faced with unprecedented trade-disruptive measures.

Central banks of major economies are anticipated to continue their course of reducing interest rates, which provides a favourable environment for investment. On the fiscal front, while advanced economies are projected to tighten policies, emerging markets like India are expected to see a widening of deficits to fuel growth before a period of tightening.

Performance of Export Credit Agencies around the world

The International Union of Credit and Investment Insurers i.e., the Berne Union (BU) representing both the public ECAs and private insurers, in its latest reported figures, has stated that in 2024, the Berne Union members extended support for USD 3.30 trillion of new business in cross-border trade, a 10% y-o-y increase with expansion across various business lines.

In particular, the Medium and Long Term (MLT) business had another standout year, supporting USD 161 billion across the globe, which included a 17% increase in new business. This was bolstered by significant ECA-backed defence and cruise ship transactions, which drove the transportation sector to account for over a quarter of all new business. Beyond this, encouraging trends are observed pertaining to renewable energy initiatives.

While the total support for the renewable energy sector saw a decrease from its 2023 peak of USD 16.9 billion to USD 12.6 billion in 2024, this was primarily due to one large, specific hydroelectric plant transaction in the previous year. When this is excluded, the sector experienced a healthy 14.8 per cent y-o-y increase, indicating a strong, ongoing momentum. This is further highlighted by the fact that new renewable energy business in 2024 was USD 5 billion higher than the 2019-2023 average, a testament to its long-term growth trajectory.

Claims paid across all ECAs have risen to USD 10 billion reflecting the reality of a challenging global landscape, particularly the increase in political claims. Political claims advanced by 31 per cent to USD 3.3 billion, now representing one-third of total claims, up from just 7 per cent in 2020. This is largely attributed to sovereign non-payment in distressed emerging markets and a surge in project-specific Political Risk Insurance (PRI) claims.

भारतः अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

वैश्विक तथा भू-राजनीतिक मुद्दों से उत्पन्न लगातार चुनौतियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था लचीलेपन एवं विकास के एक केंद्र के रूप में उभरी है। यह सामर्थ्य सशक्त घरेलू खपत, ठोस निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर प्रगति से प्रेरित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ, अर्थव्यवस्था का प्रभावशाली निष्पादन अपने आप में स्पष्ट है। इस निरंतर निष्पादन का मुख्य आधार सशक्त होती घरेलू मांग है। इस वृद्धि में योगदान देने वाले मुख्य कारक ग्रामीण खपत में तेजी, शहरी व्यय में वृद्धि तथा निजी निवेश में वृद्धि, आदि हैं। सभी व्यवसाय अपनी पूर्ण क्षमता पर अथवा अपनी अधिकतम क्षमता तक परिचालन कर रहे हैं तथा अपनी क्षमताओं का विस्तार कर उसे गति दे रहे हैं। मूलभूत संरचना में उच्च स्तर के सार्वजनिक निवेश एवं एक स्थिर ऋण वातावरण से इस गति को और अधिक बल मिला, जो दिर्घवधि योजना में व्यवसाय तथा उपभोक्ता दोनों के विश्वास को दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर, भारत ने विकास की अपनी क्षमता का निष्पादन किया है। भारत का निर्यात निष्पादन विशेष रूप से सेवा तथा विनिर्माण क्षेत्रों मेंउसकी अर्थव्यवस्था की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। पिछले एक दशक में, देश द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी उपस्थिति का उल्लेखनीय विस्तार किया है, जो बढ़ी हुई औद्योगिक क्षमता, सेवाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा रणनीतिक क्षेत्रों के उद्भव से प्रेरित है।

वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 6.01% की वृद्धि दर्ज करते हुए 824.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंचा। यह एक दशक से जारी निर्यात गति को दर्शाते हुए वर्ष 2013-14 के 466.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। लाल सागर संकट जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक व्यावधानीं तथा कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंद वृद्धि के बावजूद यह उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की गई।

सेवा निर्यात इस सफलता में अग्रणी बने हुए हैं। वर्ष 2024-25 में, सेवा निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 13.6 % की वृद्धि दर्ज करते हुए 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा। यह सशक्त तथा निरंतर वृद्धि, पिछले एक दशक के 152 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में उल्लेखनीय है। आईटी, परामर्श तथा वित्त जैसे क्षेत्रों में उच्च-गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करने की भारत की क्षमता को उजागर करती है। यह निष्पादन वैश्विक अग्रणी के रूप में भारत के सेवा क्षेत्र की गतिमान क्षमता को दर्शाता है।

पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, व्यापारिक निर्यात में भी वर्ष 2024-25 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 6.0% की वृद्धि दर्ज करते हुए 374.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड उच्च स्तर प्राप्त किया गया। यह अब तक का सबसे अधिक गैर-पेट्रोलियम व्यापारिक निर्यात आँकड़ा रहा तथा वर्ष 2013-14 के 314 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में उल्लेखनीय सुधार को परिलक्षित करता है। यह वृद्धि मुख्यतः मशीनरी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रक्षा उपकरण जैसे क्षेत्रों में बढ़ती वैश्विक रुचि के कारण है। इस निर्यात वृद्धि को भारत के विनिर्माण आधार के निरंतर विस्तार का समर्थन प्राप्त है। स्थिर कीमतों पर विनिर्माण का सकल मूल्य वर्धन (जी वी ए) लगभग दोगुना हो गया है। हालाँकि अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 17.3% पर स्थिर बनी हुई है, उत्पादन में लगभग दोगुनी वृद्धि इसकी वर्धित क्षमता तथा सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है।

यद्यपि बढ़ता हुआ व्यापारिक व्यापार घाटा एक चुनौती है, परन्तु प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा निर्यात में विविधता लाने के लिए सरकार द्वारा नीतियों का सक्रिय कार्यान्वयन न केवल वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सहायक साबित होगा, बल्कि भविष्य में भारत की विशाल निर्यात क्षमता को भी उजागर करेगा।

India: Economy & International Trade

In spite of the persistent headwinds posed by global challenges and geopolitical issues, the Indian economy has emerged as a powerhouse of resilience and growth. This strength is driven by powerful domestic consumption, solid investment, and sustained progress in the manufacturing sector. The economy's impressive performance is clear, with a growth rate of 6.5 per cent in FY 2024-25. The foundation of this sustained performance lies in a strengthening domestic demand. A pickup in rural consumption, growing urban expenditure, and an increase in private investment are all contributing factors. Businesses are operating at or near full capacity and are responding by expanding their capabilities. This momentum is further bolstered by high levels of public investment in infrastructure and a stable borrowing environment, which supports both business and consumer confidence in long-term planning.

On the international trade front, India has demonstrated its capacity for growth. India's export performance is a testament to the growing strength of its economy, particularly in the services and manufacturing sectors. Over the past decade, the country has significantly expanded its footprint in global trade, driven by enhanced industrial capacity, increased competitiveness in services, and the emergence of strategic sectors.

India's total exports reached a new high of USD 824.9 billion in 2024–25, marking a 6.01% growth from the previous year. This reflects a substantial increase from USD 466.22 billion in 2013–14, underscoring a decade of sustained export momentum. This remarkable achievement was secured despite significant global disruptions like the Red Sea crisis and slower growth in some developed economies.

Services exports continue to be a key driver of this success. In 2024–25, services exports amounted to USD 387.5 billion, a 13.6% increase over the previous year. This robust and consistent growth, a significant jump from USD 152 billion a decade ago, highlights India's ability to deliver high-quality services in sectors like IT, consulting, and finance. This performance highlights the growing strength of India's services sector as a global leader.

Merchandise exports, excluding petroleum products, also achieved a record high of USD 374.1 billion in 2024–25, growing by 6.0% from the previous year. This is the highest non-petroleum merchandise export figure ever recorded and a notable improvement from USD 314 billion in 2013–14. This growth is largely due to the rising global traction of sectors such as machinery, chemicals, electronics, and defence equipment. This export growth is underpinned by the steady expansion of India's manufacturing base. The Gross Value Added (GVA) of manufacturing at constant prices has nearly doubled. While the sector's share of the economy has remained stable at around 17.3%, this near twofold increase in output demonstrates its expanding capacity and strength.

Although the widening merchandise trade deficit is a challenge, the government's proactive implementation of policies to enhance competitiveness and diversify our export basket, has the potential to not only navigate current headwinds but also to unlock India's vast export potential in the future.

कंपनी का निष्पादन

भारत की निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) के रूप में, ईसीजीसी देश से किए जाने वाले विदेश व्यापार को बढ़ावा देने की अपनी भूमिका में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा कई पहलुओं में उत्कृष्ट परिणाम दर्ज किए गए हैं। सकल प्रीमियम आय (जीपीआई) के संदर्भ में पिछले वर्ष के ₹1,270.77 करोड़ की तुलना में ₹1,366.53 करोड़ की उपलब्धि ने सकल प्रीमियम आय (जीपीआई) में 7.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कंपनी द्वारा समर्थित निर्यात का मूल्य पिछले वर्ष के ₹7.35 लाख करोड़ से बढ़कर ₹8.55 लाख करोड़ हो गया। कुल मिलाकर, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के लगभग 23% व्यापारिक निर्यात का समर्थन किया गया तथा निर्यातकों को जारी किए गए रक्षाओं के अधीन समर्थित व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹3.57 लाख करोड़ की तुलना में 20% से अधिक बढ़कर ₹4.29 लाख करोड़ हो गई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा प्रदत्त कुल दावे ₹453.46 करोड़ रहे । निर्यातकों को ₹283.21 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया, जबकि बैंकों को ₹170.25 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी द्वारा निर्यातकों से प्राप्त 561 दावों में से 340 दावों की अदायगी की गयी, जो निर्यातकों से प्राप्त दावों की संख्या के संदर्भ में 61% की अदायगी को दर्शाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कंपनी का दावा प्रावधान ₹3,838.12 करोड़ रहा। कंपनी द्वारा पिछले वर्ष के ₹2,859.95 करोड़ की तुलना में ₹2,723.07 करोड़ का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया गया। वर्ष के लिए शुद्ध लाभ ₹2,076.67 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के ₹2,159.05 करोड़ के स्तर से 3.82% की कमी को दर्शाता है। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की कुल मालियत (एन डबल्यू) ₹13,484.76 करोड़ रही, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक यह ₹11,841.89 करोड़ थी।

राजभाषा

कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सक्रिय है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। कंपनी प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को हिंदी माह के रूप में मनाती है। तदनुसार, दिनांक 1 से 30 सितंबर 2024 तक हिंदी माह उत्साह के साथ मनाया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर, कंपनी को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (न रा का स - उपक्रम) द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति की माननीय तृतीय उप-समिति ने कंपनी की हैदराबाद शाखा तथा प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया। माननीय समिति द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गयी। माननीय समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

अन्य उपलब्धियां

कंपनी ने वर्ष के दौरान वेबिनार/ऑफलाइन बैठकों और व्यक्तिगत बैठकों के माध्यम से अपने ग्राहक जागरूकता प्रयास किया हैं। ग्राहक शिकायतों को संबोधित करने के लिए कंपनी अपने मुख्यालय में दैनिक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सत्र भी आयोजित कर रही है।

Company's Performance

As the Export Credit Agency (ECA) of India, ECGC is committed to excel in its role of promoting outbound trade from the country. The Company recorded excellent results in many aspects. The achievement in terms of Gross Premium Income (GPI) at ₹1,366.53 crore compared to ₹1,270.77 crore in the previous year registered a growth of 7.54 per cent in GPI.

In the FY 2024-25, the value of exports supported by the Company, increased to ₹8.55 lakh crore from ₹7.35 lakh crore the previous year. Overall, the Company supported around 23% of India's merchandise exports during FY 2024-25 and the business supported under covers issued to exporters, increased by more than 20% to ₹4.29 lakh crore compared to ₹3.57 lakh crore supported during the previous year.

The total claim paid by the Company during the FY 2024-25 was ₹453.46 crore. Claims amounting to ₹283.21 crore were paid to exporters, while claims amounting to ₹170.25 crore were paid to banks. During FY 2024-25, the Company paid 340 claims out of the 561 claims received from the exporters, indicating a 61% pay-out in terms of the number of claims received from exporters.

The Company's claim provision as of March 31, 2025 was ₹3,838.12 crore. The Company has achieved a profit before tax of ₹2,723.07 crore compared to ₹2,859.95 crore in the previous year. The net profit for the year stood at ₹2,076.67 crore reflecting a decrease by 3.82% from the previous year level of ₹2,159.05 crore. The Net worth (NW) of the Company as of March 31, 2025 was ₹13,484.76 crore as against ₹11,841.89 crore as of March 31, 2024.

O cial Language

The Company is proactive in the implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The Company has achieved the targets laid down in the Annual Rajbhasha Programme for the FY 2024-25 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. Every year, the Company celebrates the month of September as the Hindi Month. Accordingly, Hindi month was celebrated with enthusiasm from 1st to 30th September 2024. On the occasion of Hindi Day, the Company was conferred upon the 1st prize of Rajbhasha Kirti Puraskar for the FY 2023-24 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, for its excellent implementation of the Official Language Policy. Also, the Company was awarded the 1st prize by the Mumbai Town Official Language Implementation Committee (TOLIC-PSU) for effective implementation of the Official Language Policy for the FY 2023-24.

During the financial year 2024-25, the Hon'ble third Sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language inspected Hyderabad Branch and the Head Office of the Company. The Hon'ble committee has commended the work done by the Company with regard to the implementation of Official Language. The directions given by the Hon'ble Committee are being complied with.

Other Achievements

The Company continued its customer awareness initiatives through webinars/ offline meetings and physical meetings during the year. The Company is also conducting daily Online Video Conferencing (VC) sessions for addressing the customer grievances at its Head Office.

कंपनी ने दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 से डीजीएम मुख्य शाखाओं और क्षेत्रीय स्तर पर सभी शाखाओं के ग्राहकों के लिए ऑन-डिमांड वर्चुअल कॉन्फ्रेंस शुरू की है। निर्यात क्रेडिट बीमा तक पहुंच को सरल और सुव्यवस्थित करने और हमारे ग्राहकों (निर्यातकों और बैंकों) की सहायता के उद्देश्य से मुख्यालय में एक सामान्य सुविधा केंद्र (सी एफ सी) स्थापित किया गया है।

कंपनी ने अपनी 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' गतिविधियों को सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी पी ई) द्वारा प्रस्तावित 'स्वास्थ्य और पोषण' वार्षिक विषयवस्तु के साथ संरेखित किया है। तदनुसार, इस विषयवस्तु पर उडठ प्रस्ताव देश भर के कई क्षेत्रों में समर्थित हैं। कंपनी सर्वोच्च कॉर्पोरेट शासन मानकों का पालन करती है।

साल के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होती है जिसमें कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दर्शन का विवरण दिया जाता है।

आभार

कंपनी बोर्ड के सभी निदेशकों के योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। कार्यपालक निदेशक से कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को मेरी पदोन्नति होने पर मैंने बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कीय है। वर्ष के दौरान श्री सिद्धार्थ महाजन तथा श्री अश्विनी कुमार गैर-कार्यपालक निदेशकों के रूप में बोर्ड में शामिल हुए। इसके अलावा, ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक, श्री सुबीर कुमार दास भी कार्यात्मक निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड में शामिल हुए। वर्ष के दौरान श्री विपुल बंसल, श्री अमित कुमार अग्रवाल, सुश्री प्रतिभा कुशवाहा तथा श्री अश्विनी कुमार बोर्ड से कार्यमुक्त हुए। हम, निर्यातकों तथा बैंकों के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करने तथा हमारे साथ व्यापार करने के लिए आभारी हैं। हम, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय को उनके अपार समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सी ए जी), नीति आयोग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी पी ई), भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आई आर डी ए आई को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं उन कार्मिकों के प्रति भी अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए दृढ़ता एवं समर्पण का परिचय दिया तथा वर्ष के दौरान कंपनी के सुदृढ़ व्यावसायिक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जय हिंद।

सृष्टिराज अम्बष्ठ
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

The Company has started an on demand virtual conference at DGM headed branches and Regional Level for customers of all the branches, w.e.f. October 28, 2024. A Common Facilitation Centre (CFC) is set up at Head Office for the purpose of simplifying and streamlining the access to export credit insurance and assist our customers (Exporters and Banks).

The Company has aligned its 'Corporate Social Responsibility' activities with the annual theme of 'Health and Nutrition' propounded by the Department of Public Enterprise (DPE). Accordingly, the CSR proposals are supported on this theme in many regions across the country.

The Company observes the highest corporate governance standards. Corporate Governance report for the year forms part of annual report wherein the details of corporate governance philosophy of the Company is detailed.

Acknowledgements

The Company places on record its appreciation for the contribution of all the Directors on the Board. I have assumed the charge of Chairman of the Board on my elevation from Executive Director to Chairman-cum-Managing Director of the Company on December 16, 2024. Shri Siddharth Mahajan and Shri Ashwani Kumar joined the Board during the year as Non-Executive Directors. Further, Shri Subir Kumar Das, Executive Director, ECGC Limited also has joined the board of the Company as a Functional Director. Shri Vipul Bansal, Shri Amit Kumar Agarwal, Smt. Pratibha Kushwaha and Shri Ashwani Kumar ceased to be on the Board during the year. We are grateful to exporters and banks for reposing their trust and placing business with us. We extend our sincere thanks to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry for the immense support and guidance. We thank Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, CAG, NITI Aayog, DPE, Reserve Bank of India and IRDAI for their valuable support. I also place on record my sincere appreciation for the employees, who continued to demonstrate resilience and dedication on the face of numerous challenges and were instrumental in Company's robust business performance for the year.

Jai Hind.

Sristiraj Ambastha
Chairman-cum-Managing Director

ईसीजीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹433.80 करोड़ का लाभांश चेक माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल को सौंपा गया। यह चेक श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, श्री सुबीर दास, कार्यपालक निदेशक, एवं श्री आनंद सिंह, मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया।

ECGC handed over a ₹433.80 crore dividend cheque for FY 2024-25 to Shri Piyush Goyal, Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry. The cheque was presented by Shri Sristiraj Ambastha, Chairman-cum-Managing Director, Shri Subir Das, Executive Director, and Shri Anand Singh, Chief Financial Officer

दिनांक14/09/2025 को गांधीनगर में हिन्दी दिवस समारोह पर माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी एवं केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के कर कमलों द्वारा वर्ष 2024-25 का राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री सुबीर दास, कार्यपालक निदेशक।

Shri Subir Das, Executive Director, receiving the Rajbhasha Kirti First Award for the year 2024-25 from the hands of Hon'ble Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah ji and Union Minister of State for Law and Justice Shri Arjun Ram Meghwal ji on Hindi Diwas celebration in Gandhinagar on 14/09/2025.

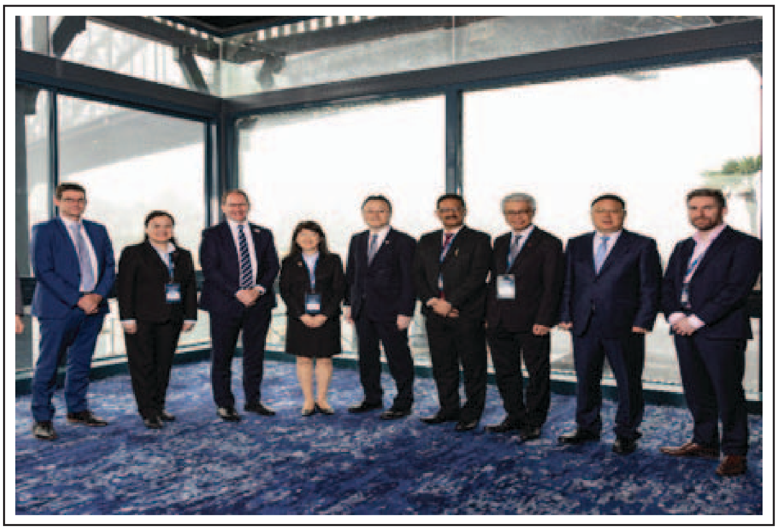

13 वीं क्षेत्रीय सहयोग समूह (आरसीजी) सीईओ स्तर की बैठक 11 मार्च, 2025 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई।

13th Regional Cooperation Group (RCG) CEO level meeting was held on 11th March, 2025 in Sydney, Australia.

कोटे डी आइवर में तृतीय जापान-अफ्रीका सार्वजनिक-निजी आर्थिक मंच में ईसीजीसी लिमिटेड, भारत और नेक्सि, जापान के मध्य द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

A bilateral meeting between ECGC Limited, India and NEXI, Japan was held at the 3rd Japan-Africa Public Private Economic Forum at Côte d'Ivoire.

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, अ प्र नि, ईसीजीसी लिमिटेड ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को मास्को, रूस में आयोजित ब्रिक्स ईसीए प्रमुखों की बैठक में भाग लिया।

Shri Sristiraj Ambastha, CMD, ECGC Ltd. participated in the meeting of BRICS Heads of ECAs held on 21st October, 2024 in Moscow, Russia.

निदेशकों की रिपोर्ट
DIRECTORS' REPORT

प्रिय सदस्यों,

ईसीजीसी लिमिटेड (ईसीजीसी) के निदेशकगण, सहर्ष दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम के साथ, कम्पनी की 67 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय परिलब्धियां

आपकी कम्पनी की वित्तीय परिलब्धियां, समीक्षाधीन वर्ष के लिए निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
पण्यावर्त (सकल प्रीमियम)	1366.53	1270.77
वित्तीय शुल्क कर, मूल्यह्रास /परिशोधन से पूर्व लाभ (पीबीआईटीडीए)	2758.62	2870.55
घटाएं: वित्तीय शुल्क	-	-
मूल्यह्रास/परिशोधन से पूर्व लाभ (पीबीटीडीए)	2758.62	2870.55
घटाएं: मूल्यह्रास	35.55	11.60
कराधान से पूर्व निवल लाभ (पीबीटी)	2723.07	2858.95
कराधान एवं पूर्व अवधि समायोजन के लिए प्रावधान	646.40	699.90
कराधान के पश्चात लाभ/हानि (पीएटी)	2076.67	2159.050

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी द्वारा प्रदत्त दावों की कुल राशि पिछले वित्तीय वर्ष के ₹450.31 करोड़ की तुलना में ₹453.46 करोड़ थी। पुनर्बीमाकर्ताओं के शेयर, वसूली एवं प्रावधानों को समायोजित करने के पश्चात, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दावा पिछले वित्तीय वर्ष के ₹(974.47) करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹(632.01) करोड़ हो गया। निवेश एवं अन्य आय वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹1253.81 करोड़ हो गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में ₹1204.89 करोड़ थी, जो 4.06% की वृद्धि दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित सकल प्रीमियम पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1270.77 करोड़ की तुलना में ₹1366.53 करोड़ थी, जो 7.54% की वृद्धि दर्शाता है। पुनर्बीमा हस्तांतरण एवं अनर्जित प्रीमियम के लिए प्रारक्षित निधि के समायोजन के पश्चात, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1079.76 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹1155.69 करोड़ हो गया, जो 7.03% की वृद्धि दर्शाता है।

लाभ एवं विनियोजन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिचालन से कुल आय ₹1548.22 करोड़ थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹1544.73 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के ₹2163.45 करोड़ के तुलना में ₹1827.30 करोड़ का परिचालन लाभ दर्ज किया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कर पूर्व लाभ (पी बी टी) पिछले वित्तीय वर्ष के ₹2858.95 करोड़ के तुलना में ₹2723.07 करोड़ था। आयकर एवं पूर्व अवधि समायोजन के लिए ₹646.40 करोड़ प्रदान किए जाने के पश्चात, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विनियोजन के लिए उपलब्ध कर-पश्चात लाभ (पी ए टी) ₹2076.67 करोड़ था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹2159.05 करोड़ था।

Dear Members,

The Directors of ECGC Limited (ECGC) are pleased to present the 67th Annual Report of the Company, together with the audited financial statements, for the Financial Year (FY) ended on March 31, 2025.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Your Company's financial highlights for the period under review are given below:

(₹ in crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Turnover (Gross Premium)	1366.53	1270.77
Profit Before Finance Charges, Tax, Depreciation/ Amortization (PBITDA)	2758.62	2870.55
Less: Finance Charges	-	-
Profit Before Depreciation/ Amortization (PBTDA)	2758.62	2870.55
Less: Depreciation	35.55	11.60
Net Profit Before Taxation (PBT)	2723.07	2858.95
Provision for Taxation and Prior Period Adjustments	646.40	699.90
Profit/(Loss) After Taxation (PAT)	2076.67	2159.05

During the FY 2024-25, the total amount of claims paid by the Company was ₹453.46 crore against ₹450.31 crore in the previous FY. After adjusting for reinsurers share, recoveries and provisions, the incurred claim increased for the FY 2024-25 to ₹(632.01) crore against ₹(974.47) crore for the previous FY. Investment and other income have increased to ₹1253.81 crore in the FY 2024-25 from ₹1204.89 crore in the previous FY reflecting a growth of 4.06%.

The Gross Premium earned by the Company during the FY 2024-25 was ₹1366.53 crore against ₹1270.77 crore during the previous FY registering a growth of 7.54%. Post adjustment of Reinsurance Cession and Reserve for Unearned Premium, the premium earned (Net) for the FY 2024-25, increased to ₹1155.69 crore, against ₹1079.76 crore for the previous FY registering a growth of 7.03%.

PROFITS AND APPROPRIATIONS

During the FY 2024-25, total income from operations was ₹1548.22 crore against ₹1544.73 crore in the previous FY. During the FY 2024-25, the Company posted an Operating Profit of ₹1827.30 crore against ₹2163.45 crore in the previous FY. During the FY 2024-25, Profit Before Tax (PBT) was ₹2723.07 crore against ₹2858.95 crore in the previous FY. After providing ₹646.40 crore towards income tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for appropriation in the FY 2024-25 was ₹2076.67 crore, against ₹2159.05 crore in the previous FY.

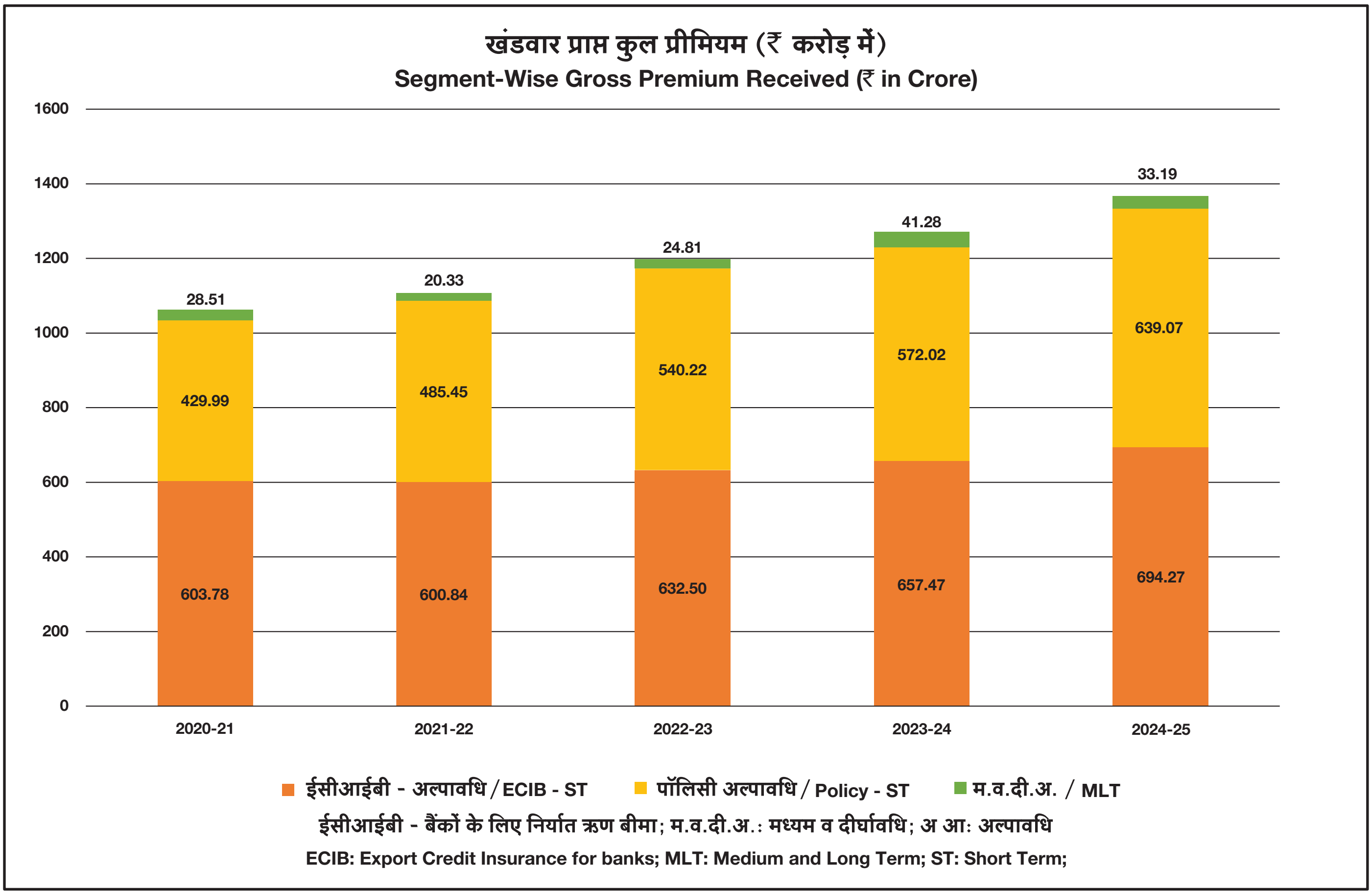

लाभांश

निदेशक मंडल सहर्ष, ₹433.80 करोड़ की राशि के, ₹100 प्रति इक्विटी शेयर के 43,38,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹10 प्रति इक्विटी शेयर का पूर्ण एवं अंतिम लाभांश की अनुशंसा करते है। कुल लाभांश राशि ₹433.80 करोड़ है, जो ₹2076.67 करोड़ के कर-पूर्व लाभ का 20.89% भुगतान अनुपात को दर्शाता है।

प्रारक्षित निधियां

बोर्ड द्वारा दिनांक 27 मई, 2025 को आयोजित अपनी 453वीं बैठक में सामान्य प्रारक्षित निधियों में ₹1642.87 करोड़ अंतरित किया जाना प्रस्तावित हैं।

अदावी लाभांश का निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष में अंतरण

चूंकि, पिछले वर्ष किसी अदत्त/अदावी लाभांश घोषित अथवा भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

DIVIDEND

The Board of Directors are pleased to recommend a full and final dividend of ₹10 per Equity Share on the 43,38,00,000 Equity Shares of ₹100 each, amounting to ₹433.80 crore. The total dividend amounts to ₹433.80 crore representing a pay-out ratio of 20.89% of the PAT of ₹2076.67 crore.

RESERVES

The Board, at its 453rd Meeting held on May 27, 2025, proposed to transfer ₹1642.87 crore to General Reserve.

TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Since there was no unpaid/unclaimed Dividend declared and paid last year, the provisions of Section 125 of the Companies Act, 2013 do not apply.

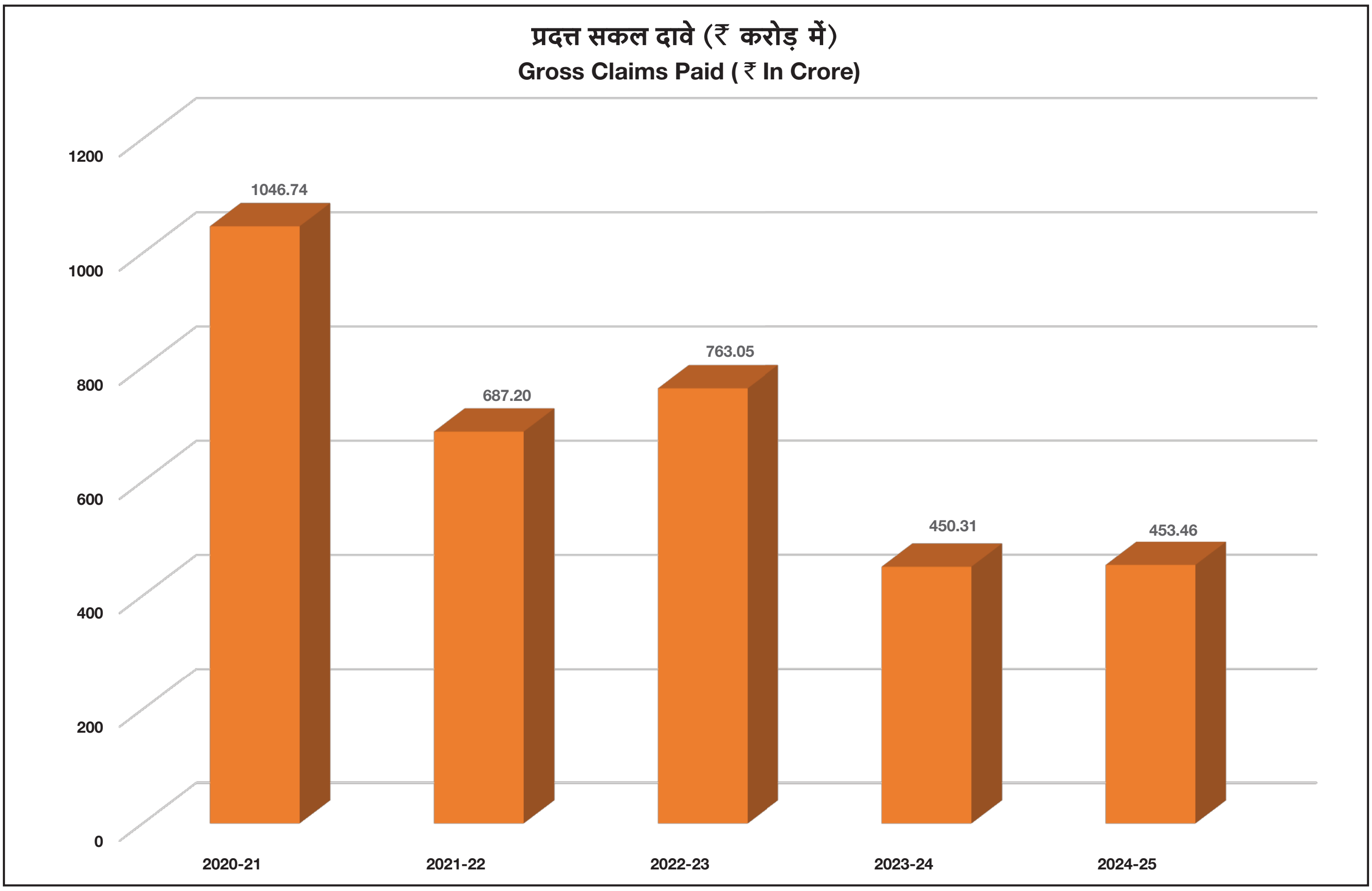

शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की कुल संपत्ति ₹13484.76 करोड़ (दिनांक 31 मार्च, 2024 तक ₹11841.89 करोड़) थी, जिसमें ₹4338 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूंजी एवं ₹9146.76 करोड़ का प्रारक्षित एवं अधिशेष शामिल था।

SHARE CAPITAL

As of March 31, 2025 the Company's Net Worth was ₹13484.76 crore (₹11841.89 crore as on March 31, 2024), comprising Paid-up Share Capital of ₹4338 crore and Reserves and Surplus of ₹9146.76 crore.

प्रतिभूतियों की पुनः खरीद

कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपनी कोई भी प्रतिभूति पुनः नहीं खरीदी गई है।

BUY BACK OF SECURITIES

The Company has not bought back any of its securities during the year under review.

स्वेट इक्विटी शेयर

कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई स्वेट इक्विटी शेयर जारी नहीं किया गया है।

SWEAT EQUITY SHARES

The Company has not issued any Sweat Equity Shares during the year under review.

बोनस शेयर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए।

BONUS SHARES

No Bonus Shares were issued during the year under review.

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

कम्पनी द्वारा अपने कार्मिकों को कोई स्टॉक विकल्प योजना नहीं उपलब्ध कराई गई है।

EMPLOYEES STOCK OPTION SCHEME

The Company has not provided any Stock Option Scheme to the employees.

कंपनी के संस्था बहिर्नियम

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के संस्था बहिर्नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

During the FY 2024-25, there was no change in the Memorandum of Association of the Company.

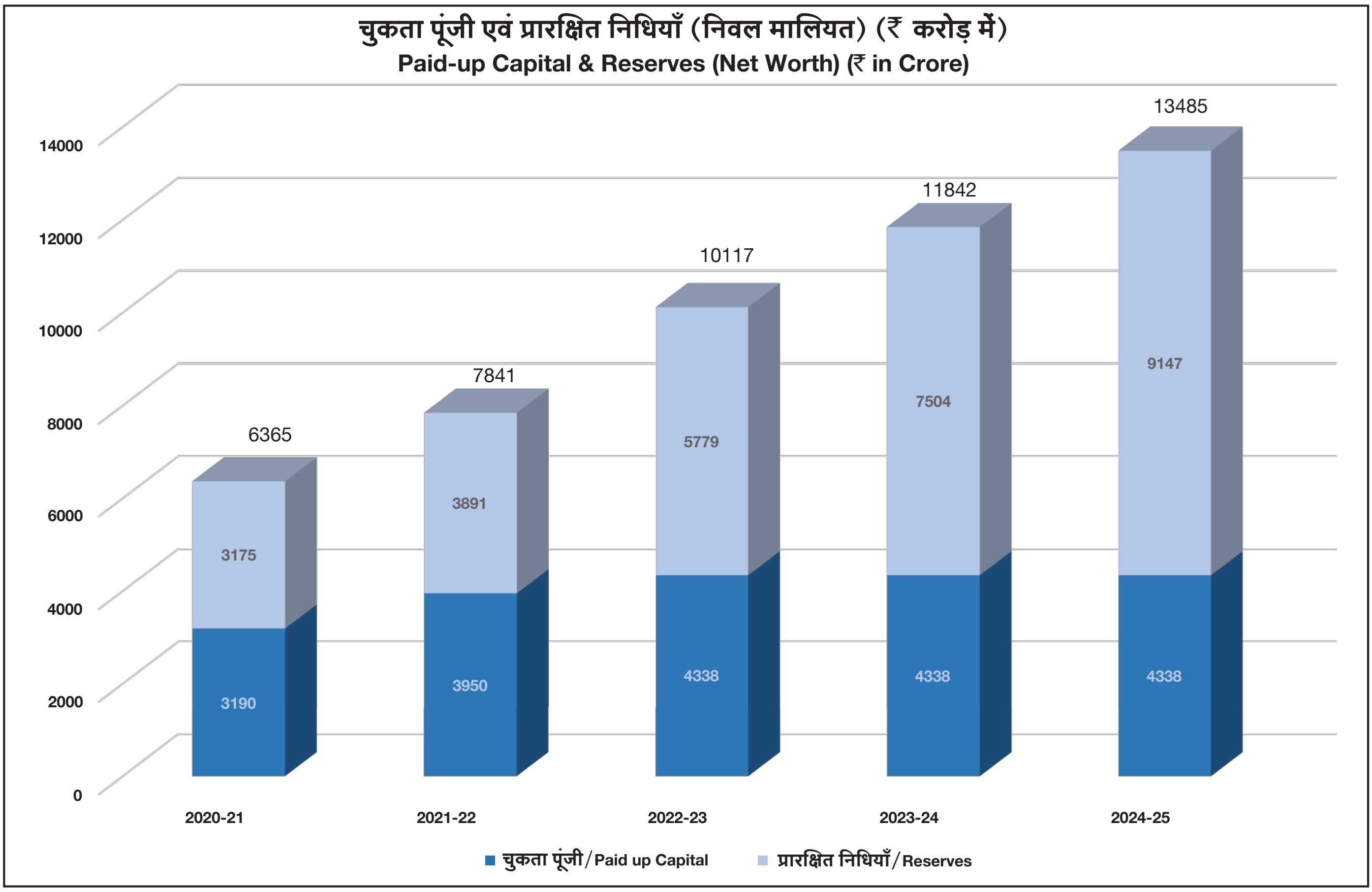

शोधन-क्षमता अनुपात

दिनांक 31 मार्च 2025 तक शोधन-क्षमता अनुपात 57.13 है, जबकि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) का मानक 1.50 है। विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	2024-25	2023-24
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित शोधन-क्षमता अनुपात (आर एस एम) (₹ करोड़ में)	226.35	235.92
उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन (ए एस एम) (₹ करोड़ में)	12931.95	11292.75
शोधन-क्षमता अनुपात (कुल ए एस एम / आर एस एम)	57.13	47.87

अधिकतम देयता

कंपनी के संस्था विनियम के अनुच्छेद 72(बी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अधिकतम देयता (एम एल), जिसे कंपनी द्वारा किसी भी समय हामीदारी किया जा सकता है, दिनांक 31 मार्च 2025 तक ₹1,50,000 करोड़ पर अपरिवर्तित बनी हुई है। दिनांक 31 मार्च 2025 तक एम एल ₹1,44,014.85 करोड़ था।

नए उत्पादों का परिचय

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी द्वारा कोई नया उत्पाद प्रारम्भ नहीं किया गया हैं।

निवेश

कंपनी के निवेश आई आर डी ए आई के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio as on March 31, 2025 is 57.13 against the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) norm of 1.50. The details are as under:

Particulars	2024-25	2023-24
Required Solvency Margin (RSM) under Regulations (₹ in crore)	226.35	235.92
Available Solvency Margin (ASM) (₹ in crore)	12931.95	11292.75
Solvency Ratio (Total ASM / RSM)	57.13	47.87

MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability (ML) that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, remains unchanged at ₹1,50,000 crore as of March 31, 2025. The ML as of March 31, 2025 was ₹1,44,014.85 crore.

INTRODUCTION OF NEW PRODUCTS

In the FY 2024-25, no new product was introduced by the Company.

INVESTMENT

The investments of the Company are in conformity with the guidelines of the IRDAI.

प्रबंधन व्यय

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी के प्रावधानों के अनुसार, प्रासंगिक नियमों के साथ पठित, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में कंपनी द्वारा किए गए प्रबंधन व्यय 29.77% (पिछले वित्तीय वर्ष 29.57%) रहे, जो आई आर डी ए आई मानदंडों के अनुरूप है।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एन ई आई ए)

एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार (जी ओ आई) द्वारा मध्यम एवं दीर्घावधि निर्यात (म.व.दी.अ.) / परियोजना निर्यात के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है, जो राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से वांछनीय है। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ट्रस्ट को प्राप्त कुल अनुदान सहायता ₹4,741 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एन ई आई ए ट्रस्ट द्वारा जाम्बिया को प्रदान की गई खरीदार ऋण सुविधा से संबंधित खरीदार ऋण (बी सी - एन ई आई ए) योजना के अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम बैंक को ₹130.33 करोड़ के दावे को मंज़ूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट के साथ जोखिम-साझाकरण व्यवस्था के अंतर्गत जारी अफगानिस्तान में परियोजनाओं के अधीन में हुए हानि के लिए ईसीजीसी की मध्यम एवं दीर्घावधि पॉलिसी रक्षा के अंतर्गत भारतीय परियोजना निर्यातकों को निपटान किए गए दावों के लिए ईसीजीसी को ₹72.42 करोड़ की प्रतिपूर्ति को मंज़ूरी प्रदान की गई है। ट्रस्ट की हामीदारी क्षमता ₹80,000 करोड़ है, जिसमें से 25% अर्थात ₹20,000 करोड़ कंपनी द्वारा जारी म.व.दी.अ. रक्षा को समर्थन देने के लिए निर्धारित किए गए हैं। 54 देशों में ₹43,571 करोड़ के कुल मूल्य वाले 213 परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने वाले 331 रक्षाओं के लिए ₹14,153.77 करोड़ तक का जोखिम एन ई आई ए ट्रस्ट के साथ साझा किया गया है। ₹80,000 करोड़ का शेष 75% अर्थात ₹60,000 करोड़ बी सी -एन ई आई ए के लिए निर्धारित किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, ट्रस्ट द्वारा देशों, कैमरून, कोटे डी आइवर, घाना, ईरान, मालदीव, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, सूरीनाम, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे में ₹18,006 करोड़ मूल्य की 28 परियोजनाओं के लिए ₹25,097 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 28 खरीदार ऋण रक्षा जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान मंज़ूर / निपटान किए गए दावों को देखते हुए, दिनांक 31 मार्च, 2025 तक हामीदारी के लिए उपलब्ध कोष शून्य है। भारत सरकार इस ट्रस्ट की एकमात्र संस्थापक है तथा ईसीजीसी इसकी प्रबंध एजेंसी है।

निदेशक मण्डल

ईसीजीसी लिमिटेड 100% भारत सरकार (जी ओ आई) के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के कार्यों एवं कारोबार के परिचालन, निर्देशन एवं प्रबंधन के सामान्य अधिकार निदेशक मंडल में निहित हैं, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक करते हैं। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) के अतिरिक्त निदेशक मण्डल के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अ प्र नि) एवं कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) सहित निदेशक मण्डर्ल के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, श्री सृष्टिराज अम्बष्ट, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) एवं कार्यकारी निदेशक को दिनांक 16 दिसंबर, 2024 से कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। उन्हें दिनांक 14 नवंबर 2023 से कार्यकारी

MANAGEMENT EXPENSES

As per the provisions under Section 40C of the Insurance Act, 1938 read with the relevant Rules, the management expenses incurred by the Company as a percentage of the Gross Premium Income during the FY 2024-25 stood at 29.77% (previous FY 29.57%) which is within the IRDAI norms.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT TRUST (NEIA)

The NEIA Trust has been established by the Government of India (GOI) with the objective of ensuring availability of credit risk cover for Medium and Long-Term exports (MLT) / project exports which are desirable from the point of view of national interest. The total grant-in-aid received by the Trust as of March 31, 2025 stands at ₹4,741 crore. During the FY 2024–25, the NEIA Trust has approved a claim of ₹130.33 crore to India Exim Bank under its Buyer's Credit (BC-NEIA) scheme, pertaining to the Buyer's Credit facility extended to Zambia. Additionally, the Trust has approved a reimbursement of ₹72.42 crore to ECGC for claims settled to Indian project exporters under ECGC's Medium and Long-Term policy covers, for losses incurred under projects in Afghanistan, issued under risk-sharing arrangement with the Trust. The underwriting capacity of the Trust is ₹80,000 crore of which 25% amounting to ₹20,000 crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company. Risk to the extent of ₹14,153.77 crore, in respect of 331 covers supporting 213 projects with a total value of ₹43,571 crore in 54 countries, has been shared with the NEIA Trust. The balance 75% of ₹80,000 crore amounting to ₹60,000 crore is earmarked for the BC-NEIA. As of March 31, 2025, the Trust has issued 28 Buyer's Credit covers with an aggregate Maximum Liability of ₹25,097 crore for 28 projects of value ₹18,006 crore in the countries Cameroon, Cote D' Ivoire, Ghana, Iran, Maldives, Mauritania, Mozambique, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe. In view of the claims admitted/settled during the FY 2022-23, 2023-24 and 2024-25, the corpus available for underwriting is NIL as of March, 31, 2025. The GOI is the sole settlor of the Trust and ECGC is the managing agency.

BOARD OF DIRECTORS

ECGC Ltd. is a 100% Government of India (GOI)-owned Company. The general powers of superintendence, direction and management of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the Directors on the Board other than the Chairman-cum-Managing Director and the Executive Director (Policy Matters) are Non-Executive Directors. All Members of the Board including the Chairman-cum-Managing Director (CMD) and the Executive Director (Policy Matters), are appointed by the President of India.

During the FY 2024-25, Shri Sristiraj Ambastha, Executive Director (Policy Matters) and Functional Director has been elevated as the Chairman-cum-Managing Director of the Company w.e.f. December 16, 2024. He was appointed as a Functional Director i.e. Executive Director (Policy Matters)/ Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) w.e.f. November 14, 2023. Shri Siddharth Mahajan, Joint Secretary, Department of Commerce, Mini Commerce & Indusy has been

निदेशक अर्थात कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/ अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन को दिनांक 16 अप्रैल, 2024 से सरकारी नामित गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में शामिल किया गया है; फियो के अध्यक्ष श्री अश्विनी कुमार को दिनांक 07 मई, 2024 से गैर- कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया गया है; एवं ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) श्री सुबीर कुमार दास को दिनांक 13 जनवरी, 2025 से कंपनी के निदेशक मण्डल में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एस.सी. मुर्मू को कंपनी के निदेशक मण्डल में पुनः नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, तीन गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री अमित कुमार अग्रवाल, श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा एवं श्री अश्विनी कुमार एवं एक सरकारी नामित गैर-कार्यपालक निदेशक श्री विपुल बंसल कंपनी के निदेशक नहीं हैं।

इस रिपोर्ट की तिथि तक, निदेशक मण्डल में गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों के तेरह पदों में से सात रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भारत सरकार के साथ मिलकर जारी है।

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके दायित्वों के निर्वाह से संबन्धित कंपनी की पॉलिसी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2), (3) एवं (4) के प्रावधान निदेशकों की नियुक्ति / निष्कासन, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं एवं स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करने तथा निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा कंपनी के अन्य अधिकारियों के पारिश्रमिक पर पॉलिसी की सिफारिश करने तथा पारिश्रमिक के लिए पॉलिसी तैयार करने में अन्य विचारों से संबंधित हैं, जो एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा अन्य संबंधित मामलों से संबंधित कोई पॉलिसी तैयार नहीं की गई है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के अंतर्गत वर्णित है। कंपनी के निदेशक मण्डल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (जहां पद एक ही व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है), एवं कार्यपालक निदेशक / कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) / कार्यपालक निदेशक(परिचालन) / वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक के इस प्रकार के प्राप्त होने वाले वेतन एवं / अथवा भत्ते का निर्धारण समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता हैं।

वार्षिक प्रतिफल

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक प्रतिफल का मसौदा कंपनी की वेबसाइट (www.ecgc.in) के कॉर्पोरेट प्रशासन अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक की घोषणा

सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी पर लागू स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक(ओं) की नियुक्ति से संबंधित धारा 149 के प्रावधानों का वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सम्पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया हैं।

inducted as a Government Nominee Non-Executive Director w.e.f. April 16, 2024; Shri Ashwani Kumar, President, FIEO was inducted as a Non-executive Independent Director w.e.f. May 07, 2024; and Shri Subir Kumar Das, Executive Director (Policy Matters), ECGC Limited was inducted as a Whole-time Functional Director on the Board of the Company w.e.f. January 13, 2025. The Government of India has reappointed Shri S.C. Murmu, Executive Director, Reserve Bank of India on the Board of the Company.

During the FY 2024-25, three Non-executive Independent Directors viz. Shri Amit Kumar Agarwal, Smt. Pratibha Kushwaha and Shri Ashwani Kumar and a Government Nominee Non-Executive Director Shri Vipul Bansal ceased to be Directors of the Company.

As of date of this report, seven of the thirteen positions of Non-executive Independent Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS' APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES

The provisions of Section 178(2), (3) and (4) of the Companies Act, 2013 related to the appointment/ removal of Directors, formulating the criteria for determining the qualifications, positive attributes and independence of Directors and recommending the policy on remuneration of the Directors, Key Managerial Personnel and other officers of the Company and other considerations in formulating the policy for remuneration are not applicable to the Company, being a Government Company, and hence the Company has not devised any policy related to the appointment of Directors, payment of Managerial remuneration, Directors' qualifications, positive attributes, independence of Directors and other related matters as provided under Section 178(3) of the Companies Act, 2013. All the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India. The Chairman, Managing Director or Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), and Executive Director/ Executive Director (Policy Matters)/ Executive Director (Operations)/ Senior-most Executive Director so appointed shall receive such salary and/or allowances as the President may determine from time to time.

ANNUAL RETURN

The draft of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 of the Companies Act, 2013 is available under the Corporate Governance section of the website of the Company (www.ecgc.in).

DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS AND WOMAN DIRECTOR

The provisions of Section 149 pertaining to the appointment of Independent Directors and Woman Director(s) applicable to Public Limited Company were fully complied during the FY 2024-25.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सात निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित की गई।

लेखा परीक्षा समिति के विन्यास का प्रकटन तथा सतर्कता तंत्र का प्रावधान

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री रामास्वामी नारायणन (दिनांक 30/10/2023 से सदस्य के रूप में एवं दिनांक 09/11/2023 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त)
2.	श्री सिद्धार्थ महाजन (दिनांक 16/04/2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
3.	श्रीमती अपर्णा भाटिया (दिनांक 16/11/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
4.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू (दिनांक 10/01/2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
5.	सुश्री हर्षा बंगारी (दिनांक 23/09/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
6.	श्री विपुल बंसल (दिनांक 16/11/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 16/04/2024 से सदस्य नहीं हैं)
7.	श्री अश्वनी कुमार (दिनांक 07/05/2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 31/03/2025 से सदस्य नहीं हैं)

लेखापरीक्षा समिति का नेतृत्व स्वतंत्र निदेशक श्री रामास्वामी नारायणन करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों में दो गैर-कार्यपालक सरकारी नामित निदेशक अर्थात श्री सिद्धार्थ महाजन एवं श्रीमती अपर्णा भाटिया तथा चार गैर- कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री रामास्वामी नारायणन, श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, सुश्री हर्षा बंगारी एवं श्री अश्विनी कुमार शामिल थे, जो बहुमत का गठन करते थे।

कंपनी द्वारा एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है तथा लेखापरीक्षा समिति के जरिए कार्मिको एवं अन्य निदेशकों द्वारा व्यक्त की गई वास्तविक शंकाओ पर निगरानी की जाती है। कंपनी द्वारा अपनी शंका व्यक्त करने वाले कार्मिकों एवं निदेशकों को उत्पीड़न से रक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी उपलब्ध करावाया गया है। कंपनी द्वारा कार्मिकों एवं कंपनी के हितों से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग के लिए लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष का संपर्क विवरण भी कार्मिकों को उपलब्ध करावाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सतर्कता मामलों का विवरण:

01/04/2024 तक प्रारंभिक शेष	दिनांक 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान प्राप्त सतर्कता मामले	निपटान किया गया	शेष
03	शून्य	03	शून्य

NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company had conducted seven Board Meetings during the FY under review.

DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following Members:

S. No.	Name of the Directors
1.	Shri Ramaswamy Narayanan (appointed as a Member w.e.f. 30/10/2023 and as the Chairman w.e.f. 09/11/2023)
2.	Shri Siddharth Mahajan (appointed as a Member w.e.f. 16/04/2024)
3.	Smt. Aparna Bhatia (appointed as a Member w.e.f. 16/11/2021)
4.	Shri Shirish Chandra Murmu (appointed as a Member w.e.f. 10/01/2020)
5.	Ms. Harsha Bangari (appointed as a Member w.e.f. 23/09/2021)
6.	Shri Vipul Bansal (appointed as a Member w.e.f. 16/11/2021) (ceased to be a Member w.e.f. 16/04/2024)
7.	Shri Ashwani Kumar (appointed as a Member w.e.f. 07/05/2024) (ceased to be a Member w.e.f. 31/03/2025)

The Audit Committee is headed by an Independent Director viz. Shri Ramaswamy Narayanan. During the FY 2024-25, the members of the Audit Committee comprised two Non-executive Government Nominee Directors viz. Shri Siddharth Mahajan and Smt. Aparna Bhatia and four Non- executive Independent Directors namely Shri Ramaswamy Narayanan, Shri Shirish Chandra Murmu, Ms. Harsha Bangari and Shri Ashwani Kumar who formed the majority.

The Company has established a vigilance mechanism and oversees through the Audit Committee, the genuine concerns expressed by the employees and other Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided contact details of the Chairman of the Audit Committee to employees for reporting issues concerning the interests of employees and the Company.

DETAILS OF THE VIGILANCE CASES FOR THE FY 2024-25:

Opening balance as on 01/04/2024	Vigilance cases received during to 31/03/2025 01/04/2024	Disposed o	Balance
03	Nil	03	Nil

सहायक कंपनियां, संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार का जमा न तो स्वीकार किया गया है और न ही नवीनीकृत किया गया है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आई बी सी) के अंतर्गत प्रारम्भ की गई कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध न तो कोई आवेदन किया गया और न ही कोई कार्यवाही लंबित थी।

एकमुश्त समझौते के समय की गई सम्पत्ति के मूल्यांकन एवं बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करते समय की गई मूल्यांकन राशि में अंतर एवं इसके कारणों का विस्तृत विवरण।

लागू नहीं

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

कंपनी के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुरूप यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए एक पॉलिसी है। सभी कार्मिक इस पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 के अंत तक निवारण हेतु कोई शिकायत लंबित नहीं है।

भारत सरकार (जी ओ आई) के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। विभिन्न वित्तीय एवं गैर-वित्तीय मापदंडों के आकलन के आधार पर, कंपनी के निष्पादन को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ''बहुत अच्छा'', वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ''उत्कृष्ट'', वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ''बहुत अच्छा'' एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ''उत्कृष्ट'' रेट किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का निष्पादन ''बहुत अच्छा'' होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एम ओ यू मापदंडों का विवरण, साथ ही इन मापदंडों के अंतर्गत कंपनी द्वारा लक्ष्य एवं अनुमानित उपलब्धि निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमानों के आधार पर समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निष्पादन

SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint Venture or Associate Company.

DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposit during the year under review.

CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS INITIATED UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 (IBC)

During the year under review, neither any application was made nor any proceedings were pending against the Company under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

DETAILS OF DIFFERENCE BETWEEN AMOUNT OF THE VALUATION DONE AT THE TIME OF ONE TIME SETTLEMENT AND THE VALUATION DONE WHILE TAKING LOAN FROM THE BANKS OR FINANCIAL INSTITUTIONS ALONG WITH THE REASONS THEREOF

Not applicable.

THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Company has a policy in place to deal with Sexual Harassment complaints, in line with the requirement of The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. All employees are covered under the policy. No complaint was filed under the policy during the FY 2024-25. There are no complaints outstanding for redressal as at the end of March 31, 2025.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH THE GOVERNMENT OF INDIA (GOI)

As per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises, every year a Memorandum of Understanding (MOU) is signed with the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Based on the assessment of various financial and non-financial parameters, the Company's performance has been rated as "Very Good" for the FY 2020-21, "Excellent" for the FY 2021-22, "Very Good" for the FY 2022-23 and "Excellent" for the FY 2023-24. The performance of the Company is expected to be rated as "Very Good" for the FY 2024-25. The details of MOU parameters for the FY 2024-25, along with the target and estimated achievement by the Company under these parameters is as under:

Performance under the MoU based on estimates for the FY 2024-25

क्र. सं.	मापदंड का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	परिचालन से राजस्व (राजस्व खाते से कुल आय)	करोड़ ₹ में	2048	1548.22
2.	जोड़े गए नए खरीदारों की संख्या	संख्या	28381	29096
3.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ई बी आई टी डी ए (पी बी टी + मूल्यहास) / (राजस्व खाते से कुल आय + लाभ एवं हानि खाते से आय) *100	%	125.65	110.07
4.	निवल मालियत पर प्रतिफल (पी ए टी /औसत निवल मालियत *100)	%	19.66	16.4
5.	संपत्ति कारोबार अनुपात (राजस्व खाते से कुल आय +लाभ एवं हानि खाते से आय) /कुल संपत्ति *100	%	13.59	12.42
6.	अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) से खरीद	%	100	100
7.	प्रति शेयर आय	₹	53.67	47.87

इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा 6 में से 5 'अनुपालन मापदंडों' का भी अनुपालन किया है। गैर-अनुपालन मापदंड इस प्रकार हैं:

कंपनी वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एम एस ई के जरिए वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए निर्धारित मापदंड का अनुपालन करने में असमर्थ थी। कंपनी द्वारा 4% के लक्ष्य के तुलना में एस सी/एस टी एम एस ई के जरिए 0.79% खरीद की गई है।

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित खातों एवं उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित, क्रमशः दिनांक 17 दिसंबर, 2024 एवं 20 दिसंबर, 2024 को लोकसभा एवं राज्यसभा के समक्ष रखी गई।

कार्मिकों का विवरण

पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है:

S. No.	Name of Parameter	Unit	Target	Achievement
1.	Revenue from Operations (Total Income from Revenue Account)	₹ in Cr.	2048	1548.22
2.	No. of New Buyers Added	Number	28381	29096
3.	EBITDA as a percentage of Revenue (PBT + Depreciation) / (Total Income from Revenue Account + Income from Profit and Loss Account) *100	%	125.65	110.07
4.	Return on Net worth (PAT /Avg. Net Worth*100)	%	19.66	16.4
5.	Assets Turnover Ratio (Total Income from Revenue Account + Income from Profit and Loss Account)/Total Assets *100	%	13.59	12.42
6.	Procurement from Government e-Marketplace (GeM) as per approved procurement plan	%	100	100
7.	Earning per share	₹	53.67	47.87

Further, the Company has also complied with 5 out of 6 'Compliance Parameters'. The non-complied parameter is as under:

The Company was unable to comply with the parameter set for procurement of goods or services through SC/ST MSEs as % of total procurement of goods and services. The Company has procured 0.79% through SC/ST MSEs against the target of 4%.

PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

Annual Report of the Company for the FY 2023-24 along with Audited Accounts and Comments of the Comptroller and Auditor General thereon, was placed before the Lok Sabha and Rajya Sabha on December 17, 2024 and December 20, 2024 respectively, in compliance with the requirements under Section 394 of the Companies Act, 2013.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

Particulars of the employees who were in receipt of remuneration in excess of remuneration drawn by the Whole-Time Directors are provided below:

क्र. सं. S. No	विवरण Details	सुश्री प्रिसिला सिन्हा नियुक्त बीमांकिक Ms. Priscilla Sinha Appointed Actuary	श्री पी.एल. ठाकुर महाप्रबंधक Shri P. L. Thakur General Manager	श्रीमती स्मिता पंडित महाप्रबंधक Smt. Smita Pandit General Manager
1.	प्राप्त पारिश्रमिक Remuneration received	वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹1,15,89,604 ₹1,15,89,604 in FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹83,67,772 ₹83,67,772 in FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹83,05,461 ₹83,05,461 in FY 2024-25
2.	रोजगार की प्रकृति, चाहे संविदा आधार पर हो अथवा अन्यथा Nature of employment, whether contractual or otherwise	संविदा पर, निश्चित अवधि आधार पर नियुक्त Contractual on a fixed term basis.	स्थायी Permanent	स्थायी Permanent
3.	योग्यता Qualifications	फेलो, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज इन इंडिया डिप्लोमा इन एक्चुअरी टेक्निक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज,यूके Fellow, Institute of Actuaries in India Diploma in Actuarial Techniques, Institute of Actuaries, UK	बी.एस.सी. ऑनर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय निर्यात प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स B.Sc. (Hons.) Certificate Course in Export Management (IIFT)	बी.कॉम, एल एल बी, एफ सी एस, एफ आई आई आई, सी ए आई आई बी B. Com, LLB, FCS, FIII, CAIIB
4.	रोजगार प्रारंभ करने की तिथि Date of commencement of employment	दिनांक 18 अप्रैल, 2019 April 18, 2019	दिनांक 06 फरवरी, 1991 February 06, 1991	दिनांक 04 जून, 2013 June 04, 2013
5.	इन कार्मिकों की आयु Age of such employee	58	56	59
6.	कंपनी में शामिल होने से पूर्व कार्मिक की पिछली नौकरी Last employment held by such employee before joining the Company	जी आई सी रे GIC Re	नहीं No	महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम) में कंपनी सचिव Company Secretary at Maharashtra State RoadDevelopment Corporation Limited (A Govt. of Maharashtra Undertaking)
7.	उप-नियम (2) के उप-नियम (2) के खंड (iii) के अर्थ के अधीन कंपनी में कार्मिक द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत; एवं The percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of clause (iii) of sub-rule (2) above; and	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
8.	क्या इस प्रकार कोई कार्मिक कंपनी के किसी निदेशक अथवा प्रबंधक का रिश्तेदार है एवं यदि हां, तो इस प्रकार के निदेशक अथवा प्रबंधक का नाम Whether any such employee is a relative of any director or manager of the Company and if so, name of such director or manager	नहीं No	नहीं No	नहीं No

ग्राहक हित रक्षा तंत्र

कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में एक ग्राहक सेवा कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका नेतृत्व महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। कंपनी की ग्राहक शिकायत निवारण पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पॉलिसी के अनुसार, यदि किसी अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय को दोहराया जाना है तो उच्च अधिकारी द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 से, मामलों को विभिन्न अधिकारियों/समितियों द्वारा तीन बार निपटान किया जाता है, जिसके पश्चात मामलों को स्वतंत्र समीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। शिकायत निवारण में लगने वाले समय को कम करने के लिए, कंपनी के बोर्ड द्वारा अपनी ग्राहक शिकायत निवारण पॉलिसी को संशोधित किया गया था, जिससे व्यवस्था पूर्व के पांच चरणीय एक से चार चरणीय हो गई। मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनी शीर्ष ग्राहक शिकायत समिति (ए सी जी सी) कंपनी के विरुद्ध किसी भी ग्राहक शिकायत के लिए सर्वोच्च आंतरिक अपीलीय प्राधिकारी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की तेरह बार बैठक हुई एवं 34 मामलों का निपटान किया गया।

कंपनी के पास चार सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति (आई आर सी) है, जिसमें न्यायपालिका, बैंकिंग, विदेशी व्यापार एवं ऋण बीमा के क्षेत्रों के बाह्य विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनकी वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पांच बार बैठक हुई एवं ए सी जी सी के निर्णय के संबंध में निर्यातक ग्राहकों की शिकायत से संबंधित 18 मामलों का निपटान किया गया। कंपनी, आई आर डी ए आई के बीमा भरोसा पोर्टल से जुड़ी हुई है, जहां ग्राहक सीधे लॉग ऑन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पॉलिसीधारकों के पास अब बीमा भरोसा पोर्टल अथवा कंपनी की वेबसाइट के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज कराने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त, कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) शिकायत निवारण प्रणाली से भी जुड़ी हुई है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण के विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित, कंपनी द्वारा अपने कॉर्पोरेट कार्यालय भवन; अंधेरी (पूर्व), मुंबई में ईसीजीसी भवन के लिए निम्नलिखित उल्लेखनीय पहल की गई हैं:

(क) परिसर का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि भवन में पर्याप्त प्राकृतिक

प्रकाश उपलब्ध हो सके एवं प्रकाश के अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम हो;

(ख) भवन परिसर में वातानुकूलन के लिए ऊर्जा सक्षम एच वी ए सी प्रणाली की स्थापना;

(ग) 50 किलोवाट क्षमता वाले रूफ टॉप सोलर पैनलों की स्थापना, जो सामान्य बिजली आपूर्ति ग्रिड से जुड़े होंगे, जिससे कंपनी उत्पादित बिजली का उपयोग करने में सक्षम होगी;

(घ) अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए इंटरनल कंबसटन इंजन के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद, जिसे भी ई ई एस एल के जरिए खरीदा गया;

(ङ) कार्यस्थल के प्रमुख भागों में गति संवेदन लाइटों की स्थापना; एवं

(च) लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग करने के निर्देश के साथ प्रदर्शक लगाना।

CUSTOMER CARE MECHANISM

The Company has set-up a Customer Care Cell at its Head Office in Mumbai and is headed by an officer of the rank of General Manager, for redressing grievances of its customers. The Customer Grievance Redressal Policy of the Company is placed on the Company's website. As per the policy, the decision taken by an official would be reviewed by a higher authority in case the earlier decision is to be reiterated. Since the FY 2021-22, the cases are dealt with three times by different officials/Committees after which the cases are placed before the Independent Review Committee. In order to reduce the turnaround time to redress the grievance, the Board of the Company had revised its Customer Grievance Redressal policy to make the mechanism a four stage one from the earlier five stage one. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC), consisting of senior executives at Head Office, is the highest in-house Appellate Authority for any customer complaint against the Company. The Committee met thirteen times and disposed of 34 cases during the FY 2024-25.

The Company has a four-member Independent Review Committee (IRC) consisting of external experts from the fields of Judiciary, Banking, Foreign Trade and Credit Insurance, which met five times during the FY 2024-25 and disposed of 18 cases pertaining to grievance of the exporter customers in respect of decision by the ACGC. The Company is linked to the Bima Bharosa portal of the IRDAI, where customers can directly log on and lodge their complaints. Policyholders now have the option of registering their respective complaints either at the Bima Bharosa portal or through the Company's website. In addition, the Company is also linked to the grievance redressal system operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms, Government of India at Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Pursuant to Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013, read with the Rule 8 (3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the Company has taken the following considerable initiatives for its Corporate Office Building; ECGC Bhawan at Andheri (East), Mumbai:

a) The design of the complex was conceived in such a way to provide ample natural light in the building to reduce dependency on other sources of lights;

b) Installation of energy efficient HVAC System for air conditioning in the building premises;

c) Installation of 'Roof Top Solar' panels with 50 kwp capacity, connected to the common electricity supply grid from which the Company is able to use electricity generated;

d) Procurement of Electric Vehicles in place of internal combustion engines, also procured through EESL, for its senior officers;

e) Installation of motion sensing lights in major parts of the working place; and

f) Putting up displays with instructions to use stairs in place of lifts.

कंपनी के प्रस्तुतीकरण के आधार पर, स्थापित ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम प्रमाणन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कंपनी को यू.एस. ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक. द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड सर्टिफिकेट जिसे लीड्स सर्टिफिकेट कहा जाता है, प्रदान किया गया है।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की विदेशी मुद्रा आय ₹4.13 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹3.26 करोड़) है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय ₹3.09 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹2.02 करोड़) है।

क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को बीमा उद्योग एवं बीमा-लिंक्ड प्रतिभूतियों में विशेषज्ञता रखने वाली वैश्विक क्रेडिट एजेंसी ए एम बेस्ट द्वारा एफ एस आर (वित्तीय सशक्ता रेटिंग) में बी++, आई सी आर (जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग) में बीबीबी+ एवं एन एस आर (राष्ट्रीय स्केल रेटिंग) मापदंडों में ए ए ए. आई एन रेटिंग प्रदान की गई हैं।

नियुक्त बीमांकिक

आई आर डी ए आई की मंजूरी के साथ कंपनी द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2025 से अनुबंध के आधार पर एक पूर्णकालिक नियुक्त बीमांकिक को पुनः नियुक्त किया गया। प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 18 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हुई।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक पृथक बीमांकिक विभाग की स्थापना की गई थी, जो नियुक्त बीमांकिक (ए ए) को बीमांकिक कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जैसे उपगत परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर) / उपगत परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) दावों का आकलन, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन रिपोर्ट, अपेक्षित दावा लागत अनुमान, वित्तीय स्थिति आकलन रिपोर्ट, आर्थिक पूंजी संगणना, उत्पाद मूल्य निर्धारण एवं समीक्षा आदि। ए ए की रिपोर्ट एवं अवलोकन का कंपनी की समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में योगदान हैं। नियुक्त बीमांकिक द्वारा बीमाकर्ताओं के बीमांकन, वित्त एवं निवेश संबंधी कार्यों पर आई आर डी ए आई के दिनांक 17 मई, 2024 के मास्टर परिपत्र के अनुसार कार्य किया जाता है।

बीमांकिक विभाग

बीमांकिक विभाग एक पूर्णकालिक नियुक्त बीमांकिक की निगरानी में कार्यरत है। यह विभाग मुख्य रूप से नियुक्त बीमांकिक को निर्धारित विनियामक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है।

बीमांकिक विभाग, दावा आरक्षित निधियों जैसे उपगत परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर) दावे तथा अन्य आरक्षित निधियों जैसे उपगत परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) दावे एवं प्रीमियम न्यूनता आरक्षित निधि (पी डी आर) के आकलन में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा बीमा नियामक (आई आर डी ए आई) को प्रस्तुत करने के लिए बीमांकिक रिपोर्ट एवं प्रपत्र तैयार किया जाता है, जैसे आई बी एन आर रिपोर्ट, वित्तीय स्थिति रिपोर्ट (एफ सी आर), आर्थिक पूंजी विवरण, उत्पाद निष्पादन रिपोर्ट एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन विवरण।

Based on the Company's submissions, the prestigious 'Gold Certificate' by the U.S. Green Building Council & Green Business Certification Inc. called 'LEEDS Certificate' has been awarded to the Company for fulfilling the requirements of the green building rating system certification established.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

The Foreign exchange earnings of the Company during the FY 2024-25 is ₹4.13 crore (₹3.26 crore in the previous FY) while Foreign Exchange outgo during the FY 2024-25 is ₹3.09 crore (₹2.02 crore in the previous FY).

CREDIT RATING

During the FY, the Company was rated B++ in FSR (Financial Strength Ratings), bbb+ in ICR (Issuer Credit Ratings) and aaa.IN in NSR (National Scale Ratings) parameters by AM Best, the global credit agency specialising in the insurance industry and insurance-linked securities.

APPOINTED ACTUARY

A full-time Appointed Actuary was re-appointed on a contract basis by the Company with approval of the IRDAI effective from January 27, 2025. The initial appointment was made w.e.f. April 18, 2019.

A separate 'Actuarial Department' was set up in the FY 2012-13, which provides support to the Appointed Actuary (AA) in the Actuarial functions such as preparation of Incurred But Not Reported (IBNR) / Incurred But Not Enough Reported (IBNER) claims estimation, Asset Liability Management Report, Expected Claim Costs Estimation, Financial Condition Assessment Report, Economic Capital Computation, Product pricing and review, etc. The reports and observations of the AA contribute towards the overall risk management strategies of the Company. The Appointed Actuary functions in accordance with the IRDAI Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers dated May 17, 2024.

ACTUARIAL DEPARTMENT

The Actuarial Department functions under the supervision of a full time Appointed Actuary. This department primarily supports the Appointed Actuary in performing defined regulatory responsibilities.

Actuarial Department engages in estimation of claims reserves such as Incurred But Not Reported (IBNR) claims and other reserves including Incurred But Not Enough Reported (IBNER) claims and Premium Deficiency Reserve (PDR). In addition, the department prepares actuarial reports and forms prescribed for submission to the Insurance Regulator (IRDAI) namely, IBNR Report, Financial Condition Report (FCR), Economic Capital Statement, Product Performance Report and Asset Liability Management Statements.

विभाग की अन्य गतिविधियों में उत्पाद डिजाइन, मूल्य निर्धारण एवं शोधन क्षमता मूल्यांकन के लिए डोमेन विभागों को सहायता प्रदान करना शामिल है। बीमांकिक विभाग विभिन्न सांख्यिकीय रिपोर्टों को तैयार करने एवं आई आर डी ए आई को प्रस्तुत करने में डोमेन विभागों की सहायता भी करता है। निर्णय लेने के उद्देश्य से कारोबार निष्पादन, अनुभव अध्ययन आदि पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान की जाती है। नियुक्त बीमांकिक की रिपोर्ट एवं अवलोकन कंपनी की समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में योगदान करते हैं।

सांविधिक लेखा परीक्षक

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय लेखा परीक्षक एवं शाखा कार्यालय लेखा परीक्षक को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के खातों की लेखा परीक्षा के लिए दिनांक 20 सितंबर, 2024 के उनके पत्र के जरिए नियुक्त किया गया था, इसे दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 को आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक में रिकॉर्ड में लिया गया था एवं लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित, सी एंड ए जी द्वारा नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक के लिए लेखा परीक्षा शुल्क को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था। निदेशक मण्डल को शेयरधारकों द्वारा दिनांक 17 सितंबर, 2024 को आयोजित 66वीं वार्षिक साधारण बैठक में पारित प्रस्ताव के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों के लिए पारिश्रमिक तय करने एवं अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी द्वारा एक लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित किया गया है जिसमें समवर्ती लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निवेश संव्यवहार तथा संबंधित प्रणालियों की लेखापरीक्षा शामिल है, जो इसके कारोबार की प्रकृति तथा इसके परिचालन के आकार के अनुरूप है। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी के मुख्यालय एवं विभिन्न कार्यालयों में प्रक्रियाओं के साथ-साथ संव्यवहार को भी शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा टिप्पणियों की समय-समय पर निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। मेसर्स एम.एल. पुरी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई, फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन एवं मेसर्स शाह और तपाडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई, फर्म पंजीकरण संख्या 109463डब्ल्यू, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय के खातों एवं समेकित खातों का लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं। शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न की जाती है।

कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) की टिप्पणियां

Other activities of the department include support to domain departments for product design, pricing and solvency assessment. Actuarial Department also assists domain departments in preparation and submission of various statistical reports to the IRDAI. Analytical reports on business performance, experience studies, etc. is provided for the purpose of decision-making. The reports and observations of the Appointed Actuary contribute towards the overall risk management strategies of the Company.

STATUTORY AUDITORS

The Joint Statutory Auditors, the Regional Office Auditors and the Branch Office Auditors were appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for Audit of Accounts of the Company for the FY 2024-25 vide their letter dated September 20, 2024. The same was taken on record by the Board at its meeting held on October 30, 2024 and the audit fees for each of the appointed auditors by C&AG were approved by the Board as was recommended by the Audit Committee. The Board was authorized by the Shareholders vide its resolution passed at the 66th AGM held on September 17, 2024 to fix and approve the remuneration of the Joint Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Companies Act, 2013, for the Head Office, Regional Offices and Branch Offices of the Company for the FY 2024-25 and necessary certificate from the Joint Statutory Auditors for FY 2024-25 has been obtained as required under Section 141 of the Companies Act, 2013.

AUDITORS' REPORT

The Company has in place an audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related systems, which is in line with the nature of its business and the size of its operations. The Auditors Report covers the processes as well as transactions at the Head Office and across various offices of the Company. The audit comments are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors. M/s. M.L Puri & Co., Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 002312N and M/s. Shah and Taparia, Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 109463W, are the Joint Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India, to audit the Head Office Accounts and the consolidated accounts of the Company for the FY 2024-25. The Report of the Auditors to Shareholders is appended to the Audited Financial Statements.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA (C&AG) ON THE ACCOUNTS OF THE COMPANY

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां निदेशकों की रिपोर्ट का एक परिशिष्ट के रूप में अंश होंगी।

कंपनी शासन

कंपनी का कंपनी शासन दर्शन सभी प्रासंगिक सांविधिक एवं नियामक निर्देशों का समय पर अनुपालन करना है, साथ ही सुदृढ़ कंपनी शासन प्रथाओं का निर्माण एवं अनुपालन करना है। कंपनी शासन पर रागिनी चोकशी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफ सी एस 2390, सी ओ पी 1436) से प्रमाण पत्र के साथ एक विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट संलग्न है एवं इस निदेशकों की रिपोर्ट (अनुलग्नक) का एक अभिन्न अंश है।

सचिवीय लेखा परीक्षा

रागिनी चोकशी एंड कंपनी, सचिवीय लेखा परीक्षक (एफ सी एस 2390, सी ओ पी 1436) से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म संख्या एम आर-3) अनुलग्नक में प्रस्तुत है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता, यदि कोई हो, उस वित्तीय वर्ष के अंत एवं रिपोर्ट की तिथि के मध्य हुई जिससे ये वित्तीय विवरण संबंधित हैं

शून्य

कंपनी की जोखिम प्रबंधन पॉलिसी के विकास एवं कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

कंपनी निर्यात ऋण जोखिम बीमा कारोबार में है एवं आई आर डी ए आई के साथ एक गैर-जीवन बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है। निर्यात ऋण जोखिमों का एकत्रीकरण कारोबार की प्रकृति में अंतर्निहित है। कंपनी द्वारा उद्यम-व्यापी सूचना प्रणाली स्थापित करने तथा अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचे के जरिए कंपनी के जोखिम प्रोफाइल को विनियमित करने के लिए अपनी जोखिम प्रबंधन पॉलिसी की समीक्षा की गई है। जोखिम प्रबंधन के एक अंश के रूप में, कंपनी अपने कारोबार में विवेकपूर्ण सीमाओं के लिए जोखिम मानदंडों को लागू करने के अलावा, पुनर्बीमाकर्ताओं से पर्याप्त पुनर्बीमा एवं भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करती है। निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी) विवेकपूर्ण सीमाओं एवं कंपनी के कारोबार जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों के लिए जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। कंपनी एक निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती है जिसमें शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों के निधि शामिल होते हैं। निवेश जोखिमों का प्रबंधन उद्योगों एवं प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेश पर अधिकतम प्रतिफल के साथ तरलता जोखिम न्यूनतम हो एवं बोर्ड की निवेश समिति द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। कंपनी द्वारा निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (ए एल एम) पॉलिसी का भी पालन किया जाता है। ए एल एम की स्थिति की रिपोर्ट तिमाही आधार पर निदेशक मण्डल की आर एम सी को प्रस्तुत की जाती है।

कंपनी द्वारा अपने जोखिम प्रबंधन कार्यों को और अधिक गतिशील बनाने के लिए इसमें अधिक संशोधन करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। बाह्य परामर्शदाताओं की सहायता से कंपनी द्वारा अपनी उद्यम जोखिम प्रबंधन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया गया तथा अपनी परिचालनात्मक एवं गैर-परिचालनात्मक इकाइयों से जुड़े जोखिमों की समय-समय पर निगरानी एवं विश्लेषण करने के लिए विभिन्न साधन तैयार किए गए हैं। कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यों में सुधार के लिए विकसित साधनों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है।

Comments of the C&AG shall be forming part of the Directors' Report as an addendum to the same.

CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance philosophy of the Company is to comply with all the relevant statutory and regulatory prescriptions on time, as also to formulate and adhere to sound Corporate Governance practices. A detailed Corporate Governance Report along with Certificate from Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretary (FCS 2390, COP 1436) on Corporate Governance is annexed to and forms an integral part of this Directors' Report (Annexure I).

SECRETARIAL AUDIT

The Secretarial Audit Report of the Company (Form No. MR-3) for the FY 2024-25 received from Ragini Chokshi & Co., Secretarial Auditor (FCS 2390, COP 1436) is placed at Annexure II. There are no qualifications made by the Secretarial Auditor.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT

Nil

STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The Company is in the export credit risk insurance business and is registered as a non-life insurance company with the IRDAI. Aggregation of export credit risks is inherent in the nature of business. The Company has reviewed its Risk Management Policy to establish an enterprise-wide information system and regulate the risk profile of the Company, through its internal risk management framework. As part of risk management, the Company endeavours to obtain adequate reinsurance from reinsurers and support from the Government of India, in addition to implementing exposure norms for prudential limits in its business. The Risk Management Committee (RMC) of Board monitors the implementation of exposure norms for prudential limits and developments that affect the risk profile of the business of the Company. The Company manages an investment. portfolio that comprises Shareholders' and Policyholders' funds. The investment risks are managed by investing across industries and securities, to ensure that liquidity risks are minimized with optimum return on the investment and are monitored by the Investment Committee of the Board. The Company also follows the Board-approved Asset-Liability Management (ALM) Policy. The ALM position is reported to the RMC of the Board on a quarterly basis.

The Company has initiated action to further improve its risk management functions to make it more dynamic. With the help of external consultants, the Company drafted its Enterprise Risk Management Policy and designed various tools to periodically monitor and analyse the risks associated with its operational and non-operational units. The tools developed are being implemented in a phased manner to improve the risk management functions of the Company.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कृपया अनुलग्नक III देखें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

शून्य

संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

कारोबार के सामान्य क्रम में अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहार ब्यौरा:

एन ई आई ए ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा गठित एक सार्वजनिक ट्रस्ट है। ईसीजीसी इस ट्रस्ट का प्रशासनक है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं एवं कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) प्रबंध के ट्रस्टी हैं। ईसीजीसी को प्रशासनिक व्यय को पूर्ण करने के लिए प्रीमियम आय का 5% प्राप्त करने का अधिकार है। ईसीजीसी द्वारा वर्ष 2006 से ट्रस्ट का प्रबंधन किया जा रहा है।

निदेशकों का दायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार, निदेशक द्वारा निदेशक उत्तरदायित्व कथन पर हस्ताक्षर किया जाता हैं एवं पुष्टि किया जाता हैं कि -

(क) कंपनी द्वारा वार्षिक बही की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था, साथ ही भौतिक विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी प्रदान किया गया था;

(ख) निदेशकों द्वारा इस प्रकार के लेखांकन पॉलिसीयों का चयन किया था एवं उन्हें लगातार लागू किया था एवं इस प्रकार के निर्णय तथा अनुमान लगाए गए थे, जो उचित एवं विवेकपूर्ण थे, जिससे दिनांक 31 मार्च 2025 को कंपनी के मामलों की स्थिति एवं दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके;

(ग) निदेशकों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं उन्हें चिन्हित किए जाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई थी;

(घ) निदेशकों द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों को चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया गया था;

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे एवं कहा था कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्यरत हैं; तथा

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और कहा था कि ये प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी रूप से कार्यरत थीं।

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Please refer to Annexure III.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Nil

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

Details of contracts or arrangements or transactions at arm's length basis in the ordinary course of business:

The NEIA Trust is a Public Trust formed by the Government of India. ECGC is administering the Trust. The Chairman-cum-Managing Director is the Chairman of the Trust and the Executive Director (Policy Matters) is the Managing Trustee. ECGC is entitled to 5% of premium income to meet administrative expenditure. ECGC has been managing the Trust since 2006.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that–

(a) The Company had, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards, along with the proper explanations relating to material departures, if any;

(b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025 and of the profit of the Company for the FY ended March 31, 2025;

(c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The Directors had prepared the accounts for the FY ended March 31, 2025 on a 'going concern' basis;

(e) The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

(f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल द्वारा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग एवं लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय; विदेश मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई); भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; भारतीय रिजर्व बैंक; राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग तथा विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों एवं उच्चायोगों के कार्यालयों को कंपनी को उनके निरंतर समर्थन एवं मार्गदर्शन तथा कंपनी के मामलों एवं विकास में परिलक्षित गहन रुचि के लिए अपना आभार व्यक्त किया जाता है। निदेशकगण निर्यातकों, बैंकों एवं पुनर्बीमाकर्ताओं के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने कंपनी में अपना विश्वास निरंतर बनाए रखा है। निदेशकगण रेटिंग एजेंसियों एवं ऋण संग्रहण एजेंटों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने क्रमशः कंपनी के हामीदारी एवं वसूली प्रयासों में योगदान दिया गया है। निदेशकगण भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, औद्योगिक संगठनों, वाणिज्य मंडलों, व्यापार संगठनों एवं बीमा मध्यस्थों से प्राप्त फीडबैक तथा समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं तथा उसे रिकार्ड में रखते हैं। निदेशक मंडल लेखापरीक्षकों द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई बहुमूल्य सलाह एवं सहायता के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपनी गहन सराहना व्यक्त करते हैं जो उत्कृष्ट समर्पण तथा प्रतिबद्धता निष्पादित करते रहे हैं, जिससे कंपनी अपने कारोबार परिचालनों में बाजार नेतृत्व बनाए रखने में सक्षम हुई है।

निदेशक मंडल की ओर से

सृष्टिराज अम्बष्ठ
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 10375617

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27 मई, 2025

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry; Department of Economic Affairs, Department of Expenditure, Department of Financial Services and Department of Public Enterprises, Ministry of Finance; Ministry of External Affairs, Government of India; Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI); The Comptroller and Auditor General of India; Reserve Bank of India; National Institution for Transforming India (NITI) Aayog and offices of the Indian Embassies and High Commissions in various countries, for their continued support and guidance to the Company and the keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are grateful to Exporters, Banks and Reinsurers for their continued trust reposed in the Company. The Directors thank the Rating Agencies and Debt Collection Agents who have contributed to the Company's underwriting and recovery efforts respectively. The Directors thank and place on record, the feedback and support received from the Federation of Indian Export Organisations, various Export Promotion Councils, Industrial Organisations, Chambers of Commerce, Trade Organisations and Insurance intermediaries. The Board of Directors places on its record, its gratitude to the Auditors for the valuable advice and support provided by them from time to time. The Directors express their deep sense of appreciation to all officers and staff who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

For and on behalf of the Board of Directors

Sristiraj Ambastha

Chairman-cum-Managing Director

DIN 10375617

Place: Mumbai
Date: May 27, 2025

कम्पनी शासन
CORPORATE GOVERNANCE

कम्पनी शासन पर ईसीजीसी का दर्शन

कंपनी पत्राचार में पारदर्शिता एवं अखंडता सुनिश्चित किया जाता है तथा अपने सभी हितधारकों को पूर्ण, सटीक एवं यथार्थ जानकारी उपलब्ध करवाया जाता है। कंपनी, भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए प्रासंगिक, कॉर्पोरेट प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा निरंतर प्रयासरत है।

कंपनी द्वारा स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है तथा हितधारकों के धन एवं हितों के सृजन एवं सुरक्षा के लिए उनके प्रति अपना दायित्व स्वीकार किया जाता है। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट रणनीतियों, विशिष्ट व्यावसायिक योजनाओं, हामीदारी नीतियों/प्रक्रियाओं, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीतियों/प्रथाओं एवं लेखांकन नीतियों के निर्माण तथा कार्यान्वयन के जरिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास जारी रखा गया। सभी नीतियां/प्रक्रियाएं कानूनी एवं नैतिक दायित्वों के अनुरूप तैयार की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कंपनी को स्व-मूल्यांकित ग्रेडिंग रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए उत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त होने की संभावना है।

निदेशक मण्डल

निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर कंपनी के लिए रणनीतियां एवं नीतियां तैयार कि जाती है तथा कंपनी के निष्पादन की समीक्षा की जाती है। कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी के संस्था के लेख नियमों (ए ओ ए) के अनुच्छेद 57 एवं अनुच्छेद 63 के अनुसार परिचालित होती है। ए ओए के अनुच्छेद 57 एवं 63 में यह प्रावधान है कि निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक अथवा एक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (जहां एक ही व्यक्ति द्वारा पद धारण किया जाता है), एक कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/कार्यपालक निदेशक (परिचालन)/वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिक से अधिक तेरह अन्य निदेशक शामिल होंगे, जो भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, निर्यात संवर्धन परिषदों एवं निर्यात से जुड़े व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इस रिपोर्ट की तिथि तक, निदेशक मण्डल में अंशकालिक निदेशकों के तेरह पदों में से सात रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भारत सरकार के साथ जारी है।

निदेशक मंडल में कार्यपालक / कार्यकारी निदेशकों एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों का अधिकतम संयोजन है। स्वतंत्र निदेशकों (गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात् डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-आधिकारिक निदेशक) द्वारा निदेशक मण्डल के समक्ष अपना प्रकटीकरण प्रस्तुत किया गया है, कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों के रूप में विचार किए जाने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं।

कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित संबंधित पक्ष संव्यवहार (आर पी टी) नीति यह सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय के सामान्य एवं

ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes complete, accurate and precise information available to all its stakeholders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to the Government of India-owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them for creation of and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the Financial Year under review, the Company continued its pursuit of achieving its objectives through formulation and execution of corporate strategies, specific business plans, underwriting policies/procedures, prudent risk management policies/practices and accounting policies. All policies/procedures are framed conforming to legal and ethical responsibilities.

For the FY 2024-25, the Company is expected to be graded 'Excellent' for compliance with the Department of Public Enterprises (DPE) corporate governance guidelines, based on the self-assessed grading report.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors formulates strategies, policies and reviews the performance of the Company periodically. The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association (AOA) of the Company. Articles 57 and 63 of the AOA provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), an Executive Director/ Executive Director (Policy Matters)/ Executive Director (Operations)/ Senior-most Executive Director and not less than three and not more than thirteen other directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sector Banks, Federation of Indian Export Organizations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. The Company, being a Government Company, the appointment of Directors is being done by the Government of India. As of date of this report, seven of the thirteen positions of Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

The Board of Directors has an optimum combination of Executive/ Functional Directors and Non-Executive Directors. The Independent Directors (Non-Executive Part-Time Non-Government Directors i.e. Non-Official Directors as per the DPE Guidelines) have submitted their disclosure to the Board that they fulfil all the requirements so as to consider them as Independent Directors under the provisions of the Companies Act, 2013.

The Board-approved Related Party Transactions (RPT) Policy of the Company ensures that all related party transactions in

साधारण क्रम में सभी संबंधित पक्ष संव्यहार लेखा परीक्षा समिति एवं / अथवा निदेशक मण्डल के नोटिस / अनुमोदन के अधीन लाए जाएं। निदेशक मण्डल के सदस्यों के साथ-साथ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (के एम पी) को उन सभी अनुबंधों में अपनी रुचि घोषित करना आवश्यक है जिनमें वे रुचि रखते हैं।

निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा की जाती है तथा उसके कार्यान्वयन के लिए प्रतिकारक कार्यवाही की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मण्डल में निदेशकों के नाम, उनकी योग्यताएं, नियुक्ति की तिथियां एवं वे श्रेणियां जिनके अंतर्गत उन्हें नियुक्त किया गया, निम्न **सारणी 1** में प्रदान की गई हैं:

the normal and ordinary course of business are brought to the notice/approval of the Audit Committee and/or the Board. The Board Members as well as Key Managerial Personnel (KMPs) are required to declare their interest in all the contracts in which they are interested.

The Board periodically reviews and takes remedial action to implement the risk management plan.

The names of Directors on the Board during the FY 2024-25 along with their qualifications, dates of appointment and categories under which they were appointed, are furnished in **Table 1** below:

सारणी 1/Table 1

क्र.सं. S. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	योग्यता Quali cations	निदेशक मण्डर्ल में नियुक्ति की तिथि (दिन/माह/वर्ष) Date of Appointment on the Board (DD/MM/YYYY)	श्रेणी Category
1.	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड (डीआईएन 10375617 Shri Sristiraj Ambastha Chairman-cum -Managing Director, ECGC Ltd. (DIN 10375617)	एम.ए., एम बी ए, एच आर एम में स्नातकोत्तर M.A., MBA, Post Graduate in HRM	(कार्यपालक निदेशक, दिनांक 14/11/2023 से प्रभावी) 16/12/2024 (Functional Director w.e.f. 14/11/2023)	कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)
2.	श्री सिद्धार्थ महाजन, भा.प्र.से. (डीआईएन 03349759) Shri Siddharth Mahajan, IAS (DIN 03349759)	बी.ए.(ऑनर्स) (इको), एल.एल.बी. B.A.(Hons.) (Eco), L.L.B.	16/04/2024	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce and Industry, GoI)
3.	श्रीमती अपर्णा भाटिया, भा.प्र.से. (डीआईएन 09402061) Smt. Aparna Bhatia, IES (DIN 09402061)	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, एम.फिल. Post Graduate in Economics, M.Phil.	16/11/2021	गैर- कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GoI)
*4.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, कार्यपालक निदेशक, आरबीआई (डीआईएन 08664748) Shri Shirish Chandra Murmu, Executive Director, RBI (DIN 08664748)	एम. एस सी, सी ए आई आई बी M.Sc., CAIIB	10/01/2020	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*5.	सुश्री हर्षा बंगारी, एम डी, एक्ज़िम बैंक (डीआईएन 01807838) Ms. Harsha Bangari, MD, Exim Bank (DIN 01807838)	बी.कॉम., सी.ए. B.Com., CA	23/09/2021	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non- Executive Part-Time Executive Non-Government Director

*6.	श्री रामास्वामी नारायणन सी एम डी, जी आई सी रे (डी आई एन 10337640) Shri Ramaswamy Narayanan CMD, GIC Re (DIN 10337640)	बी.कॉम. B.Com.	30/10/2023	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part- Time Non-Government Director
*7.	श्री पलानीअप्पन मुथु (डी आई एन 10200176) Shri Palaniappan Muthu (DIN 10200176)	बी.ए., बी.एल, डी. फार्म, एम.एल. B.A., B.L, D. Pharm, M.L.	15/06/2023	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non- Government Director
8.	श्री सुबीर कुमार दास, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड (डी आई एन 10871349) Shri Subir Kumar Das, Executive Director (Policy Matters), ECGC Ltd. (DIN 10871349)	एम बी ए (वित्त), एम.एस सी. M.Sc. MBA (Finance),	13/01/2025	कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole- Time Director)
9.	श्री विपुल बंसल, भा.प्र.से. (डी आई एन 02687229) Shri Vipul Bansal, IAS (DIN 02687229)	बी.कॉम., सी.ए. B.Com., CA	16/11/2021 (दिनांक 16/04/2024 से निदेशक नहीं हैं) 16/11/2021 (Ceased to be a Director w.e.f. 16/04/2024)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non- Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce and Industry, GoI)
*10.	श्री अमित कुमार अग्रवाल (डी आई एन 05333909) Shri Amit Kumar Agarwal (DIN 05333909)	वाणिज्य में स्नातकोत्तर Post Graduate in Commerce	03/11/2021 (दिनांक 02/11/2024 से निदेशक नहीं हैं) 03/11/2021 (Ceased to be a Director w.e.f. 02/11/2024)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Non- Executive Part-Time Non-Government Director
*11.	श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा (डी आई एन 09395541) Smt. Pratibha Kushwaha (DIN 09395541)	मानविकी में स्नातकोत्तर Post Graduate in Humanities	11/11/2021 (दिनांक 02/11/2024 से निदेशक नहीं हैं) 11/11/2021 (Ceased to be a Director w.e.f. 02/11/2024)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*12.	श्री अश्वनी कुमार, अध्यक्ष, फियो (डी आई एन 06960991) Shri Ashwani Kumar, President,FIEO (DIN 06960991)	बी.कॉम. B.Com.	07/05/2024 (दिनांक 31/03/2025 से निदेशक नहीं हैं) 07/05/2024 (Ceased to be a Director w.e.f. 31/03/2025)	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non-Government Director

* गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

* Non-Official (Independent) Directors

नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

1. श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ दिनांक 16 दिसंबर, 2024 से ईसीजीसी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। उन्हें दिनांक 01 सितंबर, 2023 से ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित किया गया एवं दिनांक 01 नवंबर, 2023 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया। भारत की प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी, ईसीजीसी लिमिटेड में उनके 29 वर्ष के कार्यकाल में, अल्पावधि एवं मध्यम-और दीर्घावधि दोनों प्रकार के कारोबार क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें उत्पाद एवं पॉलिसी विकास, विपणन, लेखा परीक्षा तथा अनुपालन, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, हामीदारी पद्धतियां, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं ईसीजीसी लिमिटेड के नई पीढ़ी के सूचना प्रौद्योगिकी मंच का शुभारंभ शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रमुख के रूप में, उन्होनें विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर ईसीजीसी लिमिटेड की वार्तालाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हैं। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कंपनी का प्रतिनिधित्व किया है। वह कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता रह चुके हैं।

श्री अम्बष्ठ कंपनी के निदेशक मण्डल में पूर्णकालिक निदेशक हैं एवं साथ ही राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) के अध्यक्ष ट्रस्टी भी हैं, जो परियोजना निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। वह भारतीय एक्ज़िम बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक हैं। जुलाई, 2024 में, उन्हें ईसीजीसी लिमिटेड के जरिए भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, केन्या के अफ्रीकी व्यापार एवं निवेश विकास बीमा (ए टी आई डी आई) बोर्ड में एक वैकल्पिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हैं।

श्री अम्बष्ठ द्वारा वर्ष 2020 से 2023 की अवधि के दौरान ईसीजीसी लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी वी ओ) के रूप में कार्य किया गया है। मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उनके द्वारा कंपनी की प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पहल की गई।

उनके पास राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ-साथ विपणन में एम बी ए एवं मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की व्यावसायिक योग्यता भी है।

वह दिनांक 14 नवंबर 2023 से कंपनी के निदेशक मण्डल में निदेशक हैं।

2. श्री सुबीर कुमार दास

श्री सुबीर दास को दिनांक 01 नवंबर, 2023 से ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित किया गया। इसके पूर्व कॉर्पोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक के रूप में उन्होंने 01 जुलाई, 2019 से अल्पावधि निर्यात पॉलिसी एवं परियोजना निर्यात पोर्टफोलियो के मुख्य बीमांकन अधिकारी का पदभार संभाला। उन्होंने पॉलिसी योजना, परियोजना निर्यात एवं राष्ट्रिय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए), खरीदार एवं पॉलिसी बीमांकन, पॉलिसी दावे, फैक्टरिंग तथा वसूली, अंतरराष्ट्रिय कार्यकारी समूह आदि जैसे परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों का कार्यभार भी संभाला। वर्तमान में, उनके अधीन पॉलिसी मामलों तथा कंपनी का समग्र संचालन है। उनके द्वारा व्यापार विकास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण से संबंधित गतिविधियों के समन्वय हेतु भारत तथा विदेशों में व्यापार तथा उद्योग निकायों के साथ व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया तथा वे भारतीय बीमा नियामक भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के व्यापार ऋण बीमा दिशानिर्देशों के शीर्ष

BRIEF DESCRIPTION OF NEW DIRECTORS

1. Shri Sristiraj Ambastha

Shri Sristiraj Ambastha is the Chairman-cum-Managing Director of ECGC Limited since December 16, 2024. He was designated as the Executive Director of ECGC Limited since September 01, 2023, and appointed as the Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) since November 01, 2023. His 29-year career in ECGC Limited, the premier export credit agency of India, spans a broad range of areas in both the short-term and medium-and-long-term lines of businesses, ranging from product and policy development, marketing, audit and compliance, human resource development, training, underwriting methods, international relations and the launch of the new generation information technology platform of ECGC Limited. As the Head of International Relations, he has been key to ECGC Limited's interactions at various bilateral and multilateral forums. He has represented the Company at various international forums. He has been a speaker at many national and international conferences.

Shri Ambastha is a Whole-Time Director on the Board of the Company as well as the Chairman Trustee of the National Export Insurance Account (NEIA), a trust set-up by the Government of India to promote project exports. He is a Director on the Board of India EXIM Bank. In July, 2024, he was appointed as an Alternate Director on the Board of African Trade & Investment Development Insurance (ATIDI), Kenya, representing the Republic of India through ECGC Limited.

Shri Ambastha has served as the Chief Vigilance Officer (CVO) of ECGC Limited during the period 2020 to 2023. During his tenure as the CVO, he took a lot of initiatives to ensure greater transparency in the systems and processes of the Company.

He holds a Master's degree in Political Science along with a professional qualification of MBA in Marketing and Post Graduate Diploma in Human Resource Management.

He is a Director on the Board of the Company since November 14, 2023.

2. Shri Subir Kumar Das

Shri Subir Das was designated as the Executive Director of ECGC Limited since November 01, 2023. Previously, as a General Manager in the Corporate Office since July 01, 2019, he had held the position of the Chief Underwriting Officer of Short-Term Export-Policy and Project Exports portfolio. He was looking after the key areas of operations such as Policy Planning, Project Exports & National Export Insurance Account (NEIA), Buyer & Policy Underwriting, Policy Claims, Factoring and Recoveries, International Working Group etc. Currently, he is looking after Policy Matters and the overall operations of the Company. He has extensively interacted with trade and industry bodies in India and overseas for co-ordinating activities relating to capacity building in the area of trade development and has been part of the apex level-state export promotion committee, working group of trade credit insurance guidelines of the Indian Insurance regulator Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI). He has been interacting closely with all

स्तरीय-राज्य निर्यात संवर्धन समिति, कार्यकारी समूह का हिस्सा रहे हैं। उनके द्वारा ईसीजीसी लिमिटेड के कारोबार के विकास के साथ-साथ भारत के निर्यात विकास के उद्देश्य से सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। उनके द्वारा डेनमार्क, जापान, अमेरिका, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की विदेशी निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए) के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों तथा अन्य प्रतिनिधियों के साथ अल्पावधिक एवं मध्यम एवं दीर्घावधिक दोनों प्रकार के रक्षाओं हेतु द्विपक्षीय ईसीए सहयोग को औपचारिक रूप देने हेतु चर्चा की जा रही है। वे कई बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न व्यापार व उद्योग मंचों में वक्ता भी रह चुके हैं।

श्री सुबीर दास कंपनी के निदेशक मण्डल में पूर्णकालिक निदेशक हैं तथा साथ ही भारत से परियोजना निर्यात का संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित एनईआईए ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी भी हैं।

वे विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं तथा उनके पास वित्त में एमबीए की व्यावसायिक योग्यता है। वे दिनांक 13 जनवरी, 2025 से कंपनी के निदेशक मण्डल में निदेशक हैं।

निदेशकों के लिए परिचय तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

नए निदेशक के पद पर नियुक्ति के समय, नए निदेशक को एक स्वागत पत्र प्रेषित किया जाता है, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) एवं भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा लागू दिशा-निर्देशों के साथ साथ अन्य लागू क़ानूनों/नियमों/विनियमों के अधीन उनके द्वारा अपेक्षित अनुपालन सहित निदेशक के रूप में निभाए जाने वाले उनके कर्तव्यों तथा दायित्वों का विवरण भी उल्लिखित होता है। निदेशकों से प्रासंगिक प्रकटन प्राप्त किए जाते हैं। कंपनी का प्रबंधन द्वारा नए निदेशक को उनकी भूमिकाओं तथा दायित्वों कंपनी शासन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं तथा कंपनी से संबंधित जानकारी के साथ साथ कंपनी, उसके संचालन, कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों/विभागों द्वारा अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण नीतियों एवं प्रक्रियाओं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से परिचित कराया जाता है। निदेशकों को राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई), भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए), सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), निदेशक संस्थान (आईओडी), आदि जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित बोर्ड से संबंधित प्रथाओं एवं अभिविन्यास कार्यक्रमों आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से प्रोत्साहित एवं प्रायोजित किया जाता है।

कंपनी के सभी निदेशकों को, निदेशकों के लिए आंतरिक प्रशिक्षण नीति के अनुसार निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों के दौरान कॉर्पोरेट प्रशासन एवं कंपनी के अन्य लागू नियमों तथा विनियमों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर नियमित रूप से अद्यतित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

समय-समय पर विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण की तारीखों पर निदेशकों की व्यस्तता/व्यस्त कार्यक्रम के कारण, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों के अलावा शेष सभी निदेशकों को प्रशिक्षण नहीं दिलाया जा सका:

stakeholders for the purpose of growth of ECGC Limited's business as well as exports development of India. He has been interacting with the international representatives of overseas Export Credit Agencies (ECA) from Denmark, Japan, USA, Russia, Germany, Australia, etc. and others for formalizing bilateral ECA co-operation both for short-term and Medium & Long-Term covers. He has been a frequent speaker in various trade and industry forums at national and international levels.

Shri Subir Das is a Whole-Time Director on the Board of the Company as well as the Managing Trustee of the NEIA Trust set up by the Government of India to support Project Exports from India.

He is a Post Graduate in Science and has professional qualification of MBA in Finance. He is a Director on the Board of the Company since January 13, 2025.

DETAILS OF FAMILIARISATION & TRAINING PROGRAMMES FOR DIRECTORS

At the time of induction of a new Director, a welcome letter is addressed to the new Director along with details of duties and responsibilities required to be performed as a Director, in addition to the compliances required by him/her under the Companies Act, 2013 and other applicable statutes/ rules/ regulations including the Department of Public Enterprises (DPE) and the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) applicable guidelines. Relevant disclosures are taken from the Director. The Management of the Company familiarises the new Director regarding the Company, its operations, important policies and processes followed by various sectors/departments of the Company, including their roles and responsibilities, the governance and internal control processes and other relevant important information concerning the Company. The Directors are also regularly encouraged and sponsored for attending important training programmes pertaining to Board-related practices and orientation programmes, etc. conducted by various Institutes of repute like National Insurance Academy (NIA), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Department of Public Enterprises (DPE), Institute of Directors (IOD), etc.

All Directors are regularly updated on the various provisions related to corporate governance and other applicable rules and regulations of the Company during the Board/ Committee meetings as per the internal training policy for the Directors of the Company.

Due to pre-occupation/ busy schedule of the Directors on the dates of training organised by various Institutions from time-to-time, the Company could not impart training to all the Directors till date except to the following Directors during the FY 2024-25:

प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण/Details of Training Program	नामित निदेशक/Directors Nominated
भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए) द्वारा 04-06 सितंबर, 2024 तक गंगटोक, सिक्किम में आयोजित निदेशक प्रमाणन मास्टर क्लास। Director's Certification Master Class organised by the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) from September 04-06, 2024 at Gangtok, Sikkim.	(क) श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ/(a) Shri Sristiraj Ambastha (ख) श्री सुबीर कुमार दास/(b) Shri Subir Kumar Das

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम इस प्रकार चार बैठकों का आयोजन आवश्यक है जिसमें निदेशक मण्डल की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिन अथवा किसी प्रकार की विस्तारित अवधि से अधिक का अंतराल न हो। कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मण्डल की बैठकों पर सचिवीय मानकों के अनुपालन में सभी निदेशकों को व्यापक नोटिस, एजेंडा एवं एजेंडा के लिए नोट्स भेजे जाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 174 के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल साधन (ओएवीएम) सुविधा प्रदान की जाती है जिससे वे चाहें तो निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भाग ले सकें। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निदेशकों की संरचना में संशोधन के कारण दिनांक 16/04/2024, दिनांक 07/05/2024, दिनांक 02/11/2024 तथा दिनांक 13/01/2025 को कंपनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया। श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, दिनांक 16 दिसंबर, 2024 से ईसीजीसी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में निदेशक मंडल के अध्यक्ष बने। उन्हें दिनांक 14 नवंबर, 2023 से कार्यात्मक निदेशक अर्थात कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया। सुश्री स्मिता वी. पंडित, कंपनी की कंपनी सचिव निदेशक मंडल की सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की सात बैठकें हुई। निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण तथा निदेशक मण्डल की बैठकों की तारीख निम्नलिखित तालिका 2 में दर्शाया गया है:

DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS DURING THE FINANCIAL YEAR 2024-25

The Board of Directors is required to meet at least four times every year in such a manner that not more than 120 days or such extended period shall intervene between two consecutive meetings of the Board, pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013. The Company sends to all Directors notices, agenda and notes to agenda which are exhaustive in nature in compliance with Secretarial Standards on Board Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India. Pursuant to Section 174 of the Companies Act, 2013, the Company provides video conferencing/ Other Audio-Visual Means (OAVM) facility to the Directors to enable them to participate in the Board/ Committee meetings electronically, if they so desire. During the FY 2024-25, the Board of Directors of the Company was re-constituted on 16/04/2024, 07/05/2024, 02/11/2024, and 13/01/2025 due to change in the composition of Directors. Shri Sristiraj Ambastha, continued to be the Chairman of the Board of Directors in his capacity as the Chairman-cum-Managing Director, ECGC Limited w.e.f. December 16, 2024. He was appointed as a Functional Director i.e. Executive Director (Policy Matters)/ Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) w.e.f. November 14, 2023. Smt. Smita Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the Board of Directors.

The Board of Directors met seven times during the FY 2024-25. The details of the attendance of the Directors at the Board Meetings along with the date of Meetings of the Board are furnished below in **Table 2**:

सारणी 2/Table 2

क्र. सं. S. No.	बैठक संख्या Meeting Number	बैठक की तारीख Date of the Meeting	निदेशक मण्डल की कुल संख्या Board Strength	उपस्थित निदेशकों की संख्या No. of Directors present
1.	446	16/05/2024	10	7
2.	447	30/07/2024	10	8
3.	448	17/09/2024	10	8
4.	449	30/10/2024	10	10
5.	450	22/11/2024	8	4
6.	451	30/01/2025	9	7
7.	452	20/03/2025	9	6

निदेशक मण्डल की बैठकों तथा वार्षिक साधारण बैठक में सभी निदेशकों की उपस्थिति का विवरण क्रमशः निम्नलिखित सारणी 3 एवं सारणी 4 में उल्लिखित है।
Details of attendance of all the Directors at the Board Meetings and Annual General Meeting are furnished below in Table 3 and Table 4 respectively.

निदेशक मण्डल की बैठकों में सभी निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE BOARD MEETINGS

सारणी 3/Table 3

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	निदेशक मण्डल में पदनाम Designation in the Board	दि 16/05/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 16/05/2024	दि 30/07/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 30/07/2024	दि 17/09/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 17/09/2024	दि 30/10/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 30/10/2024	दि 22/11/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 22/11/2024	दि 30/01/2025 को आयोजित बैठक Meeting dated 30/01/2025	दि 20/03/2025 को आयोजित बैठक Meeting dated 20/03/2025
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ* Shri Sristiraj Ambastha*	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (पूर्ण कालिक) Chairman-cum-Managing Director (Whole-Time)	अध्यक्ष Chairman	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर कार्यपालक निदेशक (दिनांक16/04/2024 से कार्यमुक्त) Non-Executive Director (ceased w.e.f. 16/04/2024)	सरकारी निदेशक Government Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सिद्धार्थ महाजन Shri Siddharth Mahajan	गैर कार्यपालक निदेशक (दिनांक 16/04/2024 से प्रभावी) Non-Executive Director (w.e.f. 16/04/2024)	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
सुश्री अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्री एस सी मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	निदेशक मण्डल में पदनाम Designation in the Board	दि 16/05/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 16/05/2024	दि 30/07/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 30/07/2024	दि 17/09/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 17/09/2024	दि 30/10/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 30/10/2024	दि 22/11/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 22/11/2024	दि 30/01/2025 को आयोजित बैठक Meeting dated 30/01/2025	दि 20/03/2025 को आयोजित बैठक Meeting dated 20/03/2025
श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्री अश्विनी कुमार Shri Ashwani Kumar	गैर कार्यपालक निदेशक (दिनांक 07/05/2024 से प्रभावी) (दिनांक 31/03/2025 से कार्यमुक्त) Non-Executive Director (w.e.f. 07/05/2024) (ceased w.e.f. 31/03/2025)	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
श्री अमित कुमार अग्रवाल Shri Amit Kumar Agarwal	गैर कार्यपालक निदेशक (दिनांक02/11/2024 से कार्यमुक्त) Non-Executive Director ceased w.e.f. 02/11/2024)	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
सुश्री प्रतिभा कुशवाहा Smt. Pratibha Kushwaha	गैर कार्यपालक निदेशक (दिनांक 02/11/2024 से कार्यमुक्त) Non-Executive Director (ceased w.e.f. 02/11/2024)	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री पालनीयप्पन मुथु Shri Palaniappan Muthu	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री सुबीर कुमार दास Shri Subir Kumar Das	कार्यपालक निदेशक (दिनांक 13/01/2025 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 13/01/2025)	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present

*ई सी जी सी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में दिनांक 16/12/2024 से प्रभावी नियुक्त किया गया।
*Appointed as the Chairman-cum-Managing Director of ECGC Limited w.e.f. 16/12/2024.

वार्षिक साधारण बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण
DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

सारणी 4/Table 4

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	निदेशक मण्डल में पदनाम Designation on the Board	दि 17 सितंबर, 2024 को आयोजित 66वीं वार्षिक साधारण बैठक 66th Annual General Meeting held on September 17, 2024
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	कार्यपालक निदेशक (दिनांक 14/11/2023 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 14/11/2023)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (दिनांक 16/12/2024 से प्रभावी) Chairman-cum- Managing Director (w.e.f. 16/12/2024)	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर कार्यपालक निदेशक (दिनांक 16/04/2024 से कार्यमुक्त) Non-Executive Director (ceased w.e.f. 16/04/2024)	सरकारी निदेशक Government Director	लागू नहीं NA
श्री सिद्धार्थ महाजन Shri Siddharth Mahajan	गैर कार्यपालक निदेशक (दिनांक 16/04/2024 से प्रभावी) Non-Executive Director w.e.f. 16/04/2024)	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present
सुश्री अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	अनुपस्थित Absent
श्री एस सी मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent
श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent
श्री अश्विनी कुमार Shri Ashwani Kumar	गैर कार्यपालक निदेशक (दिनांक 07/05/2024 से प्रभावी) (दिनांक 31/03/2025 से कार्यमुक्त) Non-Executive Director (w.e.f. 07/05/2024) (ceased w.e.f. 31/03/2025)	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present
श्री अमित कुमार अग्रवाल Shri Amit Kumar Agarwal	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 02/11/2024 से कार्यमुक्त) Independent Director (ceased w.e.f. 02/11/2024)	उपस्थित Present
सुश्री प्रतिभा कुशवाहा Smt. Pratibha Kushwaha	गैर कार्यपालक निदेशक (दिनांक 02/11/2024 से कार्य मुक्त) Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent (ceased w.e.f. 02/11/2024)	उपस्थित Present
श्री पालनीयप्पन मुथु Shri Palaniappan Muthu	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent	उपस्थित Present
श्री सुबीर कुमार दास Shri Subir Kumar Das	कार्यपालक निदेशक Executive Director (w.e.f. 13/01/2025)	पूर्ण कालिक निदेशक (दिनांक 13/01/2025 से प्रभावी) Whole-Time	लागू नहीं NA

31 मार्च, 2025 तक निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशक पदों का विवरण निम्नलिखित सारणी 5 में उल्लिखित है
DETAILS OF OTHER DIRECTORSHIPS HELD BY THE DIRECTORS AS OF MARCH 31, 2025 ARE FURNISHED BELOW IN TABLE 5

सारणी 5/Table 5

निदेशक का नाम Name of the Director	धारित अन्य निदेशक पदों की संख्या* No. of other Directorships held *
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ (दिनांक 14/11/2023 से पूर्णकालिक नदेशक के रूप में नियुक्त) (दिनांक 16/12/2024 से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त) Shri Sristiraj Ambastha (Appointed as a Whole-time Director w.e.f. 14/11/2023) (Appointed as Chairman-cum- Managing Director w.e.f. 16/12/2024)	0
श्री विपुल बंसल (दिनांक 16/04/2024 से कार्यमुक्त) Shri Vipul Bansal (Ceased w.e.f. 16/04/2024)	2
श्री सिद्धार्थ महाजन (दिनांक 16/04/2024 से नियुक्त) Shri Siddharth Mahajan (Appointed w.e.f. 16/04/2024)	2
सुश्री अपर्णा भाटिया/Smt. Aparna Bhatia	0
श्री एस सी मुर्मु/Shri S.C. Murmu	0
सुश्री हर्षा बंगारी/Ms. Harsha Bangari	0
श्री रामास्वामी नारायणन/Shri Ramaswamy Narayanan	4
श्री अश्विनी कुमार (दिनांक 07/05/2024 से नियुक्त) (दिनांक 31/03/2025 से कार्यमुक्त) Shri Ashwani Kumar (Appointed w.e.f. 07/05/2024) (Ceased w.e.f. 31/03/2025)	0
श्री अमित कुमार अग्रवाल (दिनांक 02/11/2024 से कार्यमुक्त) Shri Amit Kumar Agarwal (Ceased w.e.f. 02/11/2024)	0
सुश्री प्रतिभा कुशवाहा (दिनांक 02/11/2024 से कार्यमुक्त) Smt. Pratibha Kushwaha (Ceased w.e.f. 02/11/2024)	0
श्री पलानियप्पन मुथु/Shri Palaniappan Muthu	0
श्री सुबीर कुमार दास (दिनांक 13/01/2025 से नियुक्त) Shri Subir Kumar Das (Appointed w.e.f. 13/01/2025	0

*निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन कंपनियों में निदेशक पद को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत कंपनियों में निदेशक पद।

लेखापरीक्षा समिति - संरचना एवं उपस्थिति

लेखापरीक्षा समिति का उद्देश्य कंपनी के कुल लेखापरीक्षा कार्यों की देखरेख तथा दिशा प्रदान करना है, अर्थात आंतरिक लेखापरीक्षा का पर्यवेक्षण, कंपनी में निरीक्षण एवं कंपनी के वैधानिक/बाह्य लेखापरीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी की लेखापरीक्षा समिति का दिनांक16/04/2024 व दिनांक 07/05/2024 को पुनर्गठन किया गया। लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुसरण में किया गया। दिनांक 31/03/2025 तक, कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में पाँच गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं, जिनमें से दो सरकारी निदेशक हैं तथा तीन स्वतंत्र निदेशक हैं।

श्री रामास्वामी नारायणन, गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक दिनांक 09 नवंबर, 2023 से लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। सुश्री स्मिता पंडित कंपनी की कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति की सचिव हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठकों का आयोजन किया गया। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण व बैठकों की तारीखों का विवरण निम्नलिखित सारणी 6 में दर्शाया गया है:

*Directorship in companies registered under the Companies Act, 2013, excluding directorships in private companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013.

AUDIT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The objective of the Audit Committee is to oversee and provide direction to the total audit functions of the Company i.e. supervision of internal audit, inspection within the Company and follow up action taken on points raised by the statutory/ external auditors of the Company and the Comptroller and Auditor General of India.

During the FY 2024-25, the Audit Committee of the Company was re-constituted on 16/04/2024 and 07/05/2024. The constitution of the Audit Committee meets with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. As of 31/03/2025, the Audit Committee of the Company comprises of five Non-Executive Directors out of which two are Government Directors and three are Independent Directors.

Shri Ramaswamy Narayanan, Non-Executive Independent Director is the Chairman of the Audit Committee since November 09, 2023. Smt. Smita Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the Audit Committee. The Audit Committee met five times during the FY 2024-25. The details of the attendance of the Members at the Audit Committee meetings along with the dates of the meetings are furnished below in Table 6:

सारणी 6/Table 6

नदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिति में पदनाम Designation in the Committee	दि 14/05/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 14/05/2024	दि 29/07/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 29/07/2024	दि 17/09/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 17/09/2024	दि 28/10/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 28/10/2024	दि 28/01/2025 को आयोजित बैठक Meeting dated 28/01/2025
श्री रामास्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	अध्यक्ष Chairman	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल (दि 16/04/2024 से कार्यमुक्त) Shri Vipul Bansal (ceased w.e.f. 16/04/2024)	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सिद्धार्थ महाजन (दि 16/04/2024 से कार्यमुक्त) Shri Siddharth Mahajan (w.e.f. 16/04/2024)	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
सुश्री अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्री एस सी मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री अश्विनी कुमार (दि 07/05/2024 से प्रभावी) (दि 31/03/2025 से कार्यमुक्त) Shri Ashwani Kumar (w.e.f. 07/05/2024) (ceased w.e.f. 31/03/2025)	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present

निवेश समिति - संरचना व उपस्थिति

निवेश समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेश परिचालन कंपनी की निवेश नीति तथा निवेश रणनीति की संरचना के भीतर संचालित किए जाएं। निवेश समिति द्वारा निवेश परिचालनों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया को अनुमोदित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी की निवेश समिति का दिनांक 16/04/2024, दिनांक 30/07/2024 तथा दिनांक 30/01/2025 को पुनर्गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निवेश समिति की चार बैठकों का आयोजन किया गया।

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, ईसीजीसी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी क्षमता में निवेश समिति के अध्यक्ष बने रहे। दिनांक 16 दिसंबर, 2024 से उन्हें कार्यात्मक निदेशक अर्थात कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/ अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। दिनांक 14 नवंबर, 2023 से उन्हें समिति का सदस्य नियुक्त किया गया । सुश्री स्मिता पंडित कंपनी की कंपनी सचिव निवेश समिति की सचिव हैं। निवेश समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण तथा बैठकों की तारीखों का विवरण निम्नलिखित **सारणी 7** में उल्लिखित है:

INVESTMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The objective of the Investment Committee is to ensure that the investment operations are conducted within the framework of the Investment Policy and Investment Strategy of the Co mpany. The Standard Operating Procedure for investment operations is approved by the Investment Committee.

During the FY 2024-25, the Investment Committee of the Company was re-constituted on 16/04/2024, 30/07/2024, and 30/01/2025. The Investment Committee met four times during the FY 2024-25.

Shri Sristiraj Ambastha, continued to be the Chairman of the Investment Committee in his capacity as the Chairman-cum -Managing Director, ECGC Limited w.e.f. December 16, 2024. He was appointed as a Member of the Committee in his capacity as a Functional Director i.e. Executive Director (Policy Matters)/ Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) w.e.f. November 14, 2023. Smt. Smita Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the Investment Committee. The details of the attendance of the Members at the Investment Committee Meetings along with the dates of the meetings are furnished below in **Table 7:**

सारणी 7/Table 7

नदेशक का नाम/मु प्र व्य Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति / प्र प्र का की स्थिति Nature of Directorship	समिति में पदनाम Designation in the Board	दि 14/05/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 14/05/2024	दि 29/07/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 29/07/2024	दि 17/09/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 17/09/2024	दि 28/10/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 28/10/2024
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक) Chairman-cum-Managing Director (Whole-Time)	अध्यक्ष Chairman	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक (दि 16/04/2024 से कार्यमुक्त) Government Director (ceased w.e.f. 16/04/2024)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सिद्धार्थ महाजन Shri Siddharth Mahajan	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक (दि16/04/2024 से प्रभावी) Government Director (w.e.f. 16/04/2024)	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
सुश्री अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री एस सी मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि 30/10/2023 से प्रभावी) Independent Director (w.e.f. 30/10/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
श्री सुबीर कुमार दास Shri Subir Kumar Das	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक (दि 30/01/2025 से सदस्य) Whole-Time Director (Member w.e.f. 30/01/2025)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अभिषेक जैन Shri Abhishek Jain	मु वि अ CFO	सदस्य (दि 01/07/2024 से कार्यमुक्त) Member (ceased w.e.f. 01/07/2024)	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री आनंद सिंह Shri Anand Singh	मु वि अ CFO	सदस्य (दि 30/07/2024 से प्रभावी) Member (w.e.f. 30/07/2024)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री गौरव अंशुमान Shri Gaurav Anshuman	मु जो अ CRO	सदस्य (दि 02/11/2023 से प्रभावी) Member (w.e.f. 02/11/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
सुश्री प्रिसीला सिन्हा Smt. Priscilla Sinha	नि बी AA	सदस्य (दि 27/01/2020 से प्रभावी) Member (w.e.f. 27/01/2020)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री यशवंत ब्रीद Shri Yashwant Breed	मु नि अ CIO	सदस्य Member	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present

मु जो अ - मुख्य जोखिम अधिकारी, मु वि अ - मुख्य वित्तीय अधिकारी, मु नि अ - मुख्य निवेश अधिकारी, नि बी - नियुक्त बीमांकिक तथा प्र प्र का - प्रबंधकीय कार्मिक

CRO – Chief Risk Officer, CFO – Chief Financial Officer, CIO – Chief Investment Officer, AA – Appointed Actuary and KMP – Key Managerial Person.

पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण तथा दावा निगरानी समिति - संरचना व उपस्थिति

भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन) विनियम, 2024 के परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति का नाम बदलकर दिनांक 16 मई, 2024 से पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण तथा दावा निगरानी समिति कर दिया गया। पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण तथा दावा निगरानी समिति का उद्देश्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना है, जिसके लिए बिक्री, विपणन, विज्ञापन, प्रचार, ग्राहक शिकायतों के निवारण व उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा के संदर्भ में विवेकपूर्ण एवं स्वस्थ बाजार प्रथाओं को अपनाया जाना आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी की पॉलिसीधारक सुरक्षा, शिकायत निवारण तथा दावा निगरानी समिति का दिनांक 16/04/2024, दिनांक 07/05/2024 एवं दिनांक 13/01/2025 को पुनर्गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की पॉलिसीधारक सुरक्षा, शिकायत निवारण तथा दावा निगरानी समिति की सात बैठकों का आयोजन किया गया।

श्री रामास्वामी नारायणन, गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक दिनांक 09 नवंबर, 2023 से पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण तथा दावा निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं। सुश्री स्मिता पंडित कंपनी की कंपनी सचिव, पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण तथा दावा निगरानी समिति की सचिव हैं। पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण तथा दावा निगरानी समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण एवं बैठकों की तारीखों का उल्लेख निम्नलिखित **सारणी 8** में उपलब्ध है:

POLICYHOLDER PROTECTION, GRIEVANCE REDRESSAL AND CLAIMS MONITORING COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

Consequent to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), erstwhile Policyholders' Interests Protection Committee was renamed as the Policyholder Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee w.e.f. May 16, 2024. The objective of the Policyholder Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee is to safeguard the interests of the policyholders which entails for adoption of prudent and healthy market practices in terms of sales, marketing, advertisements, promotion, publicity, redressal of customer grievances and consumer awareness and education.

During the FY 2024-25, the Policyholder Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee of the Company was re-constituted on 16/04/2024, 07/05/2024, and 13/01/2025. The Policyholder Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee of the Company met seven times during the FY 2024-25.

Shri Ramaswamy Narayanan, Non-Executive Independent Director is the Chairman of the Policyholder Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee since November 09, 2023. Smt. Smita Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the Policyholder Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee. The details of the attendance of the Members at the Policyholder Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee Meetings along with the date of the meetings are furnished below in **Table 8:**

सारणी 8/Table 8

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिति में पदनाम Designation in the Board	दि 14/05/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 14/05/2024	दि 29/07/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 29/07/2024	दि 17/09/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 17/09/2024	दि 28/10/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 28/10/2024	दि 22/11/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 22/11/2024	दि 28/01/2025 को आयोजित बैठक Meeting dated 28/01/2025	दि 20/03/2025 को आयोजित बैठक Meeting dated 20/03/2025
श्री रामास्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	अध्यक्ष (स्वतंत्र) (दि 09/11/2023 से प्रभावी) Chairman (Independent) (w.e.f. 09/11/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (पूर्ण कालिक) Chairman-cum-Managing Director (Whole-Time)	पूर्ण कालिक निदेशक Whole-Time Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक (दि 16/04/2024 से कार्यमुक्त) Government Director (ceased w.e.f. 16/04/2024)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सिद्धार्थ महाजन Shri Siddharth Mahajan	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक (दि 16/04/2024 से प्रभावी) Government Director (w.e.f. 16/04/2024)	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिति में पदनाम Designation in the Board	दि 14/05/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 14/05/2024	दि 29/07/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 29/07/2024	दि 17/09/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 17/09/2024	दि 28/10/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 28/10/2024	दि 22/11/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 22/11/2024	दि 28/01/2025 को आयोजित बैठक Meeting dated 28/01/2025	दि 20/03/2025 को आयोजित बैठक Meeting dated 20/03/2025
श्री एस सी मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्री अश्विनी कुमार Shri Ashwani Kumar	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि 07/05/2024 से प्रभावी) (दि 31/03/2025 से कार्यमुक्त) Independent Director (ceased w.e.f. 31/03/2025)	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री सुबीर कुमार दास Shri Subir Kumar Das	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्ण कालिक निदेशक (दि 13/01/2025 से प्रभावी) Whole-Time Director (w.e.f. 13/01/2025)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present

जोखिम प्रबंधन समिति - संरचना व उपस्थिति

आईआरडीएआई द्वारा जारी भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन) विनियम, 2024 के परिणामस्वरूप, दिनांक 30/07/2024 से जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना को संशोधित किया गया ताकि जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जा सके तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी एवं नियुक्त बीमांकक को जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों के रूप में शामिल किया जा सके।

जोखिम प्रबंधन समिति का उद्देश्य कंपनी की जोखिम क्षमता एवं जोखिम प्रोफ़ाइल को विनियमित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ स्थापित करना है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का दिनांक 16/04/2024, दिनांक 30/07/2024 तथा दिनांक 13/01/2025 को पुनर्गठन किया गया। कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति की वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान चार बैठकों का आयोजन किया गया। बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, सुश्री हर्षा बंगारी, गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक को दिनांक 30 जुलाई, 2024 से जोखिम प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुश्री स्मिता पंडित कंपनी की कंपनी सचिव, जोखिम प्रबंधन समिति की सचिव हैं। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण बैठकों की तारीखों सहित निम्नलिखित **सारणी 9** में उल्लिखित है:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE – COMPOSITION AND ATTENDANCE

Consequent to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 issued by the IRDAI, the composition of the Risk Management Committee was modified to appoint an Independent Director as the Chairman of the Risk Management Committee and to induct the Chief Financial Officer, the Chief Risk Officer and the Appointed Actuary as Members of the Risk Management Committee w.e.f. 30/07/2024.

The objective of the Risk Management Committee is to establish appropriate systems to regulate the risk appetite and risk profile of the Company.

During the FY 2024-25, the Risk Management Committee of the Company was re-constituted on 16/04/2024, 30/07/2024, and 13/01/2025. The Risk Management Committee of the Company met four times during the FY 2024-25.

Pursuant to the provisions of the IRDAI Master Circular on Corporate Governance for Insurers, 2024, Ms. Harsha Bangari, Non-Executive Independent Director was appointed as the Chairman of the Risk Management Committee w.e.f. July 30, 2024. Smt. Smita Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the Risk Management Committee. The details of the attendance of the Members at the Risk Management Committee Meetings along with the date of the meetings are furnished below in **Table 9:**

सारणी 9/Table 9

नदेशक का नाम/मु प्र व्य Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति / प्र प्र का की स्थिति Nature of Directorship/ Position of KMP	समिति में पदनाम Designation in the committee	दि 14/05/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 14/05/2024	दि 29/07/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 29/07/2024	दि 28/10/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 28/10/2024	दि 28/01/2025 को आयोजित बैठक Meeting dated 28/01/2025
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	अध्यक्ष (दि 30/07/2024 से) Chairman (w.e.f. 30/07/2024)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक) Chairman-cum-Managing Director (Whole-Time)	पूर्ण कालिक निदेशक Whole-Time Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक (दि 16/04/2024 से कार्यमुक्त) Government Director (ceased w.e.f. 16/04/2024)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सिद्धार्थ महाजन Shri Siddharth Mahajan	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक (दि 16/04/2024 से प्रभावी) Government Director (w.e.f. 16/04/2024)	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
सुश्री अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री एस सी मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
श्री सुबीर कुमार दास Shri Subir Kumar Das	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक (दि 13/01/2025 से) Whole-Time Director (w.e.f. 13/01/2025)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present
श्री आनंद सिंह Shri Anand Singh	मु वि अ CFO	सदस्य (दि 30/07/2024 से) Member (w.e.f. 30/07/2024)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री गौरव अंशुमान Shri Gaurav Anshuman	मु जो अ CRO	सदस्य (दि 30/07/2024 से) Member (w.e.f. 30/07/2024)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present
सुश्री प्रिसीला सिन्हा Smt. Priscilla Sinha	नि बी AA	सदस्य (दि 30/07/2024 से) Member (w.e.f. 30/07/2024)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present

मु जो अ - मुख्य जोखिम अधिकारी, मु वि अ - मुख्य वित्तीय अधिकारी, नि बी - नियुक्त बीमांकिक तथा प्र प्र का - प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
CFO – Chief Financial Officer, CRO – Chief Risk Officer, AA – Appointed Actuary and KMP – Key Managerial Person.

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

ईसीजीसी लिमिटेड का एक सरकारी कंपनी होने के कारण, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति एवं नियुक्ति की शर्तें (पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का दिनांक16/04/2024 तथा दिनांक 07/05/2024 को पुनर्गठन किया गया। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दो बैठकों का आयोजन किया गया।

सुश्री हर्षा बंगारी, गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक दिनांक 18 नवंबर, 2021 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की अध्यक्ष हैं। सुश्री स्मिता पंडित कंपनी की कंपनी सचिव, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सचिव हैं। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों की तारीख सहित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित **सारणी 10** में उल्लिखित है:

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

ECGC Ltd. being a Government Company, the appointment and the terms and conditions of appointment (including remuneration) of the Whole-Time Directors are decided by the Government of India.

During the FY 2024-25, the Nomination and Remuneration Committee of the Company was re-constituted on 16/04/2024 and 07/05/2024. The Nomination and Remuneration Committee met twice during the FY 2024-25.

Ms. Harsha Bangari, Non-Executive Independent Director is the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee since November 18, 2021. Smt. Smita Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the Nomination and Remuneration Committee. The details of the attendance of the Members at the Nomination and Remuneration Committee Meetings along with the date of the meetings are furnished below in **Table 10:**

सारणी 10/Table 10

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिति में पदनाम Designation in the Committee	दि 22/11/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 22/11/2024	दि 28/01/2025 को आयोजित बैठक Meeting dated 28/01/2025
सुश्री हर्षा बंगारी गैर Ms. Harsha Bangari	कार्यपालक निदेशक Non- Executive Director	अध्यक्ष Chairman	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक Chairman-cum Managing	पूर्ण कालिक निदेशक (पूर्ण कालिक) Whole-Time Director Director (Whole-Time)	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर कार्यपालक निदेशक Non- Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	लागू नहीं (दि 16/04/2024 से कार्यमुक्त) NA (ceased w.e.f. 16/04/2024)	लागू नहीं NA
श्री सिद्धार्थ महाजन Shri Siddharth Mahajan	गैर कार्यपालक निदेशक Non- Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	अनुपस्थित (दि 16/04/2024 से) Absent (w.e.f. 16/04/2024)	अनुपस्थित Absent
श्री एस सी मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर कार्यपालक निदेशक Non- Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर कार्यपालक निदेशक Non- Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री अश्विनी कुमार Shri Ashwani Kumar	गैर कार्यपालक निदेशक Non- Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित (दि 07/05/2024 से) (दि 31/03/2025 से कार्यमुक्त) Absent (w.e.f. 07/05/2024) (ceased w.e.f. 31/03/2025)	अनुपस्थित Absent

ईसीजीसी लिमिटेड 100% भारत सरकार (भा स) के स्वामित्व वाली कंपनी है। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की सिफारिश पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निदेशक मण्डल द्वारा ऐसी सभी नियुक्तियों को रिकॉर्ड की जाती है एवं आई आर डी ए आई को सूचित करने एवं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आवश्यक फॉर्म दाखिल किए जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति (गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशकों के रूप में) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाती है तथा वे किसी भी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते। गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा वे (i) भारतीय रिजर्व बैंक; (ii) एक्जिम बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक; (iii) सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक; एवं (iv) भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक की श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों के सिवाय) सरकारी निर्देशों/वैधानिक नियमों और विनियमों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने हेतु बैठक शुल्क के पात्र होते हैं।

कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को किसी प्रकार का कमीशन नहीं दिया गया है। कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया है। ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान तथा भत्ते भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नलिखित **सारणी 11** में उल्लिखित है:

सारणी 11

क्र. सं.	निदेशक का नाम	प्रदत्त बैठक शुल्क (₹ में)
1.	श्री अश्विनी कुमार	2,10,000
2.	श्री अमित कुमार अग्रवाल	80,000
3.	सुश्री प्रतिभा कुशवाहा	80,000
4.	श्री पलानियप्पन मुथु	1,40,000

ECGC Ltd. is a 100% Government of India (GOI)-owned Company. Appointment of all Directors including the Chairman-cum-Managing Director is done by the President of India as per the recommendation of the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry in compliance with the Department of Public Enterprises Guidelines. The Board takes on record all such appointments and necessary forms are filed with the Registrar of Companies including informing the IRDAI. Remuneration of the Whole-Time Directors is fixed by the Government of India.

The Government Nominee Directors are appointed (as the Non-Executive Part-Time Government Directors) by the Ministry of Commerce and Industry and they are not entitled to any remuneration/ sitting fees. The Non-Executive Part-Time Non-Government Directors (Independent Directors) are appointed by the GOI and they (excluding Directors appointed under the category of (i) Reserve Bank of India; (ii) Chairman/ Managing Director of EXIM Bank; (iii) Chairman/ Managing Director of Nationalised banks to be nominated by the Government; and (iv) Chairman/ Managing Director of General Insurance Corporation of India) are entitled to sitting fees for attending the Board/ Committee Meetings as prescribed by the Board in adherence with the Government directives/ statutory rules and regulations.

The Company has not paid any commission to its Directors. The Company has not issued any stock options to its Directors. The Pay Scales and allowances of Officers and Staff of ECGC Ltd. are approved by the GOI. The details of Sitting Fees paid to the eligible Independent Directors for attending the Board/ Committees Meetings during the FY 2024-25 are furnished below in **Table 11:**

Table 11

S. No.	Name of Director	Sitting Fees Paid (₹ in)
1.	Shri Ashwani Kumar	2,10,000
2.	Shri Amit Kumar Agarwal	80,000
3.	Smt. Pratibha Kushwaha	80,000
4.	Shri Palaniappan Muthu	1,40,000

निदेशकों का पारिश्रमिक विवरण
REMUNERATION DETAILS OF DIRECTORS

सारणी 12/Table 12
(₹ में/in ₹)

क्र. सं. S. No.	पारिश्रमिक का विवरण/ Particulars of Remuneration	कुल राशि/Total Amount प्र नि/पू का नि/अं नि/प्रबंधक का नाम Name of MD/ WTD/Manager	
		श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक Shri Sristiraj Ambastha Chairman-cum -Managing Director	श्री सुबीर कुमार दास कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) Shri Subir Kumar Das Executive Director (Policy Matters)
1.	सकल वेतन/Gross salary	78,38,305.00	79,11,222.00
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in Section 17 (1) of the Income Tax Act, 1961	44,26,969.00	44,07,577.00
	(i) पीएलएलआई/PLLI	99,467.28	99,467.28
	(ii) वेतन का बकाया/Arrears of Salary	18,86,628.53	18,58,601.07
	(iii) पीएलएलआई का बकाया/PLLI arrears	29,535.34	29,535.34
	(iv) छुट्टी नकदीकरण का बकाया/Leave Encashment arrears	23,460.00	24,622.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अधीन अनुलाभों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act,1961	13,72,244.52	14,91,419.10
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-
2.	स्टॉक विकल्प/Stock Option	-	-
3.	स्वेट इक्विटी/Sweat Equity	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें Commission - as % of profit -others, specify	-	-
5.	अन्य/Others	-	-
	कुल (क)/Total (A)	**78,38,305.00**	**79,11,222.00**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा/Ceiling as perthe Act	**यह कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि यह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है।**/Not applicable to the Company as it is a wholly-owned Government Company.	

*सकल वेतन एवं अनुलाभ सम्पूर्ण वर्ष के लिए दर्शाई गई हैं, हालांकि अधिकारी वित्तीय वर्ष के कुछ भाग के लिए निदेशक के पद पर भी आसीन थे।

* Gross salary and perquisites have been given for the full year though the officer was Director for part of the Financial Year.

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक विवरण / REMUNERATION DETAILS OF KEY MANAGERIAL PERSONNEL

सारणी 13/Table 13
(₹ में/in ₹)

प्र प्र का का नाम Name of KMP	पदनाम Designation	सकल वेतन Gross Salary	अ छु का नकदीकरण EL Encashment	सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण Encashment on Retirement	पीएलएलआई PLLI	एनपीएस बकायों पर नियोक्ता का अंशदान Employer Contribution Arrears NPS	बकाया वेतन Arrears of Salary	पीएलएलआई बकाया PLLI Arrears	छुट्टियों के नकदीकरण का बकाया Leave Encashment	वर्तमान वर्ष के एनपीएस पर नियोक्ता का अंशदान Employer Contribution Arrears -NPS Current Year	धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ Perquisite u/s 17(2)	अन्य Others	कुल राशि Total Amount
श्री पी एल ठाकुर Shri P. L. Thakur	महाप्रबंधक General Manager	43,67,548.00	1,67,583	0.00	99,467.28	0.00	19,75,694.91	29,535.64	58,844	0.00	16,69,098.88		83,67,772
सुश्री स्मिता पंडित Smt. Smita Pandit	महाप्रबंधक General Manager	42,62,610.00	0.00	0.00	99,467.28	5,53,893.00	18,20,816.24	29,535.64	0.00	4,03,977	11,35,161.39		83,05,461
श्री आनंद सिंह Shri Anand Singh	महाप्रबंधक General Manager	41,23,439.00	0.00	0.00	99,467.28	0.00	17,62,136.09	29,535.64	0.00	0.00	12,77,025.54	0.00	72,91,604
श्री अभिषेक कुमार जैन Shri Abhishek Kumar Jain	महाप्रबंधक General Manager	41,80,715.00	0.00	0.00	99,467.28	0.00	18,32,112.80	29,535.64	27,318	0.00	12,12,911.30	0.00	73,82,060
श्री गौरव अंशुमान Shri Gaurav Anshuman	महाप्रबंधक General Manager	40,49,493.00	0.00	0.00	99,467.28	0.00	17,21,761.06	29,535.64	24,993	0.00	12,37,024.12	0.00	71,62,274
सुश्री अर्पिता सेन Smt. Arpita Sen	महाप्रबंधक General Manager	40,26,868.00	0.00	0.00	99,467.28	0.00	16,99,244.47	29,535.64	22,046	0.00	12,41,268.32	0.00	71,18,430
सुश्री प्रिसीला सिन्हा Smt. Priscilla Sinha	नियुक्त बीमांकिक Appointed Actuary	10597296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,92,308	0.00	1,15,89,604
श्री सब्यसाची दाश Shri Sabyasachi Dash	महाप्रबंधक General Manager	7500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84580	0.00	75,84,580
श्री यशवंत ब्रीद Shri Yashwant Breed	उप महाप्रबंधक Deputy General Manager	39,82,406.00	0.00	0.00	99,467.28	0.00	18,39,437.28	29,535.64	23,287	0.00	5,27,592.32	0.00	65,01,726
श्री ईशनाथ झा Shri Ish Nath Jha (दि 30.06.2024 तक)/ (up to 30/06/2024)	महाप्रबंधक General Manager	10,43,187.00	0.00	13,75,112	99,467.28	0.00	14,19,425.97	29,535.64	7,26,695	0.00	5,65,428.00	0.00	52,58,851

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत विकास (एसडी) समिति:

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत विकास (एसडी) समिति का उद्देश्य कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत विकास (एसडी) परियोजनाओं/गतिविधियों की निगरानी करना है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत विकास (एसडी) समिति का दिनांक 16/04/2024, दिनांक 07/05/2024 एवं दिनांक 13/01/2025 को पुनर्गठन किया गया।

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ ईसीजीसी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी क्षमता पर दिनांक 16 दिसंबर, 2024 से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत विकास (एसडी) समिति के अध्यक्ष बने। उन्हें दिनांक 14 नवंबर, 2023 से कार्यात्मक निदेशक अर्थात कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया। सुश्री स्मिता वी. पंडित, कंपनी की कंपनी सचिव कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत विकास (एसडी) समिति की सचिव हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत विकास (एसडी) समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण एवं बैठकों की तारीखों का उल्लेख निम्नलिखित सारणी 14 में दी गई हैं:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD) COMMITTEE:

The objective of the CSR & SD Committee of the Company has been to monitor the Company's CSR & SD projects/ activities.

During the FY 2024-25, the CSR & SD Committee of the Company was re-constituted on 16/04/2024, 07/05/2024 and 13/01/2025. The CSR & SD Committee of the Company met five times during the FY 2024-25.

Shri Sristiraj Ambastha continued to be the Chairman of the CSR & SD Committee in his capacity as the Chairman-cum -Managing Director, ECGC Limited w.e.f. December 16, 2024. He was appointed as a Functional Director i.e. Executive Director (Policy Matters)/ Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) w.e.f. November 14, 2023. Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the CSR & SD Committee. The details of the attendance of the Members at the Meetings of the CSR & SD Committee along with the dates of the meetings are furnished below in Table 14:

सारणी 14/Table 14

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिति में पदनाम Designation in the Committee	दि 14/05/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 14/05/2024	दि 29/07/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 29/07/2024	दि 28/10/2024 को आयोजित बैठक Meeting dated 28/10/2024	दि 28/01/2025 को आयोजित बैठक Meeting dated 28/01/2025	दि 20/03/2025 को आयोजित बैठक Meeting dated 20/03/2025
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक) Chairman-cum-Managing Director (Whole-Time)	अध्यक्ष Chairman	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक (दि 16/04/2024 से कार्यमुक्त) Government Director (ceased w.e.f. 16/04/2024)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सिद्धार्थ महाजन Shri Siddharth Mahajan	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री एस सी मुर्मु Shri S.C. Murmu	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्री अश्विनी कुमार Shri Ashwani Kumar	गैर कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि 07/05/2024 से) (दि 31/03/2025 से कार्यमुक्त) Independent Director (w.e.f. 07/05/2024) (ceased w.e.f. 31/03/2025)	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री सुबीर कुमार दास Shri Subir Kumar Das	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक (दि 13/01/2025 से सदस्य) Whole-Time Director (Member w.e.f. 13/01/2025)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present

निदेशकों, निदेशक मण्डल एवं स्वतंत्र निदेशकों की बैठक का निष्पादन मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के अंतर्गत निदेशक मंडल सदस्यों के निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकता को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 05 जून, 2015 को जारी परिपत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है। अधिनियम की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों के अधीन निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में निदेशक मण्डल, समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक मूल्यांकन की पद्धति का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है, पर सरकारी कंपनियों मामले में यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है तो छूट दी गई है। कंपनी का मूल्यांकन सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) जिसमें वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लक्ष्यों के लिए अंक/भारांक उल्लिखित होते हैं के माध्यम से किया जाता है। कंपनी का उत्पादकता-लिंक्ड एकमुश्त प्रोत्साहन (पीएलएलआई) संबंधित मंत्रालय द्वारा ऐसे मूल्यांकन में प्राप्त अंकों/ग्रेड पर आधारित होता है।

डीपीई द्वारा दिनांक 20/06/2013 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सभी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा को स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के दायरे से वापस ले लिया गया। एमसीए द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2017 के परिपत्र के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशकों एवं सरकारी कंपनियों के अध्यक्ष के मूल्यांकन तंत्र को भी छूट दी गयी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों (दिनांक 20/06/2013 के कार्यालय ज्ञापन) की आवश्यकता के अनुसार दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी प्रबंधन एवं निदेशक मंडल के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा तथा समयसीमा का आकलन किया गया, जो निदेशक मण्डल के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी एवं उचित रूप से निभाने के लिए आवश्यक है।

साधारण बैठकें

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित साधारण बैठकों का विवरण निम्नलिखित **सारणी 15** में उल्लिखित है:

PERFORMANCE EVALUATION OF THE DIRECTORS, THE BOARD AND MEETING OF THE INDEPENDENT DIRECTORS

The requirement relating to performance evaluation of Board Members under Section 178(2) of the Companies Act, 2013 is exempted for Government Companies vide circular dated June 05, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). The provisions of Section 134(3)(p) of the Act which requires mentioning the manner of formal evaluation of the Board, Committees and individual Directors, in the Board Report is also exempted for the Government Companies, if Directors are evaluated by the Administrative Ministry. The Company's evaluation is done through annual Memorandum of Understanding (MOU) with the Department of Public Enterprises (DPE) with marks/ weights for financial and non-financial targets. The Company's Productivity-Linked Lumpsum Incentive (PLLI) is based on the marks/ grade obtained in such evaluation by the respective Ministry.

The DPE vide OM dated 20/06/2013 has withdrawn review of the performance of the Chairperson of the Company after taking into account the views of all the Directors, from the purview of separate meeting of Independent Directors. The MCA had, vide circular dated July 05, 2017 also exempted evaluation mechanism of Independent Directors and Chairperson of Government Companies as specified in Schedule IV to the Companies Act, 2013.

During the FY 2024-25, the Independent Directors met on October 30, 2024 as per the requirement of DPE guidelines (Office Memorandum dated 20/06/2013), inter alia, to assess the quality, quantity and timeline of flow of information between the Company Management and the Board of Directors which is necessary for the Board to effectively and reasonably perform its duties.

GENERAL MEETINGS

The details of the General Meetings held during the last three years are furnished below in **Table 15:**

सारणी 15/Table 15

क्र. सं. S.No.	वित्तीय वर्ष Financial Year	वा सा बै की सं No. of AGM	दिनांक व समय Date & Time	स्थान Venue	पारित विशेष संकल्पों की संख्या, यदि कोई हो No. of Special Resolutions passed, if any
1.	2021-22	64	05, सितंबर 2022 1800 बजे. September 05, 2022 1800 Hrs.	वाणिज्य भवन, नई दिल्ली Vanijya Bhawan, New Delhi	04
2.	2022-23	65	28 जुलाई 2023 1100 बजे July 28, 2023 1100 Hrs.	वाणिज्य भवन, नई दिल्ली Vanijya Bhawan, New Delhi	शून्य/NIL
3.	2023-24	66	17 सितंबर 2024 1500 बजे September 17, 2022 1500 Hrs.	ओ ए वी एम OAVM	शून्य/NIL

व्यावसायिक आचार संहिता और नैतिकता

निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के सभी निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता तथा नैतिकता निर्धारित की गयी है, जिसे कंपनी की वेबसाइट (www.ecgc.in) पर पोस्ट किया गया है।

प्रकटीकरण

कंपनी द्वारा निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके संबंधियों अथवा कंपनियों एवं फर्मों आदि के साथ सिवाय सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए संव्यवहार के किसी भी प्रकार के भौतिक वित्तीय अथवा वाणिज्यिक संव्यवहार नहीं किया गया है, जिसमें वे प्रत्यक्ष अथवा अपने संबंधियों के माध्यम से निदेशक तथा / अथवा भागीदार के रूप में उनका किसी भी प्रकार का हित निहित हो। कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार के विवरण का प्रकटीकरण संबंधित पक्ष प्रकटीकरण पर लेखा मानक - 18 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं एवं सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के अनुसार किया गया है।

कंपनी के निदेशकों की निहित हित वाली वाली व्यक्तिगत फर्मों, कंपनियों एवं संगठनों को, सिवाय सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए संव्यवहार के किसी प्रकार भुगतान नहीं किया जाता।

कंपनी द्वारा प्रबंधन द्वारा उचित रूप से प्रभावी जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित करने हेतु जोखिम मूल्यांकन तथा उसके न्यूनीकरण के विषय में निदेशक मण्डल के सदस्यों को सूचित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गयी हैं, जिसकी समय-समय पर जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

लेखा परीक्षा समिति एवं निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है तथा साथ ही गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, के मामलों को सुधारने के लिए कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों की भी समीक्षा की जाती है।

कंपनी द्वारा एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई गयी है, जिससे प्रत्येक कार्मिक बिना किसी प्रकार के परिणामों के भय के, उसके ध्यान में आई किसी भी अस्वीकार्य/अनैतिक व्यवहार तथा/अथवा किसी भी स्तर पर कदाचार की घटना के विषय में शंका व्यक्त करने में सुरक्षित महसूस कर सके।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, निम्नलिखित के अलावा भूमि के विभिन्न क़ानूनों से संबंधित किसी भी मामले पर किसी भी वैधानिक अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया गया:

कंपनी द्वारा ''दलामल हाउस'' को पट्टे पर लिया गया था तथा पट्टा समझौते के अनुसार एक निश्चित दर पर उक्त संपत्ति को खरीदने के लिए प्रतिवर्ती अधिकारों का प्रयोग किया गया। हालांकि, पट्टादाता इससे सहमत नहीं था तथा ईसीजीसी द्वारा विशिष्ट निष्पादन हेतु वाद दायर किया गया। इस वाद पर लघु कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07 जुलाई, 2016 के आदेश के अधीन कंपनी के प्रतिकूल निर्णय दिया गया, जिसके खिलाफ कंपनी द्वारा अपील दायर की गयी। अपील पर दिनांक 06 मई, 2023 के आदेश के माध्यम से कंपनी के खिलाफ निर्णय दिया गया, जिसके अनुकरण में ईसीजीसी द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिवीजन दायर किया गया। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेशों को खारिज करते हुए दिनांक 3 जुलाई 2024 (संशाछित आदेश दिनांक 7 जुलाई 2025) के आदेशों के जरिये ईसीजीसी के पक्ष में निर्णय दिया गया। तत्पश्चात, पट्टाकर्ता द्वारा समीक्षा याचिकाएँ दायर की गई जिन पर पट्टाकर्ता के पक्ष में निर्णय नहीं दिये गए (31 जनवरी, 2025 का आदेश)।

CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company (www.ecgc.in).

DISCLOSURE

The Company has not entered into any material financial or commercial transactions with the Directors or the Management or their relatives or the companies and firms, etc., in which they are either directly or through their relatives interested as Directors and/ or Partners except transactions carried out in the ordinary course of business at arm's length basis. The Company has disclosed details of transactions with related parties as per the disclosure requirements of Accounting Standard – 18 on Related Party disclosures and the exemption granted to the Government Companies.

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested, except transactions carried out in the ordinary course of business at arm's length basis:

The Company has laid down procedures to inform the Board Members about the risk assessment and its minimization, which is periodically reviewed by the Risk Management Committee, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

The Audit Committee and the Board periodically review compliance report of all laws applicable to the Company as well as steps taken by the Company to rectify instances of non-compliances, if any.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy enabling each employee to feel safe in raising concerns about any unacceptable/ unethical practice and/or any event of misconduct, at any level, that comes to his/ her notice, without fear of consequences thereof.

No penalty was imposed on the Company, by any statutory or regulatory authority, on any matter related to various statutes of the land, during the last three years, except the following:

The Company had taken the "Dalamal House" on lease and had exercised reversionary rights to purchase the said property at a given rate as per the Lease Agreement. However, the Lessor did not agree and ECGC filed a suit for specific performance. This suit was decided unfavourably for the Company vide Order dated July 07, 2016 by the Small Causes Court, against which the Company filed an appeal. The appeal was decided against the Company vide order dated May 06, 2023, pursuant to which ECGC filed Civil Revisions before the Bombay High Court. The same was decided by the Hon'ble High Court in favour of ECGC vide order dated July 03, 2024 (corrected order dated July 07, 2024), quashing the orders of the Appellate Court. Subsequently, review petitions that have been filed by the Lessor were also not decided in the Lessor's favour (order dated January 31, 2025).

वर्तमान में, पट्टाकर्ता द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन आदेशों को चुनौती दी गयी है तथा उनके द्वारा विशेष अनुमति याचिकाएँ (एसएलपी) दायर की गई। उक्त परिसर को अभी तक एक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, यद्यपि, कंपनी द्वारा उक्त परिसंपत्ति को खरीदने के लिए प्रत्यावर्तन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए न्यायालय के समक्ष मामला दायर किया गया है।

महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम, 1958: स्टैम्प कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 06/01/2015 के माध्यम से, दिनांक 07 अप्रैल, 2012 को परियोजना ठेकेदार, यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ किए गए निर्माण अनुबंध समझौते पर देय ₹7,20,500/- के स्टैम्प शुल्क का भुगतान न करने के लिए ₹4,46,710/- (चार लाख छियालीस हजार सात सौ दस रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया गया है।

कंपनी द्वारा, निर्माण अनुबंध के अनुसार स्टैम्प शुल्क का भुगतान करने का दायित्व यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड का होने के कारण, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण एवं पंजीकरण महानिरीक्षक, महाराष्ट्र के समक्ष अपील दायर की गयी। उक्त अपील वर्तमान में लंबित है।

एचसीएल से संबंधित लंबित मध्यस्थता मामले का अपडेट:

दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यस्थता निर्णय सुनाते हुए ईसीजीसी के ₹12,44,10,000 (बारह करोड़ चौवालीस लाख दस हजार रुपये मात्र) के दावे को स्वीकार कर लिया गया। चूंकि ईसीजीसी द्वारा इस राशि के लिए पहले ही निष्पादन गारंटी को भुना लिया गया था, अतः किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान अथवा ब्याज देय नहीं रहा। एचसीएल द्वारा दायर किए गए ब्याज सहित कुल ₹146.98 करोड़ के सभी प्रति दावों को खारिज कर दिया गया। एचसीएल को निर्देश दिये गए कि वह संबन्धित निर्णय के तीन महीनों के भीतर ईसीजीसी को लागत के रूप में ₹2,12,99,558 (दो करोड़ बारह लाख निन्यानबे हजार पांच सौ अट्ठावन मात्र) का भुगतान करे, ऐसा न करने पर निर्णय की तारीख से अंतिम भुगतान तक 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लागू होगा। दिनांक 06 मार्च, 2025 को हस्ताक्षरित निर्णय की प्रति प्राप्त हुई।

संसद के समक्ष लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करना

कंपनी के 100% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति तथा भारत सरकार की ओर से सात अन्य नामित व्यक्तियों के पास होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित खातों को संबन्धित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में क्रमशः दिनांक 17 दिसंबर, 2024 एवं दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को लोकसभा तथा राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

शेयरधारकों की जानकारी

(क) वार्षिक साधारण बैठक: 67वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 9 सितंबर, 2025 को 11:00 बजे अन्य दृश्य श्रव्य माध्यम (ओ एवी एम) से आयोजित की जाएगी।

Presently, the Lessor has challenged the Revision Order before the Supreme Court of India and Special Leave Petitions (SLPs) have been filed by them. The said premises are not yet classified as an asset, however, the Company is contesting the matter before a Court of Law to exercise reversionary rights to purchase the said asset.

The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State has, vide its letter dated 06/01/2015, imposed a penalty of ₹4,46,710/- (Rupees four lakhs forty-six thousand seven hundred ten only) for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500/- payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, Unity Infraprojects Limited on April 07, 2012.

The Company preferred an appeal before the Chief Controlling Revenue Authority & Inspector General of Registration, Maharashtra as the obligation to pay the Stamp Duty is with Unity Infraprojects Limited as per the construction contract. The said appeal is currently pending.

Update of pending arbitration matter pertaining to HCL:

On October 22, 2024, the Arbitral Tribunal pronounced the Arbitration Award via video conferencing, allowing ECGC's claim for ₹12,44,10,000 (Rupees Twelve crore Forty-four lakh and Ten thousand only). As ECGC had already encashed the Performance Guarantee for this amount, no further payment or interest was due. All counterclaims by HCL, totalling ₹146.98 crores, including interest, were rejected. HCL was directed to pay ECGC ₹2,12,99,558 (Two crore Twelve lakh Ninety-nine thousand Five Hundred and Fifty-eight only) as costs within three months of the Award, failing which interest at 8% p.a. would apply from the date of Award until payment. HCL has complied and remitted the cost amount to ECGC. The matter now stands concluded. The signed Award was received on March 06, 2025.

PLACING OF AUDITED ACCOUNTS BEFORE THE PARLIAMENT

The audited accounts of the Company for FY 2023-24 were tabled before the Lok Sabha and Rajya Sabha on December 17, 2024 and December 20, 2024 respectively, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of the Government of India.

SHAREHOLDERS' INFORMATION

(a) Annual General Meeting: The 67th Annual General Meeting is scheduled to be held at 11:00Hrs. on September 09, 2025 through Other Audio - Visual Means (OAVM).

(ख) दिनांक 31 मार्च, 2025 तक शेयरधारिता पैटर्न: कंपनी पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी द्वारा जारी य100 प्रत्येक के पूर्णतः चुकता 43,38,00,000 इक्विटी शेयरों का पूरा लॉट है, जिसमें भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामितों द्वारा धारित आठ शेयर भी शामिल हैं।

(ग) पत्राचार के लिए पता: श्रीमती स्मिता पंडित, कंपनी सचिव, ईसीजीसी लिमिटेड, ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 393/1 से 45, एम.वी. रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई - 400069, महाराष्ट्र, भारत। ईमेल: लीSशलसल.ळप

संचार के साधन

- वेबसाइट: कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.ecgc.in पर ‘‘हमारे बारे में’’ अनुभाग के अंतर्गत वित्तीय परिणामों पर एक अलग समर्पित अनुभाग है। वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के अनुकूल एवं डाउनलोड करने योग्य रूप में पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट भी उपलब्ध है।

- वित्तीय परिणाम: कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट्ु.शलसल.ळप पर वार्षिक, अर्ध-वार्षिक तथा तिमाही परिणाम नियमित रूप से पोस्ट किया जाता है।

- वार्षिक रिपोर्ट: वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित वार्षिक खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है, को कंपनी के सदस्यों एवं अन्य हिताधिकारियों में परिचालित किया जाता है। अनुलग्नक खत के रूप में उल्लिखित प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण (एम डी एंड ए) रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का अंश है।

कृते निदेशक मंडल

सृष्टिराज अम्बष्ठ
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 10375617

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27 मई, 2025

(b) Shareholding Pattern as of March 31, 2025: The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 43,38,00,000 Equity Shares of ₹100 each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India, on behalf of the Government of India.

(c) Address for Correspondence: Smt. Smita Pandit, Company Secretary, ECGC Limited, ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45, M.V. Road, Andheri East, Mumbai – 400069, Maharashtra, India. Email: cs@ecgc.in.

MEANS OF COMMUNICATION

- Website: The Company's website i.e. www.ecgc.in contains a separate dedicated section on financial results under Section “About Us”. The full Annual Report is also available on the website in user friendly and downloadable form.

- Financial Results: The annual, half-yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website www.ecgc.in.

- Annual Report: The Annual Report, containing, inter alia, Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, and other important information, is circulated to the Members and others entitled thereto. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report placed at **Annexure IV** forms part of the Directors' Report.

For and on behalf of the Board of Directors

Sristiraj Ambastha
Chairman-cum-Managing Director
DIN 10375617

Place: Mumbai
Date: May 27, 2025

घोषणा

निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

सृष्टिराज अम्बष्ठ
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन 10375617

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27 मई, 2025

कॉर्पोरेट गवर्नेंस मास्टर परिपत्र के अनुपालन के लिए प्रमाणन

मैं, स्मिता वी. पंडित, एतद्द्वारा प्रमाणित करती हूँ कि ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा सामान्यतः आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों का अनुपालन किया है एवं कुछ भी छिपाया अथवा दबाया नहीं गया है।

स्मिता वी. पंडित
महाप्रबंधक

कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी
एम. सं. एफ़-3166

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27 मई, 2025

Declaration

The Members of the Board and Senior Management Personnel have affirmed compliance of the Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel for the Financial Year ended on March 31, 2025.

Sristiraj Ambastha
Chairman-cum-Managing Director
DIN 10375617

Place: Mumbai
Date: May 27, 2025

CERTIFICATION FOR COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE MASTER CIRCULAR

I, Smita V. Pandit, hereby certify that ECGC Limited has generally complied with the IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 and the circulars issued thereunder. Nothing has been concealed or suppressed.

Mita V. Pandit
General Manager

Company Secretary & Chief Compliance Officer
M. No. F-3166

Place: Mumbai
Date: May 27, 2025

ईसीजीसी लि. (भारत सरकार का उद्यम) ECGC Ltd. (A Government of India Enterprise)

कॉर्पोरेट प्रशासन का अंश बनना

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
ईसीजीसी लिमिटेड,
ईसीजीसी भवन, सीटीएस नं.393,393/1 से 45,
एम.वी रोड, अंधेरी ईस्ट,
मुंबई - 400069,
महाराष्ट्र।

हमने दिनांक 14 मई, 2010 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए **ईसीजीसी लिमिटेड** (''कंपनी'') **सीआईएन: U74999MH1957GOI010918** द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की अनुपालन शर्तों की जांच की है। कंपनी भारत सरकार का उद्यम है जिसमें भारत सरकार की पूर्ण इक्विटी भागीदारी है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी द्वारा उचित अभिलेख बनाए रखे गए हैं तथा दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है।

हम आगे यह भी कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस दक्षता अथवा प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी)
फर्म पंजीकरण संख्या: 92897
पीआर संख्या 4166/2023

स्थान: मुंबई
दिनांक: 06.05.2025

रागिनी चोकशी
(भागीदार)
एम. नं. F2390
सी.पी. नं. 1436
पी आर. नं. 4166/2023
यूडीआईएन: F002390G000279581

FORMING PART OF CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE FOR THE FINANCIAL YEAR 2024-25

To,
The Members,
ECGC Limited,
ECGC Bhawan, CTS No.393,393/1 to 45,
M.V Road, Andheri East,
Mumbai – 400069,
Maharashtra.

We have examined the compliance conditions of Corporate Governance by **ECGC Limited** (the "Company") **CIN: U74999MH1957GOI010918** for the Financial Year 2024-25 in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE) for Central Public Sector Undertakings on May 14, 2010. The Company is a Government of India Enterprise with full equity participation from the Government of India.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementations thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

Based on our examination of the relevant records and to the best of our information and according to the explanations furnished to us, we certify that the Company has maintained proper records and complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the DPE Guidelines, 2010 on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises for the Financial Year ended on 31st March, 2025.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or the effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

For Ragini Chokshi & Co.
(Practicing Company Secretaries)
Firm Registration No.: 92897
PR No. 4166/2023

Place: Mumbai
Date: 06.05.2025

Ragini Chokshi
(Partner)
M. No: F2390
C. P. No: 1436
PR No. 4166/2023
UDIN: F002390G000279581

अनुलग्नक II

फॉर्म संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार 01-04-2024 से 31-03-2025 तक की अवधि के लिए

सेवा में,
सदस्यगण,
ईसीजीसी लिमिटेड,
ईसीजीसी भवन, सीटीएस नं. 393, 393/1 से 45,
एम.वी रोड, अंधेरी ईस्ट,
मुंबई - 400069,
महाराष्ट्र।

हमने **ईसीजीसी लिमिटेड** (सीआईएन:U74999MH1957GOI010918) (जिसे आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन एवं अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

कंपनी की बही, दस्तावेजों, मिनट बुक्स, फॉर्म एवं रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन एवं सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है एवं यह भी कि कंपनी के पास उचित निदेशक मंडल-प्रक्रियाएं एवं अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो कि इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग के अधीन एवं तरीके से मौजूद हैं:
हमने दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की लेखापरीक्षा अवधि के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बही, दस्तावेज़, मिनट बुक, फॉर्म एवं रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच प्रावधानों के अनुसार की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम **(लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है)**;
iii. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनिय **(लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है)**;
iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;
v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं: -
   क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011 **(लागू नहीं क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है)**;
   ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 **(लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है)**;
   ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं

Annexure II

FORM NO MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]
For the period 01-04-2024 to 31-03-2025

To,
The Members,
ECGC Limited,
ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45,
M.V Road, Andheri East,
Mumbai – 400069,
Maharashtra.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **ECGC Limited** (CIN: U74999MH1957GOI010918) (hereinafter called **("the Company")**. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering 1st April, 2024 to 31st March, 2025 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:
We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the audit period 1st April, 2024 to 31st March, 2025 according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder **(Not Applicable as the Company is unlisted);**
iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed thereunder **(Not Applicable as the Company is unlisted);**
iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment, and External Commercial Borrowings;
v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -
   a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 **(Not Applicable as the Company is unlisted);**
   b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 **(Not Applicable as the Company is unlisted);**
   c) The Securities and Exchange Board of India (Issue

प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 **(लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है);**

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 **(लागू नहीं, क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है);**

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 **(लागू नहीं है क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है);**

च) कंपनी अधिनियम एवं ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 **(लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है);**

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 **(लागू नहीं क्योंकि कंपनी गैर-सूचीबद्ध है); तथा**

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुन:खरीद) विनियम, 2018 **(लागू नहीं क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है)।**

हमने कंपनी पर लागू अन्य अधिनियमों, कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा गठित प्रणालियों एवं तंत्र के लिए कंपनी तथा उसके अधिकारियों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विश्वास किया है।

हमारा मानना है कि प्रबंधन ने कंपनी पर विशेष रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

1. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देश, 2010;
2. बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम;
3. बीमा अधिनियम, 1938 और बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2015;
4. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम।

हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

a) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

b) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 एवं कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौते **(लागू नहीं क्योंकि कंपनी गैर-सूचीबद्ध है);**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा लागू अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।
हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि,

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन किए गए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए। निदेशक मंडल की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा एवं एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं तथा बैठक से पूर्व एजेंडा मदों पर आगे की

of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 **(Not Applicable as the Company is unlisted);**

d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 **(Not Applicable as the Company is unlisted);**

e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021**(not applicable as the Company is unlisted;)**

f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client **(Not Applicable as the Company is unlisted);**

g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 **(Not Applicable as the Company is unlisted); and**

h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 **(Not Applicable as the Company is unlisted).**

We have relied on the representation made by the Company and its Officers for systems and mechanism formed by the Company for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Company.

We are of the opinion that the Management has complied with the following laws specifically applicable to the Company:

1. Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines, 2010;
2. Insurance Regulatory Development Authority Act, 1999 and the rules made thereunder;
3. Insurance Act, 1938 and Insurance (Amendment) Act, 2015;
4. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules made thereunder.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

b) The Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchanges **(Not Applicable as the Company is unlisted);**

During the period under review the Company has complied with the provisions of the applicable Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc.
We further report that,

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.
Adequate notice is given to all directors to schedule the Board

जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत से लिया गया निर्णय लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार एवं संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं अथवा कार्यवाहियां हुईं, जिनका उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर असर हो सकता है:

1. श्री सिद्धार्थ महाजन की गैर-कार्यपालक सरकारी नामित निदेशक के रूप में दिनांक 16 अप्रैल, 2024 से नियुक्त।
2. दिनांक 16 अप्रैल 2024 से श्री विपुल बंसल का गैर-कार्यपालक सरकारी नामित निदेशक से कार्यमुक्त।
3. श्री अश्विनी कुमार की गैर-आधिकारिक गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 07 मई, 2024 से नियुक्त।
4. श्री अभिषेक जैन का मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद से दिनांक 01 जुलाई 2024 से कार्यमुक्त।
5. श्री आनंद सिंह की मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में दिनांक 30 जुलाई 2024 से नियुक्त।
6. दिनांक 02 नवंबर 2024 से श्री अमित कुमार अग्रवाल का गैर-आधिकारिक गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक से कार्यमुक्त।
7. सुश्री प्रतिभा कुशवाहा का गैर-आधिकारिक गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के पद से दिनांक 02 नवंबर 2024 से कार्यमुक्त।
8. दिनांक 16 दिसंबर 2024 से कंपनी के पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशक से पूर्णकालिक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ का पदनाम परिवर्तित किया गया है।
9. श्री सुबीर कुमार दास की दिनांक 13 जनवरी 2025 से पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त।
10. दिनांक 31 मार्च 2025 से श्री अश्विनी कुमार का गैर-आधिकारिक गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के पद से कार्यमुक्त।
11. कंपनी के ₹100/- प्रत्येक के 43,38,00,000 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों पर ₹10/- की दर से ₹433,80,00,000/- (चार सौ तैंतीस करोड़ अस्सी लाख रुपये मात्र) के लाभांश की घोषणा एवं भुगतान।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 06.05.2025

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी)
फर्म पंजीकरण संख्या: 92897
पीआर संख्या 4166/2023

रागिनी चोकशी
(भागीदार)
सी.पी. नं. 1436
एफसीएस नं.: 2390
यूडीआईएन: F002390G000279799

Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the Minutes of the Meetings of the Board and Committees held during the year under review.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operation of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Company had following specific events or actions which might have a bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

1. Appointment of Mr. Siddharth Mahajan as a Non-Executive Government Nominee Director w.e.f. April 16, 2024.
2. Cessation of Mr. Vipul Bansal as a Non-Executive Government Nominee Director w.e.f. April 16, 2024.
3. Appointment of Mr. Ashwani Kumar as a Non-Official Non-Executive Independent Director w.e.f. May 07, 2024.
4. Cessation of Mr. Abhishek Jain as Chief Financial Officer (CFO) w.e.f. July 01, 2024.
5. Appointment of Mr. Anand Singh as Chief Financial Officer (CFO) w.e.f. July 30, 2024.
6. Cessation of Mr. Amit Kumar Agarwal as a Non-Official Non-Executive Independent Director w.e.f. November 02, 2024.
7. Cessation of Ms. Pratibha Kushwaha as a Non-Official Non-Executive Independent Director w.e.f. November 02, 2024.
8. Change in designation of Mr. Sristiraj Ambastha from Whole-time Executive Director to Whole-time Chairman-cum-Managing Director of the Company w.e.f. December 16, 2024.
9. Appointment of Mr. Subir Kumar Das as a Whole-time Executive Director w.e.f. January 13, 2025.
10. Cessation of Mr. Ashwani Kumar as a Non-Official Non-Executive Independent Director w.e.f. March 31, 2025.
11. Declaration & Payment of Dividend of ₹433,80,00,000/- (Rupees Four Hundred Thirty-Three Crore and Eighty Lakh only) at ₹10/- on the 43,38,00,000 Fully Paid-up Equity Shares of ₹100/- each of the Company.

Place: Mumbai
Date: 06.05.2025

For Ragini Chokshi & Co.
(Practicing Company Secretaries)
Firm Registration No.: 92897
PR No. 4166/2023

Ragini Chokshi
(Partner)
C.P. No. 1436
FCS No: 2390
UDIN: F002390G000279799

अनुलग्नक III

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) पॉलिसी का संक्षिप्त विवरण, जिसमें परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन शामिल है

कंपनी द्वारा 2014 में सी एस आर पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों को अपनाया गया है एवं इसकी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सी एस आर पॉलिसी है। कंपनी की सीएसआर पहलों की निगरानी के लिए निदेशक मंडल की एक सीएसआर समिति गठित की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की सी एस आर गतिविधियों पर कुल ₹30.77 करोड़ (₹30,77,41,568.69) की राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पहले से प्रारंभ की गई परियोजनाओं के लिए अप्रयुक्त सी एस आर (यू सी एस आर) खाते में ₹14.22 करोड़ (₹14,22,01,663.00) का आवंटन किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वच्छ भारत कोष (एस बी के) को ₹2.77 करोड़ (₹2,77,01,914.51) की राशि का भुगतान किया गया है।

कंपनी द्वारा आकांक्षी जिला, राजगढ़, मध्य प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹10 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई गई एवं राजगढ़ में लागू किए जाने वाले तीन सी एस आर प्रस्तावों, अर्थात (i) राजगढ़ के 6 ब्लॉकों - राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ एवं सारंगपुर में 36 डिलीवरी पॉइंट्स को मजबूत करना; (ii) सरकारी जिला अस्पताल, राजगढ़ में सुविधा उन्नयन; तथा (iii) राजगढ़ जिले के पोषण पुनर्वास केंद्रों (एन आर सी), पोस्टमार्टम (पी एम) कक्षों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी एच सी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी एच सी) में सुविधा अद्यतन को मंजूरी दी गई। कंपनी द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) के जरिए मुंबई, एम-वार्ड में ट्रांसफॉर्मिंग एम-वार्ड परियोजना अर्थात एम-पावर लाइब्रेरी एवं स्टडी सेंटर के लिए अपना सी एस आर समर्थन जारी रखा गया है। एम-पावर छात्रों को सभी विषयों (कला, विज्ञान, वाणिज्य) की विभिन्न पाठ्यपुस्तकों से सुसज्जित एक पुस्तकालय प्रदान करता है। इसमें एमपीएससी, यूपीएससी, एनईईटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए पुस्तकें भी हैं। पुस्तकालय केवल छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, अपितु इसमें छात्रों के बीच सामान्य पढ़ने एवं सीखने की आदतों को प्रोत्साहन देने के लिए पत्रिकाएं तथा जर्नल सदस्यता, कई भाषाओं में समाचार पत्र एवं कथा पुस्तकों का संग्रह भी शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की सी एस आर गतिविधियों के लिए कंपनी के प्रमुख कार्यान्वयन साझेदार हैं जिला कलेक्टर कार्यालय, राजगढ़, मध्य प्रदेश (आकांक्षी जिला), टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टी आई एस एस), टाटा मेमोरियल अस्पताल, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, अक्षय पात्र फाउंडेशन, मानव विकास संस्थान, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी), सी के एस फाउंडेशन, भारतीय कुष्ठ मिशन ट्रस्ट, विवेकानंद केंद्र अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट, कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए फिक्की - कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केन्द्र प्लेटफॉर्म सी-कैंप, स्टूडेंट एक्सपीरियंस

Annexure III

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

A BRIEF OUTLINE OF THE COMPANY'S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) POLICY, INCLUDING OVERVIEW OF PROJECTS OR PROGRAMMES UNDERTAKEN

The Company has adopted the revised guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE) on CSR in 2014 and has a Board - approved CSR policy. A CSR Committee of the Board has been constituted to monitor the CSR initiatives of the Company. An aggregate amount of ₹30.77 crore (₹30,77,41,568.69) was spent on CSR activities of the Company during the FY 2024-25. Further, allocation of ₹14.22 crore (₹14,22,01,663.00) has been made in the Unspent CSR (UCSR) account for the projects already initiated during the FY 2024-25 and an amount of ₹2.77 crore (₹2,77,01,914.51) has been paid to the Swachh Bharat Kosh (SBK) for the FY 2024-25.

The Company made a commitment of ₹10 crore for the FY 2024-25 for Aspirational District, Rajgarh, Madhya Pradesh and approved the three CSR proposals to be implemented in Rajgarh i.e., (i) Strengthening of 36 Delivery Points in 6 Blocks – Rajgarh, Khilchipur, Jirapur, Biaora, Narsinghgarh and Sarangpur of Rajgarh; (ii) Facility Upgradation at Government District Hospital, Rajgarh; and (iii) Facility Updation at Nutrition Rehabilitation Centres (NRC), Post-Mortem (PM) rooms, Civil Hospitals, Community Health Centres (CHCs) and Primary Health Centres (PHCs) of Rajgarh District. The Company has continued its CSR support towards Transforming M-Ward Project i.e., M-Power Library and Study Centre in Mumbai, M-Ward through the Tata Institute of Social Sciences (TISS). M-Power offers students a library stocked with different textbooks of all streams (Arts, Science, Commerce). It also has books to aid preparation for competitive examinations like MPSC, UPSC, NEET, etc. The library not only caters to satisfy the academic needs of the students but also includes magazines and journal subscriptions, newspapers in multiple languages and collection of fiction books to foster general reading and learning habits among students.

The Company's major implementation partners for CSR activities of the FY 2024-25 are the Office of the District Collector, Rajgarh, Madhya Pradesh (Aspirational District), the TATA Institute of Social Sciences (TISS), Tata Memorial Hospital, Sulabh International Social Service Organisation, Kendriya Sainik Board, Akshaya Patra Foundation, Manav Vikas Sansthan, National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC), CKS foundation, Leprosy Mission Trust of India, Vivekananda Kendra Arunachal Pradesh Trust, FICCI through Implementing Agency – Centre for Cellular and Molecular Platforms C-CAMP, Student Experience in Inter-State Living (SEIL), Vishwa Maitri Foundation and National Institute of Mental Health and Neuro

इन इंटर-स्टेट लिविंग (एसईआईएल), विश्व मैत्री फाउंडेशन और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, शिक्षा और कौशल विकास, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना और स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान के क्षेत्र में कई पहल की गई हैं।

कंपनी द्वारा टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई में 100 जरूरतमंद कैंसर रोगियों के लिए उन्नत प्रोटॉन बीम थेरेपी में सहायता की गई। कंपनी द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी) के सहयोग से छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा के जिलों में सिकल सेल रोग की जांच एवं स्क्रीनिंग में सहयोग दिया गया है। कंपनी अपनी सी एस आर पहल के अंतर्गत मानव विकास संस्थान के जरिए दक्षिण त्रिपुरा एवं गंगटोक में स्वास्थ्य एटीएम मशीनों की स्थापना में सहयोग कर रही है। कंपनी द्वारा भुवनेश्वर, ठाणे एवं कल्याण में इलेक्ट्रिक खाद्य वितरण वाहन उपलब्ध कराकर अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को समर्थन दिया गया। कंपनी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के अंतर्गत स्टार्टअप महारथी चैलेंज के लिए कार्यान्वयन एजेंसी - कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केन्द्र प्लेटफॉर्म्स सी-कैंप के जरिए फिक्की को सी एस आर समर्थन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के जरिए भारतीय रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (ए एफ एफ डी एफ) में य2 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए समर्थन विस्तारित किया गया।

1. कंपनी की सीएसआर पॉलिसी की संक्षिप्त रूपरेखा

i. संगठन में सभी स्तरों पर बढ़ी हुई प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, जिससे अपने सभी हितधारकों के हितों को मान्यता देते हुए, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय रूप से स्थिर तरीके से अपना व्यवसाय संचालित किया जा सके।

ii. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रम चलाना, जिनसे इसके विभिन्न कार्यालयों में तथा इसके समीप के समुदायों को लाभ प्राप्त हो तथा स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता एवं कल्याण में वृद्धि हो।

iii. समाज के कमजोर, कम-सुविधा प्राप्त एवं हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने, वाली गतिविधियों को क्रियान्वित करना।

iv. अपनी सीएसआर पहलों के जरिए हितधारकों के बीच कंपनी के लिए सद्भावना एवं गौरव उत्पन्न करना तथा एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में कंपनी की सकारात्मक तथा सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में सहायता करना।

Sciences. A number of initiatives have been undertaken in the fields of health care, nutrition, education and skill development, contribution towards the Armed Forces Flag Day Fund, Prime Minister's Internship Scheme and Swachh Bharat Kosh.

The Company supported the advanced proton beam therapy for 100 needy cancer patients at Tata Memorial Hospital, Mumbai. The Company has supported the Screening and Testing of Sickle Cell Disease in the districts of Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha in collaboration with National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC). The Company under its CSR initiatives is supporting the installation of health ATM machines in South Tripura and Gangtok through Manav Vikas Sansthan. The Company supported the Akshay Patra Midday Meal Programme by providing electric food delivery vehicles in Bhubaneshwar, Thane and Kalyan. The Company extended CSR support to FICCI through Implementing Agency – Centre for Cellular and Molecular Platforms CCAMP for Startup MahaRathi Challenge under Startup Mahakumbh 2025. Further, a contribution of ₹2 crore was made to the Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) towards Welfare of Ex-Servicemen of the Indian Defence Services through Kendriya Sainik Board. The Company extended support towards the PM Internship Scheme of Ministry of Corporate Affairs during the FY 2024-25.

1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

i. To ensure an increased commitment at all levels, in the organization, to operate its business in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of all its stakeholders.

ii. To directly/indirectly take up programs that benefit the communities in and around its various offices that enhance the quality of life and well-being of the locals.

iii. To implement activities that empower the weaker, less privileged and marginalized sections of the society.

iv. To generate, through its CSR initiatives, goodwill and pride for the Company among stakeholders and help reinforce a positive and socially responsible image of the Company as a corporate entity.

2. सीएसआर समिति की संरचना: /Composition of the CSR Committee:

क्र. सं. S. No.	निदेशक का नाम Name of Director	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति Designation/Nature of Directorship	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या Number of meetings of CSR Committee held during the year	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक - निदेशक पूर्णकालिक एवं सीएसआर समिति के अध्यक्ष Chairman-cum-Managing Director - (Whole-Time) Director and Chairman of the CSR Committee	5	5
2	श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक - सरकारी निदेशक - नियुक्त (दिनांक 16.04.2024 से कार्यमुक्त) Non-Executive Director - Government Director - Member (Ceased w.e.f. 16.04.2024)	5	लागू नहीं
3	श्री सिद्धार्थ महाजन Shri Siddharth Mahajan	गैर-कार्यपालक निदेशक - सरकारी निदेशक - नियुक्त (दिनांक 16.04.2024 से नियुक्त) Non-Executive Director - Government Director - Member (Appointed w.e.f. 16.04.2024)	5	4
4	श्री एस.सी. मुर्मू Shri S.C. Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक - नियुक्त Non-Executive Director - Independent Director - Member	5	4
5	सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक - नियुक्त Non-Executive Director - Independent Director - Member	5	4
6	श्री रामास्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर-कार्यपालक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक - नियुक्त Non-Executive Director - Independent Director - Member	5	3
7	श्री अश्विनी कुमार Shri Ashwani Kumar	गैर-कार्यपालक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक - नियुक्त (दिनांक 07.05.2024 से नियुक्त) (दिनांक 31.03.2025 से कार्यमुक्त) Non-Executive Director - Independent Director - Member (Appointed w.e.f. 07.05.2024) (Ceased w.e.f. 31.03.2025)	5	4
8	श्री सुबीर कुमार दास Shri Subir Kumar Das	कार्यपालक निदेशक - पूर्णकालिक निदेशक - नियुक्त (दिनांक 13.01.2025 से नियुक्त) Executive Director - Whole-Time Director - Member (Appointed w.e.f. 13.01.2025)	5	2

3. वेब-लिंक प्रदान की गई जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर पॉलिसी एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट: https://main.ecgc.in/english/corporate-social-responsibility/ पर प्रकट की गई हों।

4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें: प्रभाव आकलन रिपोर्टों का कार्यकारी सारांश परिशिष्ट II से अनुबंध III में दिया गया है। विस्तृत रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (https://main.ecgc.in/english/corporate- social-responsibility/) पर उपलब्ध है।

5. (क) कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹2,259.97 करोड़
(ख) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹45.19 करोड़, सीएसआर के लिए आवंटित बजट ₹45.20 करोड़
(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: शून्य
(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (ख + ग - घ): ₹45.20 करोड़

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (दोनों जारी परियोजनाएं एवं जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त): ₹28.15 करोड़ (परिशिष्ट-I देखें)
(ख) प्रशासनिक व्यय संबंधी अतिरिक्त राशि ₹0.054 करोड़
(ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: शून्य (प्रभाव आकलन के लिए ₹20.47 लाख का प्रावधान किया गया)
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (क+ख+ग): ₹30.77 करोड़*
*इसमें यूसीएसआर 2023-24 के लिए व्यय किए गए ₹2.54 करोड़ एवं स्वच्छ भारत कोष 2023-24 के लिए व्यय किए गए ₹0.018 करोड़ शामिल हैं।
(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

3. Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company: https://main.ecgc.in/english/corporate-social-responsibility/

4. Provide the executive summary along with the web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable: Executive Summary of the Impact Assessment reports are placed at Appendix II to Annexure III. Detailed reports are available on the website of the Company (https://main.ecgc.in/english/corporate-social-responsibility/).

5. (a) Average net profit of the Company: ₹2,259.97 crore
(b) Two percent of average net profit of the Company: ₹45.19 crore, Budget allotted for CSR ₹45.20 crore
(c) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years: Nil
(d) Amount required to be set off for the financial year, if any: Nil
(e) Total CSR Obligation for the financial year (b + c – d): ₹45.20 crore

6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Projects and other than Ongoing Projects): ₹28.15 crore (Refer Appendix-I)
(b) Amount spent on Administrative overheads ₹0.054 crore
(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: Nil (₹20.47 lakh provision made for Impact Assessment)
(d) Total amount spent for the Financial Year (a+b+c): ₹30.77 crore*
* Includes ₹2.54 crore spent towards UCSR 2023-24 and ₹0.018 crore towards Swachh Bharat Kosh 2023-24.
(e) CSR amount spent or unspent for the financial year:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (₹ में)/ Total amount spent for the Financial Year (in ₹)	अव्ययित राशि (₹ में)/Amount unspent (in ₹)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि।/ Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of Section 135.		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची तखख के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी फंड में अंतरित राशि। Amount Transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of Section 135.		
	राशि Amount	अंतरण की तारीख Date of transfer	फंड का नाम Name of the fund	राशि Amount	अंतरण की तारीख Date of transfer
30.77 करोड़ 30.77 crore	14.22 करोड़ 14.22 crore	07/04/2025	स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट SWACHH BHARAT KOSH TRUST	2.77 करोड़ 2.77 crore	22/05/2025

(च) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्र. सं.	विवरण	राशि ₹ में
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹45.19 करोड़ (सीएसआर के लिए आवंटित बजट ₹45.20 करोड़)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	₹30.77 करोड़
(iii)	वित्तीय वर्ष (ii – i) के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि ((iii)-(iv))	शून्य

(f) Excess amount for set – off, if any: Nil

S. No.	Particular	Amount in ₹
(i)	Two percent of average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135	₹45.19 crore (budget allotted for CSR ₹45.20 crore)
(ii)	Total amount spent for the financial year	₹30.77 crore
(iii)	Excess amount spent for the financial year (ii – i)	Nil
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years ((iii)-(iv))	Nil

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:
7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

(₹ में)/(in ₹)

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं. S.No.	पिछला वित्तीय वर्ष (वर्ष) Preceding Financial Year (s)	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में) Amt transferred to Unspent CSR Account u/s 135(6) (in ₹)	शेष राशि अव्ययित सीएसआर खाते में धारा 135(6) के अंतर्गत (₹ में) Balance Amt in Unspent CSR) Account u/s 135(6) (in ₹)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में) Amt Spent in the Financial Year (in ₹)	धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित की गई राशि, यदि कोई हो Amt transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per 2nd provison to Section 135(5), if any		अगले वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में) Amt remaining to be spent in succeeding Financial Years (in ₹)	कमी, यदि कोई हो Deficiency, if any
					राशि (₹ में) Amt (in ₹)	अंतरण की तारीख Date of Transfer		
1	वि व 2023-2024 FY 2023-2024	2,54,64,773	शून्य/Nil	वि व 24-25: 2,54,64,773 FY 24-25: 2,54,64,773	1,80,373.20	26/04/2024	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2	वि व 2022-23 FY 2022-23	1,51,22,500	शून्य/Nil	वि व 23-24: 1,51,22,500 FY 23-24: 1,51,22,500	3,68,662.44	21/04/2023	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3	वि व 2021-22 FY 2021-22	38,56,000	शून्य/Nil	वि व 22-23: 38,56,000 FY 22-23: 38,56,000	8,93,195	11/05/2022	शून्य/Nil	शून्य/Nil

8. क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के जरिए कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है अथवा अर्जित की गई है, वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि: नहीं
9. यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है तो कारण बताएं:
   - ₹14,22,01,663/- यूसीएसआर खाते में अंतरित चल रही परियोजनाओं से संबंधित हैं; तथा
   - ₹2,77,01,914.51/- प्रशासनिक व्यय के लिए आवंटित बजट के अंतर्गत कम व्यय के कारण शेष राशि स्वच्छ भारत कोष में अंतरित कर दी गई है।

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एवं सीएसआर समिति के अध्यक्ष
डीआईएन 10375617

(आनंद सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27 मई, 2025

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: No
9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two percent of the average net profit:
   - ₹14,22,01,663/- pertains to Ongoing projects transferred to UCSR A/c; and
   - ₹2,77,01,914.51/- pertains to balance amount due to lower expenses under budget allocated for Administrative Expenses transferred to Swachh Bharat Kosh.

(Sristiraj Ambastha)
Chairman-cum-Managing Director
& Chairman of the CSR Committee
DIN 10375617

(Anand Singh)
Chief Financial Officer

Place: Mumbai
Date: May 27, 2025

वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:
Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

अनुलग्नक III का परिशिष्ट/Appendix I to Annexure III
(₹ में)/(in ₹)

क्र. सं. S. No.	परियोजना अथवा गतिविधि का नाम Name of the Project or Activity	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद Item from the list of Activities in Schedule VII	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local Area (YES/NO)	राज्य State	जिला District	परियोजना अवधि Project Duration	परियोजना के लिए आबंटित राशि Amount allocated for the project	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में) Amount spent in the FY (In ₹)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित कि गई राशि (₹ में) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6) (in ₹)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) Mode of Implementation -Direct (YES/NO)	कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए कार्यान्वयन का तरीका - सीएसआर पंजीकरण संख्या Mode of Implementation Through Implementing Agency - CSR Regn No.	नाम Name	जारी (हाँ/नहीं) Ongoing (Yes/No)
1.	डीजीएफटी, सीप्ज़, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, चारकोप सांस्कृतिक एवं खेल फाउंडेशन। DGFT, SEEPZ, Indian Institute of Packaging, Joint Chief Controller of Explosives, Charkop Cultural and Sports Foundation.	स्वास्थ्य/Health	हाँ/Yes	महाराष्ट्र/ Maharashtra	मुंबई/ Mumbai	एक वर्ष/ One Year	577757.00	577757.00	0.00	हाँ/Yes	-	डीजीएफटी, सीप्ज़, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, चारकोप सांस्कृतिक एवं खेल फाउंडेशन। DGFT, SEEPZ, Indian Institute of Packaging, Joint Chief Controller of Explosives, Charkop Cultural and Sports Foundation	नहीं/No
2.	अतुल फाउंडेशन/ Atul Foundation	स्वास्थ्य/Health	नहीं/No	गुजरात Gujarat	वलसाड Valsad	एक वर्ष/ One Year	2250000.00	1125000.00	1125000.00	नहीं/No	CSR00000635	अतुल फाउंडेशन/ Atul Foundation	हाँ/Yes
3.	सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट Savera Foundation Trust	स्वास्थ्य/Health	हाँ/Yes	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	नोएडा Noida	एक वर्ष/ One Year	3290500.00	3290500.00	0.00	नहीं/No	CSR00047173	सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट Savera Foundation Trust	नहीं/No
4.	होप कोलकाता फाउंडेशन Hope Kolkata Foundation	स्वास्थ्य/Health	हाँ/Yes	पश्चिम बंगाल West Bengal	कोलकाता Kolkata	एक वर्ष/ One Year	3800000.00	3800000.00	0.00	नहीं/No	CSR00000338	होप कोलकाता फाउंडेशन Hope Kolkata Foundation	नहीं/No
5.	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन Sulabh International Social Service Organisation	स्वास्थ्य/Health	हाँ/Yes	चंडीगढ़ एवं नागालैंड Chandigarh and Nagaland	दीमापुर Dimapur	एक वर्ष/ One Year	7816090.00	3908045.00	3908045.00	नहीं/No	CSR00000185	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन Sulabh International Social Service Organisation	हाँ/Yes
6.	सोनू नवचेतना फाउंडेशन Sonu NavChetna Foundation	स्वास्थ्य/Health	हाँ/Yes	हरियाणा Haryana	फरीदाबाद Faridabad	एक वर्ष/ One Year	2500000.00	2500000.00	0.00	नहीं/No	CSR00004649	सोनू नवचेतना फाउंडेशन Sonu NavChetna Foundation	नहीं/No
7.	अमचाघर/Amchaghar	शिक्षा/Education	हाँ/Yes	महाराष्ट्र Maharashtra	ठाणे Thane	एक वर्ष/ One Year	3200000.00	3200000.00	0.00	नहीं/No	CSR00000102	अमचाघर/Amchaghar	नहीं/No
8.	टीआईएसएस (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज) TISS (Tata Institute of Social Sciences)	शिक्षा/Education	हाँ/Yes	महाराष्ट्र Maharashtra	मुंबई Mumbai	एक वर्ष/ One Year	9815297.00	9815297.00	0.00	नहीं/No	CSR00003475	टीआईएसएस (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज) TISS (Tata Institute of Social Sciences)	हाँ/Yes
9.	टाटा मेमोरियल सेंटर Tata Memorial Centre	स्वास्थ्य/Health	हाँ/Yes	महाराष्ट्र Maharashtra	मुंबई Mumbai	एक वर्ष/ One Year	50000000.00	50000000.00	0.00	नहीं/No	CSR00001287	टाटा मेमोरियल सेंटर Tata Memorial Centre	हाँ/Yes
10.	सीकेएस फाउंडेशन CKS Foundation	शिक्षा/Education	नहीं/No	उत्तराखंड Uttarakhand	पोखरी Pokhri	एक वर्ष/ One Year	4798000.00	2399000.00	2399000.00	नहीं/No	CSR00009044	सीकेएस फाउंडेशन CKS Foundation	हाँ/Yes

क्र. सं. S. No.	परियोजना अथवा गतिविधि का नाम Name of the Project or Activity	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद Item from the list of Activities in Schedule VII	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local Area (YES/NO)	राज्य State	जिला District	परियोजना अवधि Project Duration	परियोजना के लिए आबंटित राशि Amount allocated for the project	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में) Amount spent in the FY (in ₹)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित कि गई राशि (₹ में) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6) (in ₹.)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) Mode of Implementation -Direct (YES/NO)	कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए कार्यान्वयन का तरीका - सीएसआर पंजीकरण संख्या Mode of Implementation Through Implementing Agency - CSR Regn No.	नाम Name	जारी (हाँ/नहीं) Ongoing (Yes/No)
11.	वी फाउंडेशन We Foundation	स्वास्थ्य/Health	नहीं/No	मणिपुर एवं मिजोरम Manipur and Mizoram	इम्फाल एवं आइजोल Imphal and Aizwal	एक वर्ष/ One Year	3017400.00	1508700.00	1508700.00	नहीं/No	CSR00006041	वी फाउंडेशन We Foundation	हाँ/Yes
12.	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड एएफ़एफ़एफ़डी Kendriya Sainik Board AFFD	शिक्षा/Education	हाँ/Yes	अखिल भारत PAN India	अखिल भारत PAN India	एक वर्ष/ One Year	20000000.00	20000000.00	0.00	नहीं/No	CSR00011199	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड एएफ़एफ़एफ़डी Kendriya Sainik Board AFFD	हाँ/Yes
13.	अक्षय पात्र फाउंडेशन Akshay Patra Foundation	स्वास्थ्य एवं पोषण Health and Nutrition	हाँ/Yes	भुवनेश्वर एवं महाराष्ट्र Bhubaneshwar and Maharashtra	खोर्दा, ठाणे एवं कल्याण Khorda, Thane and Kalyan	एक वर्ष/ One Year	8723606.00	8723606.00	0.00	नहीं/No	CSR0000286	अक्षय पात्र फाउंडेशन Akshay Patra Foundation	नहीं/No
14.	डीड्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट DEEDS Public Charitable Trust	स्वास्थ्य/Health	नहीं/No	उत्तराखंड Uttarakhand	देहरादून Dehradun	एक वर्ष/ One Year	2700000.00	2700000.00	0.00	नहीं/No	CSR00000703	डीड्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट DEEDS Public Charitable Trust	नहीं/No
15.	मानव विकास संस्थान Manav Vikas Sansthan	स्वास्थ्य/Health	नहीं/No	त्रिपुरा एवं सिक्किम Tripura and Sikkim	दक्षिण त्रिपुरा एवं गंगटोक South Tripura and Gangtok	एक वर्ष/ One Year	5128200.00	0.00	5128200.00	नहीं/No	CSR00001276	मानव विकास संस्थान Manav Vikas Sansthan	हाँ/Yes
16.	केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट KC Mahindra Education Trust	शिक्षा/Education	हाँ/Yes	झारखंड Jharkhand	राँची Ranchi	एक वर्ष/ One Year	2500000.00	2500000.00	0.00	नहीं/No	CSR00000511	केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट KC Mahindra Education Trust	नहीं/No
17.	लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया Leprosy Mission Trust of India	स्वास्थ्य/Health	नहीं/No	दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं छत्तीसगढ़ Delhi, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Chhattisgarh	कल्लाकुरिची एवं बिलासपुर Prayagraj Kallakurichi and Bilaspur	एक वर्ष/ One Year	9913760.00	9913760.00	0.00	नहीं/No	CSR00001796	कुष्ठ मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया Leprosy Mission Trust of India	हाँ/Yes
18.	लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया Leprosy Mission Trust of India	स्वास्थ्य/Health	नहीं/No	उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं महाराष्ट्र Uttar Pradesh, Delhi and Maharahtra	अमरावती, प्रयागराज एवं सांगली Amravati, Prayagraj and Sangli	एक वर्ष/ One Year	10115500.00	5057750.00	5057750.00	नहीं/No	CSR00001796	कुष्ठ मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया Leprosy Mission Trust of India	हाँ/Yes

क्र. सं. S. No.	परियोजना अथवा गतिविधि का नाम Name of the Project or Activity	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद Item from the list of Activities in Schedule VII	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local Area (YES/NO)	राज्य State	जिला District	परियोजना अवधि Project Duration	परियोजना के लिए आबंटित राशि Amount allocated for the project	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में) Amount spent in the FY (in ₹)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित कि गई राशि (₹ में) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6) (in ₹)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) Mode of Implementation -Direct (YES/NO)	कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए कार्यान्वयन का तरीका - सीएसआर पंजीकरण संख्या Mode of Implementation Through Implementing Agency – CSR Regn No.	नाम Name	जारी (हाँ/नहीं) Ongoing (Yes/No)
19.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम National Backward Classes Finance and Development Corporation	स्वास्थ्य/Health	नहीं/No	छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha	बस्तर, रांची एवं संबलपुर Bastar, Ranchi and Sambalpur	एक वर्ष/ One Year	24585000.00	0.00	24585000.00	नहीं/No	CSR00003186	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम National Backward Classes Finance and Development Corporation	हाँ/Yes
20.	पीएम इंटर्नशिप योजना PM Internship Scheme	पीएम इंटर्नशिप योजना PM Internship Scheme	हाँ/Yes	अखिल भारत PAN INDIA	अखिल भारत PAN INDIA	एक वर्ष/ One Year	34717.00	25643.00	8290.00	नहीं/No	-	कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय PM Internship Scheme	हाँ/Yes
21.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु National Institute of Mental Health and NeuroSiences, Bengaluru	स्वास्थ्य/Health	हाँ/Yes	कर्नाटक Karnataka	बेंगलुरु Bengaluru	एक वर्ष/ One Year	10000000.00	0.00	10000000.00	नहीं/No	CSR00006218	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु National Institute of Mental Health and NeuroSiences, Bengaluru	हाँ/Yes
22.	कैंसर रोगी सहायता संघ Cancer Patients Aid Association	स्वास्थ्य/Health	हाँ/Yes	महाराष्ट्र एवं दिल्ली Maharashtra and Delhi	मुंबई, पुणे Mumbai, Pune	एक वर्ष/ One Year	7500000.00	0.00	7500000.00	नहीं/No	CSR00000926	कैंसर रोगी सहायता संघ Cancer Patients Aid Association	हाँ/Yes
23.	द सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट The Savera Foundation Trust	स्वास्थ्य/Health	नहीं/No	पंजाब Punjab	खन्ना Khanna	एक वर्ष/ One Year	4061200.00	0.00	4061200.00	नहीं/No	CSR00047173	द सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट The Savera Foundation Trust	हाँ/Yes
24.	द अर्थ एंजेल्स वेलफेयर फाउंडेशन The Earth Angels Welfare Foundation	स्वास्थ्य/Health	हाँ/Yes	महाराष्ट्र Maharashtra	मुंबई Mumbai	एक वर्ष/ One Year	4800000.00	0.00	4800000.00	नहीं/No	CSR00006478	द अर्थ एंजेल्स वेलफेयर फाउंडेशन The Earth Angels Welfare Foundation	हाँ/Yes
25.	सामाजिक उत्थान और स्वास्थ्य कार्य के लिए विकास (सौधा) Social Upliftment and Development For Health Action (SAUDHA)	स्वास्थ्य/Health	हाँ/Yes	महाराष्ट्र Maharashtra	ठाणे Thane	एक वर्ष/ One Year	3191928.00	0.00	3191928.00	नहीं/No	CSR00007756	सामाजिक उत्थान और स्वास्थ्य कार्य के लिए विकास (सौधा) Social Upliftment and Development For Health Action (SAUDHA)	हाँ/Yes
26.	एलिक्सिर फाउंडेशन Elixir Foundation	स्वास्थ्य/Health	नहीं/No	महाराष्ट्र Maharashtra	मुंबई Mumbai	एक वर्ष/ One Year	4882500.00	0.00	4882500.00	नहीं/No	CSR00001799	एलिक्सिर फाउंडेशन Elixir Foundation	हाँ/Yes

क्र. सं. S. No.	परियोजना अथवा गतिविधि का नाम Name of the Project or Activity	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद Item from the list of Activities in Schedule VII	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local Area (YES/NO)	राज्य State	जिला District	परियोजना अवधि Project Duration	परियोजना के लिए आबंटित राशि Amount allocated for the project	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में) Amount spent in the FY (in ₹)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित कि गई राशि (₹ में) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6) (in ₹)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) Mode of Implementation -Direct (YES/NO)	कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए कार्यान्वयन का तरीका - सीएसआर पंजीकरण संख्या Mode of Implementation Through Implementing Agency – CSR Regn No.	नाम Name	जारी (हाँ/नहीं) Ongoing (Yes/No)
27.	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) कार्यान्वयन एजेंसी - सेल्युलर एवं आणविक प्लेटफार्म केंद्र सी कैंप के जरिए Federation of Indian Chamber Of Commerce and Industry (FICCI) through Implementing Agency – Centre for Cellular and Molecular Platforms C Camp	कौशल विकास Skill Development	हाँ/Yes	अखिल भारत PAN INDIA	अखिल भारत PAN INDIA	एक वर्ष/ One Year	50000000.00	50000000.00	0.00	नहीं/No	CSR00004220	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) कार्यान्वयन एजेंसी - सेल्युलर एवं आणविक प्लेटफार्म केंद्र सी कैंप के जरिए Federation of Indian Chamber Of Commerce and Industry (FICCI) through Implementing Agency – Centre for Cellular and Molecular Platforms C Camp	हाँ/Yes
28.	विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट Vivekananda Kendra Vidyalayas Arunachal Pradesh Trust	स्वास्थ्य/Health	नहीं/No	अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh	चांगलांग, पापुम पारे, निचली दिबांग घाटी, लोहित, पूर्वी सियांग, लोंगडिंग, पक्के केसांग, पश्चिम सियांग, क्रा दद्दी, पश्चिम कामेंग, तवांग, पूर्वी कामेंग जिला, लोअर सुबनसिरी, लेपा राडा, अंजॉ, दिबांग घाटी। Changlang, Papum Pare, Lower Dibang Valley, Lohit, East Siang, Longding, Pakke Kessang, West Siang, Kra Daddi, West Kameng, Tawang, East Kameng District, Lower Subansiri, Lepa Rada, Anjaw, Dibang Valley.	एक वर्ष/ One Year	31998750.00	0.00	31998750.00	नहीं/No	-	विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट Vivekananda Kendra Vidyalayas Arunachal Pradesh Trust	हाँ/Yes

क्र. सं. S. No.	परियोजना अथवा गतिविधि का नाम Name of the Project or Activity	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद Item from the list of Activities in Schedule VII	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local Area (YES/NO)	राज्य State	जिला District	परियोजना अवधि Project Duration	परियोजना के लिए आबंटित राशि Amount allocated for the project	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में) Amount spent in the FY (in ₹)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित कि गई राशि (₹ में) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6) (in ₹)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) Mode of Implementation -Direct (YES/NO)	कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए कार्यान्वयन का तरीका - सीएसआर पंजीकरण संख्या Mode of Implementation Through Implementing Agency - CSR Regn No.	नाम Name	जारी (हाँ/नहीं) Ongoing (Yes/No)
29.	स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर-स्टेट लिविंग (एसईआईएल) Student's Experience in Inter-State Living (SEIL)	शिक्षा/Education	हाँ/Yes	दिल्ली Delhi	दिल्ली Delhi	एक वर्ष/ One Year	10000000.00	0.00	10000000.00	नहीं/No	CSR00026143	स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर-स्टेट लिविंग (एसईआईएल) Student's Experience in Inter-State Living (SEIL)	हाँ/Yes
30.	विश्व मैत्री फाउंडेशन Vishwa Maitri Foundation	शिक्षा/Education	हाँ/Yes	दिल्ली Delhi	दिल्ली Delhi	एक वर्ष/ One Year	20000000.00	0.00	20000000.00	नहीं/No	CSR00082911	विश्व मैत्री फाउंडेशन Vishwa Maitri Foundation	हाँ/Yes
31.	आकांक्षी जिला राजगढ़ Aspirational District Rajgarh	स्वास्थ्य/Health	नहीं/No	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	राजगढ़ Rajgarh	एक वर्ष/ One Year	100000000.00	100000000.00	0.00	नहीं/No	-	आकांक्षी जिला राजगढ़ Aspirational District Rajgarh	हाँ/Yes
32.	स्वच्छता कार्य योजना SWACHATA ACTION PAN	स्वच्छता Sanitation	हाँ/Yes	अखिल भारत PAN INDIA	अखिल भारत PAN INDIA	एक वर्ष/ One Year	1600000.00	510414.99	0.00	हाँ/Yes	-	स्वच्छता कार्य योजना SWACHATA ACTION PAN	नहीं/No
33.	प्रशासनिक व्यय Administrative Expenses	-	-	महाराष्ट्र Maharashtra	मुंबई Mumbai	एक वर्ष/ One Year	3500000.00	540949.50	2047300.00	नहीं/No	-	प्रशासनिक व्यय Administrative Expenses	हाँ/Yes
			कुल/TOTAL				426300205.00	282096422.5	142201663				

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, अ प्र नि, ईसीजीसी लिमिटेड, नरीमन पॉइंट शाखा के पॉलिसी धारक मेसर्स अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ₹10.13 करोड़ रुपये का दावा चेक सौंपते हुए।

Shri Sristiraj Ambastha, CMD, ECGC Ltd. handing over a claim cheque of ₹10.13 crore to policyholder M/s Apar Industries Ltd. of Nariman Point Branch.

श्रीमती शिवशंकरी एम, उ म प्र एवं क्षेत्रीय प्रबंधक (दक्षिणी क्षेत्र) बैंगलोर शाखा के पॉलिसी धारक मेसर्स सिल्वर क्रेस्ट को ₹10 करोड़ रुपये का दावा चेक सौंपते हुए।

Mrs. Sivasankari M, DGM & Regional Manager (Southern Region) handing over a claim cheque of ₹10 crore to policyholder M/s Silver Crest of Bangalore Branch.

गुड़गांव शाखा द्वारा पॉलिसी धारक मेसर्स मॉडेलेमा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹6.45 करोड़ रुपये का दावा चेक भुगतान किया गया।

The claim cheque of ₹6.45 crore paid to policyholder M/s Modelama Exports Pvt Ltd by Gurgaon Branch.

पॉलिसी धारक मैट्रिक्स क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड को नई दिल्ली शाखा द्वारा ₹10.72 करोड़ रुपये का दावा चेक भुगतान किया गया।

Claim cheque of ₹10.72 crore paid to policyholder, M/s Matrix Clothing Pvt Ltd by New Delhi Branch.

इंदौर शाखा द्वारा पॉलिसी धारक, इको गोल्ड न्यूट्री एंड ऑर्गेनिक्स एलएलपी को ₹6.02 करोड़ रुपये का दावा चेक भुगतान किया गया।

Claim cheque of ₹6.02 crore paid to policyholder, M/s Eco Gold Nutri and Organics LLP by Indore Branch.

श्री नीरज गुप्ता, उप महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक (पूर्वी क्षेत्र), ईसीआईबी रक्षा के अंतर्गत ₹ 7.44 करोड़ रुपये का चेक इंडियन बैंक, कोलकाता के महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार सिंह को सौंपते हुए।

Shri Niraj Gupta, DGM and Regional Manager (Eastern Region) handing over a cheque of ₹ 7.44 crore under ECIB cover to Shri Rajesh Kumar Singh, GM, Indian Bank, Kolkata.

श्री साकेत कुमार, सहायक महाप्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक (अहमदाबाद शाखा) बैंक ऑफ बड़ौदा, अहमदाबाद को ईसीआईबी रक्षा के अंतर्गत ₹6.57 करोड़ रुपये का चेक सौंपते हुए।

Shri Saket Kumar, AGM & Branch Manager (Ahmedabad Branch) handing over cheque of ₹6.57 crore under ECIB cover to Bank of Baroda, Ahmedabad.

'एक पेड़ माँ के नाम', स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत पौधारोपन अभियान गतिविधि।

'Ek Ped Maa Ke Naam', plantation drive activity carried out under Swachhata Hi Sewa 2024 Campaign.

परिशिष्ट II से अनुलग्नक III
Appendix II to Annexure III

सीएसआर परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन: सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच), तिरुपूर में कैंसर देखभाल परियोजना जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रभाव आकलन रिपोर्ट सारांश।

IMPACT ASSESSMENT FOR COMPANY'S CSR INITIATIVE AT 'GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL (GMCH), TIRUPPUR': IMPACT ASSESSMENT REPORT SUMMARY BY GPCL CONSULTING SERVICES LTD.

ईसीजीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)

ECGC LIMITED
(A Government of India Enterprise)

अंतिम रिपोर्ट
सीएसआर परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन
'सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच), तिरुपूर में कैंसर देखभाल परियोजना'

रोटरी प्राइम ट्रस्ट के सहयोग से ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित एक सीएसआर पहल
सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, तिरुपूर द्वारा कार्यान्वित

प्रस्तुतकर्ता:

जी पी सी एल कंसल्टिंग सर्विसेस लिमिटेड
मेकर चेम्बर्स IV, 8वी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 भारत,
ई-मेल: gcs@gpcl.in; वेब: www.gpcl.in
मई 2025

FINAL REPORT
IMPACT ASSESSMENT STUDY OF CSR PROJECT
'Cancer Care Project at Government Medical College and Hospital (GMCH), Tiruppur'

A CSR Initiative funded by ECGC Limited, in association with Rotary Prime Trust
Implemented by - Government Medical College and Hospital, Tiruppur

Submitted by:

GPCL Consulting Services Limited
Maker Chamber IV, 8th Floor, Nariman Point, Mumbai 400021 INDIA
Email: gcs@gpcl.in; Web: www.gpcl.in
May 2025

कार्यकारी सारांश

रिपोर्ट में तिरुपुर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में निर्माणाधीन कैंसर केयर सेंटर के प्रभाव का आकलन प्रस्तुत किया गया है, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड, रोटरी प्राइम ट्रस्ट तथा तमिलनाडु सरकार की सार्वजनिक-निजी उपक्रमों की भागीदारी के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। यह पहल गैर-संक्रमणकारी रोगों, विशेष रूप से कैंसर के बढ़ते भार वाले ज़िले में एक व्यापक कैंसर देखभाल सुविधा स्थापित करके स्वास्थ्य प्रणालियों की गंभीर कमी को दूर करने का प्रयास करती है।

तमिलनाडु उच्च महामारी विज्ञान संक्रमण वाले राज्यों में से एक है, जहां 2016 तक गैर-संक्रमणकारी रोगों (एनसीडी) के अधीन कुल रोग भार में 65.3% हिस्सा था। इस भार में कैंसर का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें प्रति 100,000 जनसंख्या पर 86.4 की आयु-मानकीकृत घटना दर तथा प्रति 100,000 पर 60.34 की मृत्यु दर है। सर्वेक्षण के अनुसार, तिरुपुर जिले में, जहाँ 2024 में 5,000 से अधिक कैंसर रोगी बताए गए तथा 1,500 से अधिक मामलों का जीएमसीएच में इलाज किया गया, वहाँ किफायती ऑन्कोलॉजी से संबन्धित आधार भूत संरचना का अभाव है, विशेष रूप से रेडियोथेरेपी के लिए। यह अक्सर रोगियों को, ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर समूहों को कोयंबटूर अथवा पुडुचेरी जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर) के जैसे अस्पतालों में चिकित्सा हेतु 3 सप्ताह तक इंतज़ार करने एवं 50 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के लिए मजबूर करता है।

इस कमी को पूर्ण करने के लिए, तिरुपुर कैंसर केंद्र परियोजना की संकल्पना दो चरणों में की गई थी, जिसमें मूलभूत संरचना के विकास के साथ-साथ उपकरणों की खरीद एवं दैनिक एकीकरण को भी शामिल किया गया। पहले चरण में एक समर्पित रेडियोथेरेपी इकाई शामिल है जिसमें एक लीनियर एक्सेलरेटर (एल आई एन ए सी) तथा सहायक सेवाएँ शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में एक चार-मंजिला कैंसर देखभाल सुविधा शामिल है जिसमें बाह्य रोगी परामर्श, कीमोथेरेपी, निदान (पी ई टी, सी टी), शल्य चिकित्सा एवं अंतःरोगी देखभाल विभाग शामिल हैं। परियोजना की अनुमानित कुल लागत ₹97 करोड़ है, जिसमें से वर्तमान चरण के अधीन ₹16.5 करोड़ पहले ही जुटाए जा चुके हैं।

मई 2025 तक हुई प्रमुख प्रगति में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रेडियोथेरेपी बंकर का 70% से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसमें एल आई एन ए सी पहले ही खरीद लिया गया है तथा साइट पर उसे संग्रहित किया जा चुका है।
- सर्जिकल थिएटर, आई सी यू, सामान्य वार्ड, डायग्नोस्टिक इकाइयों और रेडियोथेरेपी कक्षों को एक लंबवत ज़ोन लेआउट में समायोजित करने वाली फ्लोर प्लान को अंतिम रूप देना।
- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) तथा तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएनएमएससी) के साथ मूलभूत संरचना एवं उपकरणों के लिए अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
- उच्च-ऊर्जा रेडियोथेरेपी प्रणालियों (LINAC, Co-60 ब्रैकीथेरेपी), गामा कैमरा तथा सीटी सिमुलेटर की खरीद योजना, नैदानिक स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने एवं अपव्यय को कम करने के लिए चरणबद्ध नीति।
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल के लिए उपकरण निर्माताओं के सहयोग से, संरचित स्टाफ प्रशिक्षण प्रगति पर है।

Executive Summary

The report presents an impact assessment of the Cancer Care Center under development at Government Medical College and Hospital (GMCH), Tiruppur, funded through a public-private partnership involving ECGC Ltd., Rotary Prime Trust and the Government of Tamil Nadu. The initiative addresses a critical health systems gap by establishing a comprehensive cancer care facility in a district with a growing burden of non-communicable diseases, particularly cancer.

Tamil Nadu is among the states experiencing a high epidemiological transition, where non-communicable diseases (NCDs) accounted for 65.3% of the total disease burden as of 2016. Cancer remains a significant contributor to this burden, with an age-standardized incidence rate of 86.4 per 100,000 population and a mortality rate of 60.34 per 100,000. As per the survey, Tiruppur district, with over 5,000 cancer patients reported in 2024 and more than 1,500 cases treated at GMCH, lacks affordable oncology infrastructure, particularly for radiotherapy. This often compels patients, mostly from economically vulnerable groups to travel over 50 kilometres to tertiary hospitals in Coimbatore or Puducherry [Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research (JIPMER)], facing treatment delays of up to 3 weeks and increased out-of-pocket expenditure (OOPE).

To address this gap, the Tiruppur Cancer Center project was conceptualized in two phases, combining infrastructure development with equipment procurement and clinical integration. Phase I includes a dedicated radiotherapy unit with a Linear Accelerator (LINAC) and support services, while Phase II involves a four-storey cancer care facility with departments for outpatient consultation, chemotherapy, diagnostics (PET, CT), surgery and inpatient care. The estimated total project cost is ₹97 crores, with ₹16.5 crores already mobilized under the current phase.

As of May 2025, key progress includes:

- Completion of over 70% of the radiotherapy bunker, with LINAC already procured and stored on-site.
- Finalization of floor plans accommodating surgical theatres, ICUs, general wards, diagnostic units and radiotherapy rooms in a vertically zoned layout.
- Approval processes for infrastructure and equipment underway with the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) and Tamil Nadu Medical Services Corporation Limited (TNMSC).
- Procurement planning for high-energy radiotherapy systems (LINAC, Co-60 brachytherapy), gamma camera and CT simulators, phased strategically to ensure clinical readiness and reduce wastage.
- Structured staff training in progress, with support from equipment manufacturers for domestic and international modules.

मुख्य निष्कर्ष

हालांकि जारी निर्माण कार्य के कारण इस चरण में परियोजना के प्रभाव को सीधे मापा नहीं जा सकता है, परंतु हितधारकों के साक्षात्कारों के साथ द्वितीयक डेटा विश्लेषण

सहित मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करके इसका आकलन किया गया है।

मुख्य निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्तमान रोगियों में स्तन, सिर एवं गर्दन, मुख एवं फेफड़ों के कैंसर का उच्च प्रसार।
- कीमोथेरेपी तथा रेडियोथेरेपी एपिसोड की अप्रत्यक्ष लागत य46,868 प्रति माह अनुमानित है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति एपिसोड य25,173 अतिरिक्त व्यय शामिल है।
- रेडियोथेरेपी से संबंधित विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय (सी एच ई) 83.2% तक पहुँच गया है, जो रोगियों की वित्तीय कमज़ोरी को दर्शाता है।
- रोगी वर्तमान सेवाओं (सर्जरी, कीमोथेरेपी) से काफ़ी संतुष्ट हैं तथा उपलब्ध होने पर स्थानीय स्तर पर रेडियोथेरेपी एवं दैनिक सेवाओं को प्राथमिकता दिया जाता है।

रिपोर्ट में कई गंभीर चुनौतियों की पहचान की गई है, जैसे अपर्याप्त ऑन्कोलॉजी स्टाफ़, अस्पताल के रिकॉर्ड का सीमित डिजिटलीकरण, अनुमोदन में नौकरशाही की विलंबता एवं चिकित्सा कर्मचारियों पर परिचालन संबंधी भार। हालाँकि, इनके साथ कुछ मज़बूत कारक भी जुड़े हैं: सुनियोजित मूलभूत संरचना, चरणबद्ध वित्त पोषण, सरकारी नीतिगत संरेखण तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) जैसी योजनाओं के साथ इसका संभावित एकीकरण।

सिफ़ारिशें

इस मूल्यांकन में दी गई सिफ़ारिशें विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) एवं आई ए ई ए के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं तथा इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- संरचित भर्ती एवं प्रशिक्षण के माध्यम से ऑन्कोलॉजी कार्यबल को मज़बूत करना;
- शीघ्र नियामक संरेखण के माध्यम से रेडियोथेरेपी कमीशनिंग को सुव्यवस्थित करना;
- डिजिटल स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच एम आई एस) एवं रेफरल मार्गों का उपयोग करते हुए सेवा वितरण को एकीकृत करना;
- स्वास्थ्य बीमा रक्षा एवं रोगी नेविगेशन सेवाओं के माध्यम से आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओ ओ पी ई) को कम करना
- परिणामों पर नज़र रखने के लिए निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणालियों को संस्थागत बनाना;
- तकनीकी सहायता एवं दीर्घावधि स्थिरता के लिए साझेदारी स्थापित करना।

Key Findings

The impact of the project, although not directly measurable at this stage due to ongoing construction, has been assessed using a mixed-methods approach combining secondary data analysis with stakeholder interviews.

Key findings include:

- High prevalence of breast, head and neck, oral and lung cancers among current patients.
- Indirect cost for chemotherapy and radiotherapy episodes estimated at `46,868 per month, with hospitalizations costing an additional `25,173 per episode.
- Catastrophic Health Expenditure (CHE) related to radiotherapy is as high as 83.2%, underscoring the financial vulnerability of patients.
- Patients report significant satisfaction with existing services (surgery, chemotherapy) and a strong preference for availing radiotherapy and diagnostics locally once available.

The report identifies several critical challenges such as inadequate oncology staffing, limited digitization of hospital records, bureaucratic delays in approvals and operational burden on existing medical staff. However, these are accompanied by strong enablers: well-planned infrastructure, phased funding, government policy alignment and potential integration with schemes like Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY).

Recommendations:

Recommendations offered in this assessment are based on World Health Organization (WHO) and IAEA guidelines and include:

- Strengthening the oncology workforce through structured recruitment and training;
- Streamlining radiotherapy commissioning through early regulatory alignment;
- Integrating service delivery using digitized Health Management Information System (HMIS) and referral pathways;
- Reducing Out-of-Pocket Expenditure (OOPE) via health insurance coverage and patient navigation services
- Institutionalizing monitoring and evaluation systems for outcome tracking;
- Establishing partnerships for technical support and long-term sustainability.

जी एम सी एच तिरुपुर एक बार में कैंसर देखभाल केंद्र के आरंभ हो जाने पर, एक क्षेत्रीय रेफरल केंद्र बनने की संभावना है, जिसके माध्यम से न केवल तिरुपुर अपितु इरोड, नीलगिरी, करूर एवं डंडीगुल जैसे पड़ोसी जिलों को भी सेवा प्रदान की जाएगी। उपचार में विलंब, वित्तीय बोझ एवं देखभाल में रुकावट को कम कर, यह परियोजना भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्य के अनुरूप होगी जिसके अधीन 2025 तक कैंसर से होने वाली असामयिक मृत्यु दर को 25% तक कम किए जाने की संभावना है। यह विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण में सार्वजनिक-सीएसआर सहयोग के लिए एक अनुकरणीय मॉडल भी प्रस्तुत करती है।

इस रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि यद्यपि यह परियोजना वर्तमान में अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, यह एक सु-नीतिक, उच्च-प्रभाव वाली पहल है, जिसमें तमिलनाडु में कैंसर देखभाल की पहुँच एवं साझेदारी में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की क्षमता है।

'आकांक्षी जिला, राजगढ़, मध्य प्रदेश' में कंपनी की सीएसआर पहलों का प्रभाव
मूल्यांकन: जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सारांश

ईसीजीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)

अंतिम रिपोर्ट
'3 सीएसआर परियोजनाओं' का प्रभाव आकलन अध्ययन

1. 200 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएँ स्थापित करना

2. 30 सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएँ स्थापित करना

3. मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर ब्लॉक में 313 आंगनवाड़ी केंद्रों को बुनियादी ढाँचा प्रदान करना

ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित एक सीएसआर पहल, कार्यान्वित - जिला प्रशासन, राजगढ़ जिला, मध्य प्रदेश

प्रस्तुतकर्ता:

जी पी सी एल कंसल्टिंग सर्विसेस लिमिटेड
मेकर चेम्बर्स IV, 8वी मंजिल, नरीमन पॉइंट,
मुंबई 400021 भारत,
ई-मेल : gcs@gpcl.in; वेब:www.gpcl.in
मई 2025

The Cancer Care Center at GMCH Tiruppur, once operational, is expected to become a regional referral hub, serving not just Tiruppur but also neighboring districts like Erode, Nilgiris, Karur and Dindigul. By reducing treatment delays, financial burden and care discontinuity, the project aligns with India's National Health Policy 2017 goal of reducing premature mortality from cancer by 25% by 2025. It also offers a replicable model for public–CSR collaboration in decentralizing specialized health services.

This report concludes that while the project is currently in its preparatory phase, it is a well-strategized, high-impact initiative with the potential to significantly transform cancer care access and equity in Tamil Nadu.

IMPACT ASSESSMENT FOR COMPANY'S CSR INITIATIVES IN THE 'ASPIRATIONAL DISTRICT, RAJGARH, MADHYA PRADESH': IMPACT ASSESSMENT REPORT SUMMARY BY GPCL CONSULTING SERVICES LTD.

ECGC LIMITED
(A Government of India Enterprise)

FINAL REPORT
IMPACT ASSESSMENT STUDY OF '3 CSR PROJECTS' FOR

1. Setting Up Smart Classrooms in 200 Government Schools
2. Establishing Science Laboratories in 30 Government Schools
3. Providing Basic Infrastructure to 313 Anganwadi Centres in Zirapur Block in Rajgarh District, Madhya Pradesh

A CSR Initiative funded by ECGC Limited,
Implemented by - District Administration Rajgarh District, Madhya Pradesh

Submitted by:

GPCL Consulting Services Limited
Maker Chamber IV, 8th Floor, Nariman Point,
Mumbai 400021 INDIA
Email: gcs@gpcl.in; Web: www.gpcl.in
May 2025

कार्यकारी सारांश

यह एकीकृत प्रभाव आकलन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान ईसीजीसी लिमिटेड (ईसीजीसी) द्वारा वित्त पोषित एवं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित तीन ऐतिहासिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के परिणामों को समेकित करती है। इन पहलों का उद्देश्य मूलभूत अवसंरचना के उन्नयन, डिजिटल समावेशन एवं बेहतर सेवा वितरण तंत्र के माध्यम से आकांक्षी जिला राजगढ़ में सार्वजनिक शिक्षा एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में प्रणालीगत अंतराल को दूर करना था। परियोजनाओं में शामिल हैं:

1. 200 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएँ स्थापित करना
2. 30 सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएँ स्थापित करना
3. जीरापुर ब्लॉक में 313 आँगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को बुनियादी ढाँचा प्रदान करना

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) के अनुरूप, इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य सामूहिक रूप से राजगढ़ के शिक्षण और देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल शिक्षण सहायक सामग्री, अनुभवात्मक विज्ञान शिक्षण और वंचित क्षेत्रों में बाल-अनुकूल बुनियादी ढाँचे की शुरुआत करके बदलना था।

प्रभाव मूल्यांकन में मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग किया गया, जिसमें क्षेत्र भ्रमण, हितधारक परामर्श, भौतिक संपत्ति सत्यापन, फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) और प्रमुख सूचनादाता साक्षात्कार (केआईआई) शामिल थे। संचयी निष्कर्ष सार्वजनिक संस्थानों में छात्र जुड़ाव, शिक्षक प्रभावशीलता, बच्चों की उपस्थिति और सामुदायिक विश्वास में उल्लेखनीय सुधार दर्शाते हैं।

प्रभाव मूल्यांकन से परियोजना की मुख्य विशेषताएँ:

1 स्मार्ट क्लासरूम पहल

- 200 डिजिटल क्लासरूम 75'' इंटरैक्टिव पैनल, यूपीएस सिस्टम, वेबकैम एवं ओपीएस इकाइयों से सुसज्जित।
- बेहतर उपस्थिति और बोर्ड परीक्षा परिणाम (उदाहरण के लिए, शासकीय मॉडल स्कूल, नरसिंहपुर: 100% उत्तीर्ण दर)।
- विज्ञान, गणित और भाषा विषयों में छात्रों की रुचि में वृद्धि।
- मल्टीमीडिया सामग्री के माध्यम से शिक्षण दक्षता में वृद्धि।

2. विज्ञान प्रयोगशाला पहल

- 30 स्कूल व्यापक जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला किट और उपकरणों से सुसज्जित।
- संचालित स्कूलों में ठोस शैक्षणिक सुधार (15-20%)।
- स्टेम में महिला छात्रों की रुचि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से शिक्षक-छात्र संपर्क का मजबूत किया।

3. आंगनवाड़ी अवसंरचना परियोजना

- 313 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए उपयुक्त फर्नीचर, खेल किट, पानी फिल्टर, बर्तन एवं नैदानिक उपकरण उपलब्ध हैं।
- आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की दैनिक उपस्थिति में 20% की वृद्धि।
- मिशन नीव (नवजात प्रारंभिक मूल्यांकन विजन) के साथ संरेखित बेहतर सेवा वितरण।
- माता-पिता की अधिक भागीदारी एवं सशक्त सामुदायिक स्वामित्व।

Executive Summary

This Integrated Impact Assessment Report consolidates the outcomes of three landmark Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives funded by ECGC Limited (ECGC) and implemented by the District Administration of Rajgarh, Madhya Pradesh during the financial year 2023–2024. These initiatives aimed to address systemic gaps in public education and early childhood care across the Aspirational District Rajgarh through infrastructure upgrades, digital inclusion and improved service delivery mechanisms. The projects include:

1. Setting Up Smart Classrooms in 200 Government Schools
2. Establishing Science Laboratories in 30 Government Schools
3. Providing Basic Infrastructure to 313 Anganwadi Centres (AWCs) in Zirapur Block

Aligned with India's National Education Policy (NEP) 2020 and Sustainable Development Goal 4 (SDG 4), these interventions collectively sought to transform the learning and caregiving ecosystems of Rajgarh by introducing digital teaching aids, experiential science learning and child- friendly infrastructure in underserved areas.

The impact assessment employed a mixed-methods approach, including field visits, stakeholder consultations, physical asset verification, focus group discussions (FGDs) and key informant interviews (KIIs). The cumulative findings reflect significant improvements in student engagement, teacher effectiveness, child attendance and community trust in public institutions.

Key Highlights of the project from the impact assessment:

1. Smart Classrooms Initiative

- 200 digital classrooms equipped with 75" interactive panels, UPS systems, webcams and OPS units.
- Improved attendance and board exam results (e.g., Government Model School, Narsinghpur: 100% pass rate).
- Increased student interest in Science, Mathematics and Language subjects.
- Enhanced teaching efficiency through multimedia content.

2. Science Lab Initiative

- 30 schools equipped with comprehensive Biology, Physics and Chemistry lab kits and apparatus.
- Tangible academic improvement (15–20%) in operational schools.
- Notable increase in female student interest in STEM.
- Strengthened teacher-student interaction through practical demonstrations.

3. Anganwadi Infrastructure Project

- 313 AWCs equipped with child-sized furniture, play kits, water filters, utensils and diagnostic tools.
- 20% rise in daily child attendance across AWCs.
- Improved service delivery aligned with Mission NEEV (Neonatal Early Evaluation Vision).
- Greater parental involvement and stronger community ownership.

परस्पर संबंधित चुनौतियाँ:

- बिजली आपूर्ति की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अविश्वसनीयता ने स्मार्ट कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के उपयोग को बाधित किया।
- संरचित प्रशिक्षण का अभाव: लगभग 70% शिक्षकों और अधिकांश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (ए डब्ल्यू डब्ल्यू एस) के पास डिजिटल या वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था।
- पाठ्यक्रम में कमियाँ: हिंदी में स्थानीयकृत डिजिटल सामग्री का अभाव स्मार्ट कक्षाओं में सीखने के परिणामों में बाधा उत्पन्न करता था।
- रखरखाव तंत्र: उपभोग्य सामग्रियों की पुनःपूर्ति या डिजिटल/प्रयोगशाला उपकरणों की सर्विसिंग के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी।
- बुनियादी ढाँचे की तुलना में उच्च छात्र भार: उच्च नामांकन वाले स्कूलों में सीमित डिजिटल/प्रयोगशाला सुविधाओं के कारण कम उपयोग हुआ।

विशिष्ट चुनौतियाँ -प्रमुख विशिष्ट परियोजना:

1. स्मार्ट कक्षाएँ

- उच्च नामांकन वाले स्कूलों में डिजिटल असमानता स्कूल: 800 से ज़्यादा छात्रों वाले कुछ स्कूलों में केवल एक ही डिजिटल कक्षा थी, जिससे असमान पहुँच की समस्या उत्पन्न हुई।
- मध्य प्रदेश बोर्ड पाठ्यक्रम के लिए हिंदी में स्थानीयकृत ई-सामग्री की कमी के कारण गैर-संरेखित स्रोतों पर निर्भरता बढ़ गई।

2. विज्ञान प्रयोगशालाएँ

- कक्षों की कमी: कई स्कूलों में निर्धारित प्रयोगशाला स्थानों का अभाव था, जिससे सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद स्थापना में देरी हुई।
- शिक्षक अभिविन्यास: प्रयोगशाला शिक्षण से अपरिचित शिक्षकों को पाठ योजनाओं में उपकरणों को शामिल करने में कठिनाई हुई।
- कोई उपभोग्य बजट नहीं: रसायनों और कांच के बर्तनों की वार्षिक पुनःपूर्ति के लिए एक निश्चित योजना का अभाव।

3. आंगनवाड़ी केंद्र

- सुरक्षा समस्याएं: बिना दीवार अथवा सुरक्षित भंडारण वाले आंगनवाड़ी केंद्रों में चोरी एवं तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं।
- सामयिक प्रवास: ग्रीष्मकाल के पश्चात निजी स्कूलों में स्थानांतरण से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) की निरंतरता बाधित हुई।
- पानी की कमी: कई केन्द्रों में क्रियाशील नल अथवा स्वच्छता एवं खाना पकाने के लिए सुरक्षित जल आपूर्ति का अभाव था।
- सुदूर अभिगम: जनजातीय अथवा सुदूर बस्तियों को निकटतम आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

रणनीतिक सुझाव:

इन हस्तक्षेपों के दीर्घावधि प्रभाव को अधिकतम करने के लिए, निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं:

- शिक्षक और कार्यकर्ता क्षमता निर्माण: तिमाही व्यावहारिक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या सत्र आयोजित करें।

Cross-Cutting Challenges:

- Power Supply Deficiency: Unreliable electricity in rural areas disrupted smart classroom and lab usage.
- Lack of Structured Training: ~70% of teachers and most Anganwadi Workers (AWWs) lacked formal training in digital or scientific equipment usage.
- Curriculum Gaps: Absence of localized digital content in Hindi hindered learning outcomes in smart classrooms.
- Maintenance Mechanisms: No formal systems in place for replenishing consumables or servicing digital/lab equipment.
- High Student Load vis-a-vis Infrastructure: Limited digital/lab facilities in high-enrolment schools led to underutilization.

Project-Specific Unique Challenges:

1. Smart Classrooms

- Digital Inequity in high-enrolment schools: Some schools with 800+ students had only one digital classroom, causing inequitable access.
- Inadequate localized e-content in Hindi for MP Board curriculum led to dependence on non-aligned sources.

2. Science Labs

- Room Shortages: Many schools lacked designated lab spaces, delaying setup despite material availability.
- Teacher Orientation: Teachers unfamiliar with lab pedagogy struggled to incorporate equipment into lesson plans.
- No Consumables Budget: Lack of a defined plan for annual replenishment of chemicals and glassware.

3. Anganwadi Centres

- Security Issues: Theft and vandalism occurred in AWCs without compound walls or secure storage.
- Seasonal Migration: Post-summer migration to private schools disrupted Early Childhood Care and Education (ECCE) continuity.
- Water Shortages: Several centres lacked functional taps or safe water supply for sanitation and cooking.
- Remote Access: Tribal or distant hamlets faced logistical challenges in accessing nearest AWCs.

Strategic Recommendations:

To maximize the long-term impact of these interventions, the following recommendations are proposed:

- Teacher and Worker Capacity Building: Organize quarterly hands-on training and refresher sessions.

- स्थानीयकृत सामग्री विकास: हिंदी में पाठ्यक्रम-संरेखित डिजिटल सामग्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड/एससीईआरटी के साथ सहयोग करें।
- सौर और बैकअप पावर: स्मार्ट कक्षाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सौर ऊर्जा संचालित प्रणालियों को प्राथमिकता दें।
- निगरानी डैशबोर्ड: उपयोग, उपकरणों की स्थिति और प्रदर्शन मानकों पर नज़र रखने के लिए ज़िला-स्तरीय डैशबोर्ड विकसित करें।
- सामुदायिक सहभागिता: संपत्ति की देखभाल, प्रतिक्रिया और स्थिरता योजना में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी), ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी) और पंचायतों को शामिल करें।
- अवसंरचना का विस्तार: अधिकतम नामांकन वाले स्कूलों में अतिरिक्त स्मार्ट/लैब कक्ष स्थापित करें एवं सुदूर के क्षेत्रों के लिए मोबाइल आंगनवाड़ी केंद्र मॉडल बनाएं।

निष्कर्ष:

ये तीन एकीकृत हस्तक्षेप डिजिटल इक्विटी, स्टेम समावेशन एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था सशक्तिकरण पर केंद्रित सीएसआर-संचालित विकास के एक मापनीय एवं अनुकरणीय मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिवर्तनकारी परिणाम - बेहतर शिक्षण परिणाम, समुदाय में विश्वास में वृद्धि एवं बेहतर सेवा वितरण - भारत की विकास यात्रा में एक प्रतिबद्ध भागीदार के रूप में ईसीजीसी की भूमिका को दर्शाते हैं। निरंतर सहभागिता, नीतिगत अभिसरण एवं रणनीतिक उन्नयन के साथ, यह मॉडल भारत के अन्य आकांक्षी जिलों में भविष्य के हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन कर सकता है।

कंपनी की सीएसआर पहलों का प्रभाव मूल्यांकन 'पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं': जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सारांश।

ईसीजीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)

अंतिम रिपोर्ट
'भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं' के लिए सी एस आर परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित एक सी एस आर पहल
केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (के एस बी) द्वारा कार्यान्वित

प्रस्तुतकर्ता:

जी पी सी एल कंसल्टिंग सर्विसेस लिमिटेड
मेकर चेम्बर्स IV, 8वी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 भारत,
ई-मेल: gcs@gpcl.in; वेब:www.gpcl.in
मई 2025

- Localized Content Development: Collaborate with MP Board/SCERT to create curriculum-aligned digital content in Hindi.
- Solar and Backup Power: Prioritize solar-powered systems for smart classrooms and AWCs.
- Monitoring Dashboard: Develop district-level dashboards to track usage, equipment health and performance metrics.
- Community Engagement: Involve School Management Committees (SMCs), Village Health, Sanitation and Nutrition Committee (VHSNCs) and Panchayats in asset care, feedback and sustainability planning.
- Infrastructure Expansion: Install additional smart/lab rooms in high-enrolment schools and create mobile AWC models for remote areas.

Conclusion:

These three integrated interventions represent a scalable and replicable model of CSR-driven development focused on digital equity, STE M inclusion and early childhood empowerment. The transformative outcomes—evidenced by improved learning outcomes, increased community trust and enhanced service delivery—demonstrate ECGC's role as a committed partner in India's developmental journey. With sustained engagement, policy convergence and strategic upscaling, this model can guide future interventions across other Aspirational Districts of India.

IMPACT ASSESSMENT FOR COMPANY'S CSR INITIATIVES 'WELFARE SCHEMES FOR THE WELFARE OF EX-SERVICEMEN AND THEIR DEPENDENTS': IMPACT ASSESSMENT REPORT SUMMARY BY GPCL CONSULTING SERVICES LTD.

ECGC LIMITED
(A Government of India Enterprise)

FINAL REPORT
IMPACT ASSESSMENT STUDY OF CSR PROJECT FOR 'Welfare Schemes for the Welfare of Ex-Servicemen and their Dependents'

A CSR Initiative funded by ECGC Limited,
Implemented by - KENDRIYA SAINIK BOARD (KSB)

Submitted by:

GPCL Consulting Services Limited
Maker Chamber IV, 8th Floor, Nariman Point, Mumbai 400021 INDIA
Email: gcs@gpcl.in; Web: www.gpcl.in
May 2025

कार्यकारी सारांश

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) के जरिए समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत, ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान शिक्षा अनुदान कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय सैनिक बोर्ड (के एस बी) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवं दिव्यांग सैनिकों के आश्रितों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूर्ण किए जाने हेतु महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक निरंतर पहुँच सुनिश्चित हो सके।

के एस बी को कुल ₹1 करोड़ का अनुदान वितरित किया गया, जिससे प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय स्तर के 834 छात्रों को सहायता प्राप्त हुई। प्रत्येक छात्र को ₹12,000 प्रतिवर्ष, एक ही किश्त में प्रदान किए जाते थे। अनुदान से आवश्यक शैक्षिक लागतों जैसे ट्यूशन फीस, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी एवं परिवहन को रक्षित किया गया, जिससे वित्तीय कठिनाई के कारण पढ़ाई छोड़ने के जोखिम को कम करने में सहायता प्राप्त हुई।

मूल्यांकन दृष्टिकोण:

इस हस्तक्षेप की प्रभावशीलता एवं प्रभाव का आकलन करने के लिए जी पी सी एल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एक मिश्रित-विधि मूल्यांकन किया गया, जिसमें शामिल थे:

- 10 से अधिक राज्यों के लाभार्थियों के माता-पिता के साथ **20 टेलीफोनिक साक्षात्कार।**
- दिल्ली मुख्यालय में के एस बी अधिकारियों के साथ **व्यक्तिगत परामर्श।**
- बार चार्ट, हीटमैप एवं रडार चार्ट सहित वर्णनात्मक सांख्यिकी एवं विषयगत विज़ुअलाइज़ेशन का उपयोग करके **डेटा विश्लेषण।**

प्रश्नावली, अनुदान उपयोग, शैक्षणिक प्रभाव, प्रेरणा, वित्तीय रियायत, पारिवारिक मनोबल एवं आवेदन तथा संवितरण प्रक्रिया द्वारा संतुष्टि पर केंद्रित थी।

मुख्य निष्कर्ष:	
डोमेन	**विशेषताएं**
विस्तार	834 छात्रों को सहायता प्रदान की गई; समग्र भारत में व्यापक भौगोलिक वितरण
वित्तीय रियायत	80% परिवारों द्वारा वित्तीय भार में उल्लेखनीय कमी रिपोर्ट की गई
शैक्षणिक प्रभाव	70% शैक्षणिक निष्पादन में सुधार देखा गया
प्रेरणा	अधिकांश छात्रों के लिए पढ़ाई पर अधिक प्रेरणा एवं ध्यान
पारिवारिक मनोबल	परिवारों द्वारा बेहतर मनोबल एवं संस्थागत समर्थन की अधिक भावना का अनुभव किया गया
प्रक्रिया संतुष्टि	80% माता-पिता आवेदन एवं संवितरण तंत्र से संतुष्ट थे

Executive Summary

As part of its commitment to inclusive development through Corporate Social Responsibility (CSR), ECGC Ltd. extended financial support to the Kendriya Sainik Board (KSB) for implementing an Education Grant Programme during FY 2023–2024. The initiative aimed to support the educational aspirations of the dependents of Armed Forces Veterans, War Widows and Disabled Soldiers by offering critical financial assistance to ensure their continued access to quality education.

A total grant of ₹1 Crore was disbursed to KSB, facilitating support for 834 students across primary, middle and high school levels. Each student received ₹12,000 per annum, paid in a single tranche. The grant covered essential educational costs such as tuition fees, books, uniforms, stationery and transportation, helping mitigate dropout risks due to financial hardship.

Evaluation Approach:

To assess the effectiveness and impact of this intervention, GPCL Consulting Services Ltd. conducted a mixed-method assessment comprising:

- **20 telephonic interviews** with parents of beneficiaries from across 10+ states.
- **In-person consultation** with KSB officials at their Delhi headquarters.
- **Data analysis** using descriptive statistics and thematic visualizations, including bar charts, heatmaps and radar charts.

The questionnaire focused on grant utilization, academic impact, motivation, financial relief, family morale and satisfaction with the application and disbursement process.

Key Findings:	
Domain	**Highlights**
Reach	834 students supported; broad geographic distribution across India
Financial Relief	80% of families reported a significant reduction in financial burden
Academic Impact	70% observed improvement in academic performance
Motivation	Enhanced motivation and focus on studies for the majority of students
Family Morale	Families experienced improved morale and a greater sense of institutional support
Process Satisfaction	80% of parents were satisfied with the application and disbursement mechanism

इक्विटी एवं समावेशन	ग्रामीण एवं शहरी लाभार्थियों के मध्य समान वितरण; युद्ध विधवाओं एवं दिव्यांग सैनिकों के परिवारों को शामिल करना
संस्थागत प्रतिक्रिया	के एस बी द्वारा कुशल कार्यान्वयन पर ध्यान दिया गया एवं निरंतर सी एस आर सहयोग के मूल्य पर बल दिया गया
एस डी जी	एस डी जी 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एस डी जी 10: असमानताओं में कमी

मूल्यांकन संरचना लागू किया गया:

कार्यक्रम का मूल्यांकन परिणाम श्रृंखला फ्रेमवर्क (इनपुट → प्रक्रिया → आउटपुट → परिणाम → प्रभाव) का उपयोग करके किया गया, जिसमें न केवल तात्कालिक परिणामों की जांच की गई, अपितु दीर्घावधि सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की भी जांच की गई।

- **इनपुट:** ईसीजीसी से वित्त पोषण एवं के एस बी से प्रशासनिक सहायता
- **प्रक्रिया:** ज़ेड एस बी के जरिए पारदर्शी आवेदन एवं संवितरण
- **परिणाम:** 834 छात्रों को समय पर अनुदान वितरण
- **परिणाम:** वित्तीय तनाव में कमी एवं छात्रों की प्रेरणा में सुधार
- **प्रभाव:** शैक्षणिक सफलता एवं सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि की दीर्घावधि संभावना

निष्कर्ष:

ईसीजीसी-के एस बी साझेदारी एक आदर्श सी एस आर हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती है, जो प्रभावी वित्तीय सहायता को उच्च प्रभाव वाले सामाजिक कल्याण एजेंडे के साथ जोड़ती है।

इसके न केवल सैन्य परिवारों के बच्चों को बिना किसी व्यावधान के शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया, अपितु परिवार के मनोबल को भी सशक्त किया गया, सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास को सुदृढ़ किया गया, तथा सामाजिक-आर्थिक समावेशन के व्यापक लक्ष्य में योगदान दिया गया।

कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन, सकारात्मक परिणाम एवं लाभार्थियों की उच्च संतुष्टि, ऐसी पहलों को जारी रखने एवं बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करते हैं। शिक्षा-केंद्रित सी एस आर के जरिए भारत के रक्षा समुदाय के कल्याण के लिए ईसीजीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि किस प्रकार कॉर्पोरेट योगदान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित होकर स्थायी सामाजिक मूल्य उत्पन्न कर सकता है।

Equity & Inclusion	Equitable distribution across rural and urban beneficiaries; inclusion of war widows and disabled soldiers' families
Institutional Feedback	KSB noted efficient implementation and emphasized the value of continued CSR collaboration
SDG	SDG 4: Quality Education SDG 10: Reduced Inequalities

Assessment Framework Applied:

The program was assessed using a Results Chain Framework (Input → Process → Output → Outcome → Impact), examining not just immediate deliverables, but also longer-term socio-economic effects.

- **Input:** Funding from ECGC and administrative support from KSB
- **Process:** Transparent application and disbursement through ZSBs
- **Output:** Timely grant distribution to 834 students
- **Outcome:** Reduced financial stress and improved student motivation
- **Impact:** Long-term potential for academic success and upward social mobility

Conclusion:

The ECGC-KSB partnership serves as a model CSR intervention that combines effective financial assistance with a high-impact social welfare agenda.

It not only enabled children from military families to pursue education without disruption but also strengthened family morale, reinforced trust in public institutions, and contributed to the broader goal of socio-economic inclusion.

The program's successful execution, positive outcomes and high beneficiary satisfaction underline the importance of sustaining and scaling such initiatives. ECGC's commitment to the welfare of India's defence community through education-focused CSR demonstrates how corporate contributions can align with national priorities to generate lasting social value.

कंपनी की सीएसआर पहल संपूर्ण भारत में 5000 छात्रों को उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना - फ्यूचरप्रेन्योर्स प्रोग्राम' का प्रभाव मूल्यांकन: जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सारांश.

IMPACT ASSESSMENT FOR COMPANY'S CSR INITIATIVE OF 'IMPARTING ENTREPRENEURIAL SKILLS TO 5000 STUDENTS ACROSS INDIA - FUTUREPRENEURS PROGRAM': IMPACT ASSESSMENT REPORT SUMMARY BY GPCL CONSULTING SERVICES LTD.

ईसीजीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)

अंतिम रिपोर्ट
सीएसआर परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन:
'संपूर्ण भारत में 5000 छात्रों को उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना - फ्यूचरप्रेन्योर्स कार्यक्रम'

एसोचैम फाउंडेशन के सहयोग से,
ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वित्तपोषित एक सीएसआर पहल

प्रस्तुतकर्ता:

जी पी सी एल कंसल्टिंग सर्विसेस लिमिटेड
मेकर चेम्बर्स IV, 8वी मंजिल, नरीमन पॉइंट,
मुंबई 400021, भारत,
ई-मेल : gcs@gpcl.in; वेब:www.gpcl.in
मई 2025

ECGC LIMITED
(A Government of India Enterprise)

FINAL REPORT
IMPACT ASSESSMENT STUDY OF CSR PROJECT
'Imparting Entrepreneurial Skills To 5000 Students Across India - Futurepreneurs Program'

A CSR Initiative funded by ECGC Limited,
in association with ASSOCHAM Foundation

Submitted by:

GPCL Consulting Services Limited
Maker Chamber IV, 8th Floor, Nariman Point,
Mumbai 400021, INDIA
Email: gcs@gpcl.in ; Web: www.gpcl.in
May 2025

कार्यकारी सारांश

फ्यूचरप्रेन्योर कार्यक्रम ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित एक सीएसआर परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में 5,000 छात्रों को बुनियादी उद्यमशीलता कौशल सिखाना था। इस कार्यक्रम का प्रबंधन एसोचैम फाउंडेशन फॉर सीएसआर द्वारा किया गया तथा इसका संचालन एचएचएच फाउंडेशन द्वारा किया गया। इसकी अवधि मार्च से दिसंबर 2024 तक रही एवं इसमें ऑनलाइन कक्षाओं, विशेषज्ञ वार्ताओं तथा व्यावहारिक परियोजना कार्य का मिश्रण किया गया। छात्रों को टीआईई ग्लोबल समिट जैसे प्रमुख आयोजनों में अपने व्यावसायिक विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ।

यह रिपोर्ट इस बात की जांच करती है कि कार्यक्रम ने अपने लक्ष्य कितनी अच्छी तरह प्राप्त किए। मूल्यांकन कई कारकों पर आधारित है जैसे कि कार्यक्रम कितना प्रासंगिक था, कितने छात्रों तक यह पहुंचा, उन्होंने क्या सीखा, वे कितने जुड़े थे एवं उन्हें अभी भी किस तरह के समर्थन की आवश्यकता है।

यह कार्यक्रम शिक्षा, कौशल एवं आजीविका से संबंधित सीएसआर लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से संरेखित पाया गया। इसकी पहुँच 22 राज्यों के छात्रों तक रही, जिनमें टियर 2 एवं टियर 3 शहरों के छात्र भी शामिल थे। दिल्ली में आयोजित शुभारंभ समारोह में 3,200 से अधिक छात्र शामिल हुए तथा 5,500 से अधिक छात्र टीआईई ग्लोबल समिट में शामिल हुए। जनवरी 2025 तक, छात्रों ने 290 से अधिक व्यावसायिक परियोजना विचार (एमवीपी) प्रस्तुत किए थे।

पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से पूरा करने वाले कुछ चयनित छात्रों से प्राप्त फीडबैक से स्पष्ट रूप से सीखने में सुधार दिखाई दिए। छात्रों ने बताया कि उन्हें व्यवसायिक विचार विकास, वित्तीय नियोजन एवं नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में बेहतर समझ प्राप्त हुई है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास हुआ है।

कुछ चुनौतियाँ भी थीं। इनमें कुछ छात्रों के लिए खराब इंटरनेट सुविधा, ऐप का उपयोग करने में कठिनाई एवं शैक्षणिक दबाव के कारण सीमित समय शामिल था। अपितु कई छात्रों ने विचारों पर काम करना शुरू कर दिया, केवल कुछ ही अपने न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादों को पूर्ण करने एवं प्रस्तुत करने में सफल रहे। इससे ज्ञात होता है कि कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात छात्रों को मार्गदर्शन एवं वित्तपोषण जैसी अधिक सहायता की आवश्यकता होती है।

समस्त रूप से, फ्यूचरप्रेन्योर कार्यक्रम इस बात का एक अच्छा उदाहरण था कि किस प्रकार सीएसआर शिक्षा एवं उद्यमिता को समर्थन दे सकता है। इस परियोजना ने वास्तविक प्रभाव उत्पन्न किया है तथा भविष्य में इसके और भी अधिक बढ़ने की संभावना है।

इस पहल ने कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त किया जैसे कि ए) एसडीजी 4 - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बी) एसडीजी 8 - सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास, सी) एसडीजी 9 - उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचा एवं डी) एसडीजी 17 - लक्ष्यों के लिए साझेदारी: एचएचएचएफ, टीआईई एवं ईसीजीसी सीएसआर की विशेषता वाला एक सहयोगी मॉडल - जिसमें सरकार, कॉर्पोरेट फंडिंग एवं एनजीओ समर्थन का संयोजन है।

प्रमुख अनुशंसाएँ:

1. पाठ्यक्रम समाप्त होने के पश्चात छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए एक मेंटरशिप प्रणाली स्थापित करें।
2. छात्रों को उनके व्यवसायिक विचारों को विकसित करने में सहायता के लिए छोटे अनुदान प्रदान करें।

Executive Summary

The Futurepreneur Program was started as a CSR project funded by ECGC Limited. It aimed to teach 5,000 students across India basic entrepreneurial skills. The program was managed by the ASSOCHAM Foundation for CSR and delivered by the HHH Foundation. It ran from March to December 2024 and used a mix of online classes, expert talks and practical project work. Students also got the opportunity to present their business ideas at major events like the TiE Global Summit. This report examines how well the program achieved its goals.

The assessment is based on several factors such as how relevant the program was, how many students it reached, what they learned, how engaged they were and what support they still need.

The program was found to be well-aligned with CSR goals related to education, skills and livelihoods. It reached students from 22 states, including those from Tier 2 and Tier 3 towns. Over 3,200 students attended the launch event in Delhi and more than 5,500 joined the TiE Global Summit. By January 2025, students had submitted over 290 business project ideas (MVPs).

Feedback collected from few sampled students who fully completed the course showed clear learning improvements. Students reported better understanding in areas like business idea development, financial planning and leadership. Many said they became more confident in their abilities. There were also some challenges. These included poor internet access for some students, difficulty using the app and limited time due to academic pressure. While many students started working on ideas, only a few managed to complete and submit their Minimum Viable Products. This shows that students need more help after the program ends, such as mentorship and funding.

Overall, the Futurepreneur Program was a good example of how CSR can support education and entrepreneurship. The project created real impact and has the potential to grow even more in the future.

The initiative achieved several Sustainable Development Goals (SDGs) e.g. a) SDG 4 – Quality Education, b) SDG 8 – Decent Work & Economic Growth, c) SDG 9 – Industry, Innovation, & Infrastructure and d) SDG 17 – Partnerships for the Goals: A collaborative model featuring HHHF, TiE, and ECGC CSR—combining government, corporate funding, and NGO support.

Key Recommendations:

1. Set up a mentorship system to guide students after the course ends.
2. Provide small grants to help students build their business ideas.

3. कम इंटरनेट वाले क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए ऐप को बेहतर बनाएं।
4. अधिक छात्रों तक पहुंचने के लिए सामग्री का अधिक भाषाओं में अनुवाद करें।
5. कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए अधिक कॉलेजों एवं राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करें।

इस कार्यक्रम ने कई युवाओं को उद्यमी बनने की दिशा में पहला कदम उठाने में सहायता प्रदान की है।

3. Improve the app to work better in low internet areas.
4. Translate content into more languages to reach more students.
5. Partner with more colleges and state governments to expand the program.

This program has helped many young people take the first step towards becoming entrepreneurs.

कंपनी की सीएसआर पहल 'वंचित/बेरोजगार युवाओं के लाभ के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम' का प्रभाव मूल्यांकन: सोलस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सारांश

ईसीजीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)

अंतिम रिपोर्ट
सीएसआर परियोजना का प्रभाव आकलन अध्ययन
'वंचित/बेरोजगार युवाओं के लाभ के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम'

ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित एक सीएसआर पहल, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) द्वारा कार्यान्वित

तैयारकर्ता:

सोलेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड

IMPACT ASSESSMENT FOR COMPANY'S CSR INITIATIVE OF 'SKILL DEVELOPMENT TRAINING PROGRAMME FOR THE BENEFIT OF UNDERPRIVILEGED / UNEMPLOYED YOUTH': IMPACT ASSESSMENT REPORT SUMMARY BY SOULACE CONSULTING PVT. LTD.

ECGC LIMITED
(A Government of India Enterprise)

FINAL REPORT
IMPACT ASSESSMENT STUDY OF CSR PROJECT
'Skill Development Training Programme for the Benefit of Underprivileged / Unemployed Youth'

A CSR Initiative funded by ECGC Limited,
Implemented by - Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET)

Prepared by:

SOULACE CONSULTING PVT. LTD.

कार्यकारी सारांश

कार्यक्रम अवलोकन

अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल के अधीन वर्ष 2023-24 में ईसीजीसी द्वारा आरंभ किए गए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य 200 वंचित एवं बेरोजगार युवाओं को उद्योग-संबंधित तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करना है। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) द्वारा कार्यान्वित, इस पहल में अमृतसर, बद्दी, मुरथल, हाजीपुर, जयपुर एवं रांची स्थित छह प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य वंचित युवाओं को प्लास्टिक निर्माण क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग-संबंधित तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल से लैस करना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संरचित, रोज़गार-उन्मुख तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से रोज़गार क्षमता बढ़ाने, आजीविका को सहारा देने और दीर्घावधि सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा।

कार्यक्रम की रूपरेखा एवं सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) तथा राष्ट्रीय नीतियों के साथ संरेखण

यह पहल राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) जैसी प्रमुख राष्ट्रीय नीतियों के साथ दृढ़ता से संरेखित है। इसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), सतत विकास लक्ष्य 8 (सभ्य कार्य तथा आर्थिक विकास), व सतत विकास लक्ष्य 10 (असमानताओं में कमी) में योगदान दिया गया। प्रशिक्षण सामग्री तथा वितरण इन कार्यक्रमों की रूप रेखाओं के लक्ष्यों के अनुरूप था, जिससे राष्ट्रीय एवं वैश्विक दोनों स्तरों पर कार्यक्रम केउद्देश्यों तथा व्यापक नीतिगत प्रतिबद्धताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित हुआ। ₹1.58 करोड़ के कुल बजट के साथ, इस कार्यक्रम के माध्यम से 3 से 6 महीने की अवधि के अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किए, जो कि मुख्य रूप से तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर साक्षरता तथा उद्योग-मानक उपकरणों का उपयोग जैसे व्यावहारिक प्रशिक्षण पर केंद्रित थे।

शोध डिज़ाइन

कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन मिश्रित-पद्धति शोध दृष्टिकोण के माध्यम से किया गया, जिसमें गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों उपकरणों का उपयोग किया गया। मूल्यांकन के लिए नमूना आकार 100 था, जिसके लिए उद्देश्यपूर्ण तथा यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीकों का उपयोग किया गया। अध्ययन के लिए वर्णनात्मक व व्याख्यात्मक शोध डिज़ाइन का उपयोग किया गया। संरचित प्रश्नावली, फोकस समूह चर्चाओं व प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों तथा कार्यक्रम कर्मचारियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से गुणात्मक डेटा को एकत्र किया गया। प्रशिक्षण परिणामों, प्लेसमेंट प्रभावशीलता, बुनियादी संरचना की गुणवत्ता एवं समग्र लाभार्थी संतुष्टि का आकलन करने के लिए इसका मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया।

परियोजना गतिविधियाँ

कार्यक्रम के अधीन ब्रोशर, पैम्फलेट एवं स्थानीय विज्ञापनों सहित लक्षित पहुँच के माध्यम से वंचित एवं बेरोज़गार युवाओं को संगठित किया गया। दस्तावेज़ सत्यापन एवं साक्षात्कार सहित एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षुओं का चयन किया गया।

Executive Summary

Program Overview:

The Skill Development Training Programme, initiated in 2023–24 under the CSR initiative of ECGC Limited, Mumbai, aimed to train 200 underprivileged and unemployed youth in industry-relevant technical and professional skills. Implemented by the Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET), this initiative spanned six training centres located in Amritsar, Baddi, Murthal, Hajipur, Jaipur, and Ranchi. The primary objective of this initiative was to equip the marginalized youth with industry-relevant technical and professional skills aligned with the evolving needs of the plastics manufacturing sector. The program focused on enhancing employability, supporting livelihoods, and promoting long- term socio-economic upliftment through structured, job-oriented technical training

Program Design and Alignment with SDGs and National Policies:

The initiative aligned strongly with key national policies like the National Skill Development Policy, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), and the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY). Globally it contributed to the Sustainable Development Goals, particularly SDG 4 (Quality Education), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 10 (Reduced Inequalities). The training content and delivery matched the goals of these frameworks, reinforcing coherence between the program's objectives and broader policy commitments at both national and global levels. With a total budget of ₹1.58 crore, the program delivered short-term training courses ranging from 3 to 6 months which focused on core technical skills, soft skills, computer literacy, and practical hands-on training using industry-standard equipment.

Research Design:

The impact of the program was evaluated through a mixed-methods research approach, employing both qualitative and quantitative tools. The sample size for the assessment was 100 for which purposive and random sampling techniques were used. Descriptive and interpretive research design was used for the study. The qualitative data was collected through structured questionnaires, focus group discussions, and interviews with key stakeholders including trainees, trainers, and program staff. The assessment was conducted in FY 2024–25 to assess training outcomes, placement effectiveness, infrastructure quality, and overall beneficiary satisfaction.

Project Activities:

The program mobilised underprivileged and unemployed youth through targeted outreach, including brochures, pamphlets, and local advertisements. Trainees were selected through a transparent process involving document verification and interviews.

प्रशिक्षण केंद्रों में अभिविन्यास सत्रों में, पाठ्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी, संकाय सदस्यों के साथ वार्ता एवं किट व सामग्री का वितरण शामिल था। प्रशिक्षण में आधुनिक उपकरणों एवं उपकरणों का उपयोग करते हुए संरचित सैद्धांतिक व व्यावहारिक सत्र शामिल थे, जिन्हें सॉफ्ट स्किल्स तथा नेतृत्व पर विशेषज्ञ व्याख्यानों से समृद्ध किया गया। औद्योगिक दौरों के माध्यम से वास्तविक अनुभव प्रदान किया गया, जबकि निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से प्रगति पर नज़र रखना सुनिश्चित किया गया, जिसका समापन प्रमाणन के जरिये किया गया। उद्योग संबंधों के माध्यम से प्लेसमेंट सहायता उपलब्ध कराई गई, एवं समापन समारोह के दौरान प्रस्ताव पत्र वितरित किए गए।

मुख्य निष्कर्ष, परिणाम और प्रभाव:

1. चयन और प्रशिक्षण प्रक्रिया

कार्यक्रम में कई मानदंडों पर उच्च स्तर की संतुष्टि एवं प्रभावशीलता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। उल्लेखनीय रूप से, 94% उत्तरदाताओं द्वारा प्रशिक्षण चयन प्रक्रिया से संतुष्टि व्यक्त की, तथा 96% ने व्यावहारिक सत्रों को अत्यधिक उपयोगी बताया गया। लगभग 91% द्वारा प्रशिक्षण सामग्री एवं किट को अपनी शिक्षा में सहायक पाया गया। तकनीकी भूमिकाओं के लिए एक मजबूत प्राथमिकता पायी गई, जिसमें 60% द्वारा मशीन ऑपरेटर सहायक के रूप में एवं 20% द्वारा मशीन ऑपरेटर के रूप में नामांकन किया गया। प्रशिक्षण बैचों का आकार केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इष्टतम था, व पाठ्यक्रम में दौरों तथा विशेषज्ञ व्याख्यानों के माध्यम से वास्तविक औद्योगिक अनुभव को शामिल किया गया। सॉफ्ट स्किल्स, उद्यमिता शिक्षा एवं डिजिटल साक्षरता के समावेशन के माध्यम प्रशिक्षुओं के समग्र विकास एवं रोजगार क्षमता को बढ़ाया गया।

2. आधारभूत संरचना

आधारभूत संरचना एक केंद्र बिन्दु के रूप में अहम रही, जिसमें 87% द्वारा मशीनरी तथा उपकरणों को उन्नत एवं उद्योग मानकों के अनुरूप बताया गया। रहन सहन की स्थिति भी सकारात्मक रही-95% द्वारा छात्रावासों को बहुत स्वच्छ बताया गया 85% द्वारा भोजन को संतोषजनक पाया गया।

3. प्रशिक्षणोंपरांत रोजगार

रोजगार परिणामों में एक महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। मज़बूत औद्योगिक संबंधों के कारण 80% प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट सहायता प्राप्त हुई एवं 78.9% द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण होने पर नौकरी के प्रस्ताव स्वीकार किए गए। इसके अतिरिक्त, 93.4% कार्यरत प्रतिभागियों द्वारा अपने वेतन से संतुष्टि व्यक्त की गयी। कुल मिलाकर, 94% उत्तरदाता कार्यक्रम के परिणामों से संतुष्ट थे एवं 91% द्वारा अपने व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस किया गया। प्रशिक्षण द्वारा तकनीकी दक्षता एवं नौकरी की तत्परता में उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुए, जिसका सीधा परिणाम ठोस आर्थिक लाभ के रूप में सामने आया।

निष्कर्ष

सीआईपीईटी द्वारा अपनी सीएसआर पहल के अधीन ईसीजीसी लिमिटेड के सहयोग से कार्यान्वित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के समुदायों में युवा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए एक अनुकरणीय, प्रभावशाली मॉडल प्रस्तुत किया गया। उच्च-गुणवत्ता वाले तकनीकी प्रशिक्षण को व्यापक सहायता प्रणालियों एवं उद्योग संपर्क के साथ जोड़कर, इस कार्यक्रम द्वारा कौशल अंतर को सफलतापूर्वक समाप्त किया गया, रोजगार क्षमता में सुधार किया गया एवं लाभार्थियों को स्थायी आजीविका के लिए सशक्त बनाया गया।

Orientation sessions at training centres included course briefings, faculty interaction, and distribution of kits and materials. The training combined structured theory and practical sessions using modern tools and equipment, enriched by expert lectures on soft skills and leadership. Industrial visits provided real-world exposure, while continuous assessments ensured progress tracking, culminating in certification. Placement support was facilitated through industry linkages, with offer letters distributed during valedictory ceremonies.

Key Findings, Outcomes and Impacts:

1. Selection and Training Process

The program successfully demonstrated high levels of satisfaction and effectiveness across multiple parameters. Notably, 94% of respondents expressed satisfaction with the training selection process, and 96% rated the practical sessions as highly useful. About 91% found training materials and kits to be effective in supporting their learning. A strong preference was observed for technical roles, with 60% enrolling as Machine Operator Assistants and 20% as Machine Operators. The training batches were optimally sized to encourage focused learning, and the curriculum incorporated real-time industrial exposure through visits and expert lectures. The inclusion of soft skills, entrepreneurship education, and digital literacy enhanced the trainees' holistic development and employability.

2. Infrastructure

The infrastructure was a key strength, with 87% rating the machinery and equipment as advanced and aligned with industry standards. Living conditions also stood out positively—95% rated the hostels as very clean, 85% found the food satisfactory.

3. Post-Training and Employment

A significant impact was observed in employment outcomes. Strong industry linkages ensured that 80% of trainees received placement support, and 78.9% accepted job offers upon completion of the training. Additionally, 93.4% of employed participants reported satisfaction with their salaries. Overall, 94% of the respondents were satisfied with the program outcomes, and 91% felt more confident in achieving their personal and professional goals. The training significantly improved technical proficiency and job readiness, directly translating to tangible economic benefits.

Conclusion:

The Skill Development Training Programme, implemented by CIPET with support from ECGC Limited under its CSR initiative has demonstrated a replicable, impactful model for addressing youth unemployment in marginalised communities. By combining high-quality technical training with comprehensive support systems and industry linkage, the program successfully bridged skill gaps, improved employability, and empowered beneficiaries to pursue sustainable livelihoods.

ईसीजीसी लि. (भारत सरकार का उद्यम) ECGC Ltd. (A Government of India Enterprise)

कंपनी की सीएसआर पहल 'निमहंस - बैंगलोर में मरीजों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता' का प्रभाव मूल्यांकन: सोलेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सारांश

ईसीजीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)

अंतिम रिपोर्ट
सीएसआर परियोजना का प्रभाव आकलन अध्ययन
'निमहंस- बैंगलोर में मरीजों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता'

ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित एक सीएसआर पहल,
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस),
बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित

तैयारकर्ता:

सोलेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड

IMPACT ASSESSMENT FOR COMPANY'S CSR INITIATIVE OF 'FINANCIAL SUPPORT TOWARDS PATIENTS CARE IN NIMHANS – BANGALORE': IMPACT ASSESSMENT REPORT SUMMARY BY SOULACE CONSULTING PVT. LTD.

ECGC LIMITED
(A Government of India Enterprise)

FINAL REPORT
IMPACT ASSESSMENT STUDY OF CSR PROJECT
'Financial Support Towards Patients Care in NIMHANS – Bangalore'

A CSR Initiative funded by ECGC Limited,
Implemented by - National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS), Bengaluru

Prepared by:

SOULACE CONSULTING PVT. LTD.

कार्यकारिणी समीक्षा

परियोजना पृष्ठभूमि:

ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा समर्थित निमहंस, बेंगलुरु में 'रोगियों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता' कार्यक्रम एक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित रोगियों के लिए उच्च-गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका संबंधी देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इस पहल के माध्यम से अस्पताल में भर्ती, दवाइयाँ, जीवन रक्षक सर्जरी, मनो-सामाजिक परामर्श, पुनर्वास एवं अनुवर्ती देखभाल सहित अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रव्यापी पहुँच एवं प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के अनुरूप, यह कार्यक्रम चिकित्सा एवं सामाजिक-आर्थिक दोनों चुनौतियों का समाधान करता है तथा खुद को एक व्यापक और समावेशी स्वास्थ्य सेवा सहायता मॉडल के रूप में स्थापित करता है।

परियोजना अवलोकन तथा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखण:

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) द्वारा कार्यान्वित यह कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के दौरान आरंभ किया गया था, जिसका प्रभाव मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के दौरान किया गया। परियोजना का कुल बजट ₹1 करोड़ था तथा इसका उद्देश्य निमहंस बेंगलुरु में देश भर के रोगियों की सहायता करना था। इस कार्यक्रम से गंभीर न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोसर्जिकल या मनोरोग संबंधी स्थितियों से पीड़ित 491 रोगी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए, ये सभी आर्थिक रूप से कमजोर समूहों से संबंधित थे जिनकी अन्य वित्तीय सहायता तंत्रों तक बहुत कम अथवा कोई पहुँच नहीं थी। यह परियोजना राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जैसे प्रमुख सरकारी की मूलभूत संरचना के अनुरूप है, इसके माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण) तथा एसडीजी 10 (असमानताओं में कमी) में सार्वभौमिक स्तर पर योगदान दिया गया है।

शोध डिज़ाइन:

कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन मिश्रित-पद्धति शोध दृष्टिकोण के माध्यम से किया गया, जिसमें गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों उपकरणों का उपयोग किया गया। मूल्यांकन के लिए नमूना आकार 100 था, जिसके लिए उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया गया। प्रभाव का आकलन करने के लिए, गुणात्मक विधियों का उपयोग करते हुए एक वर्णनात्मक शोध डिज़ाइन का उपयोग किया गया। गुणात्मक शोध विधियों में अर्ध-संरचित साक्षात्कार एवं लाभार्थियों तथा प्रमुख हितधारकों के विस्तृत केस अध्ययन शामिल थे। इस दृष्टिकोण के माध्यम से रोगी के अनुभवों, सेवा प्रभावशीलता तथा प्रणालीगत परिणामों की गहन समझ को सुगम बनाया गया।

मुख्य निष्कर्ष एवं परिणाम:

अधिकांश उत्तरदाता (90%) गंभीर रूप से बीमार रोगियों की देखभाल करने वाले थे। अधिकांश रोगियों (24%) में न्यूरोसर्जिकल समस्याएँ पाई गईं, जबकि 16% को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ थीं व 14% को

Executive Summary

Project Background:

The 'Financial Support Towards Patients Care' program at NIMHANS, Bengaluru, supported by ECGC Limited, is a CSR initiative aimed at ensuring access to high-quality and affordable mental health and neurological care for economically disadvantaged patients. The initiative delivers financial assistance for essential services including hospitalisation, medications, life- saving surgeries, psychosocial counselling, rehabilitation, and follow-up care. With nationwide outreach and alignment to key national health strategies, this program addresses both medical and socio-economic challenges, positioning itself as a scalable and inclusive healthcare support model.

Project Overview and Alignment with SDGs:

Implemented by the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS), the program was operational during the year 2023–24, with the impact assessment carried out in 2024–25. The project's total budget was ₹1 crore and aimed to support patients from across the country in NIMHANS Bengaluru. The program directly benefitted 491 patients suffering from severe neurological, neurosurgical or psychiatric conditions, all of whom belonged to financially vulnerable groups with little or no access to other financial aid mechanisms. The project is also aligned with key government frameworks such as the National Mental Health Policy and National Health Policy and it globally contributed to the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 3 (Good Health and Well-being) and SDG 10 (Reduced Inequalities).

Research Design:

The impact of the program was evaluated through a mixed-methods research approach, employing both qualitative and quantitative tools. The sample size for the assessment was 100 for which purposive sampling technique was used. To assess the impact, a descriptive research design was employed using qualitative methods. The qualitative research methods involved semi-structured interviews and detailed case studies of beneficiaries and key stakeholders. This approach facilitated the in-depth understanding of patient experiences, service effectiveness, and systemic outcomes.

Key Findings and Outcomes:

The majority of the respondents (90%) were caregivers of critically ill patients. The majority of the patients (24%) were diagnosed with neurosurgical conditions, while 16% had mental health issues and 14% required physical rehabilitation. Among the respondents, 46.6% had been receiving treatment at NIMHANS for over a year, indicating long-term engagement

शारीरिक पुनर्वास की आवश्यकता थी। उत्तरदाताओं में से, 46.6% एक वर्ष से अधिक समय से निमहंस में उपचार प्राप्त कर रहे थे, जो दीर्घावधि उपचार एवं गंभीर स्थितियों की पुरानी प्रकृति को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से, 93% उत्तरदाताओं द्वारा सूचित किया गया कि उनके पास वित्तीय सहायता का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है। निजी अस्पतालों में इसी तरह के उपचार की अनुमानित औसत लागत उनके पहुँच के बाहर थी, जिससे जीवन यापन एवं आजीविका की सुरक्षा में इस पहल की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि होती है।

कार्यक्रम की समग्र दक्षता एक उल्लेखनीय पहलू रहा। लगभग 72% उत्तरदाताओं द्वारा अस्पताल में भर्ती प्रक्रिया को आसान पाया गया, 62% द्वारा दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को सुचारू पाया गया एवं 56% द्वारा वित्त पोषण अनुमोदन प्रक्रिया को आसान पाया गया। लगभग 46% उत्तरदाताओं को आवेदन के दो दिनों के अधीन वित्तीय सहायता की पुष्टि प्राप्त हुई तथा कुछ को तो उसी दिन यह अनुमोदन प्राप्त हो गया।

प्राप्त उपचार सेवाओं में दवा (35%), थेरेपी (20%), तथा शल्य चिकित्सा (14%) शामिल थीं एवं 46% उत्तरदाताओं को उपचार के लिए परामर्श दिया गया। जिन व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता थी, उनमें से 24.1% को 7-15 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जबकि 20.7% 15-30 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। छुट्टी के पश्चात, 59% उत्तरदाताओं को फॉलो-अप कॉल प्राप्त हुए, जबकि अन्य परामर्श के लिए व्यक्तिगत रूप से अस्पताल गए।

प्रमुख प्रभाव:

इस परियोजना का रोगियों के स्वास्थ्य और संस्थागत विश्वास पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। सत्तर प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पाया कि अस्पताल की टीम लगातार मददगार रही। 88% रोगियों ने अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार की सूचना दी-15% ने उल्लेखनीय सुधार का अनुभव किया और 73% ने मध्यम सुधार की सूचना दी। संतुष्टि का स्तर भी ऊँचा था, जिसमें 67% प्रदान किए गए उपचार से संतुष्ट थे। इसके अतिरिक्त, 70% उत्तरदाताओं ने कहा कि अस्पताल के कर्मचारी उपचार के सभी चरणों में सहायक रहे, जिससे कार्यक्रम के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को और बल मिला।

उच्च-गुणवत्ता वाली देखभाल तक पहुँच और वित्तीय सहायता ने परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने, उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करने और रोगी के स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल व्ययों को कवर करके, कार्यक्रम ने लागत बाधाओं के कारण रोगियों को उपचार छोड़ने से रोका-दुर्भाग्य से भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में एक आम समस्या।

निष्कर्ष:

निमहंस में ईसीजीसी-समर्थित पहल का वंचित समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण मानसिक एवं तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बीमारियों के इलाज के अतिरिक्त, इसके माध्यम से मानवीय गरिमा को पुनर्स्थापित किया गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में विश्वास जगाया गया, एवं समावेशी, सतत स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि की क्षमता को प्रदर्शित किया गया। यह परियोजना भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर कमियों को दूर करने के लिए कॉर्पोरेट संसाधनों का लाभ उठाने हेतु एक सफल मॉडल के रूप में उभरी है।

and the chronic nature of conditions addressed. Notably, 93% of respondents reported having no alternative sources of financial support. The estimated average cost of similar treatment in private hospitals was found to be unaffordable, reinforcing the crucial role this initiative played in safeguarding lives and livelihoods.

The overall efficiency of the program was a standout element. Around 72% of the respondents found the hospital admission process easy, 62% found the documentation process smooth, and 56% found the funding approval process easy. About 46% of respondents received confirmation of financial aid within two days of application - some on the same day.

Treatment services received included medication (35%), therapy (20%), and surgical interventions (14%) and 46% of the respondents were given counselling for treatment. For those requiring inpatient services, 24.1% were hospitalized for 7–15 days, while 20.7% stayed for 15–30 days. Post-discharge, 59% of respondents received follow-up calls, while others visited the hospital in person for consultations.

Key Impacts:

The project had a transformative impact on patient well-being and institutional trust. Seventy percent of the respondents found the hospital team to be consistently helpful. An impressive 88% of patients reported an improvement in their quality of life—15% experiencing a significant improvement and 73% reporting moderate improvement. Satisfaction levels were also high, with 67% satisfied with the treatment provided. Moreover, 70% of respond ents noted that the hospital staff were helpful throughout the treatment stages, further reinforcing the program's human-centered approach.

Access to high-quality care combined with financial support played a critical role in reducing the economic burden on families, ensuring treatment continuity, and enhancing patient recovery. By covering major healthcare expenses, the program prevented patients from abandoning treatment due to cost barriers—an unfortunately common issue in India's healthcare landscape.

Conclusion:

The ECGC-supported initiative at NIMHANS has had a profound impact on improving access to quality mental and neurological healthcare for underprivileged communities. Beyond treating illness, it has restored human dignity, built confidence in public healthcare systems, and demonstrated the potential of CSR funding in achieving inclusive, sustainable health outcomes. The project stands as a successful model for leveraging corporate resources to address critical public health gaps in India.

कंपनी की सीएसआर पहल 'टीएमसी नव्याः कैंसर रोगियों के लिए मानकीकृत देखभाल' का प्रभाव मूल्यांकनः सोलेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सारांश

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

ईसीजीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)

अंतिम रिपोर्ट
सीएसआर परियोजना का प्रभाव आकलन अध्ययन
'टीएमसी नव्याः कैंसर रोगियों के लिए मानकीकृत देखभाल'

ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित एक सीएसआर पहल,
टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) द्वारा कार्यान्वित - नव्या

तैयारकर्ताः

सोलेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड

IMPACT ASSESSMENT FOR COMPANY'S CSR INITIATIVE OF 'TMC NAVYA: STANDARDISED CARE FOR CANCER PATIENTS': IMPACT ASSESSMENT REPORT SUMMARY BY SOULACE CONSULTING PVT. LTD.

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

ECGC LIMITED
(A Government of India Enterprise)

FINAL REPORT
IMPACT ASSESSMENT STUDY OF CSR PROJECT
'TMC Navya: Standardised Care for Cancer Patients'

A CSR Initiative funded by ECGC Limited,
Implemented by - Tata Memorial Centre (TMC) - Navya

Prepared by:

SOULACE CONSULTING PVT. LTD.

परियोजना पृष्ठभूमि:

ईसीजीसी लिमिटेड ने भारत में निम्न-आय वाले परिवारों पर कैंसर के भारी भार को समझते हुए, विशेषज्ञ कैंसर देखभाल तक पहुँच में गंभीर कमियों को दूर करने के लिए टीएमसी नव्या पहल को प्रायोजित किया। ऑन्कोलॉजी में प्रगति के बावजूद, हज़ारों वंचित मरीज़ों को देरी से निदान, गैर-मानकीकृत उपचार और उच्च जेब खर्च जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो अक्सर विशेषज्ञ परामर्श के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता से और भी बढ़ जाती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, ईसीजीसी, टाटा मेमोरियल सेंटर और नेशनल कैंसर ग्रिड द्वारा प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान, टीएमसी नव्या का समर्थन कर रहा है जिससे समय पर, साक्ष्य-आधारित और व्यक्तिगत उपचार योजनाएँ प्रदान की जा सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क और स्थानीय परियोजना विश्लेषकों का लाभ उठाकर, टीएमसी नव्या का उद्देश्य कैंसर देखभाल के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली उपचार योजनाओं को सबसे कम आबादी के लिए सुलभ बनाना है, इस प्रकार यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति इष्टतम कैंसर उपचार में बाधा न बने।

परियोजना अवलोकन और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, इस कार्यक्रम ने संपूर्ण भारत के 22 राज्यों के 997 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित' कैंसर रोगियों को विशेषज्ञ उपचार योजनाएँ प्रदान की है। परियोजना का कुल बजट ₹1,00,30,000 था और इसका कार्यान्वयन टीएमसी - नव्या द्वारा किया गया था। वैश्विक स्तर पर, इस पहल ने विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजी सेवाओं की बाधाओं को दूर करके और सामाजिक-आर्थिक स्थिति या स्थान की परवाह किए बिना देखभाल वितरण को मानकीकृत करके सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) और एसडीजी 10 (असमानताओं में कमी) में प्रत्यक्ष योगदान दिया।

कार्यान्वयन और परियोजना गतिविधियाँ:

इस परियोजना में पात्र रोगियों की पहचान के लिए 100 से अधिक गैर सरकारी संगठनों और 300 अस्पतालों (राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड के माध्यम से) और विभिन्न मीडिया चैनलों के साथ रणनीतिक साझेदारी शामिल थी। नव्या रोगी अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन पंजीकरण, दस्तावेज़ अपलोड और उनकी उपचार योजनाओं को समझने के माध्यम से रोगियों और देखभाल करने वालों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजीकृत होने के परचात, प्रत्येक मामले को साक्ष्य और अनुभव-आधारित उपचार विकल्प तैयार करने के लिए टीएमसी नव्या की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग-आधारित प्रणाली का उपयोग करके संसाधित किया गया। जटिल मामलों को बहु-विषयक समीक्षा और सहमति के लिए विशेषज्ञों के एक पैनल (वर्चुअल ट्यूमर बोर्ड) को भेजा गया। मरीजों या देखभाल करने वालों को अंतिम विशेषज्ञ-समीक्षित उपचार योजनाएँ सरलता से समझने योग्य तरीके से, सामान्यत स्थानीय भाषाओं में, सुलभता सुनिश्चित करते हुए प्राप्त हुई। उपचार योजना को समझने और उसे क्रियान्वित करने में उनकी सहायता के लिए रोगी अधिवक्ताओं द्वारा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

शोध डिज़ाइन:

परियोजना का नाम है टीएमसी नव्या: कैंसर रोगियों के लिए मानकीकृत देखभाल। कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन मिश्रित-पद्धति अनुसंधान दृष्टिकोण के माध्यम से किया गया, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों उपकरणों का उपयोग किया गया।

Project Background:

ECGC Limited, recognising the immense burden of cancer on low-income families in India, sponsored the TMC Navya initiative to bridge critical gaps in access to expert cancer care. Despite advancements in oncology, thousands of underserved patients continue to face barriers such as delayed diagnoses, non-standardised treatments, and high out-of-pocket expenses, often exacerbated by the need to travel long distances for specialised consultations. To address these challenges, ECGC is supporting TMC Navya - a technology-driven solution by Tata Memorial Centre and the National Cancer Grid - to deliver timely, evidence-based, and personalised treatment plans. By leveraging artificial intelligence, a nationwide network of oncology experts, and local project analysts, TMC Navya aims to make high-quality treatment plans for cancer care accessible to the most vulnerable populations, thus ensuring that socio- economic status or geographic location does not become a barrier to optimal cancer treatment.

Project Overview and Alignment with SDGs:

In the financial year 2023–24, the program provided expert treatment plans to 997 “socio- economically disadvantaged” cancer patients from 22 states across India. The project’s total budget was ₹1,00,30,000 and was implemented by TMC - Navya. Globally the initiative directly contributed to the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 3 (Good Health and Well-being) and SDG 10 (Reduced Inequalities), by removing barriers to expert oncology services and standardising care delivery regardless of socio-economic status or location.

Implementation and Project Activities:

The project involved strategic partnerships with over 100 NGOs and 300 hospitals (via National Cancer Grid) and various media channels to identify eligible patients. Navya Patient Advocates played a key role in guiding patients and caregivers through online registration, document upload, and understanding their treatment plans. Once registered, each case was processed using a TMC Navya’s Artificial Intelligence and Machine Learning-based system to generate evidence and experience-based treatment options. Complex cases were referred to a panel of experts (Virtual Tumour Board) for multidisciplinary review and consensus. Patients or caregivers received the final expert-reviewed treatment plans in an easy-to-understand manner, typically in local languages, ensuring accessibility. Regular follow-ups were conducted by the patient advocates to help them understand and execute the treatment plan.

Research Design:

The name of the project is TMC Navya: Standardised care for cancer patients. The impact of the program was evaluated through a mixed-methods research approach, employing both qualitative and quantitative tools.

The sample size for the assessment was 30 for which purposive and random sampling techniques were used. Descriptive and interpretive research design was used for the study. The qualitative data was collected through structured

मूल्यांकन के लिए नमूना आकार 30 था जिसके लिए उद्देश्यपूर्ण और यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीकों का उपयोग किया गया था। अध्ययन के लिए वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक शोध डिज़ाइन का उपयोग किया गया था। गुणात्मक डेटा संरचित प्रश्नावली, फोकस समूह चर्चाओं और प्रमुख हितधारकों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किया गया था। परियोजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया गया और मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया।

मुख्य परिणाम:

इस पहल ने महत्वपूर्ण पहुँच और प्रभावशीलता हासिल की। संपूर्ण भारत के 22 राज्यों के 997 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित' कैंसर रोगियों को साक्ष्य-आधारित और व्यक्तिगत कैंसर उपचार योजनाएँ प्राप्त हुईं। रोगियों को विभिन्न प्रकार के कैंसरों पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिनमें सामान्य प्रकार जैसे जठरांत्र, स्तन और वयस्क हेमेटो-लिम्फोइड कैंसर, साथ ही यूरो-ऑन्कोलॉजी और बाल चिकित्सा हेमेटो-लिम्फोइड मामले जैसे अधिक जटिल प्रकार शामिल थे। महत्वपूर्ण रूप से, 100% उत्तरदाताओं ने पंजीकरण और दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को उपयोगकर्ता के अनुकूल पाया, और 83.3% को अनुवर्ती सहायता मिली, जिससे देखभाल की निरंतरता में वृद्धि हुई। 100% उत्तरदाता एक ही मंच से प्रदान की गई विशेषज्ञ उपचार योजनाओं की गति और गुणवत्ता से संतुष्ट थे। कार्यक्रम के डिजिटल मॉडल ने त्वरित सेवा वितरण सुनिश्चित किया, जिसमें सभी रोगियों को मेडिकल रिकॉर्ड जमा करने के 24 घंटों के अंदर उनकी उपचार योजनाएँ प्राप्त हो गईं। नव्या के विशेषज्ञ नेटवर्क ने मानकीकृत, सर्वसम्मति-आधारित देखभाल अनुशंसाओं को सक्षम किया, जिन्हें बाद में स्थानीय स्तर पर चिकित्सकों द्वारा मान्य या अपनाया गया।

प्रमुख प्रभाव:

इस हस्तक्षेप से कई आयामों में उच्च-प्रभावी परिणाम प्राप्त हुए। विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई उपचार योजनाओं का पालन करने वाले 92.9% उत्तरदाताओं ने बेहतर स्वास्थ्य परिणामों की सूचना दी, जिनमें से 23.3% पूर्ण रूप से ठीक हो गए और 50% ने महत्वपूर्ण राहत की सूचना दी। नैदानिक सुधारों के अतिरिक्त, 100% रोगियों ने अपने उपचार निर्णयों में मानसिक शांति और आत्मविश्वास की सूचना दी, जो विश्वसनीय चिकित्सा मार्गदर्शन के मनोवैज्ञानिक लाभ को रेखांकित करता है। वित्तीय दृष्टि से, इस कार्यक्रम ने यात्रा, परामर्श और तृतीयक देखभाल तक पहुँच से जुड़ी अन्य लागतों को समाप्त करके प्रति रोगी अनुमानित ₹86,000 के जेब खर्च को रोका। रोगियों को प्रमुख कैंसर केंद्रों से जोड़कर और साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों का पालन करके, इस परियोजना ने देश भर में देखभाल संबंधी असमानताओं को कम करने में योगदान दिया और प्रौद्योगिकी-संचालित, विशेषज्ञ-नेतृत्व वाली और रोगी-केंद्रित कैंसर देखभाल के लिए एक अनुकरणीय मॉडल तैयार किया जो भारत में व्यापक कैंसर देखभाल वितरण प्रणाली को मजबूत करता है।

निष्कर्ष:

ईसीजीसी समर्थित टीएमसी नव्या कार्यक्रम ने विशिष्ट कैंसर विशेषज्ञों और वंचित समुदायों के रोगियों के बीच की खाई को पाटकर स्पष्ट मूल्य निष्पादित किया है। अपने निःशुल्क, सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, इस पहल ने उपचार संबंधी वित्तीय और लॉजिस्टिक्स संबंधी बोझ को कम किया है, त्वरित और अधिक सटीक उपचार योजनाएँ सुनिश्चित की हैं, और कैंसर देखभाल प्राप्त करने वाले 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित' परिवारों को मानसिक शांति प्रदान की है। लाभार्थियों द्वारा बताई गई संतुष्टि के उच्च स्तर और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम पूरे भारत में समान और गुणवत्तापूर्ण कैंसर देखभाल को बढ़ावा देने में कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

questionnaires, focus group discussions, and interviews with key stakeholders. The project was implemented in FY 2023-24 and the assessment was conducted in FY 2024–25.

Key Outcomes:

The initiative achieved significant reach and effectiveness. 997 "socio-economically disadvantaged" cancer patients from 22 states across India received evidence-based and personalised cancer treatment plans. Patients received guidance on a wide range of cancers, including common types such as gastrointestinal, breast, and adult haemato-lymphoid cancers, as well as more complex forms like uro-oncology and paediatric haemato-lymphoid cases. Importantly, 100% of the respondents found the registration and documentation process user-friendly, and 83.3% received follow-up support, enhancing the continuity of care. 100% of the respondents were satisfied with the speed and quality of expert treatment plans delivered from a single platform. The program's digital model ensured prompt service delivery, with all patients receiving their treatment plans within 24 hours of submitting medical records. Navya's expert network enabled standardised, consensus-based care recommendations, which were then validated or adopted by treating physicians locally.

Key Impacts:

The intervention yielded high-impact results across multiple dimensions. 92.9% of the respondents who followed the expert-recommended treatment plans reported improved health outcomes, with 23.3% achieving full recovery and 50% reporting significant relief. Beyond clinical improvements, 100% of patients reported peace of mind and confidence in their treatment decisions, underscoring the psychological benefit of trusted medical guidance. In financial terms, the program prevented an estimated ₹86,000 in out-of-pocket expenses per patient by eliminating travel, consultation, and other costs typically associated with tertiary care access. By connecting patients with leading cancer centres and adhering to evidence- based guidelines, the project contributed to the reduction of care disparities nationwide and created a replicable model for technology-driven, expert-led and patient-centred cancer care that strengthens the larger cancer care delivery system in India.

Conclusion:

The ECGC-supported TMC Navya program has demonstrated clear value by bridging the gap between specialised cancer expertise and patients from disadvantaged communities. Through its free, accessible, and user-friendly digital platform, the initiative has reduced treatment- related financial and logistical burdens, ensured quicker and more accurate treatment plans, and brought peace of mind to "socio-economically disadvantaged" families navigating cancer care. The high levels of satisfaction and improved health outcomes reported by beneficiaries underscore the program's critical role in promoting equitable and quality cancer care across India.

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार

आज की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व्यापार नीति में प्रतिमान परिवर्तन के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रही है। 21वीं सदी की शुरुआत से ही खुला एवं मुक्त व्यापार मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। इससे व्यापक आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है, वैश्विक आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को गरीबी से बाहर निकलने में सहायता मिली है तथा दुनिया भर में विनिर्माण एवं सेवा अर्थव्यवस्थाओं का तेजी से विकास हुआ है।

वर्ष 2020 से वैश्विक व्यापार को कोविड-19 महामारी, सैन्य संघर्ष और लगातार मुद्रास्फीति जैसे आघातों का सामना करना पड़ा है; यद्यपि, इसमें सुधार के कुछ संकेत दिखे थे, लेकिन अमेरिका तथा चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की टैरिफ पॉलिसियों के कारण यह पुनः तनाव में आ गया। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की 2025 विश्व व्यापार रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2024 में वैश्विक व्यापारिक व्यापार में 2.9% की वृद्धि हुई एवं वाणिज्यिक सेवा व्यापार में 6.8% की वृद्धि हुई। हाल के टैरिफ एवं बढ़ी हुई अनिश्चितता का प्रतिकूल प्रभाव नवीनतम अनुमानों में देखा जा सकता है, विश्व माल व्यापार की वृद्धि अब कै व 2025 में (-) 0.2% एवं कै व 2026 में 2.5% होने की उम्मीद है। कै व 2025 एवं कै व 2026 में सेवा व्यापार की मात्रा क्रमशः 4% तथा 4.1% बढ़ने की उम्मीद है।

वैश्विक व्यापार की परिवर्तनशील प्रवृति को अनेक घटनाक्रमों में देखा जा सकता है। विश्व भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर बातचीत में लगी हुई हैं। कुछ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों - जैसे कि अमेरिका-ब्रिटेन व्यापार समझौता और ब्रिटेन-भारत मुक्त व्यापार समझौता - को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है और उनकी घोषणा कर दी गई है। ऐसे द्विपक्षीय समझौते प्रतिपक्षों के घरेलू बाजारों तक खुली और टैरिफ मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं, जबकि अन्य देशों के लिए बाधाएं बनाए रखते हैं। यह बहुपक्षवाद की पिछली व्यवस्था से एक उल्लेखनीय परिवर्तन है, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन के दायरे में, जहां मुक्त सीमा पार व्यापार आदर्श था। यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य का वैश्विक व्यापार पूर्वनिर्धारित व्यापार ब्लॉकों एवं दो-तरफ़ा व्यापार व्यवस्थाओं द्वारा आकार लेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव - जो महामारी के बाद से चल रहा है - अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्थानांतरण है। जो कंपनियां अब तक लागत प्रभावी लेकिन भौगोलिक रूप से व्यापक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर थीं, वे अब नए स्थानों की तलाश कर रही हैं, जिसमें उनके परिचालन को 100% घरेलू बनाने की संभावना भी शामिल है। इस प्रक्रिया को टैरिफ एवं औद्योगिक पॉलिसियों द्वारा तीव्र किया जा रहा है। पहले के कारण वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं पर निर्भर रहना महंगा हो जाता है, जबकि दूसरे के कारण कंपनियां देश की सीमाओं के अधीन विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए प्रेरित होती हैं। कंपनियां अपने कारखाने एवं प्रौद्योगिकी संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत जैसे विश्वसनीय भागीदारों वाले वैकल्पिक स्थानों पर विचार कर रही हैं। हाल की व्यापार नीतियों का भारत पर प्रभाव विकासशील देशों की तुलना में कम रहने की उम्मीद है। इसलिए, इस परिवर्तनशील दुनिया में भी, भारत एवं उसके विविध व्यापार क्षेत्र के समक्ष कई अवसर हैं जिनका वे लाभ उठा सकते हैं।

GLOBAL ECONOMY AND TRADE

Today's international economy is undergoing a significant transformation driven by paradigm shifts in trade policy. Open and free trade had been the guiding principle ever since the turn of the 21st century. It has increased broader economic welfare, helped a significant portion of the global population escape poverty and has led to rapid development of manufacturing and service economies across the world.

Since 2020, global trade has had to sustain shocks such as the Covid-19 pandemic, military conflicts and persistent inflation; however, it had shown some signs of recovery, only to be put under stress again due to tariff policies of major economies like the USA and China. As per the World Trade Organisation's (WTO's) 2025 World Trade Report, global merchandise trade increased by 2.9% in Calendar Year (CY) 2024 and commercial services trade increased by 6.8%. The adverse impact of recent tariffs and increased uncertainty can be seen in the latest projections, world merchandise trade growth is now expected to be (-)0.2% in CY 2025 and 2.5% in CY 2026. Services trade volume is still expected to grow at 4% and 4.1% in CY 2025 and CY 2026 respectively.

The changing nature of global trade can be tracked in multiple developments. Major economies across the globe are engaged in negotiations on bilateral trade agreements. A few bilateral trade agreements – such as the US-UK trade deal and the UK-India "Free Trade Agreement" – have already been finalized and announced. Such bilateral agreements grant open and tariff-free access to domestic markets of the counterparties while maintaining barriers for other nations. This is a notable change from the previous arrangement of multilateralism where free cross border trade was the norm, especially under the ambit of the WTO. The future global trade is expected to be shaped by predefined trading blocs and two-way trade arrangements.

Another significant shift – which has been underway since the pandemic – is the relocation of international supply chains. Firms which have so far relied on cost efficient but geographically widespread supply chains, are now looking for new locations, including the possibility of making their operations 100% domestic. This process is being accelerated by tariffs and industrial policies. The former make it expensive to rely on global value chains while the latter induce companies to set up manufacturing and processing within the nation's borders. Firms are considering alternative locations – like India (as a trusted partner) – to set up factories and processing facilities. The effect of the recent trade policies on India is expected to be milder when compared to its peers in the developing world. Thus, even in this changing world, there are opportunities for India and its diversified business sectors to capitalize on.

आर्थिक आंकड़ों के संदर्भ में, व्यापार एवं सरकारी नीति के संबंध में जारी अनिश्चितता के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में नरमी आने की उम्मीद है। वर्ष 2025 के लिए विश्व आर्थिक वृद्धि लगभग 2.7% अनुमानित है, जिसमें विकसित अर्थव्यवस्थाएं 0.6% से 1.5% के मध्य वृद्धि दर दर्ज करेंगी तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं 3.5% से 4% की वृद्धि दर्ज करेंगी। (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक परिदृश्य 2025)। एक स्पष्ट विषय जो बरकरार रखा गया है वह यह है कि आम सहमति यह है कि भारत सबसे सशक्त विकासशील प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा।; भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 6% रहने का अनुमान है। विकसित एवं विकासशील देशों में मुद्रास्फीति को काफी हद तक लक्ष्य स्तर पर लाया गया है। केंद्रीय बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय लेते समय कीमतों, श्रम बाजारों, व्यापार एवं बाजार के रुझानों पर नजर रखें।

जबकि आर्थिक नीतियों जैसे पारंपरिक फेक्टरों ने वर्तमान में केन्द्रीय भूमिका ले ली है, व्यापार एवं समष्टि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक अभी भी पृष्ठभूमि में बने हुए हैं तथा वैश्विक व्यापार क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। दुनिया के नए क्षेत्रों में नए सैन्य संघर्ष और उनसे जुड़े भू-राजनीतिक तनाव उसी समय भड़क उठे हैं, जब पुराने तनाव कम हो रहे थे। राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी विचार नीतिगत निर्णयों के साथ-साथ कुछ उद्योगों की वृद्धि को भी प्रभावित कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू में तेजी से एकीकृत होती जा रही है।

यह व्यापार तथा आर्थिक गतिविधियों की गतिशीलता को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होगा। यह व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इसके अतिरिक्त, उपयोग लागत में अपेक्षित कमी से इसका सर्वव्यापी उपयोग एवं परिणामस्वरूप उत्पादकता तथा खपत में वृद्धि होगी। व्यापार के क्षेत्र में, स्मार्ट अनुबंधों, विशिष्ट व्यापार वित्त समाधान, उन्नत जोखिम प्रबंधन तकनीकों आदि को विकसित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग पहले से ही किया जा रहा है। व्यापार एवं व्यापार वित्त से जुड़ी फर्मों को इन तकनीकी निहितार्थों को समझना चाहिए तथा तदनुसार अपनी व्यावसायिक रणनीतियों में संशोधन करना चाहिए।

एक अन्य क्षेत्र जो चुनौतियों के साथ-साथ अवसर भी प्रस्तुत करता है, वह है स्थायित्व, विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए। भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूर्ण करने तथा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जक का दर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है (पीआईबी, भारत सरकार)। देश इन लक्ष्यों को पूर्ण करने की दिशा में अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। अन्स्ट एंड यंग के अनुसार, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वित्तीय वर्ष 2014-15 में 24 गीगावाट (जीडबल्यू) से पांच गुना बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 136 जीडबल्यू हो गई है। गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता वित्तीय वर्ष 2014-15 में 78 गीगावाट (कुल क्षमता का 29%) से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 199 गीगावाट (कुल क्षमता का 45%) हो गई है। इसके अतिरिक्त, सौर, जल विद्युत, विद्युत परिवहन जैसे क्षेत्रों में वृद्धि से कंपनियों को अपने पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ईएसजी) लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं एक स्वच्छ तथा हरित समाज में परिवर्तन को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था - दृष्टिकोण

हाल के वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था ने कई अप्रत्याशित आघातों - कोरोनावायरस महामारी, बहु-राज्य सैन्य संघर्ष एवं आर्थिक संरक्षणवाद

In terms of economic data, real gross domestic product growth is expected to moderate due to the ongoing uncertainty around trade and government policy. World economic growth for CY 2025 is estimated around 2.7%, with developed economies recording a growth rate of between 0.6% to 1.5% and developing economies experiencing growth of 3.5% to 4%. (International Monetary Fund World Economic Outlook 2025). A clear theme that is retained is the consensus that India is expected to retain its position as one of the strongest growing major economies; India's GDP growth is estimated to be approximately 6%. Inflation has been largely brought to target levels in the developed and developing nations. Central banks are expected to monitor data on prices, labour markets, business and market sentiment when taking monetary policy decisions.

While conventional drivers like economic policies have taken the centre stage at present, exogenous factors that affect trade and macroeconomy still linger in the background and have a significant effect on the global trade arena. New military conflicts and associated geopolitical tensions have flared in new regions of the world just as old ones were tapering down. Political and security considerations are likely to affect policy decisions as well as growth in certain industries.

Artificial intelligence is becoming increasingly integrated in every facet of professional and personal life. It will be an important tool for shaping the dynamics of trade and economic activities. It has become a vital tool in personal, academic, and commercial spheres. Furthermore, an expected reduction in usage costs is set to lead to its ubiquitous usage and consequent rise in productivity and consumption. In the field of trade, modern technologies are already being used to develop smart contracts, bespoke trade finance solutions, advanced risk management techniques, etc. Firms associated with trade and trade finance should understand these technological implications and modify their business strategies accordingly.

Another field that presents challenges as well as opportunities is sustainability, especially for Indian firms. India has set itself targets of fulfilling 50% of its energy requirement from renewable sources by 2030 and achieving the status of net-zero carbon emitter by 2070 (PIB, Govt. of India). The country is well on track in accomplishing these goals. According to Ernst & Young, India's renewable energy capacity has grown five-fold from 24 Gigawatt (GW) in the FY2014-15 to 136 GW in the FY 2024-25. Non-fossil fuel-based capacity has increased from 78 GW (29% of total capacity) in the FY 2014-15 to 199 GW (45% of total capacity) in the FY 2023-24. Furthermore, growth in sectors like solar, hydropower, electric transportation gives companies the chance to achieve their environmental, social and governance (ESG) goals and complete the transformation into a cleaner and greener society.

GLOBAL ECONOMY – OUTLOOK

The recent years have seen the world economy weather a set of unexpected shocks – the coronavirus pandemic, multi-state military conflicts and a shift towards economic protectionism.

की ओर झुकाव का सामना किया है। आर्थिक विकास - जिसे आघात लगा था - 2025 की शुरुआत में सुधार के प्रारंभिक चरण में था। यद्यपि, आर्थिक परिदृश्य में और भी अधिक परिवर्तन होने की उम्मीद है क्योंकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अपनी व्यापार नीतियों एवं आर्थिक प्रणालियों को संशोधित करने की प्रक्रिया में हैं।

कै व 2024 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद उत्पादन वृद्धि 3.3% थी। अपेक्षा है कि कै व 2025 में यह घटकर 2.8% हो जाएगी तथा कै व 2026 में बढ़कर 3% हो जाएगी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह वर्ष 2024 में 1.8% की दर से बढ़ा था। कै व 2025 एवं कै व 2026 में उनकी वृद्धि क्रमशः 1.4% एवं 1.5% तक धीमी होने की संभावना है। तुलनात्मक रूप से, विकासशील एवं उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं कै व 2024 में 4.3% की वृद्धि दर के साथ बेहतर निष्पादन करेंगी। वर्तमान घटनाक्रमों से भी उनके निष्पादन पर असर पड़ने की उम्मीद है, कै व 2025 में वृद्धि 3.7% एवं कै व 2026 में वृद्धि 3.9% रहने का अनुमान है (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2025)।

मूल्य स्तर कै व 2022 एवं कै व 2023 के अपने उच्चतम स्तर से कम हो गए हैं तथा अब विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए लक्ष्य सीमा के अधीन हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कै व 2024 में 2.6% की मुद्रास्फीति दर्ज की गई तथा कै व 2025 में मुद्रास्फीति 2.5% पर स्थिर रहने की अपेक्षा है। यह स्थिति व्यापार एवं आर्थिक नीतियों के संबंध में व्याप्त अनिश्चितता के कारण है। उभरते बाजार देशों में कै व 2024 में 7.7% की उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई। इन देशों के समूह में 5.5% की मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान है, जिससे इनके मूल्य वृद्धि पर दबाव कम होने की उम्मीद है। यद्यपि, इस कमी के पश्चात भी, कई प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति का स्तर लक्ष्य सीमा से बाहर है। इसके अंतर्गत, एशिया में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के उपसमूह ने कै व 2024 में 2% एवं कै व 2025 में 1.7% के अनुमान के साथ कम मूल्य दबाव का अनुभव किया है। इससे ज्ञात होता है कि एशियाई देशों को मौद्रिक नीति को सख्त बनाने में तुलनात्मक रूप से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। (नोटः उपरोक्त आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) एवं डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (डीएनबी देश जोखिम) के कई शोध प्रकाशनों से प्राप्त किए गए हैं।)

विश्व व्यापार संगठन की 2025 विश्व व्यापार रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ उपायों एवं आर्थिक नीतियों में वर्तमान में हो रहे बदलावों को देखते हुए वैश्विक व्यापार वृद्धि में नरमी आने की उम्मीद है। कै व 2024 में कुल व्यापार मात्रा वृद्धि 3.8% थी - जो कै व 2025 में घटकर 1.7% होने की उम्मीद है। इस बीच, वस्तु व्यापार एवं सेवा व्यापार में भिन्न रुझान देखने को मिल रहे हैं। व्यापारिक व्यापार की मात्रा, जिसमें पिछले वर्ष 2.9% की वृद्धि हुई थी, के कै व 2025 में (-)0.2% तक घटने का अनुमान है, तथा उसके पश्चात कै व 2026 में पुनः 2.5% की वृद्धि होगी। दूसरी ओर, सेवा व्यापार में मजबूती बरकरार रहने की उम्मीद है।

कै व 2024 में इसमें 6.8% की वृद्धि होगी तथा कै व 2025 एवं कै व 2026 में क्रमशः 4% तथा 4.1% की वृद्धि जारी रहने का अनुमान है।

भारत का विदेश व्यापार

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, अप्रैल से मार्च तक भारत का कुल निर्यात (वस्तुएं एवं सेवाएं) 820.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹69.43 लाख करोड़ रुपये) होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 5.50% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान कुल आयात 915.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹77.40 लाख करोड़

Economic growth – which had suffered a setback – was in the initial stages of recovery at the start of 2025. However, the economic landscape is expected to undergo even more transformations as major economies are in the process of modifying their trade policies and economic systems.

Real GDP output growth was 3.3% in CY 2024. It is expected to moderate to 2.8% in CY 2025 and recovering to 3% in CY 2026. The group of advanced economies grew at 1.8% in CY 2024. Their growth is likely to slow to 1.4% and 1.5% in CY 2025 and CY 2026 respectively. Relatively, developing and emerging market economies performed better in CY 2024, with a growth rate of 4.3%. Their performance is also expected to be affected by the recent developments, with CY 2025 growth projected to be 3.7% and CY 2026 growth projected to be 3.9% (International Monetary Fund World Economic Outlook, April 2025).

Price levels have reduced from their highs in CY 2022 and CY 2023 and are now within the target range for developed economies. Developed economies recorded inflation of 2.6% in CY 2024 and inflation is expected to stay persistent at 2.5% in CY 2025. This persistence is due to the prevalent uncertainty regarding trade and economic policies. Emerging market nations recorded higher inflation of 7.7% in CY 2024. Their price pressures are also expected to abate as 5.5% inflation is projected in this group of countries. However, even after this reduction, the inflation level is outside the target range for several major emerging economies. Within this, the subgroup of developing economies in Asia have experienced lower price pressures at 2% in CY 2024 and 1.7% projection in CY 2025. This reveals that Asian countries have had comparatively more success in monetary policy tightening. [Note: The above figures have been sourced from multiple research publications from the International Monetary Fund, the Economist Intelligence Unit (EIU) and Dun & Bradstreet (DnB Country Risk)].

As per the WTO's 2025 World Trade Report, global trade growth is expected to moderate considering the changes currently underway in tariff measures and economic policies. Total trade volume growth was 3.8% in CY 2024 – which is expected to fall to 1.7% in CY 2025. Meanwhile, merchandise trade and services trade are showing divergent trends. Merchandise trade volumes, which grew by 2.9% last year, are projected to contract by (-)0.2% in CY 2025 before growing again by 2.5% in CY 2026. On the other hand, services trade is expected to retain its strength.

It grew by 6.8% in CY 2024 and is projected to keep growing by 4% and 4.1% in CY 2025 and CY 2026 respectively.

INDIA'S FOREIGN TRADE

During the FY 2024-25, India's overall exports (Merchandise and Services) from April to March, are estimated at USD 820.93 billion (₹69.43 lakh crore) exhibiting a positive growth

रुपये) होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.85% की वृद्धि दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का व्यापारिक निर्यात 437.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹37 लाख करोड़ रुपये) रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 437.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹36.2 लाख करोड़ रुपये) था, जो 0.08% की वृद्धि दर्शाता है।

समग्र व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 78.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 20.24% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 94.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है एवं इसके पश्चात, वर्तमान वित्तीय वर्ष में वस्तु व्यापार घाटा 6.20% बढ़कर 720.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 678.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यापारिक निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली मुख्य वस्तुएं: कॉफी (40.37%), तम्बाकू (36.53%), इलेक्ट्रॉनिक सामान (32.47%), चावल (19.73%), फर्श कवरिंग सहित जूट निर्माण (13.35%), मांस, डेयरी एवं पोल्ट्री उत्पाद (12.57%), चाय (11.84%), कालीन (10.46%), प्लास्टिक तथा लिनोलियम (10.23%), सभी वस्त्रों का आरएमजी (10.03%), दवाएं एवं फार्मास्यूटिकल्स (9.39%), अनाज निर्मित वस्तुएँ एवं विविध प्रसंस्कृत वस्तुएं (8.71%), अभ्रक, कोयला एवं अन्य अयस्क, प्रसंस्कृत खनिजों सहित खनिज (6.95%), प्रौद्योगिकी सामान (6.74%) एवं फल और सब्जियां (5.67%) थीं।

उपरोक्त आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा पीआईबी, भारत सरकार द्वारा जारी व्यापार सांख्यिकी के अनुसार हैं।

कंपनी के परिचालन का अवलोकन

अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ

निर्यात प्राप्य (अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ-एसटी-पॉलिसी) के लिए कंपनी के रक्षा का लाभ उठाने वाले अलग-अलग निर्यातकों की संख्या दिनांक 31 मार्च, 2025 तक 7,342 थी, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक यह संख्या 7,221 थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जारी एवं नवीनीकृत की गई अल्पावधि (एसटी) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों की कुल संख्या 11,993 थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 11,723 जारी की गई थीं। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी एसटी-पॉलिसियों की संख्या 11,271 थी, जिनकी कुल अधिकतम देयता (एमएल) ₹67,303.13 करोड़ थी, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक 11,268 पॉलिसियाँ प्रभावी थीं, जिनकी कुल अधिकतम देयता ₹59,768 करोड़ थी, जो प्रभावी पॉलिसियों की संख्या में मामूली वृद्धि एवं कुल अधिकतम देयता में 13% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष के दौरान जारी की गई नई पॉलिसियों की कुल संख्या

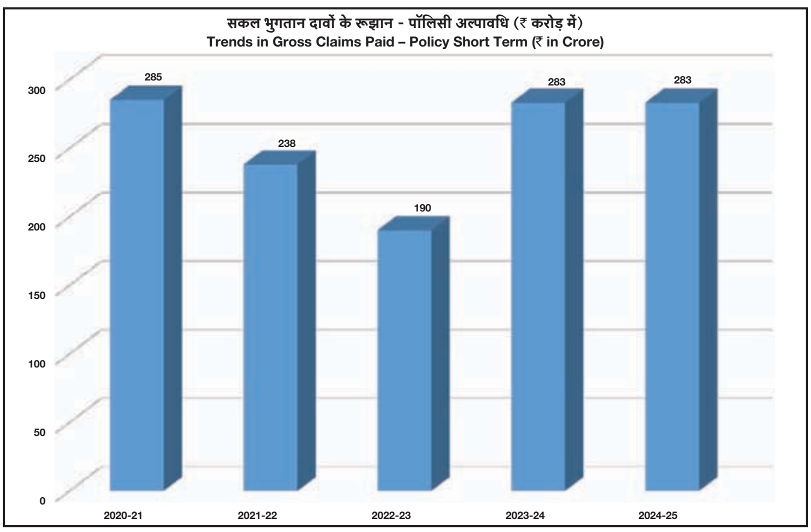

of 5.50% over the FY 2023-24. Overall imports during this period are estimated at USD 915.19 billion (₹77.40 lakh crore), reflecting an increase of 6.85% over the same period last year. India's merchandise exports for the FY 2024-25 stood at USD 437.42 billion (₹37 lakh crore) as against USD 437.07 billion (₹36.2 lakh crore), registering an increase of 0.08% over the same period last year.

The overall trade deficit is estimated to increase by 20.24% from USD 78.39 billion in the FY 2023-24 to USD 94.26 billion in the FY 2024-25 and subsequently, the merchandise trade deficit is expected to increase by 6.20% at USD 720.24 billion in the current FY as compared to USD 678.21 billion in the FY 2023-24.

The main commodities that witnessed a significant growth in merchandise exports in the FY 2024-25 were: coffee (40.37%), tobacco (36.53%), electronic goods (32.47%), rice (19.73%), jute manufacturing including floor covering (13.35%), meat, dairy & poultry products (12.57%), tea (11.84%), carpet (10.46%), plastic & linoleum (10.23%), RMG of all Textiles (10.03%), drugs & pharmaceuticals (9.39%), cereal preparations & miscellaneous processed items (8.71%), mica, coal & other ores, minerals including processed minerals (6.95%), engineering goods (6.74%) and fruits & vegetables (5.67%).

The above data is as per the Trade Statistics released by the Ministry of Commerce and Industry and PIB, Government of India.

OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS

SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES

The number of distinct exporters availing themselves of the Company's cover for export receivables (Short-Term Export Credit Insurance Policies-ST-Policy) was 7,342 as of March 31, 2025 as against 7,221 as of March 31, 2024. During the FY 2024-25, the total number of Short-Term (ST) Export Credit Insurance Policies issued and renewed was 11,993 compared to 11,723 issued during the previous FY 2023-24. The number of ST-Policies in force as of March 31, 2025 was 11,271 with a total Maximum Liability (ML) of ₹67,303.13 crore as against 11,268 policies in force with a total ML of ₹59,768 crore as of March 31, 2024 indicating a marginal growth in the number of policies in force and growth of 13%

4,436 थी, जिनमें से 1,752 संपूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यूटी) पॉलिसियां थीं।

घोषणा-आधारित पॉलिसियाँ जैसे पोतलदान (व्यापक जोखिम) पॉलिसियाँ (एससीआर), निर्यात कारोबार पॉलिसियाँ (ईटीपी), सेवा पॉलिसियाँ, लघु निर्यातक पॉलिसियाँ (एसईपी), खरीदार-वार पॉलिसियाँ, परेषण पॉलिसियाँ, आदि ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक लागू पॉलिसियों के 51% पर एक बड़ा भाग बनाए रखा। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक लागू घोषणा-आधारित पॉलिसियों की कुल संख्या 5,701 थी, जिनका कुल एम.एल. ₹37,075.41 करोड़ था, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक यह संख्या 5,805 थी, जिनका कुल एम.एल. ₹34,997.04 करोड़ था, जबकि लागू घोषणा-आधारित पॉलिसियों की संख्या में 2% की कमी आई, तथा कुल एम.एल. में 6% की वृद्धि हुई। घोषित पोतलदान की संख्या 3,45,465 थी तथा औसत ऋण अवधि 65 दिन थी। बहु-खरीदार जोखिम पॉलिसी, एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी, सू प्रौ-सक्षम सेवा पॉलिसी (बहू-ग्राहक), सू प्रौ-सक्षम सेवा पॉलिसी (विशिष्ट ग्राहक) आदि जैसी जोखिम-आधारित पॉलिसियों की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक लागू पॉलिसियों में 49% थी। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक लागू जोखिम-आधारित पोतलदान पॉलिसियों की कुल संख्या जैसे एमबीईपी, एसबीईपी, एमआईटीई, एसआईटीई आदि की संख्या 5,570 थी, जिनका कुल एमएल ₹30,227.72 करोड़ रुपये था, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक यह संख्या 5,463 थी, जिनका कुल एमएल ₹24,727.38 करोड़ रुपये था, जो संख्या में 2% एवं कुल एमएल में 22% की वृद्धि को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एसटी-पॉलिसियों के अंतर्गत रक्षित किया गया कुल कारोबार ₹4,28,905.28 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष यह ₹3,56,866.70 करोड़ था, इस प्रकार 20% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एसटी-पॉलिसियों के अंतर्गत प्रीमियम आय ₹639.09 करोड़ थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹572.01 करोड़ थी, अर्थात 12% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एसटी-पॉलिसियों के अंतर्गत प्रदत्त/स्वीकृत कुल दावों की संख्या 417 थी, जिसकी राशि ₹295.62 करोड़ थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 470 दावे थे, जिनकी राशि ₹284.97 करोड़ थी।

रक्षा किए गए कुल कारोबार में से, एसटी-पॉलिसियों (घरेलू ऋण बीमा पॉलिसी) के अंतर्गत जोखिम मूल्य ₹13,800.55 करोड़ था एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रीमियम आय ₹8.92 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एसटी-पॉलिसी के अंतर्गत वसूल की गई राशि ₹19.86 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष यह ₹19.35 करोड़ थी, जो 3% की वृद्धि को दर्शाती है।

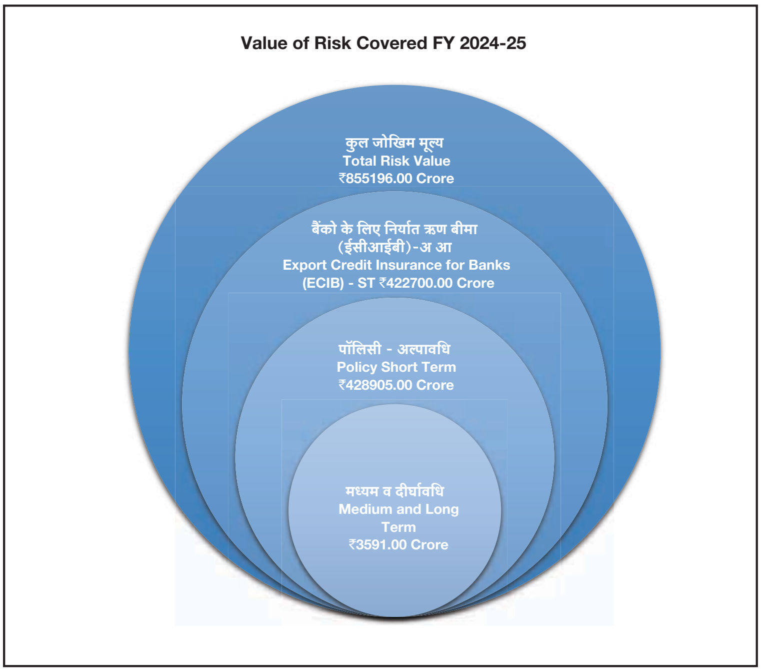

in the total ML. The total number of fresh policies issued during the year was 4,436 out of which 1,752 were Whole Turnover (WT) policies.

Declaration-based policies viz. Shipments (Comprehensive Risks) Policies (SCR), Export Turnover Policies (ETP), Services Policies, Small Exporter's Policies (SEP), Buyer Wise Policies, Consignment Policies, etc. continued to maintain a larger share at 51% of the policies in force as at the end of FY 2024-25. The total number of declaration-based policies in force as of March 31, 2025 was 5,701 with an aggregate ML of ₹37,075.41 crore as against 5,805 with an aggregate ML of ₹34,997.04 crore as of March 31, 2024 while the declaration-based policies in force decreased by 2% in number, the aggregate ML increased by 6%. The number of shipments declared were 3,45,465 with an average credit period of 65 days. Exposure-based policies like Multi Buyer Exposure Policy, Single Buyer Exposure Policy, IT-Enabled Services Policy (Multi-Customer), IT-Enabled Services Policy (Specific Customer), etc. had a share of 49% of the policies in force as at the end of FY 2024-25. The total number of exposure-based shipment policies in force as of March 31, 2025 viz. MBEP, SBEP, MITES, SITES, etc. was 5,570 with an aggregate ML of ₹30,227.72 crore as against 5,463 with an aggregate ML of ₹ 24,727.38 crore as of March 31, 2024 reflecting a growth of 2% in number and 22% in aggregate ML.

Total business covered under the ST-Policies during the FY 2024-25 was ₹4,28,905.28 crore, as against ₹3,56,866.70 crore during the previous year, thereby registering a growth of 20%. The premium income under ST-Policies was ₹639.09 crore during the FY 2024-25 as against ₹572.01 crore in the previous FY, registering a growth of 12%. The total number of claims paid / approved under ST-Policies during the FY 2024-25 was 417 amounting to ₹295.62 crore as against 470 claims amounting to ₹284.97 crore during the previous FY 2023-24.

Out of total business covered, Risk Value under ST-Policies (Domestic Credit Insurance Policy) was ₹13,800.55 crore and premium income amounted to ₹8.92 crore during the FY 2024-25. Amount recovered under ST-Policy was ₹19.86 crore during the FY 2024-25 as against ₹19.35 crore during the previous year showing an increase of 3%.

ग्राहक विशिष्ट रक्षा

जहां कोई भी मौजूदा मानक उत्पाद उपयुक्त नहीं पाया जाता है, वहाँ कंपनी द्वारा आईआरडीएआई के अनुमोदन से ग्राहक विशिष्ट रक्षा (सीएससी) प्रारम्भ किए गए हैं, जो पॉलिसी धारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित हैं। सीएससी पॉलिसियां आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित दो अथवा अधिक मानक उत्पादों की कुछ विशेषताओं को मिलाकर तैयार की जाती हैं, जबकि इनमें एक उत्पाद की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जिसे आधार पॉलिसी माना जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 650 अनुकूलित पॉलिसियाँ जारी/नवीनीकृत की गईं, जिनकी कुल अधिकतम देयता/कुल हानि सीमा (एमएल/एएलएल) ₹21,337.50 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष 417 अनुकूलित पॉलिसियाँ जारी की गई थीं, जिनकी कुल अधिकतम देयता/कुल हानि सीमा (एमएल/एएलएल) ₹15,113.75 करोड़ रुपये थी। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक 627 सीएससी पॉलिसियाँ लागू थीं, जिनका कुल एमएल/एएलएल मूल्य ₹20,672.75 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष 396 सीएससी पॉलिसियाँ लागू थीं, जिनका कुल एमएल/एएलएल मूल्य ₹14,601.45 करोड़ रुपये था। सीएससी पॉलिसियों के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम आय वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹279.96 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष यह ₹187.55 करोड़ रुपये थी एवं अनुकूलित पॉलिसियों के अंतर्गत प्रदत्त दावे वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पिछले वर्ष ₹91.72 करोड़ रुपये से बढ़कर ₹144.60 करोड़ रुपये हो गए।

बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) रक्षा

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंकों के लिए अल्पावधि - निर्यात ऋण बीमा (एसटी-ईसीआईबी) के अंतर्गत अर्जित प्रीमियम ₹694.28 करोड़ था, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यह ₹657.86 करोड़ था, जो 5.54% की वृद्धि दर्ज करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एसटी-ईसीआईबी प्रीमियम कंपनी के कुल प्रीमियम का लगभग 51% था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदत्त दावों की संख्या एवं मूल्य क्रमशः 65 एवं ₹170.25 करोड़ रहे, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹158.34 करोड़ की राशि के लिए 71 दावों का भुगतान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसटी-ईसीआईबी के अंतर्गत दावा निपटान के लिए औसत दिनों की संख्या 54.77 दिन थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 54.85 दिन थी।

जारी किए गए विभिन्न अल्पावधि-ईसीआईबी रक्षा के अंतर्गत कंपनी द्वारा रक्षित किए गए कुल बकाया, संपूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यूटी) रक्षा के अंतर्गत रक्षित किए गए सभी खातों के कुल औसत दैनिक उत्पादों (एडीपी) एवं व्यक्तिगत (आईएन) रक्षा के अंतर्गत उच्चतम बकाया राशि (एच ए ओ) से प्राप्त, बैंकों द्वारा कंपनी को रिपोर्ट किया गया, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल मिलाकर ₹1,05,675 करोड़ था, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹93,313 करोड़ की रिपोर्ट की गई थी, जो 13.25% की वृद्धि दर्शाता है। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक अल्पावधि-ईसीआईबी रक्षा के अंतर्गत आने वाले खातों की संख्या 12,902 थी, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक यह संख्या 12,484 थी। कुल 8,430 (पिछले वर्ष 8,800) विशिष्ट निर्यातकों को, जिनमें से अधिकांश छोटे निर्यातक थे, ईसीआईबी रक्षा के जरिए सहायता प्रदान की गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अल्पावधि - ईसीआईबी रक्षा के जरिए ₹4,22,700 करोड़ रुपये के निर्यात ऋण अग्रिमों का समर्थन किया गया है, जबकि पिछले वर्ष ₹3,73,254 करोड़ रुपये का अग्रिम समर्थन किया गया था। ये अनुमान

CUSTOMER SPECIFIC COVERS

The Company had, with the approval of the IRDAI, introduced Customer Specific Covers (CSC) which are tailor-made to suit specific requirements of policy holders where none of the existing standard products are found suitable. The CSC Policies are structured by combining certain features of two or more standard products approved by the IRDAI, while having the predominant features of one product which is considered as the base policy.

During the FY 2024-25, 650 customized policies were issued/renewed with a total Maximum Liability/Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹21,337.50 crore as against 417 customized policies issued with a total Maximum Liability/Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹15,113.75 crore during the previous year. As of March 31, 2025, 627 CSC policies were in force with a total ML/ALL of ₹20,672.75 crore as against 396 CSC policies in force with a total ML/ALL of ₹14,601.45 crore during the previous year. Annual premium income under CSC policies was ₹279.96 crore during the FY 2024-25 as against ₹187.55 crore during the previous year and claims paid under customized policies increased to ₹144.60 crore during the FY 2024-25 from ₹91.72 crore during the previous year.

SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS (ECIB) COVERS

The premium earned under Short-Term – Export Credit Insurance for Banks (ST-ECIB) for the FY 2024-25 was ₹694.28 crore as against ₹657.86 crore during the FY 2023-24 registering an increase of 5.54%. ST- ECIB premium accounted for approximately 51% of the total premium of the Company for the FY 2024-25. The number and value of claims paid stood at 65 and ₹170.25 crore respectively for the FY 2024-25 as against 71 claims paid for an amount of ₹158.34 crore in the FY 2023-24. The average number of days for claim settlement under ST-ECIB was 54.77 days in the FY 2024-25 as compared to 54.85 days in the FY 2023-24.

The total outstanding covered by the Company under the various Short-Term – ECIB covers issued, derived from the Total Average Daily Products (ADP) of all the accounts covered under the Whole Turnover (WT) covers and the Highest Amount Outstanding (HAO) under Individual (IN) covers, reported by the Banks to the Company, aggregated to ₹1,05,675 crore during the FY 2024-25 as compared to ₹93,313 crore reported during the FY 2023-24 showing an increase of 13.25%. The number of accounts covered under the Short-Term- ECIB covers as of March 31, 2025 was 12,902 as compared to 12,484 as of March 31, 2024. A total number of 8,430 (Previous Year 8,800) distinct exporters of which majority were small exporters, have been supported through the ECIB covers. It is estimated that export credit advances worth ₹4,22,700 crore have been supported through Short-Term – ECIB covers during the FY 2024-25 compared to ₹3,73,254 crore advances supported during the previous year. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that the business cycle under short-term exports is around 90 days. Accordingly, the outstanding

आरबीआई से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित हैं एवं इस तथ्य पर विचारित हैं कि अल्पावधि निर्यात के अंतर्गत कारोबार चक्र लगभग 90 दिनों का होता है। तदनुसार, एसटी-ईसीआईबी रक्षा के अंतर्गत कंपनी द्वारा रक्षित किए गए बकाया निर्यात ऋण अग्रिमों को वर्ष के लिए जोखिम मूल्य पर पहुंचने के लिए चार के फ़ेक्टर से गुणा किया जाता है।

हमारी अल्पावधि - ईसीआईबी रक्षा का लाभ उठाने वाले बैंकों के केंद्रीय कार्यालयों के साथ चर्चा करने के लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा दौरों की संख्या में वृद्धि के साथ कारोबार विकास गतिविधियां जारी रहीं।

ईसीआईबी-डब्ल्यूटी के अंतर्गत 90% की बढ़ी हुई रक्षा जुलाई 2022 में निर्माता-निर्यातक खातों के लिए पेश किया गया था, जिसमें कुल सीमा/जोखिम ₹20 करोड़ तक था एवं इसे जुलाई 2023 में बैंकिंग उद्योग में ₹50 करोड़ तक की सीमा/जोखिम रक्षा करने के लिए बढ़ा दिया गया था। इन सीमाओं को संशोधन के साथ विस्तारित किया गया, जिससे दिनांक 01 जुलाई, 2024 से बैंकिंग उद्योग (जीजेडी एवं व्यापारियों/ व्यापारी निर्यातकों के अतिरिक्त) से प्रति निर्यातक / समूह ₹80 करोड़ रुपये तक की फंड- आधारित निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ उठाने वाले निर्माता - निर्यातकों को दिए गए अग्रिमों को रक्षित किया जा सके। विस्तारित रक्षा बैंक को उधारकर्ताओं/ निर्यातकों को कम ब्याज दरों का लाभ देने में सक्षम बनाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, तेरह बैंकों द्वारा ईसीआईबी-डब्ल्यूटी रक्षा के अंतर्गत ₹20 करोड़/ ₹50 करोड़/ ₹80 करोड़ की सीमा के लिए विस्तारित रक्षा का विकल्प चुना गया था।

सकल प्रदत्त दावों के रूझान - बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा - अल्पावधि (₹ करोड़ में)
Trends in Gross Claims Paid – Export Credit Insurance for Banks - Short Term (₹ in Crore)

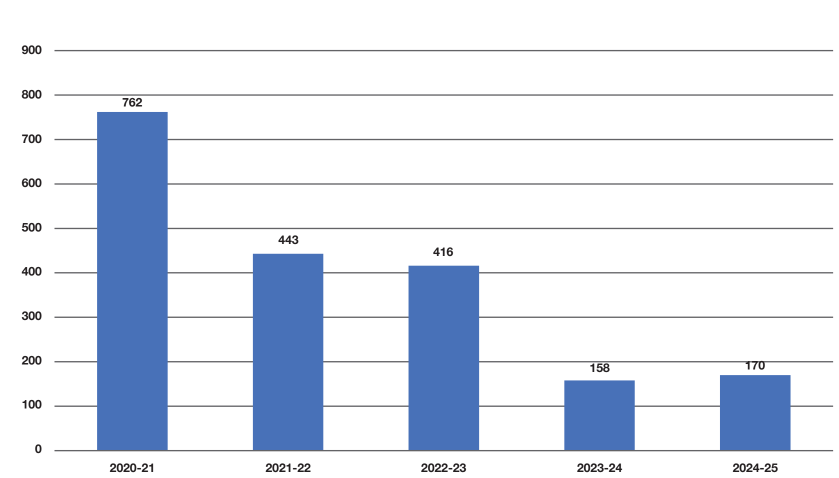

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक लागू ईसीआईबी-डब्ल्यूटी रक्षा की कुल संख्या 40 थी। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक लागू ईसीआईबी-आईएन रक्षा की संख्या 30 थी।

बारह राष्ट्रीयकृत बैंकों, सात निजी क्षेत्र के बैंकों एवं एक सहकारी बैंक के लिए संपूर्ण पण्यावर्त पैकिंग ऋण (डब्ल्यूटी-पीसी) एवं संपूर्ण पण्यावर्त पोतलदानोत्तर (डब्ल्यूटी-पीएस) रक्षा का नवीनीकरण किया गया।

टर्नअराउंड समय को कम करने के लिए, ईसीआईबी हामीदारी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया गया। उच्च मूल्य वाले खातों की हामीदारी के संबंध में जोखिम न्यूनीकरण उपायों को उचित रूप से जारी रखा गया, जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया था।

अल्पावधि ईसीआईबी (डब्ल्यूटी) रक्षा के अंतर्गत सभी बैंकों के लिए विवेकाधीन सीमाएं बढ़ा दी गईं। बैंकों के लिए ईसीआईबी (डब्ल्यूटी) के अंतर्गत लागू निर्धारित सीमा के दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया गया। निर्धारित सीमा एक परिभाषित श्रेणीबद्ध प्रतिशत सीमा एवं रक्षा को

export credit advances covered by the Company under ST-ECIB covers is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value for the year.

The business development activities were continued with increased number of visits by the Department officials to interact with the Central Offices of Banks availing our Short Term – ECIB covers.

The enhanced cover of 90% under ECIB-WT was introduced in July 2022 for the manufacturer- exporter accounts, having aggregate limits/ exposure of up to ₹20 crore and was extended to cover limits/ exposure up to ₹50 crore across the banking industry in July 2023. These limits were further enhanced with modification, for covering advances granted to manufacturer - exporters availing fund-based export credit working capital limit up to ₹80 crore per exporter/ group from the banking industry (excluding GJD and traders/merchant exporters) with effect from July 01, 2024. The enhanced cover enables the Bank to pass on the benefit of reduced interest rates to the borrowers/ exporters. During the FY 2024-25, thirteen banks had opted for enhanced cover for ₹20 crore/₹50 crore/₹80 crore limits under the ECIB-WT covers.

The total number of ECIB-WT covers in force as on March 31, 2025 was 40. The number of ECIB-IN covers in force as on March 31, 2025 was 30.

The Whole Turnover Packing Credit (WT-PC) and Whole Turnover Post-Shipment (WT-PS) covers were renewed for twelve nationalized banks, seven private sector banks and one co-operative bank.

To reduce the turnaround time, the ECIB underwriting procedures were further simplified. Risk mitigation measures were appropriately continued in respect of underwriting of high value accounts as done in the previous years.

The Discretionary Limits were enhanced for all the banks under Short-Term ECIB (WT) covers. The guidelines for Set Limit applicable under ECIB (WT) to the Banks were also modified. The Set Limit denotes a defined graded

दर्शाती है जो बैंक के लिए ईसीआईबी वर्ष में लागू होती है जिससे जोखिमों के मूल्य के अनुरूप बैंक द्वारा उचित सावधानी सुनिश्चित की जा सके। फार्मास्यूटिकल्स एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए ''एए'' एवं उससे ऊपर की रेटिंग वाले खातों के लिए जोखिम मानदंडों को संशोधित किया गया तथा जोखिम सीमा को ₹2,250 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,000 करोड़ कर दिया गया। अल्पावधि - ईसीआईबी (डब्ल्यूटी) के अंतर्गत रक्षा के सामान्य प्रतिशत को बढ़ाने की सीमा को ₹600 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ कर दिया गया।

सरलीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत संसाधित किए जाने वाले दावों को दिनांक 01 फरवरी, 2025 से ₹5 करोड़ से संशोधित कर ₹10 करोड़ कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ईसीआईबी रक्षा के अंतर्गत प्रदत्त दावों के के लिए वसूली ₹165.35 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह ₹124.65 करोड़ थी।

मध्यम एवं दीर्घावधि कारोबार समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मध्यम एवं दीर्घावधि (म.व.दी.अ.) कारोबार से प्रीमियम आय ₹33.19 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह ₹41.28 करोड़ थी। इस अवधि के दौरान म.व.दी.अ. क्षेत्र के अंतर्गत कोई दावा भुगतान नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिन शीर्ष पांच देशों में कंपनी द्वारा प्रमुख कारोबार किया गया, वे कैमरून, नेपाल, जॉर्जिया, भूटान एवं इंडोनेशिया थे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, म.व.दी.अ. परियोजना निर्यातकों को 28 ऋण बीमा पॉलिसियां जारी की गईं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह संख्या 33 थी, जिसमें उनके द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न परियोजनाओं पर व्यापक जोखिमों को रक्षित किया गया। इसमें शामिल प्रमुख क्षेत्र थे - बुनियादी ढांचा, विद्युत पारेषण एवं वितरण, जल विद्युत उपकरण तथा पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंकों को निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) के अंतर्गत जारी रक्षाओं की संख्या पिछले वर्ष के 39 के विरुद्ध 62 थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विदेशी निवेश बीमा योजना एवं खरीदार ऋण योजना के अंतर्गत कोई रक्षा जारी नहीं की गई।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एन ई आई ए)

एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार (जीओआई) द्वारा मध्यम एवं दीर्घावधि निर्यात (म.व.दी.अ.) / परियोजना निर्यात के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है, जो राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से वांछनीय है। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ट्रस्ट को प्राप्त कुल अनुदान सहायता ₹4,741 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एनईआईए ट्रस्ट द्वारा जाम्बिया को दी गई खरीदार ऋण सुविधा से संबंधित, अपनी खरीदार ऋण (बीसी-एनईआईए) योजना के अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम बैंक को ₹130.33 करोड़ के दावे को मंज़ूरी प्रदान की गई है।

percentage limit and cover applicable for the Bank in an ECIB Year to ensure appropriate due diligence by the Bank befitting the value of risks. The exposure norms for Pharmaceuticals and Engineering sectors for accounts with "AA" and above ratings were modified with the exposure ceiling enhanced to ₹5,000 crore from ₹2,250 crore. The ceiling of the limit for extending normal percentage of cover under Short Term – ECIB (WT) was enhanced to ₹1,000 crore from ₹600 crore.

Claims to be processed under simplified procedure was revised to ₹10 crore from ₹5 crore with effect from February 01, 2025.

The recovery against claims paid under ECIB covers during the FY 2024-25 was ₹165.35 crore as against ₹124.65 crore in the FY 2023-24.

MEDIUM AND LONG-TERM BUSINESS REVIEW

The premium income from the Medium and Long Term (MLT) business for the FY 2024-25 stood at ₹33.19 crore, as against ₹41.28 crore in the previous year. There were no claims paid under MLT sector during this period. The top five countries in which the Company had underwritten major business during the FY 2024-25 were Cameroon, Nepal, Georgia, Bhutan and Indonesia.

During the FY 2024-25, 28 credit insurance policies were issued to MLT project exporters as against 33 in the previous FY, covering comprehensive risks on various projects undertaken by them. The major sectors covered were Infrastructure, Power Transmission & Distribution, Hydro Power Equipment and Supply of Capital Goods. The number of covers issued under Export Credit Insurance to Banks (ECIB) during the FY 2024-25 was 62 as against 39 in the previous year. No covers were issued under the Overseas Investment Insurance scheme and the Buyer's Credit scheme during the FY 2024-25.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख वस्तुवार जोखिम मूल्य (₹ करोड़ में)
Major Commodity Wise Risk Value for FY 2024-25 (₹ in Crore)

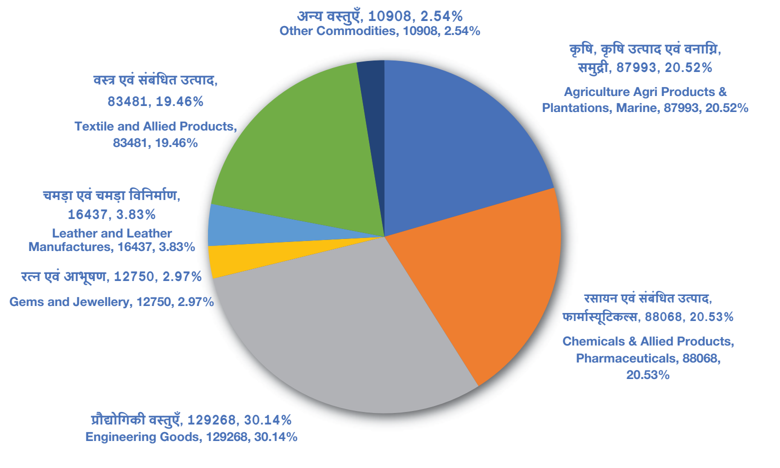

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT TRUST (NEIA)

The NEIA Trust has been established by the Government of India (GOI) with the objective of ensuring availability of credit risk cover for Medium and Long-Term exports (MLT) / project exports which are desirable from the point of view of national interest. The total grant-in-aid received by the Trust as of March 31, 2025 stands at ₹4,741 crore. During the FY 2024–25, the NEIA Trust has approved a claim of ₹130.33 crore to India Exim Bank under its Buyer's Credit (BC-NEIA) scheme, pertaining to the Buyer's Credit facility extended to Zambia.

इसके अतिरिक्त, ट्रस्ट द्वारा, ट्रस्ट के साथ जोखिम-साझाकरण व्यवस्था के अंतर्गत जारी अफ़गानिस्तान में परियोजनाओं के अंतर्गत हुए हानि के लिए ईसीजीसी के मध्यम एवं दीर्घावधि पॉलिसी रक्षा के अंतर्गत भारतीय परियोजना निर्यातकों को निपटाए गए दावों के लिए ईसीजीसी को ₹72.42 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति को मंजूरी प्रदान की गई है। ट्रस्ट की हामीदारी क्षमता ₹80,000 करोड़ है, जिसमें से 25% अर्थात ₹20,000 करोड़ कंपनी द्वारा जारी म.व.दी.अ. रक्षा को समर्थन देने के लिए निर्धारित किए गए हैं। 54 देशों में ₹43,571 करोड़ के कुल मूल्य वाली 213 परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने वाले 331 रक्षाओं के संबंध में ₹14,153.77 करोड़ तक का जोखिम एनईआईए ट्रस्ट के साथ साझा किया गया है। ₹80,000 करोड़ का शेष 75% अर्थात ₹60,000 करोड़ बीसी-एनईआईए के लिए निर्धारित है। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ट्रस्ट द्वारा कैमरून, कोटे डी आइवर, घाना, ईरान, मालदीव, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, सूरीनाम, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे देशों में ₹18,006 करोड़ मूल्य की 28 परियोजनाओं के लिए ₹25,097 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 28 खरीदार ऋण रक्षा जारी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान स्वीकार/निपटान किए गए दावों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 31 मार्च 2025 तक हामीदारी के लिए उपलब्ध कोष शून्य है। भारत सरकार इस ट्रस्ट की एकमात्र संस्थापक है तथा ईसीजीसी इसकी प्रबंध एजेंसी है।

ट्रस्ट का प्रबंधन कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी को ट्रस्ट द्वारा अर्जित गारंटी शुल्क आय का 5% प्रबंधन शुल्क के रूप में प्राप्त होता है, एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी को ट्रस्ट से प्रबंधन शुल्क के रूप में ₹0.80 करोड़ प्राप्त हुए।

फैक्टरिंग

पूर्ण विकसित फैक्टरिंग योजना (एफएफएफएस)

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 13 मई 2014 को आयोजित अपनी बैठक में मुख्य रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए पूर्ण फैक्टरिंग योजना (एफएफएफएस) को मंजूरी प्रदान की गई थी। वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी द्वारा एक निर्यातक को लाभान्वित करने वाले दो प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 16 बिलों की फैक्टरिंग की गई, जिनकी राशि ₹5.01 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष 10 बिलों की फैक्टरिंग की गई थी, जिसकी राशि ₹4.59 करोड़ थी, जो व्यवसाय मूल्य में 9.15% की वृद्धि दर्शाता है।

फैक्टरों को रक्षा

फैक्टरिंग कंपनियों को निर्यात प्राप्तियों के संबंध में भुगतान नहीं होने का जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि कभी-कभी आयात फैक्टर उपलब्ध नहीं होता अथवा महंगा होता है।

निदेशक मंडल एवं आईआरडीएआई के उचित अनुमोदन के साथ, कंपनी द्वारा निर्यात प्राप्य (फ़ैक्टर जोखिम) बीमा समझौता रक्षा प्रारंभ किया गया था, जो कि उनके एमएसएमई निर्यातक ग्राहकों से संबंधित

Additionally, the Trust has approved a reimbursement of ₹72.42 crore to ECGC for claims settled to Indian project exporters under ECGC's Medium- and Long-Term policy covers, for losses incurred under projects in Afghanistan, issued under risk-sharing arrangement with the Trust. The underwriting capacity of the Trust is ₹80,000 crore of which 25% amounting to ₹20,000 crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company. Risk to the extent of ₹14,153.77 crore, in respect of 331 covers supporting 213 projects with a total value of ₹43,571 crore in 54 countries, has been shared with the NEIA Trust. The balance 75% of ₹80,000 crore amounting to ₹60,000 crore is earmarked for the BC-NEIA. As of March 31, 2025 the Trust has issued 28 Buyer's Credit covers with an aggregate Maximum Liability of ₹25,097 crore for 28 projects of value ₹18,006 crore in the countries Cameroon, Cote D' Ivoire, Ghana, Iran, Maldives, Mauritania, Mozambique, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe. In view of the claims admitted/settled during the FY 2022-23, 2023-24 and 2024-25, the corpus available for underwriting is NIL as of March 31, 2025. The GOI is the sole settlor of the Trust and ECGC is the managing agency.

The Trust is managed by the Company. The Company receives 5% of guarantee fee income earned by the Trust as the management fee, and during the FY 2024-25 the Company received ₹0.80 crore as its management fee from the Trust.

FACTORING

Full Fledged Factoring Scheme (FFFS)

The Board of Directors had at its meeting held on May 13, 2014 approved the Full-Fledged Factoring Scheme (FFFS) primarily for MSME exporters. During the year 2024-25, the Company approved two proposals benefitting one exporter. During the FY 2024-25, 16 bills were factored amounting to ₹5.01 crore as against 10 bills amounting to ₹4.59 crore during the previous year showing a growth of 9.15% in the business value.

Cover to Factors

Factoring companies face risk of non-payment in respect of export receivables factored by them without recourse due to the reason that import factor is sometimes not available or is expensive.

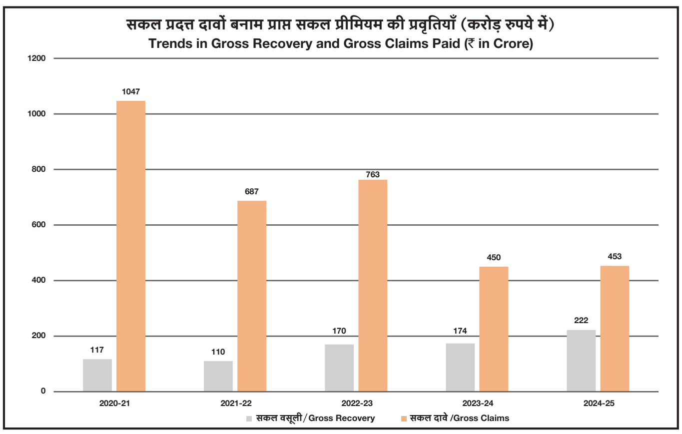

With the due approvals of the Board of Directors and the IRDAI, the Company had introduced Export Receivables (Factor's Risks) Insurance Agreement Cover to be issued to Factors / Financial Institutions / Banks for the export bills factored by them pertaining to their MSME exporter clients.

The product, Export Receivables (Factor's Risk) Insurance Agreement is meant to protect Factors / Financial Institutions /

निर्यात बिलों के लिए फैक्टर्स / वित्तीय संस्थानों / बैंकों को जारी किया जाना था।

निर्यात प्राप्य (कारक जोखिम) बीमा करार उत्पाद का उद्देश्य कारक/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों को संरक्षण प्रदान करना है, जिसमें उनके द्वारा बिल की फैक्टरिंग के जरिए निर्यातकों को प्रदान किया गया वित्त, खरीदार के जोखिम एवं राजनीतिक जोखिमों के कारण प्राप्त नहीं हो पाता है। वर्ष के दौरान कई फैक्टरिंग कंपनियों द्वारा डीटीए (घरेलू टैरिफ क्षेत्र) के लिए रक्षा के साथ-साथ आईएफएससी, गिफ्ट सिटी के जरिए फैक्टरिंग व्यवसाय के लिए अपनी रुचि दिखाने हेतु ईसीजीसी से संपर्क किया गया है। कंपनी द्वारा अभी तक इस उत्पाद के अंतर्गत कारोबार प्रारम्भ नहीं किया गया है।

निवेश

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इक्विटी शेयर, सावधि जमा आदि में निवेश से युक्त निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च, 2024 तक ₹16,133.94 करोड़ की तुलना में ₹17,229.04 करोड़ था, जो ₹1095.10 करोड़, अर्थात 6.79% की वृद्धि दर्शाती है। निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि निवेश से उत्पन्न अधिशेष के कारण हुईं।

कंपनी द्वारा निवेश के संबंध में सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। आईआरडीएआई द्वारा अनिवार्य श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 45% निवेश के लिए निवेश 71% रहा। आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित ''अन्य निवेश'' के रूप में वर्गीकृत साधनों में अधिकतम 15% की नियामक सीमा के लिए कंपनी के समक्ष दि. 31 मार्च, 2025 तक केवल 0.76% का जोखिम है। इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 65% की नियामक सीमा के विरुद्ध कंपनी के कुल ऋण पोर्टफोलियो में से 95.45% निवेश सरकारी प्रतिभूतियों एवं एएए रेटिंग वाले डिबेंचर में है। निवेश परिचालनों से उत्पन्न आय (निवेशों की बिक्री पर लाभ सहित) वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹1,253.81 करोड़ हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1,205.89 करोड़ थी, जिसमें 3.97% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान निवेश आय में वृद्धि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एयूएम) में वृद्धि के कारण हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निवेश पर प्रतिफल पिछले वर्ष के 7.83% के विरुद्ध 7.63% था। कंपनी के निवेश परिचालन मुख्य रूप से दावा भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने एवं जोखिम तथा रिटर्न के मध्य संतुलन बनाने के लिए संचालित किए जाते हैं।

खरीदार बीमांकन

प्रधान कार्यालय में खरीदार बीमा विभाग (बीयूडी) की भूमिका विभिन्न मापदंडों के आधार पर समग्र ऋण सीमा तय करना तथा व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खरीदारों के संदर्भ में समुचित हामीदारी निर्णय सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा विभिन्न ऋण सूचना एजेंसियों के माध्यम से खरीदारों के विषय में नवीनतम ऋण सूचना रिपोर्ट प्राप्त किया जाता है तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। प्रणाली द्वारा उत्पन्न डेटा तथा स्कोरकार्ड रेटिंग के आधार पर खरीदारों के संव्यवहार संबंधी व्यवहार की समीक्षा तथा रिपोर्ट के आधार पर, विदेशी खरीदारों पर समग्र ऋण सीमा तय की जाती है, जिसमें स्कोरकार्ड आधारित सुझाई गई सीमाएँ मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं।

Banks wherein the finance extended by them to the exporters by way of 'Factoring' the bill, remains unrealized owing to buyer's risks and political risks. During the year several Factoring Companies have approached ECGC for placing their interest for the cover for DTA (Domestic Tariff Area) as well as factoring business routed through IFSC, GIFT City. The Company is yet to commence business under the product.

INVESTMENTS

As of March 31, 2025, the investment portfolio comprising of investments in Government Securities, Corporate Bonds, Equity Shares, Fixed Deposits etc. stood at ₹17,229.04 crore as against ₹16,133.94 crore as of March 31, 2024 showing an increase of ₹1095.10 crore, i.e. a growth of 6.79%. The growth in the investment portfolio was on account of surplus generated from the investments.

The Company has complied with all the regulatory requirements in respect of investments. Investment under mandatory category stood at 71% as against minimum of 45% prescribed by the IRDAI. As of March 31, 2025 the Company has exposure of only 0.76% in instruments classified as "Other Investments", as against regulatory limit of maximum 15% prescribed by the IRDAI. Further, out of the Company's total debt portfolio, 95.45% of investments are in Government Securities and debentures rated AAA, as against regulatory limit of minimum 65% prescribed by the IRDAI. Income generated from investment operations (including profit on sale of investments) increased to ₹1,253.81 crore in the FY 2024-25 from ₹1,205.89 crore in the FY 2023-24, recording an increase of 3.97%. Increase in the investment income during the year was mainly due to increase in the Asset Under management (AUM) of the Investment portfolio, as mentioned above. The yield on investment for the FY 2024-25 was 7.63% as against 7.83% for the previous year. The Company's investment operations are conducted mainly to ensure adequate liquidity to meet claim payments and to strike a trade-off between risk and return.

BUYER UNDERWRITING

The role of the Buyer Underwriting Department (BUD) at Head Office is to ensure sound underwriting decisions on buyers by fixing overall credit limits on the basis of various parameters and taking into account the business requirements. The department obtains and analyses latest credit information reports on buyers from various Credit Information Agencies. Based on the reports and review of the transactional behaviour of buyers on the basis of system-generated data and the scorecard rating, overall credit limits are decided on overseas buyers with the scorecard based suggested limits serving as a guiding post.

जैसा कि ऊपर बताया गया है, विभिन्न ऋण सूचना एजेंसियों से खरीदारों के संदर्भ में प्राप्त रिपोर्टों को डिजिटल किया जाता है, ताकि उन्हें बीमांकन उद्देश्य हेतु अधिकारियों के लिए प्रणाली में सुलभ बनाया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कोई नई ऋण सूचना एजेंसी सूचीबद्ध नहीं की गई और ऋण सूचना एजेंसियों की कुल संख्या 11 बनी रही।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त ऋण सीमा आवेदनों की संख्या 33,028 थी, जो पिछले वर्ष के 35,255 की तुलना में 6.31 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 71,879 विदेशी खरीदारों पर ₹1,45,102 करोड़ की कुल समग्र सीमा (ओएल) तय की गई, जबकि पिछले वर्ष 85,728 खरीदारों पर ₹66,608 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के डेटाबेस में जोड़े गए नए खरीदारों की संख्या 29,096 थी, जो पिछले वर्ष के 23,221 नए खरीदारों की तुलना में 25.30% से अधिक की वृद्धि दर्शाती है।

खरीदारों पर निर्धारित समग्र सीमा (ओएल) की मात्रा में सुदृढ़ वृद्धि, नए खरीदारों की संख्या में वृद्धि और रद्द की गई ऋण सीमाओं की बहाली ने अल्पावधि पॉलिसी कारोबार प्रीमियम में 11.73% की वृद्धि को समर्थन दिया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख देशवार जोखिम मूल्य (करोड़ रुपये में)
Major Country Wise Risk Value for FY 2024-25 (₹ in Crore)

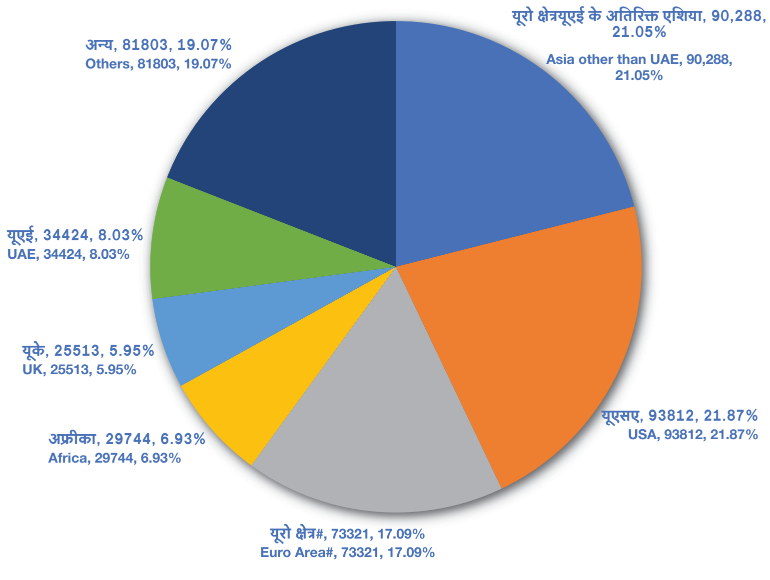

देश बीमा

देश बीमा राजनीतिक और आर्थिक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और माप से संबंधित है। विदेशी देशों में जोखिमों और व्यावसायिक जोखिम स्तरों की निगरानी के लिए इसका प्रभाव महत्वपूर्ण है। देश बीमा विभाग का मुख्य कार्य देश के जोखिम मापदंडों का आकलन और मात्रा निर्धारित करना है। यह ईसीजीसी निर्यातकों और अन्य हितधारकों को किसी देश के जोखिम प्रोफ़ाइल को प्रभावी ढंग से समझने में सक्षम बनाता है।

कंपनी के पास एक इन-हाउस ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग प्रणाली है जो ए1 (नगण्य जोखिम), ए2 (कम जोखिम), बी1 (मध्यम रूप से कम जोखिम), बी2 (मध्यम जोखिम), सी1 (मध्यम रूप से उच्च जोखिम), सी2 (उच्च जोखिम) और डी (बहुत अधिक जोखिम) के सात-स्तरीय वर्गीकरण पर देशों के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा एवं मैपिंग करता है। स्कोरिंग प्रणाली राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और वित्तीय जोखिमों सहित बहुआयामी जोखिमों से रक्षा प्रदान करने वाले सात व्यापक मापदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। परिणामी देश रेटिंग का प्रीमियम की गणना, रक्षा के प्रकार और शर्तों के निर्धारण और निर्यात गंतव्यों पर लेनदेन को हामीदारी करने की क्षमता के माप पर प्रभाव पड़ता

Reports received on buyers from different credit information agencies, as mentioned above, are digitalized to make them accessible in the system to the officials for the underwriting purpose.

During the FY 2024-25, no new credit information agency was empanelled and the total number of credit information agencies continued to be 11.

The number of credit limit applications received in the FY 2024-25 was 33,028 showing a negative growth of 6.31 percent as against 35,255 in the previous year. During the FY 2024-25, an aggregate Overall Limit (OL) of ₹1,45,102 crore was fixed on 71,879 foreign buyers as compared to ₹66,608 crore on 85,728 buyers in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during the FY 2024-25 was 29,096 registering a growth of more than 25.30% compared to previous year's addition of 23,221 new buyers.

The strong growth in amount of aggregate Overall Limits (OL) fixed on buyers, number of new buyers added and restoration of cancelled credit limits, supported 11.73% growth in Short-Term policy business premium.

COUNTRY UNDERWRITING

Country Underwriting deals with the identification, evaluation and measurement of political and economic risks. Its impact is vital for monitoring risks and business exposure levels in foreign nations. The main task of the Country Underwriting Department is to assess and quantify country risk parameters. This enables ECGC exporters and other stakeholders to effectively comprehend the risk profile of a country.

The company has an in-house objective scoring system that reviews and maps the risk profile of countries on a seven-fold classification of 'A1' (Insignificant risk), 'A2' (Low Risk), 'B1'(Moderately Low Risk), 'B2' (Moderate Risk), 'C1 '(Moderately High Risk), 'C2' (High Risk) and 'D' (Very High Risk). The scoring system evaluates countries based on seven broad parameters that cover multidimensional risks, including political, socio-economic and financial risks. The resulting country rating has an impact on the calculation of premium, determination of type and terms of cover, and measurement of the capacity to underwrite transactions on export destinations. The Company's products are of two main

है। कंपनी के उत्पाद प्रदान किए गए रक्षा की अवधि के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में आते हैं अल्पावधि (एसटी) और मध्यम से दीर्घावधि (म.व.दी.अ.)। किसी देश का जोखिम प्रोफाइल समय अवधि के आधार पर भी परिवर्तित होता है। इसलिए, दो अलग-अलग जोखिम स्कोरिंग मॉडल अर्थात् एसटी और एमएलटी देश जोखिम रेटिंग मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन दोनों स्कोरिंग प्रणालियों के मध्य विभिन्न अंतर हैं, जिनमें इनपुट वेरीएबल और घटक मापदंडों के लिए दिए गए भारांक शामिल हैं।

देशों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा वार्षिक, अर्धवार्षिक और, यदि आवश्यक हो, तो तदर्थ आधार पर नवीनतम आर्थिक और राजनीतिक विकास को ध्यान में रखते हुए की जाती है। किसी देश का जोखिम वर्गीकरण, उस देश में रक्षित संव्यवहार के संदर्भ में प्रीमियम के राजनीतिक जोखिम घटक को प्रभावित करता है। इसलिए, यह सुनिश्चितकरना आवश्यक है कि जोखिम वर्गीकरण वर्तमान स्थिति को सटीक रूप से दर्शाता हो।

देश जोखिम वर्गीकरण

क) नवीनतम वार्षिक समीक्षा मई 2024 में की गई और अर्धवार्षिक समीक्षा अक्टूबर 2024 में की गई।

ख) कंपनी द्वारा समीक्षा किये गए देशों की कुल संख्या 239 थी।

ग) दिनांक 31 मार्च 2025 तक देश जोखिम वर्गीकरण का सारांश इस प्रकार है:

categories based on the duration of cover provided – Short-Term (ST) and Medium to Long Term (MLT). The risk profile of a country also changes depending on the time horizon. Therefore, two separate risk scoring models are used – namely the ST and MLT country risk rating models. There are several differences between the two scoring systems including the input variables and the weights assigned to the component parameters.

A review of the risk classification of countries is carried out on a yearly, half-yearly and, if necessary, on an ad-hoc basis taking into account the latest economic and political developments. The risk classification of a country impacts the political risk component of the premium in respect of transactions covered on the subject country. Hence, it is essential to ensure that the risk classification accurately reflects the current situation.

Country Risk Classification

a) The latest annual review was carried out in May 2024 and the half yearly review was conducted in October 2024.

b) The total number of countries reviewed by the company stood at 239.

c) The summary of country risk classification as of March 31, 2025 is as follows:

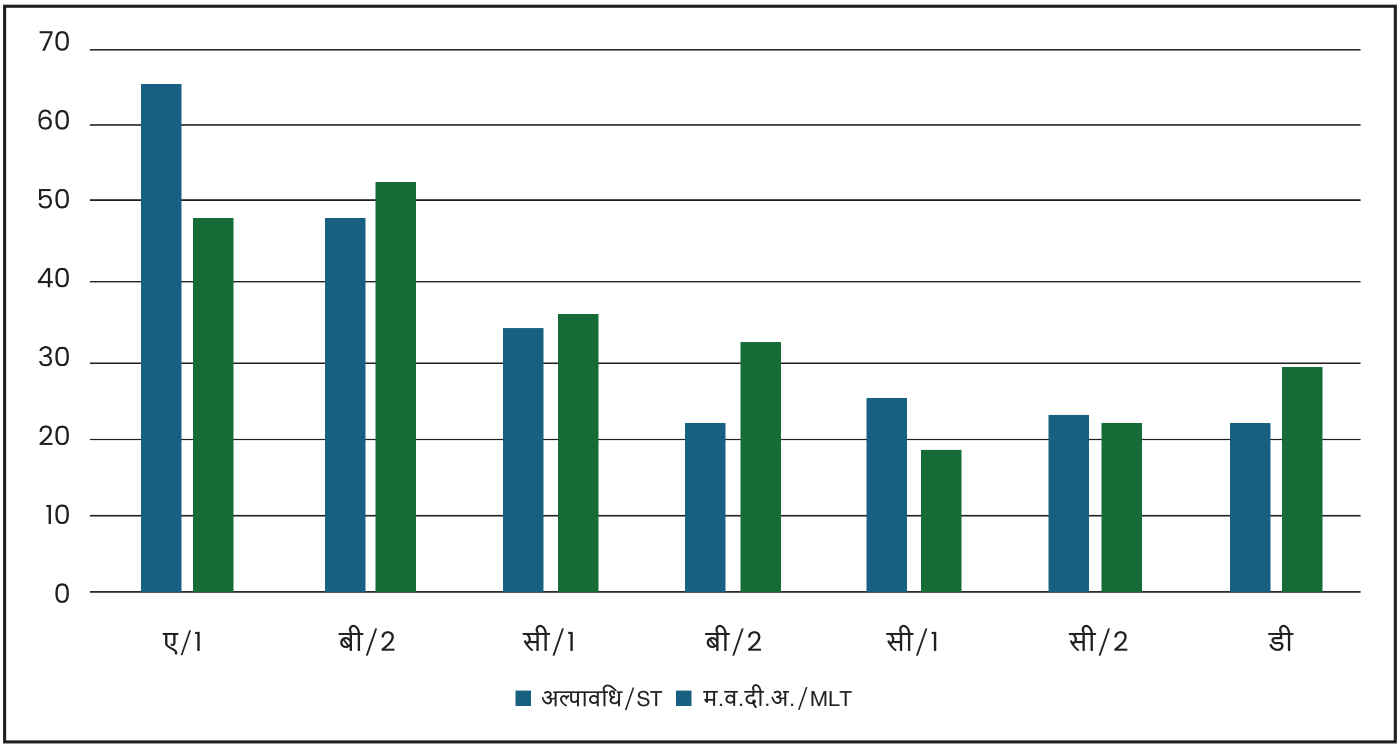

रेटिंग/Rating	ए1/A1	ए2/A2	बी1/B1	बी2/B2	सी1/C1	सी2/C2	डी/D
अ अ/ST	65	48	34	22	25	23	22
म.व.दी.अ./MLT	48	53	36	32	19	22	29

*दिनांक 09 अगस्त 2019 से पाकिस्तान म.व.दी.अ. के अंतर्गत रक्षा से बाहर है

*Pakistan is off-cover under MLT w.e.f. August 09, 2019

देश रक्षा

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी द्वारा कुल 239 देशों को रेटिंग प्रदान की गई है। इनमें से 185 देशों को खुली रक्षा में, 29 देशों को प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी-I में (जहाँ परिक्रामी सीमाएँ स्वीकृत की जाती हैं जो सामान्यतः एक वर्ष के लिए वैध होती हैं) और 25 देशों को प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी-II (जहाँ विशिष्ट स्वीकृति मामला दर मामला आधार पर दी जाती है) में रखा गया है।

Country Cover

As of March 31, 2025, a total of 239 countries are rated by the Company. Out of these, 185 Countries are placed in Open Cover, 29 countries in Restricted Cover Category-I (where revolving limits are approved normally valid for a year) and 25 countries in Restricted Cover Category-II (where Specific Approval is given on a case-to-case basis).

देश जोखिम सीमा

देश जोखिम सीमा (सीईएल) समग्र देयता निर्धारित करती है, जिसे कंपनी किसी देश पर वाणिज्यिक और राजनीतिक दोनों जोखिमों के अंतर्गत किसी भी समय जारी की गई अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत सभी रक्षाओं के संदर्भ में स्वीकार करती है।

सीईएल को एक व्यापक सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कंपनी द्वारा अल्पावधि पॉलिसी के अंतर्गत अलग-अलग देश-वार सीमा (सीओएल) जारी करने के लिए आवंटित उप-सीमाएं शामिल हैं, ताकि जोखिमों की समुचित निगरानी सुनिश्चित की जा सके। कंपनी की जोखिम क्षमता में किसी भी परिवर्तन को दर्शाने और ऐसे देशों पर जोखिम की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए देश जोखिम वर्गीकरण में परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है।

सीईएल की समीक्षा वार्षिक आधार पर तथा तदर्थ आधार पर भी की जाती है, जिसमें अप्रत्याशित पर्यावरणीय-राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर किसी देश की जोखिम रेटिंग में परिवर्तन होने की स्थिति भी शामिल है।

Country Exposure Limit

The Country Exposure Limit (CEL) sets the aggregate liability that the Company accepts on a country for all the covers under short-term policies issued at any point of time under both commercial and political risks.

The CEL is defined as an all-encompassing limit with sub-limits allotted for issuance of discrete Country-wise Limits (CoL) by the Company under short-term policy to ensure appropriate monitoring of exposures. The changes in the country risk classification are taken into account to reflect any change in the Company's risk appetite and to periodically review exposure on such countries.

The CEL is reviewed annually as well as on an ad-hoc basis, including situations when there is a change in the risk rating of a country based on unexpected eco-political changes.

पुनर्बीमा

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के पास अल्पावधि पॉलिसी और अल्पावधि ईसीआईबी के लिए 16.75% (एससीओआर 4%, जीआईसी री 4%, सिंगापुर री 1%, लिबर्टी म्यूचुअल रीइंश्योरेंस 2%, एक्सिस री 1%, एससीआर मोरक्को 0.50%, ओडिसी रीइंश्योरेंस कंपनी 0.50%, सीरियस पॉइंट 0.75%, क्यूबीई री 0.50%, एट्रैडियस री 0.50%, हनोवर री 2%) की सीमा तक आनुपातिक (कोटा शेयर-क्यू एस) पुनर्बीमा संधि और भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबी) और क्रॉस-बॉर्डर पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआर) से मध्यम और दीर्घावधि, घरेलू और आवक फैकल्टीवेटिव के लिए 16% (एससीओआर 4%, जीआईसी री 4%, सिंगापुर री 1%, लिबर्टी म्यूचुअल रीइंश्योरेंस 2%, एक्सिस री 1%, एससीआर मोरक्को 0.50%, ओडिसी रीइंश्योरेंस कंपनी 0.50%, क्यूबीई री 0.50%, एट्रैडियस री 0.50%, हनोवर री 2%) के साथ-साथ म.व.दी.अ. रक्षा सहित सम्पूर्ण कारोबार के लिए जीआईसी री से अनिवार्य 4% पुनर्बीमा (क्यूएस) रक्षा थी। कंपनी ने अल्पावधि (पॉलिसी और ईसीआईबी रक्षा दोनों) के अंतर्गत बड़े जोखिमों के लिए कोई अतिरिक्त हानि रक्षा नहीं लिया था, क्योंकि पॉलिसी या ईसीआईबी दोनों के अंतर्गत चूक या दावों के लिए देखे गए रुझानों के मद्देनजर इसकी आवश्यकता नहीं थी।

REINSURANCE

For the FY 2024-25 the company had a proportional (Quota Share-QS) Reinsurance Treaty to the extent of 16.75% for Short-Term Policy and Short-Term ECIB (SCOR 4%, GIC Re 4%, Singapore Re 1%, Liberty Mutual Reinsurance 2%, Axis Re 1%, SCR Morocco 0.50%, Odyssey Reinsurance Company 0.50%, Sirius Point 0.75%, QBE Re 0.50%, Atradius Re 0.50%, Hannover Re 2%) and 16% for Medium and Long Term, Domestic and Inward facultative (SCOR 4%, GIC Re 4%, Singapore Re 1%, Liberty Mutual Reinsurance 2%, Axis Re 1%, SCR Morocco 0.50%, Odyssey Reinsurance Company 0.50%, QBE Re 0.50%, Atradius Re 0.50%, Hannover Re 2%) from Indian Reinsurers, Foreign Reinsurance Branches (FRB) and Cross-Border Reinsurers (CBR) along with the obligatory 4% reinsurance (QS) cover from GIC Re for the entire business including MLT covers. The Company had not taken any Excess of Loss covers for large risks under Short-Term (both Policy and ECIB covers) as the same was not required in view of the trends observed for defaults or claims under both Policy or ECIB.

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन के दायरे में कंपनी द्वारा उठाए गए जोखिमों के समग्र स्तर की पहचान, माप, निगरानी, नियंत्रण और हस्तांतरण शामिल है। जोखिम प्रबंधन गतिविधियाँ कंपनी को अपनी हामीदारी पॉलिसी और इसके रक्षा की शर्तों, जोखिम मूल्यांकन, विनियामक आवश्यकता, वित्तीय व्यवहार्यता

RISK MANAGEMENT

The scope of Risk Management includes identification, measurement, monitoring, control and transfer of the overall level of risks undertaken by the Company. The risk management activities help the Company decide its underwriting policy and the terms of its cover, risk assessment, regulatory requirement, financial viability and

और दीर्घावधि स्थिरता को निर्धारित करने में मदद करती हैं। मौजूदा संगठन संरचना और अभ्यास जो छह दशकों से अधिक समय में विकसित हुए हैं, उनमें मौलिक संरचनाएँ शामिल हैं जिन्हें जोखिम कार्य में बनाया जा सकता है। कंपनी द्वारा 2011 में विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानदंड पेश किए गए और एकल निर्यातक, निर्यातक समूह, खरीदार, उद्योग और देश के लिए जोखिम सीमाएँ निर्धारित कीं गई। पोर्टफोलियो के संकेन्द्रण जोखिम का प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंकों को जारी किए गए डब्ल्यू टी रक्षा के अंतर्गत रत्न, आभूषण और हीरा (जीजेडी) क्षेत्र को नए निर्यात ऋण सीमाओं पर रक्षा के अस्थायी निलंबन की शुरुआत करके और देश जोखिम सीमा निर्धारित करने के लिए मानदंड शुरू करके जोखिम मानदंडों को संशोधित किया गया था। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रति निर्यातक / निर्यातक समूह ₹100 करोड़ तक की सीमा के लिए कंपनी की बैंकों के लिए संपूर्ण-पण्यावर्त निर्यात ऋण बीमा (डब्ल्यूटी-ईसीआईबी) योजना के अंतर्गत जीजेडी खातों को रक्षा प्रदान करने के लिए हामीदारी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। निर्यातकों के खातों में सामान्य रक्षा प्रतिशत को तब वृद्धि किया जाएगा जब प्रीमियम दरों में कोई परिवर्तन किए बिना कुल सीमा प्रति निर्यातक समूह ₹100 करोड़ के भीतर बनी रहे।

वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने बैंक के शीर्ष-रेटेड खातों के लिए फार्मास्यूटिकल और प्रौद्योगिकी वस्तुओं के लिए एसटी ईसीआईबी योजनाओं के अंतर्गत निर्यातक / निर्यातक समूह के लिए ₹5000 करोड़ की जोखिम सीमा की समीक्षा की और उसमें वृद्धि की।

जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गई है और कंपनी के जोखिम प्रबंधन के दायरे को और बढ़ाया और मजबूत किया गया है। कंपनी ने अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचे के माध्यम से जोखिम प्रोफ़ाइल को विनियमित करने के लिए एक उद्यम-व्यापी सूचना प्रणाली स्थापित की है।

कंपनी सूचना और साइबर सुरक्षा जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने पर केंद्रित है। कंपनी ने सुदृढ़ सुरक्षा नियंत्रण लागू किए हैं और एक व्यापक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) ढांचा स्थापित किया है। कंपनी ने एक सुपरिभाषित व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) ढांचा भी स्थापित किया है। आईआरडीएआई सूचना और साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 24 अप्रैल, 2023 को कंपनी ने वार्षिक साइबर सुरक्षा आश्वासन लेखापरीक्षा करने के लिए सर्ट-इन पैनल लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

वसूली

एसटी-ईसीआईबी: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भुगतान किए गए और वसूली के लिए लंबित दावों पर ₹165.35 करोड़ की राशि वसूल की गई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के लिए ₹124.65 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

एसटी-पॉलिसी: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान किए गए और अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत वसूली के लिए लंबित दावों के संदर्भ में ₹19.87 करोड़ की राशि वसूल की गई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान ₹19.35 करोड़ की वसूली हुई थी।

long-term sustainability. The existing organization structure and practices that have evolved over more than six decades incorporate fundamental structures that can be built upon in the risk function. The Company introduced prudential risk management norms in 2011 and fixed exposure limits for a single exporter, an exporter group, a buyer, an industry and a country. Managing the concentration risk of a portfolio is a continuous process.

During the FY 2014-15, the exposure norms were modified by introducing temporary suspension of cover on fresh export credit limits to the Gems, Jewelry and Diamond (GJD) sector under WT covers issued to banks and also by introducing criteria for fixing Country Exposure Limits. Based on the experience in the past few years, the underwriting guidelines have been modified for covering GJD accounts under the Whole-Turnover Export credit insurance for Banks (WT-ECIB) scheme of the company for the limits up to ₹100 crore per exporter/ exporter-group with effect from the FY 2022-23. Normal cover percentage to be extended to these exporter accounts till such time as the total limit remains within ₹100 crore per exporter-group, without any change in the premium rates.

During the year 2024-25, the Company had reviewed and enhanced the exposure limits of ₹5000 crores for exporter / exporter group under ST-ECIB Schemes for Pharmaceutical and Engineering goods for bank's top-rated accounts.

The Risk Management Policy has been reviewed and the scope of Company's risk management is further enhanced and strengthened. The Company has established an enterprise-wide information system to regulate the risk profile through its internal risk management framework.

The Company is focussed on effectively managing the Information and Cyber Security risks. The Company has implemented robust security controls and established a Comprehensive Information Security Management System (ISMS) framework. The Company has also established a well-defined Business Continuity Management System (BCMS) framework. As per the IRDAI Information and Cyber Security guidelines dated April 24, 2023 the company has appointed CERT-In empanelled auditor for conducting Annual Cyber Security Assurance audit.

RECOVERIES

ST-ECIB: During the FY 2024-25, a sum of ₹165.35 crore was recovered against claims paid and pending for recovery compared to ₹124.65 crore, for the same period, in the previous FY.

ST-Policy: During the FY 2024-25, a sum of ₹19.87 crore was recovered in respect of the claims paid under policy and pending for recovery under Short Term Policies compared to ₹19.35 crore recovered during the same period in the previous FY.

म.व.दी.अ.-पॉलिसी: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भुगतान किए गए और वसूली के लिए लंबित दावों पर ₹36.81 करोड़ की वसूली हुई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹29.90 करोड़ की वसूली हुई थी।

पॉलिसी और ईसीआईबी के अंतर्गत वसूली में सुधार के लिए की गई पहल:

1. **पॉलिसी**

   नई ऋण वसूली एजेंसियों (डीसीए) को सूचीबद्ध किया जा रहा है और पहले से सूचीबद्ध डीसीए के निष्पादन की निगरानी की जा रही है। जिन पॉलिसीधारकों ने चूक की रिपोर्ट की है, उन्हें चूक के चरण में ही डीसीए के समक्ष मामला प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि इससे वसूली में सुधार के संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

2. **ईसीआईबी**

   इन मामलों की निगरानी प्रधान कार्यालय से की जाती है और ऐसे मामलों में, जहां बैंक वसूली साझा नहीं कर रहे हैं या मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, विभाग द्वारा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम पर अद्यतन जानकारी

कंपनी द्वारा अपने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) रिवैम्प प्रोजेक्ट-स्माइल को 16 अगस्त, 2024 से 62 कोर सेवाओं के साथ शुरू करने की दिशा में प्रगति की गई है। इस प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन 13 सितंबर, 2024 को माननीय केंद्रीय वाणिज्यएवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी द्वारा 91 लेग-1 सेवाओं में से कुल 73 प्रारंभ किए गए हैं। शेष 18 सेवाओं में से, 14 सेवाओं के संदर्भ में जून 2025 के अंत तक शुरुआत किए जाने की उम्मीद है। परियोजना निर्यात से संबंधित चार सेवाएं विकास के चरण में हैं।

विपणन एवं प्रचार

विपणन एवं प्रचार राष्ट्रीय विपणन विभाग (एनएमडी) कंपनी के विपणन, विज्ञापन, प्रचार एवं संबंधित गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है।

यह विभाग शाखाओं के लिए व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारित करने तथा विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष निष्पादन की निगरानी करने की जिम्मेदारी वहन करता है। विभाग क्षेत्र/शाखा/विभाग प्रमुखों के साथ कंपनी के व्यावसायिक निष्पादन की समीक्षा करता है, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) करते हैं।

कंपनी निर्यात ऋण जोखिम बीमा के अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, विभिन्न निर्यात संवर्धन एजेंसियों जैसे निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफआईईओ), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) आदि के साथ निकट समन्वय में भी कार्य करती है।

विपणन प्रयासों के एक भाग के रूप में, निर्यातकों और बैंकरों के लाभ हेतु बीमा शिक्षा/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त, कौशल विकास कार्यक्रम, ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत दौरे भी किए गए। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने पॉलिसी नियमों और शर्तों सहित प्रमुख अनुपालन प्रक्रियाओं के विषय में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए 285 से अधिक बैठकें आयोजित कीं। सेवा तंत्र के अंतर्गत

MLT-Policy: During the FY 2024-25, there was recovery of ₹36.81 crore against claims paid and pending for recovery as against recovery of ₹29.90 crore during the previous FY.

Initiative taken to improve recovery under Policy and ECIB:

1. **Policy**
   Fresh Debt Collection Agencies (DCAs) are being empanelled and performance tracking of already empanelled DCAs is being done. Policyholders who report defaults are encouraged to place the cases with DCAs at the default stage itself as this would have a positive impact in improving the recoverability.

2. **ECIB**
   The cases are monitored from the Head Office and in such cases, where the banks are not sharing recoveries or information sought is not being provided, the cases are pursued by follow up with the senior officials of the banks by the department.

Update on Information Technology Implementation Program

The Company has progressed with its Enterprise Resource Planning (ERP) Revamp Project – SMILE to the Go-Live with 62 core services from August 16, 2024. The system was formally inaugurated by Hon'ble Union Commerce and Industries Minister Shri Piyush Goyal. on September 13, 2024. As on March 31, 2025, a total of 73 out of 91 leg-1 services are signed off by the Company. Of the remaining 18 services, 14 services are expected to be signed off by end of June 2025. Four Services related to Project Exports are under development.

MARKETING AND PUBLICITY

The National Marketing Division (NMD) is responsible for marketing, advertising, publicity and related activities of the Company.

The Division bears the responsibility of fixing business targets for branches and monitoring the performance vis-à-vis the targets fixed under various parameters. The Division reviews the business performance of the Company with the Regional/Branch/Department Heads which is presided over by the Chairman-cum-Managing Director /Executive Director (Policy Matters).

The Company, besides focussing on its core business of export credit risk insurance, also works in close co-ordination with various export promotion agencies like Export Promotion Councils (EPCs), Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII) etc.

As a part of the marketing efforts, besides organizing insurance education/awareness programmes for the benefit of exporters and bankers, skill development programmes, personal visits to clients and potential clients were also undertaken. During the FY, the Company conducted more

ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के लिए 20,374 व्यक्तिगत दौरे किए गए। व्यापार निकायों जैसे कि एफ़आईईओ, सीआईआई, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी), इंडियन मर्चेंट चैंबर (आईएमसी) आदि के सहयोग से 80 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं।

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधान कार्यालय स्तर पर हितधारकों/ ग्राहकों के लिए 230 ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित की गई थी, जिनमें से 27 वीडियो कॉन्फ्रेंस में हितधारकों/ ग्राहकों ने प्रतिभागिता किया। प्रधान कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर 11 ऑन डिमांड वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गईं। निर्यातकों और बैंकों की सहायता के लिए निर्यात ऋण बीमा की पहुंच को सरल और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, ईसीजीसी लिमिटेड के प्रधान कार्यालय में दिनांक 03 दिसंबर, 2024 से एक सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2025 तक 13 ग्राहकों ने सीएफसी से संपर्क किया है।

इकनोमिक टाइम्स, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस आदि प्रमुख समाचार पत्रों की वेबसाइटों पर कंपनी के विज्ञापनों के प्रदर्शन के माध्यम से सक्रिय रूप से डिजिटल मार्केटिंग की गई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रकट प्रमुख देशवार सकल दावे (% अंश)

Major Country Wise Gross Claims Paid for FY 2024-25 (% Share)

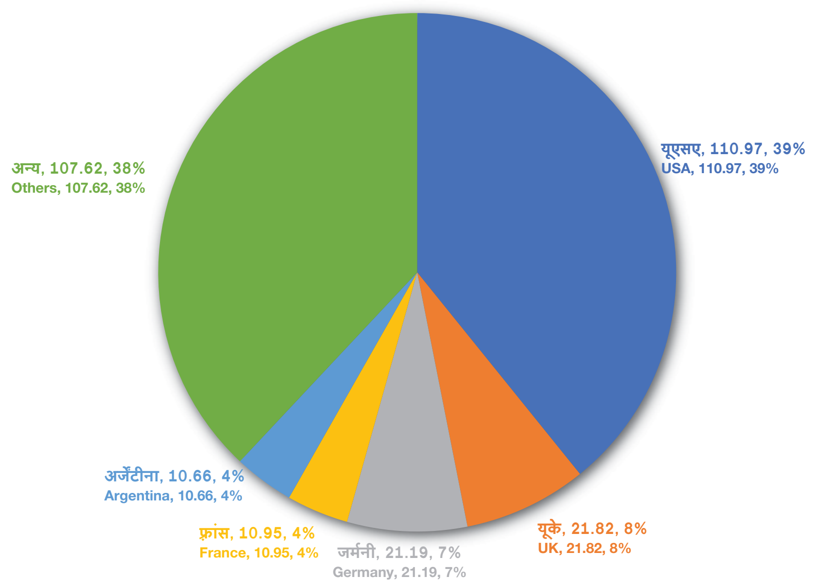

than 285 meetings to educate the customers about the major compliance procedures including policy terms and conditions. 20,374 personal visits to customers and potential customers were undertaken in the service network. There were more than 80 meetings conducted in association with trade bodies viz. FIEO, CII, Indian Chamber of Commerce (ICC), Indian Merchant's Chamber (IMC) etc.

The Company had also conducted 230 Online Video Conferencing for stakeholders / customers at Head Office level during the FY 2024-25 out of which 27 video conferences were attended by stakeholders / customers. In additio to Online Video Conferencing at Head Office level, 11 On-Demand Virtual Conference at Regional Office level were also conducted during the FY. For the purpose of simplifying and streamlining the access of export credit insurance to assist exporters and banks, a Common Facilitation Centre (CFC) has been set up at the Head Office of ECGC Limited from December 03, 2024, where 13 clients have approached the CFC till March 31, 2025.

Digital marketing was actively undertaken through display of the Company's advertisements on websites of prominent newspapers such as Economic Times, Mint, Business Standard, Business Line, Financial Express etc.

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, अ प्र नि एवं श्री सुबीर दास, का नि द्वारा मुंबई में निर्यात बीमा में निर्यातकों और बैंकों की सहायता के लिए 'सामान्य सुविधा केंद्र' का उद्घाटन किया गया।

A Common Facilitation Centre to assist exporters and banks in export insurance was inaugurated by Shri Sristiraj Ambastha, CMD and Shri Subir Das, ED in Mumbai.

भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में स्टार्टअप्स, निवेशकों और इनक्यूबेटर्स के एक समूह को संबोधित करते हुए ईसीजीसी लिमिटेड के अ प्र नि श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ।

Shri Sristiraj Ambastha, CMD ECGC Ltd., addressing a gathering of startups, investors, and incubators at Startup Mahakumbh 2025 being organized at Bharat Mandapam, New Delhi.

श्री सुबीर दास, कार्यपालक निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड, टाई ग्लोबल समिट 2024, बेंगलुरु में फ्यूचरप्रेन्योर्स को ''फ्यूचर बिल्डर्स: इन्वेस्टिंग इन टुमॉरो'स विजनरीज टुडे विषय पर संबोधित करते हुए''।

Shri Subir Das, Executive Director ECGC Ltd. addressing the Futurepreneurs at Tie Global Summit 2024, Bengaluru on the topic “Future Builders: Investing in Tomorrow’s Visionaries Today".

ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक श्री सुबीर दास, सुश्री सृष्टि कुल्ये को सम्मानित करते हुए, जिन्होंने टीआईएसएस द्वारा प्रबंधित और ईसीजीसी लिमिटेड की सीएसआर पहल के अंतर्गत समर्थित एम पावर लाइब्रेरी एवं अध्ययन केंद्र, देवनार, मुंबई में अध्ययन करते हुए यूपीएससी 'सिविल सेवा परीक्षा 2024'में अखिल भारतीय स्तर पर 831वीं रैंक प्राप्त की।

Shri Subir Das, ED, ECGC Ltd. felicitating Ms. Shrushti Kulye who successfully cleared UPSC "Civil Services Examination 2024" with AIR 831 having studied in M Power Library and Study Centre, Deonar, Mumbai managed by TISS and supported under CSR initiative of ECGC Ltd.

माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह, सशस्त्र सेना झंडा दिवस सीएसआर कॉन्क्लेव 2024 के दौरान श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, अ प्र नि, ईसीजीसी लिमिटेड को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के लिए ईसीजीसी के समर्थन के लिए सम्मानित करते हुए।

Hon'ble Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh felicitating Shri Sristiraj Ambastha, CMD, ECGC Ltd., at Armed Forces Flag Day CSR Conclave 2024 for ECGC's support towards Armed Forces Flag Day Fund.

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, अ प्र नि, ईसीजीसी लिमिटेड एवं श्री सुबीर दास, का नि, ईसीजीसी लिमिटेड कंपनी की सीएसआर पहल के अंतर्गत टाटा मेमोरियल सेंटर, परेल, मुंबई के निदेशक डॉ. सुदीप गुप्ता को ₹5.00 करोड़ रुपये का चेक सौंपते हुए।

Shri Sristiraj Ambastha, CMD ECGC Ltd. and Shri Subir Das, ED ECGC Ltd. handing over the cheque of ₹5.00 crore to Dr Sudeep Gupta, Director, Tata Memorial Centre, Parel, Mumbai under CSR initiatives of the Company.

ईसीजीसी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु "ख" क्षेत्र के अंतर्गत राजभाषा कीर्ति-प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिन्दी दिवस समारोह के दौरान उपस्थित माननीय श्री अमित शाह जी, गृहमंत्री, भारत सरकार। कंपनी की ओर से पुरस्कार गृहण करते हुए श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) एवं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त प्रभार।

ECGC has been awarded the Rajbhasha Kirti-Pratham Award under Region "B" for excellent implementation of Official Language Policy for the financial year 2023-24. Hon'ble Shri Amit Shah Ji, Home Minister, Government of India present during the Hindi Diwas celebrations. Shri Srishtiraj Ambastha, Executive Director (Policy Affairs) & Chairman cum Managing Director, Additional Charge, receiving the award on behalf of the company.

श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित व्यापार मंडल की बैठक के दौरान ईसीजीसी ईआरपी पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister for Commerce and Industry, Government of India launched the ECGC ERP Portal during the Board of Trade Meeting held in Mumbai.

वैकल्पिक विपणन और वितरण चैनल

ऋण बीमा उत्पादों के विपणन और वितरण को सुदृढ़ करने तथा भारत में ऋण बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए एनएमडी द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2025 तक 238 ब्रोकरों को सूचीबद्ध किया है। इस चैनल को और मजबूत बनाने और विस्तारित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। एनएमडी और क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय ब्रोकरों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, ताकि उन्हें विभिन्न पॉलिसियों की विशेषताओं के विषय में शिक्षित किया जा सके, ताकि वे कंपनी के बीमा रक्षाओं का प्रभावी ढंग से विपणन कर सकें, जिससे भारत के निर्यात सुरक्षा एवं संवर्धन हो सके।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, वैकल्पिक विपणन और वितरण चैनल के माध्यम से प्राप्त व्यवसाय के अंतर्गत अर्जित प्रीमियम ₹252.36 करोड़ था, जो एसटी पॉलिसी प्रीमियम आय ₹639.09 करोड़ का 39% है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल और सतत विकास (एसडी)

कंपनी द्वारा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर नीति अपनाई गई है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार उसे अपने पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% को प्रत्येक वर्ष विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करना आवश्यक है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियाँ स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, सतत विकास, दिव्यांगों के सशक्तिकरण और अनुसूचित जनजाति समुदाय को सहायता से संबंधित हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर कुल ₹30.77 करोड़ व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त, पहले से शुरू की गई परियोजनाओं के लिए अप्रयुक्त सीएसआर (यूसीएसआर) खाते में ₹14.22 करोड़ का आवंटन किया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) को ₹2.77 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है।

सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रमुख कार्यान्वयन साझेदार, जिला कलेक्टर कार्यालय, राजगढ़, मध्य प्रदेश (आकांक्षी जिला), टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), विवेकानंद केंद्र विद्यालय अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म सी-कैंप, सीकेएस फाउंडेशन, होप कोलकाता फाउंडेशन, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, निमहंस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर-स्टेट लिविंग (एसईआईएल) और विश्व मैत्री फाउंडेशन हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, कौशल विकास, दिव्यांगों को सहायता, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष और स्वच्छ भारत कोष में योगदान के क्षेत्र में विभिन्न पहल किए गए हैं। कंपनी ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम के एम-वार्ड क्षेत्र में छात्रवृत्ति वितरण और सामुदायिक अध्ययन केंद्रों के संचालन से संबंधित अपनी परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी टीआईएसएस को समर्थन देना जारी रखा। कंपनी अपनी सीएसआर पहलों के अंतर्गत आकांक्षी जिले राजगढ़ में विकास के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

ALTERNATE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

In order to strengthen the marketing and distribution of credit insurance products and to increase penetration of credit insurance in India, the NMD has empanelled 238 brokers as of March 31, 2025. Continuous efforts are being made to further strengthen and expand this channel. NMD and Regional/Branch Offices conduct workshops for brokers to educate them about the features of various Policies, to enable them to effectively market the Company's insurance covers, thereby protecting and promoting India's exports.

During the FY 2024-25, the premium earned under the business procured through the alternate marketing and distribution channel was ₹252.36 crore which constitutes 39% of the ST Policy premium income of ₹639.09 crore.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD)

The Company has adopted the CSR Policy as per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE). Accordingly, it is required to spend at least 2% of its last three years' average net profit every year for various CSR activities as per Section 135 of the Companies Act, 2013. The Company's CSR activities relate to health, nutrition, sanitation, primary education, skill development, sustainable development, empowerment of the differently-abled and support to the Scheduled Tribe community. An aggregate amount of ₹30.77 crore was spent on CSR activities of the Company during the FY 2024-25. Further, allocation of ₹14.22 crore has been made in the Unspent CSR (UCSR) account for the projects already initiated and an amount of ₹2.77 crore has been paid to the Swachh Bharat Kosh (SBK) for the FY 2024-25.

The major implementation partners for CSR activities are the Office of the District Collector, Rajgarh, Madhya Pradesh (Aspirational District), Tata Memorial Centre (TMC), Tata Institute of Social Sciences (TISS), Vivekananda Kendra Vidyalayas Arunachal Pradesh Trust, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) through Implementing Agency – Centre for Cellular and Molecular Platforms C-CAMP, CKS foundation, HOPE Kolkata Foundation, Sulabh International Social Service Organisation, Kendriya Sainik Board, NIMHANS, National Backward Classes Finance and Development Corporation, PM Internship Scheme, Leprosy Mission Trust of India, Student Experience in Inter-State Living (SEIL) and Vishwa Maitri Foundation. A number of initiatives have been undertaken in the fields of education, health care, nutrition, skill development, support to differently-abled, contribution to the Armed Forces Flag Day Fund and to Swachh Bharat Kosh. The Company continued to support the implementing agency TISS for its project related to distribution of scholarships and running of community study centres in M-Ward area of the Municipal Corporation of Greater Mumbai. Under its CSR initiatives, the Company has also been closely working with the District Administration for the development in the Aspirational District, Rajgarh.

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सक्रिय है। कंपनी द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। कंपनी को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। कंपनी को वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास-उपक्रम) द्वारा भी प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की माननीय तीसरी उप-समिति द्वारा हैदराबाद शाखा और कंपनी के प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया गया। उपरोक्त समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

कंपनी में सितंबर माह को हिंदी माह के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हिंदी माह (हिंदी माह 01 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक मनाया गया) के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिनांक 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने किया। कंपनी ने समारोह के आयोजन में अपना योगदान दिया है।

हिंदी माह के समापन के अवसर पर हिंदी माह समापन समारोह के दौरान कंपनी के अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के विभिन्न शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

कंपनी द्वारा कार्मिकों को उनके दैनिक कार्यालयीन कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। कंपनी अपने अधिकारियों को हिंदी में किए गए कार्य के लिए नकद पुरस्कार भी प्रदान करती है। कंपनी की आंतरिक पत्रिका अनुश्री में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ तीन लेखों के लिए कार्मिकों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए तथा उन सभी अधिकारियों को जिनके लेख पत्रिका में प्रकाशित हुए उन्हें नकद प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

कार्मिकों को अपने दैनिक आधिकारिक कार्यों में राजभाषा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभागों के कार्मिकों को अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। कंपनी की वेबसाइट भी द्विभाषी प्रारूप में उपलब्ध है।

कंपनी के अपने ग्राहकों के साथ राजभाषा में पत्राचार में लगातार वृद्धि देखी गई है। कंपनी के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड सॉफ्टवेयर की स्थापना कार्मिकों के लिए हिंदी में कार्य करने में सहायक है। शाखा कार्यालय अपने ग्राहकों अर्थात निर्यातकों और बैंकरों को हिंदी में ई-मेल प्रेषित करते हैं। कंपनी की वेबसाइट भी द्विभाषी में उपलब्ध है।

IMPLEMENTATION OF THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY

The Company is proactive in the implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The Company has achieved the targets laid down in the Annual Rajbhasha Programme for the FY 2024-25 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Company was conferred the 1st prize of the Rajbhasha Kirti Puraskaar by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for the FY 2023-24. The Company was also awarded the 1st prize by the Mumbai Town Official Language Implementation Committee (TOLIC-PSU) for effective implementation of the official language policy for the year 2023-24.

During the FY 2024-25, the Hon'ble third Sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language inspected Hyderabad Branch and the Head Office of the Company. The directions given by the above Committee have been complied with.

The Company celebrates the month of September as the Hindi month. Following this, various competitions were organized during the Hindi month (Hindi month was celebrated from September 01 to September 30, 2024) in which officers of every level participated enthusiastically. On September 14, 2024 on the occasion of Hindi Day, a conference of All India Official Language Officers was organized at Bharat Mandapam, New Delhi by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, which was inaugurated by Hon'ble Minister of State for Home Affairs of India, Shri Nityanand Rai. The Company has made its own contribution in organising the function.

On the occasion of the conclusion of Hindi month, "Hindi Maah Samapan Samaroh" an "All India Online Hindi Quiz Competition" was organized for the officers of the Company in which the officers from various Branch Offices, Regional Offices and Head Office Departments of the Company participated.

Various incentives have been introduced by the Company to encourage and motivate the employees for furtherance of the use of Hindi in their daily office work. The Company also gives cash rewards to the officers of the Company for the work done by them in Hindi. The employees were awarded special prizes for the best three articles published in the Company's in-house magazine "Anushree" and cash incentives were given to all officers who contributed their articles to the magazine.

To encourage employees to use Rajbhasha in their day-to-day official work, employees at branch offices, regional offices and at Head Office Departments are encouraged to compete every year for the "Chairman-cum-Managing Director's Official Language Award" for excellent implementation of the official language in their respective offices. The Company's correspondence In Rajbhasha with Its customers has shown a steady growth. Installation of Unicode software in all the computers of the Company is helpful for employees to work in Hindi. Branch Offices send emails in Hindi to their clients i.e. exporters and baners. The website of the Company is also available in bilingual.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुल 16 कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो कि सभी द्विभाषी थे। इन कार्यशालाओं में कुल 532 अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत राजभाषा नीति पर एक समर्पित सत्र शामिल था।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभागों में पदस्थ हिंदी अधिकारियों के लिए लखनऊ में अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों और कार्यालयों में पदस्थ कुल 62 अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान अधिकारियों को राजभाषा नियमों और राजभाषा नीति के अनुपालन के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास-उपक्रम) के तत्वावधान में कंपनी के प्रधान कार्यालय द्वारा मुंबई स्थित सदस्य-उपक्रमों के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-कार्यालयों तथा कंपनी के प्रधान कार्यालय के विभागों एवं मुंबई स्थित शाखाओं के 74 सदस्यों ने भाग लिया।

कंपनी के सभी शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा प्रधान कार्यालय के संबंधित शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाती है। जहां कहीं भी कमियां पाई जाती हैं, उन्हें दूर करने के उपाय किए जाते हैं। शाखा कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर उचित ध्यान देने के उद्देश्य से कंपनी के प्रधान कार्यालय के अधिकारियों (राजभाषा अधिकारियों) द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा प्रत्येक तिमाही में अखिल भारतीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक भी आयोजित की जाती है, जिसमें कंपनी के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा राजभाषा समीक्षा की जाती है। प्रधान कार्यालय के विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों में अधिकारियों द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है तथा वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

कंपनी के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और विभिन्न शाखा कार्यालयों को गृह मंत्रालय और संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जैसे विभिन्न संगठनों से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

वर्ष के दौरान, कंपनी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों, विदेशी निर्यात ऋण एजेंसियों और अन्य प्रासंगिक विदेशी संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया और संवाद शुरू किया। इन संवादों का प्राथमिक लक्ष्य सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से सूचना साझा करने और पुनर्बीमा के लिए संभावित साझेदारी की खोज करने के अवसर तलाशना था।

बैंकिंग और वित्तीय मामलों पर भारतीय-रूसी कार्य समूह का 27वां सत्र 12-13 अगस्त, 2024 को मास्को, रूस में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में ईसीजीसी लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), विदेश मंत्रालय (एमईए), वाणिज्य विभाग (डीओसी), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और पीएसयू बैंकों के अधिकारी शामिल थे। भारतीय

During the FY 2024-25, a total of 16 workshops and training programmes were conducted for officers and staff working at Head Office, Regional Offices and Branch offices, all of which were bilingual. a total of 532 officers and staff were trained in these workshops. All the programs included a dedicated session on Official Language Policy.

Apart from this, an All-India Official Language Officers' Conference was organized in Lucknow for Hindi Officers posted at various Branch Offices, Regional Offices and Departments of Head Office and a total of 62 officers posted at various Departments and Offices have participated. During this Conference, the officers were given detailed information about the compliance of Official Language Rules and Official Language Policy.

Under the aegis of the Mumbai Town Official Language Implementation Committee (TOLIC-PSU), a seminar was organized by the Company's Head Office for the member-PSUs located in Mumbai, in which 74 members from the member-offices of the Town Official Language Implementation Committee located in Mumbai and the departments of the Company's Head Office and branches located in Mumbai participated.

The meetings of the Official Language Implementation Committee are organized regularly at all the Branch Offices, Regional Offices and Head Office of the Company and the current position of implementation of Official Language Policy is discussed in detail in the respective Branch Offices, Regional Offices and Departments of the Head Office. Wherever deficiencies are found, measures are taken to rectify them. In order to give due attention to the implementation of the Official Language Policy at the Branch Offices and Regional Offices, inspections are done by the officers of the Head Office (Official Language officers) of the Company and a meeting of the All-India Official Language Implementation Committee is also organized in every quarter wherein official language review is done by the senior-most officers of the Company.

Head Office, Regional Offices and various Branch Offices of the Company have received awards from various organizations, such as, the Ministry of Home Affairs and related Town Official Language Implementation Committee.

INTERNATIONAL RELATIONS

During the year, the Company actively participated in and initiated dialogues with numerous international forums, foreign Export Credit Agencies and other relevant foreign institutions. The primary goal of these interactions was to explore avenues for enhanced cooperation, specifically information sharing and exploring potential partnerships for reinsurance.

The 27th Session of the Indian-Russian Working Group on Banking and Financial Matters 2024 was held during August 12-13, 2024 in Moscow, Russia. The Indian delegation included representatives from ECGC Limited, The Reserve Bank of India, officials from the Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of External Affairs (MEA), Department of Commerce (DoC), The Securities and Exchange Board of India (SEBI), Indian Banks' Association (IBA) and PSU Banks. The discussions between the Indian and Russian ECAs focused on mutual areas of cooperation such as bilateral trade, payment settlement mechanisms, insurance and reinsurance frameworks.

और रूसी ईसीए के बीच चर्चा में द्विपक्षीय व्यापार, भुगतान निपटान तंत्र, बीमा और पुनर्बीमा ढांचे जैसे सहयोग के पारस्परिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कंपनी ब्रिक्स निर्यात ऋण एजेंसी फोरम की सदस्य है जिसमें एबीजीएफ (ब्राजील), ईएक्सआईएआर (रूस), ईसीजीसी (भारत), सिनोश्योर (चीन) और ईसीआईसी एसए (दक्षिण अफ्रीका) शामिल हैं, जिसकी स्थापना राजनीति, अर्थशास्त्र, व्यापार और वित्त जैसे क्षेत्रों में अपने सदस्यों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए की गई थी।

ईसीजीसी ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को मास्को, रूस में आयोजित 7वीं ब्रिक्स ईसीए प्रमुखों की बैठक में भाग लिया। जहां सदस्यों के व्यावसायिक निष्पादन, ब्रिक्स ईसीए मंच के विकास के लिए दृष्टिकोण और विभिन्न सरकारों द्वारा शुरू किए गए और उनके संबंधित ईसीए द्वारा समर्थित एसएमई सहायता कार्यक्रमों के अवलोकन से संबंधित चर्चाएँ की गईं।

अफ्रीकी व्यापार और निवेश विकास बीमा (एटीआईडीआई) अफ्रीका में एक निवेश, व्यापार और राजनीतिक जोखिम-शमन संस्था है। यह क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक (निवेश) और वाणिज्यिक जोखिमों पर बीमा प्रदान करता है। ईसीजीसी ने 2019 में एटीआईडीआई में 11.7 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया। ईसीजीसी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ को एटीआईडीआई के वैकल्पिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे कंपनी को भारत सरकार की फोकस अफ्रीका योजना का समर्थन करने में सहायता मिलेगी, ताकि भारतीय निर्यातकों को अफ्रीकी बाजारों में अपनी उपस्थिती का विस्तार करने में मदद मिल सके।

दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 को जर्मनी के हैम्बर्ग में यूलर हर्मीस के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापार विकास, उत्पाद संवर्द्धन, हामीदारी प्रथाओं, दावों और वसूली प्रक्रियाओं जैसे सामान्य विषयों पर सहयोग करने के लिए चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने सहबीमा और पुनर्बीमा के रूप में जोखिम साझा करने की व्यवस्था तैयार करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।

कंपनी ने दिनांक 16-17 दिसंबर, 2024 के दौरान अबिदजान, कोटे डी आइवर में निप्पॉन एक्सपोर्ट एंड इनवेस्टमेंट इंश्योरेंस (नेक्सी), जापान द्वारा आयोजित तीसरे जापान-अफ्रीका पब्लिक-प्राइवेट इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया। इस मंच पर, दोनों पक्षों के आधिकारिक प्रतिनिधियों द्वारा मार्च, 2024 में कंपनी और नेक्सी के बीच ''पुनर्बीमा रूपरेखा समझौते'' पर हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा संयुक्त रूप से की गई। इस समझौते का उद्देश्य भारत और जापान के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए एक सामान्य रूपरेखा तैयार करना है और जहाँ उपयुक्त हो, पक्षों के मध्य पुनर्बीमा व्यवस्था के माध्यम से किसी तीसरे देश को परियोजना के हिस्से के रूप में अपने-अपने देशों से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करना है।

कंपनी वर्ष 1957 से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरर्स की सक्रिय सदस्य रही है, जिसे आमतौर पर बर्न यूनियन (बीयू) के नाम से जाना जाता है। निर्यात ऋण और निवेश बीमा के क्षेत्र में एक अग्रणी वैश्विक संघ के रूप में मान्यता प्राप्त, बीयू ने कंपनी का अपने प्रथम एशियाई सदस्य के रूप में स्वागत किया - यह एक ऐसा गौरव है जो संघ की गतिविधियों में इसकी दीर्घकालिक भागीदारी और योगदान को रेखांकित करता है। बीयू में सदस्यता निरंतर संवाद, अंतर्दृष्टि के

The Company is a member of the BRICS Export Credit Agencies Forum which includes ABGF (Brazil), EXIAR (Russia), ECGC (India), SINOSURE (China) and ECIC SA (South Africa), established to strengthen cooperation among its members in areas such as politics, economics, trade and finance.

ECGC participated in the 7th BRICS Heads of ECAs meeting held in Moscow, Russia on October 21, 2024. The discussions related to the business performance of the members, vision for development of the BRICS ECA platform and an overview of SME support programs initiated by various governments and supported by their respective ECAs.

The African Trade & Investment Development Insurance (ATIDI) is an investment, trade and political risk-mitigation institution in Africa. It provides insurance against political (investment) and commercial risks in order to attract foreign direct investment to the region. ECGC made an investment of USD 11.7 Million in ATIDI in 2019. Shri Sristiraj Ambastha, Chairman-cum-Managing Director, ECGC limited has been appointed as the substantive Director of ATIDI, representing the Republic of India. This will enable the Company to support the Government of India's "Focus Africa" scheme to help the Indian exporters to expand their footprints in the African markets.

A bilateral meeting with Euler Hermes was held on October 14, 2024 in Hamburg, Germany. The meeting focused on discussions to collaborate on common topics such as business development, product enhancement, underwriting practices, claims and recovery processes. The two sides also explored the prospects of working out a risk sharing mechanism in the form of coinsurance and reinsurance.

The Company participated in the Third Japan-Africa Public-Private Economic Forum, hosted by Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Japan, during December 16-17, 2024 in Abidjan, Cote D' Ivoire. At this forum, the signing of the "Reinsurance Framework Agreement" between the Company and NEXI in March, 2024, was jointly announced by the official representatives from both sides. The Agreement aims to create a general framework to increase cooperation for promotion of trade and investments between India and Japan and, where appropriate, the supply of goods and services from their respective countries as part of a project to a third country through reinsurance arrangement between the Parties.

The Company has been an active member of the International Union of Credit and Investment Insurers, commonly known as the Berne Union (BU) since 1957. Recognized as a leading global association in the field of export credit and investment insurance, the BU welcomed the Company as its first Asian member – a distinction that underscores its long-standing engagement and contribution to the Union's activities. Membership in the BU provides valuable opportunities for continuous dialogue, exchange of insights and sharing of best practices. These interactions have played a key role in fostering mutual understanding and shaping strong principles in export credit insurance. Collectively, BU members provide

आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। इन अंतःक्रियाओं ने आपसी समझ को बढ़ावा देने और निर्यात ऋण बीमा में मजबूत सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामूहिक रूप से, बीयू सदस्य वार्षिक लगभग 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान जोखिम संरक्षण प्रदान करते हैं, जो वैश्विक सीमा पार व्यापार का लगभग 12% रक्षित करता है। कंपनी बीयू की अल्पावधि (एसटी), मध्यम और दीर्घावधि (म.व.दी.अ.) और निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) समितियों में एक सक्रिय भागीदार है, जिनमें से सभी ने 2024-25 के दौरान व्यक्तिगत बैठकें कीं, जिसकी शुरुआत अप्रैल, 2024 में ओस्लो में आयोजित वसंत बैठक से हुई।

कंपनी निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए) के क्षेत्रीय सहयोग समूह (आरसीजी) की सदस्य है, जो एक विशेष मंच है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र से बर्न यूनियन के सदस्यों को एक साथ लाता है। ईसीजीसी द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2024 को ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित 75वीं आरसीजी बैठक में भाग लिया गया। यह मंच सदस्यों को क्षेत्र से संबंधित या समूह के सदस्यों के लिए सामान्य हित से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। बैठक के दौरान ब्याज दरों, ई-कॉमर्स, भू-राजनीतिक जोखिम आदि में सामान्य रुझानों से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

कंपनी द्वारा मार्च 2025 में एक्सपोर्ट फाइनेंस ऑस्ट्रेलिया (ईएफ़ए) द्वारा आयोजित 13वीं बर्न यूनियन क्षेत्रीय सहयोग समूह (आरसीजी) सीईओ स्तर की बैठक में भाग लिया गया। बैठक का उद्देश्य उभरते भू-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में आरसीजी सदस्यों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान को सुगम बनाना और सदस्य संगठनों के मध्य सहयोग बढ़ाने के अवसरों की खोज करना था। इसके अतिरिक्त, कंपनी का प्रतिनिधित्व दिनांक 15-17 अक्टूबर, 2024 को हैम्बर्ग, जर्मनी में आयोजित बर्न यूनियन वार्षिक साधारण बैठक में अधिकारियों द्वारा भी किया गया, जिसमें 80 से अधिक निर्यात ऋण एजेंसियों और बहुपक्षीय संस्थानों के वैश्विक प्रतिनिधिमंडल ने भी प्रतिनिधित्व किया।

मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 565 थी, जिसमें 544 कार्यपालक स्तर के और 21 गैर-कार्यपालक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। इसमें 144 महिला कर्मचारी शामिल हैं, जो कुल कार्यबल का लगभग 27 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 49 परिवीक्षाधीन अधिकारियों को शामिल करने के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें से 44 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने कंपनी की सेवाओं में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है एवं अप्रैल 2025 में शामिल होने की योजना है। शेष पदों को भी वर्ष के दौरान प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों से प्रस्ताव और स्वीकृति के अनुसार भरा जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान औद्योगिक संबंधों और श्रम कानूनों से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया। कंपनी में पूरे वर्ष सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए। कंपनी ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य, आर्थिक कल्याण आदि का ध्यान रखने के लिए, जहाँ आवश्यक हो, मौजूदा सुविधाएँ जारी रखीं।

प्रशिक्षण

निरंतर व्यावसायिक विकास के सर्वोपरि महत्व को मान्यता देते हुए, कंपनी व्यापक प्रशिक्षण पहलों में रणनीतिक रूप से निवेश करने के लिए

around USD 2.6 trillion in payment risk protection annually, covering approximately 12% of global cross-border trade. The Company is an active participant in the BU's Short-Term (ST), Medium and Long-Term (MLT) and Export Credit Agency (ECA) committees, all of which held in-person meetings during 2024–25, beginning with the Spring Meeting held in Oslo in April, 2024.

The Company is a member of the Regional Cooperation Group (RCG) of Export Credit Agencies (ECAs), a specialized forum that brings together Berne Union members from the Asia-Pacific region. ECGC participated in the 75th RCG Meeting that was held on April 22, 2024 in Oslo, Norway. The forum provides a platform to the members to discuss the issues specifically related to the region or of common interest to the members of the group. The topics related to general trends in interest rates, e-commerce, geopolitical risk etc., were discussed during the meeting.

The Company participated in the 13th Berne Union Regional Cooperation Group (RCG) CEO level meeting, hosted by Export Finance Australia (EFA) in March 2025. The meeting aimed to facilitate an exchange of perspectives on the challenges currently faced by RCG members in the evolving geopolitical and economic landscape and to explore opportunities for enhancing cooperation among the member organizations. Additionally, the Company was also represented by officials at the Berne Union Annual General Meeting held on October 15-17, 2024 in Hamburg, Germany, wherein a global delegation of more than 80 Export Credit Agencies and Multilateral Institutions were also represented.

HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS

The employee strength of the Company as of March 31, 2025 was 565 which comprises 544 executive-level and 21 non-executive level employees. This includes 144 women employees constituting almost 27 per cent of the total work force.

Recruitment examination to onboard 49 Probationary Officers for FY 2024-25 was conducted, out of which 44 Probationary Officers have accepted the offer to join the services of the Company and are slated to join in April 2025. Remaining positions will also be filled as per offer and acceptance from wait-listed candidates during the year.

All statutory provisions pertaining to industrial relations and labour laws were complied with during the FY 2024-25. Harmonious and cordial industrial relations were maintained throughout the year in the Company. The Company continued, where necessary, the existing facilities to take care of the employees' health, economic wellbeing, etc.

TRAINING

In recognition of the paramount importance of continuous professional development, the Company remains committed to strategically investing in comprehensive training initiatives.

प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कर्मचारी कौशल, दक्षताओं को बढ़ाने, निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए थे कि हमारे कार्यबल में उभरते उद्योग परिदृश्यों के माध्यम से नेविगेट करने और कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी द्वारा सभी स्तरों पर कार्मिकों के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए इन-हाउस और प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उ म प्र पद (वेतनमान-) तक के अधिकारियों को आईआईएम और आईआईएफटी जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, ग्रुप सी और डी के कार्मिकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य, रिकॉर्ड रखने और संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

कंपनी दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कंपनी में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडबल्यूडी) की श्रेणी के 20 कार्मिक कार्यरत थे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी की सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों का विवरण **अनुलग्नक** में प्रदान किया गया है।

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) का प्रतिनिधित्व:

कंपनी भर्ती में एससी/एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण से संबंधित प्रासंगिक नियमों का सख्ती से अनुपालन करती है। एससी और एसटी/अधिकारियों को प्रबंधक रैंक (वेतनमान-) तक पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत सरकार के प्रासंगिक निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी द्वारा पद-आधारित रोस्टर प्रणाली अपनाई है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरी गई आरक्षित रिक्तियों का विवरण **अनुलग्नक** में प्रदान किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक विभिन्न संवर्गों में कुल कार्यबल में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व अनुलग्नक में प्रदान किया गया है।

सामान्य प्रशासन

कंपनी का राजस्व और पूंजीगत व्यय समुचित रूप से नियंत्रित है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट के अधीन व्यय किया जाता है।

कंपनी के शाखा कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को बार-बार सूचित किया जाता है कि वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के माध्यम से खरीद के संदर्भ में भारत सरकार की नीति को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2018 में यह अनिवार्य किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की वार्षिक आवश्यकता की 25% खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से की जानी चाहिए। भारत सरकार ने उपर्युक्त 25% लक्ष्य के अधीन महिला उद्यमियों से वस्तुओं एवं सेवाओं की 3% खरीद तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

The programs were meticulously designed to enhance employee skills, competencies, foster a culture of continuous learning, and ensure our workforce possesses the requisite skills to navigate through evolving industry landscapes and contribute effectively to the achievement of the Company's objectives.

During the FY 2024-25, the Company organised meticulously designed both in-house and sponsored training programs for employees at all levels.

Officers up to DGM rank (Scale-VI) were imparted training through premier institutions, such as IIM and IIFT. Additionally, training programs focusing on mental well-being, record keeping and related areas were conducted for employees in Groups C and D.

REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY

The Company endeavours to provide employment to Persons with Disabilities. As of March 31, 2025, the Company had 20 employees on its roll belonging to the category of Persons with Disabilities (PwD). Details of Persons with Disabilities in the service of Company, in pursuance of the relevant provisions under The Rights of Persons with Disabilities, 2016, are furnished in **Annexure V.**

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES (SC), SCHEDULED TRIBES (ST), OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) AND ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS (EWS):

The Company strictly adheres to relevant rules relating to Reservation for SC/ST, OBC and EWS in recruitment. SC and ST employees/ officers are also given reservation in promotion up to Manager rank (Scale-III). In adherence to the relevant instructions from the Government of India, the Company has adopted a 'Post-based Roster system'. Details of 'Reserved vacancies filled through direct recruitment at different levels under reservation for SC, ST, OBC, EWS are furnished in **Annexure VI.** Representation of SCs, STs, OBCs, and EWSs in the total manpower in various cadres as of March 31, 2025 is furnished in **Annexure VII.**

GENERAL ADMINISTRATION

Revenue and Capital expenditure of the Company are properly controlled and incurred within the annual budget approved by the Board of Directors.

Branch Offices / Regional Offices of the Company are advised frequently to take necessary steps to implement the Government of India's Policy regarding procurement through Micro and Small Enterprises (MSEs). Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2018 mandates that 25% of procurement of annual requirement of

उद्यमियों से 4% खरीद का उप-लक्ष्य भी निर्धारित किया है। कंपनी द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की एक सूची तैयार की गई है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर एमएसई से खरीदा जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, मार्च, 2025 के अंत तक कंपनी की कुल खरीद ₹41.69 करोड़ थी, जिसमें से ₹16.49 करोड़ (39.55%) एमएसएमई के माध्यम से खरीदी गई और एमएसएमई के अधीन, ₹0.33 करोड़ (2%) की खरीद एससी/एसटी उद्यमियों के माध्यम से की गई, जबकि ₹1.54 करोड़ (9.36%) की खरीद महिला उद्यमियों के माध्यम से की गई। एमएसएमई को भुगतान में विलंब का कोई मामला सामने नहीं आया है।

कंपनी द्वारा ई-प्रकाशन नीति का अनुपालन किया गया है जो भारत सरकार की 2012 की ई-खरीद नीति का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से की गई खरीद ₹13.32 करोड़ थी जो कंपनी द्वारा की गई कुल खरीद का 31.96% है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल खरीद ₹13.25 करोड़ थी। निर्देशों के अनुसार, मार्च, 2025 तक के मासिक खरीद डेटा को एमएसएमई संबंध पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन

बीमा क्षेत्र में इंड एएस के कार्यान्वयन पर आईआरडीएआई द्वारा अपने पत्र संख्याः 100/2/इंड एएस-मिशन मोड/2022-23 दिनांक 14 जुलाई, 2022 और 100/2/इंड एएस-मिशन मोड/2022-23 दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से सूचित किया गया है कि इंड एएस के कार्यान्वयन से वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों, प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है और ऐसे में इन परिवर्तनों की योजना, प्रबंधन, परीक्षण और क्रियान्वयन को कार्यान्वयन से पहले ही किए जाने की आवश्यकता है। इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए परिचालन समिति का गठन आईआरडीएआई की सलाह के अनुसार किया गया है ताकि कार्यान्वयन की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा की जा सके, मुद्दों/चुनौतियों को चिन्हित किया जा सके और उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई की जा सके। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा इंड एएस के सफल कार्यान्वयन के लिए एक नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया गया था। कंपनी द्वारो नॉलेज पार्टनर के माध्यम से गैप असेसमेंट गतिविधि का परिचालन किया गया है और उसी के आधार पर, निर्धारित समय सीमा के भीतर मार्च 2025 माह में आईआरडीएआई को एक गैप असेसमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

कृत निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

सृष्टिराज अम्बष्ठ
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 10375617

स्थानः मुंबई
दिनांकः 27 मई, 2025

goods and services by Public Sector Undertakings should be from Micro and Small Enterprises (MSEs). The Government of India has also prescribed a sub-target of 3% procurement of goods and services from women enterprises and 4% from SC/ST entrepreneurs within the above-mentioned target of 25%. The Company has identified a list of goods and services which may be procured from MSEs as and when need arises. During the FY 2024-25, the total procurement of the Company at the end of March, 2025 stood at ₹41.69 crore, out of which ₹16.49 crore (39.55%) was procured through MSMEs and within MSME, procurement worth ₹0.33 crore (2%) was done through SC/ ST entrepreneurs whereas procurement of ₹1.54 crore (9.36%) was done through women entrepreneurs. There have been no reported cases of delayed payment to MSMEs.

The Company has complied with e-publishing policy which is a part of e-procurement policy of 2012 of the Government of India. Further, during the FY 2024-25, procurement done through the Government e-Marketplace (GeM) Portal amounted to ₹13.32 crore which is 31.96 % of the total procurement done by the Company, whereas during the FY 2023-24 the total procurement amounted to ₹13.25 crore. As per the directives, the monthly procurement data up to March, 2025 has been uploaded on the MSME Sambandh Portal.

IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

The IRDAI has vide its letter No.:100/2/Ind AS-Mission Mode/2022-23 dated July 14, 2022 and 100/2/Ind AS-Mission Mode/2022-23 dated October 31, 2022, on implementation of Ind AS in insurance sector stated that Ind AS implementation is likely to significantly impact the financial reporting systems, processes and, as such, these changes need to be planned, managed, tested and executed well in advance of the implementation. The steering committee for implementation of Ind AS has been formed as advised by the IRDAI to review the progress made towards implementation, identification of issue/challenges and course of action to mitigate the same. During the year, the Company had appointed a knowledge partner for successful implementation of Ind AS. The Company through the knowledge partner has conducted the Gap Assessment Activity and on the basis of the same, a Gap Assessment Report has been submitted to the IRDAI in the month of March 2025, within the prescribed timeline.

For and on behalf of the Board of Directors

Sristiraj Ambastha
Chairman-cum-Managing Director
DIN 10375617

Place: Mumbai
May 27, 2025

लंबित सी एंड ए जी पैरा और प्रबंधन के उत्तर

	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त सी एंड ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट		
क्रं. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षिप्त विवरण	रिपोर्टिंग स्थिति
1.	वर्ष 2020-21 का भाग बी, पैरा 3	ओटीएस निपटान में कंपनी को हानि	वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए ईसीजीसी - कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेश, विपणन और पुनर्बीमा के संव्यवहार लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। दिनांक 01 दिसंबर, 2020 से 18 फरवरी, 2021 की अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा। सी एंड ए जी द्वारा 17 मार्च, 2021 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से सी एंड ए जी को वसूली की वर्तमान स्थिति के विषय में अद्यतन जानकारी दी गई है। इस मामले में नवीनतम अद्यतन जानकारी सी एंड ए जी को 12 दिसंबर, 2024 को प्रदान की गई तथा पैरा के समापन का अनुरोध किया गया। सी एंड ए जी ने 14 जनवरी, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से मामले में वसूली की आगे की प्रगति के विषय में जानकारी मांगी है। कंपनी बैंक के प्रधान कार्यालय (वसूली विभाग) के साथ चर्चा कर रही है और इस संदर्भ में दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से सी एंड ए जी से समुचित रूप से संप्रेषित किया है।

	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त सी एंड ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट		
क्रं. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षिप्त विवरण	रिपोर्टिंग स्थिति
2.	वर्ष 2020-21 का भाग खखबी, पैरा 4	ओटीएस निपटान में कंपनी को हानि	वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए ईसीजीसी - कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेश, विपणन और पुनर्बीमा के संव्यवहार लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। दिनांक 1 दिसंबर, 2020 से 18 फरवरी, 2021 की अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा। सी एंड ए जी द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2021 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी ने अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से सी एंड ए जी को वसूली की वर्तमान स्थिति के विषय में अद्यतन जानकारी दी है। मामले में नवीनतम अद्यतन जानकारी सी एंड ए जी को दिनांक 07 अप्रैल, 2025 को प्रदान की गई तथा पैरा के समापन का अनुरोध किया गया। इस मामले में सी एंड ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाया गया है।

PENDING C&AG PARAS AND MANAGEMENT REPLIES

	C&AG Audit Report received during FY 2020-21		
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
1.	Part IIB, Para 3 of year 2020-21.	Loss to the Company in OTS settlement.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC – Corporate Office, Investment, Marketing and Reinsurance for the year 2018-19 to 2019-20. Audit conducted during the period from December 01, 2020 to February 18, 2021. Query/Para raised by the C&AG vide letter/report dated March 17, 2021.
			Current Status: The Company, vide its various letters, has updated the C&AG about the current status of recovery. The latest update in the matter was provided to the C&AG on December 12, 2024 and a request was made for closure of the para. The C&AG, vide its letter dated January 14, 2025, has sought further progress of recovery in the matter. The Company is in discussion with the Bank's Head Office (Recovery Department) and has communicated with C&AG suitably vide its letter dated April 25, 2025 in this respect.

	C&AG Audit Report received during FY 2020-21		
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
2.	Part IIB, Para 4 of year 2020-21.	Loss to the Company in OTS settlement.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC – Corporate Office, Investment, Marketing and Reinsurance for the year 2018-19 to 2019-20. Audit conducted during the period from December 1, 2020 to February 18, 2021. Query/Para raised by the C&AG vide letter/report dated March 17, 2021.
			Current Status: The Company, vide its various letters, has updated the C&AG about the current status of recovery. The latest update in the matter was provided to the C&AG on April 07, 2025 and a request was made for closure of the para. No further queries have been raised by the C&AG in the matter.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त सी एंड ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट			
क्रं. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षिप्त विवरण	रिपोर्टिंग स्थिति
3.	वर्ष 2021-22 का भाग बी, पैरा 1	अंधेरी में कॉर्पोरेट कार्यालय भवन और आवासीय परिसर के निर्माण के संदर्भ में परिकल्पित उद्देश्यों की पूर्ति न होना।	वर्ष 2021-22 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड - कॉर्पोरेट कार्यालय के संव्यवहार लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। दिनांक 20 दिसंबर, 2022 से 10 जनवरी, 2023 और 06 फरवरी, 2023 से 28 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा। 27 अप्रैल, 2023 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से सी एंड ए जी द्वारा उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा दि. 24 मई, 2023 को लिखे अपने पत्र के माध्यम से सी एंड ए जी को सूचित किया कि वाणिज्यिक परिसर में अधिग्रहण किया गया है और 10 नवंबर, 2022 से यह कार्यशील है। कंपनी द्वारा यह भी सूचित किया गया कि उसने एक्सप्रेस टावर्स में लीज़ पर लिए गए कार्यालय आवास का अध्यर्पण कर दिया है। सी एंड ए जी ने 14 जनवरी, 2025 को लिखे अपने पत्र के माध्यम से कंपनी को सूचित किया है कि आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ बाद में सूचित की जाएँगी। कंपनी द्वारा दि 29 मार्च, 2025 को लिखे अपने पत्र के माध्यम से सी एंड ए जी से पैरा के समापन किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में सी एंड ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाए गए हैं।

C&AG Audit Report received during FY 2023-24			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
3.	Part IIB, Para 1 of the year 2021-22.	Non achievement of the objectives envisaged for construction of Corporate Office building and Residential complex at Andheri.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC Ltd – Corporate Office for the year 2021-22. Audit conducted during the period from December 20, 2022 to January 10, 2023 and February 06, 2023 to March 28, 2023. Query/Para raised by the C&AG vide letter/report dated April 27, 2023.
			Current Status: The Company, vide its letter dated May 24, 2023, informed the C&AG that the commercial premises is occupied and has become functional w.e.f. November 10, 2022. The Company also informed that it has surrendered the leased office accommodation at Express Towers. The C&AG, vide its letter dated January 14, 2025, has intimated to the Company that further Audit remarks will be intimated afterwards. The Company, vide its letter dated March 29, 2025, has requested the C&AG to drop the para. No further queries have been raised by the C&AG in the matter.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त सी एंड ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट			
क्रं. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षिप्त विवरण	रिपोर्टिंग स्थिति
4.	वर्ष 2021-22 का भाग बी, पैरा 4	वर्ष 2021-23 के लिए विज्ञापन संबंधी गतिविधि हेतु विज्ञापन एजेंसी के पैनल में अनियमितताएं	वर्ष 2021-22 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड - कॉर्पोरेट कार्यालय के संव्यवहार लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। दिनांक 20 दिसंबर, 2022 से 10 जनवरी, 2023 और 06 फरवरी, 2023 से 28 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा। 27 अप्रैल, 2023 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से सी एंड ए जी द्वारा उठाए गए प्रश्न/पैरा
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से सी एंड ए जी को स्पष्ट किया गया था कि वस्तु, सेवाओं और कार्यों की खरीद के लिए नीति एवं दिशानिर्देश कंपनी द्वारा जारी किए गया हैं और पैरा के समापन किए जाने का अनुरोध किया गया था। सी एंड ए जी ने 14 जनवरी, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से कंपनी को इस पैरा को लेखापरीक्षा समिति की बैठक (एसीएम) में रखने के लिए सूचित किया है और आगे अनुरोध किया है कि इस पैरा के संदर्भ में चर्चा के कार्यवृत्त उन्हें उपलब्ध कराए जाएं। कंपनी 27 मई, 2025 की लेखापरीक्षा समिति की बैठक के प्रासंगिक कार्यवृत्त के साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उत्तर प्रस्तुत करेगी।

C&AG Audit Report received during FY 2023-24			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
4.	Part IIB, Para 4 of the year 2021-22.	Irregularities in empanel-ment of Advertise-ment agency for advertise-ment related activity for the year 2021-23.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC Ltd – Corporate Office for the year 2021-22. Audit conducted during the period from December 20, 2022 to January 10, 2023 and February 06, 2023 to March 28, 2023. Query/Para raised by the C&AG vide letter/report dated April 27, 2023.
			Current Status: The Company, vide its various letters, had clarified to C&AG that the policy & guidelines for procurement of Goods, Services and Works has been issued by the Company and a request was made for closure of the para. The C&AG, vide its letter dated January 14, 2025, has intimated the Company to put up this para in Audit Committee Meeting (ACM) and further requested the minutes of discussion in respect of this para to be provided to them. The Company will submit reply to the C&AG along with the relevant minutes of the Audit Committee meeting of May 27, 2025.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त सी एंड ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट			
क्रं. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षिप्त विवरण	रिपोर्टिंग स्थिति
5.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के भाग बी, पैरा 1	कंपनी की स्माइल (ईआरपी) परियोजना के कार्यान्वयन में असामान्य विलंब	2022-23 से 2023-24 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के अनुपालन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। दिनांक 20 मार्च, 2024 से 29 अप्रैल, 2024 और 09 अक्टूबर, 2024 से 04 नवंबर, 2024 की अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा। सी एंड ए जी द्वारा दिनांक 03 दिसंबर, 2024 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा दि. 20 दिसंबर, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से सीएजी को सी डैक की भूमिका और जिम्मेदारी के विषय में आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है। कंपनी द्वारा सी एंड ए जी को आगे स्पष्ट किया कि मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सी.टी.ओ.) और उप सी.टी.ओ. की नियुक्ति के कारण परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया में उनके द्वारा प्रदान किए गए आवश्यक तकनीकी अनुभव के साथ परियोजना की गति में तेजी आई है, जिससे परियोजना को शीघ्रता से पूर्ण करने में सुविधा हुई और पैरा के समापन किए जाने का अनुरोध किया गया। सी एंड ए जी द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2025 के ईमेल के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी जुटाई गई है, जिसे कंपनी द्वारा 09 अप्रैल, 2025 के ईमेल के माध्यम से प्रदान किया गया है। इस मामले में सी एंड ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाया गया है।

C&AG Audit Report received during FY 2024-25			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
5.	Part IIB, Para 1 of the year 2022-23 and 2023-24	Inordinate delay in the Implementation of SMILE (ERP) project of the Company.	Inspection report on the compliance audit of ECGC Limited for the period 2022-23 to 2023-24. Audit conducted during the period from March 20, 2024 to April 29, 2024 and October 09, 2024 to November 04, 2024. Query/Para raised by the C&AG vide letter/report dated December 03, 2024.
			Current Status: The Company, vide its letter dated December 20, 2024, has provided the required clarifications to the C&AG informing them of the role and responsibility of CDAC. The Company further informed the C&AG that due to the appointment of Chief Technology Officer (CTO) and Deputy CTO, the project pace gathered momentum with necessary technical experience imparted by them in the project management process to facilitate the completion of the same in an expeditious manner and a request was made for closure of the para. Additional information has been raised by the C&AG vide email dated April 02, 2025, which has been provided by the Company vide email dated April 09, 2025. No further queries have been raised by the C&AG in the matter.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त सी एंड ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट			
क्रं. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षिप्त विवरण	रिपोर्टिंग स्थिति
6.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के भाग बी, पैरा 2	अनुचित हामीदारी के परिणामस्वरूप पॉलिसीधारक के प्रति अयोग्य दावे के लिए ₹3.38 करोड़ की देयता हुई।	2022-23 से 2023-24 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के अनुपालन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। 20 मार्च, 2024 से 29 अप्रैल, 2024 और 09 अक्टूबर, 2024 से 04 नवंबर, 2024 की अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा। सी एंड ए जी द्वारा 03 दिसंबर, 2024 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा दि. 12 दिसंबर, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से सी एंड ए जी को उनके द्वारा उठाए गए मामले पर आवश्यक औचित्य के साथ-साथ कंपनी के उत्तर का समर्थन करने वाले अपेक्षित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस मामले में सी एंड ए जी द्वारा कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाए गए हैं।

C&AG Audit Report received during FY 2024-25			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
6.	Part IIB, Para 2 of the year 2022-23 and 2023-24	Improper underwriting resulted in liability of ₹3.38 crore towards ineligible claim to a Policyholder.	Inspection report on the compliance audit of ECGC Limited for the period 2022-23 to 2023-24. Audit conducted during the period from March 20, 2024 to April 29, 2024 and October 09, 2024 to November 04, 2024. Query/Para raised by the C&AG vide letter/report dated December 03, 2024.
			Current Status: The Company, vide its letter dated December 12, 2024, has provided the C&AG with the required justifications to the matter raised by them along with the requisite documents, supporting the reply of the Company. No further queries have been raised by the C&AG in the matter.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त सी एंड ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट			
क्र. सं.	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**लेखापरीक्षा पैरा का संक्षिप्त विवरण**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
7.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के भाग बी, पैरा 3	पॉलिसीधारक को ₹1.86 करोड़ के दावे का अयोग्य भुगतान।	2022-23 से 2023-24 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड की अनुपालन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। दिनांक 20 मार्च, 2024 से 29 अप्रैल, 2024 और 09 अक्टूबर, 2024 से 04 नवंबर, 2024 की अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03 दिसंबर, 2024 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा दि. 12 दिसंबर, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से सी एंड ए जी को उनके द्वारा उठाए गए मामले के लिए आवश्यक औचित्य के साथ-साथ कंपनी के उत्तर का समर्थन करने वाले आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस मामले में सी एंड ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाए गए हैं।

C&AG Audit Report received during FY 2024-25			
S. No.	**Name of the Audit Para**	**Brief of the Audit Para**	**Reporting Status**
7.	Part IIB, Para 3 of the year 2022-23 and 2023-24	Ineligible payment of claim of ₹1.86 crore to a Policyholder.	Inspection report on the compliance audit of ECGC Limited for the period 2022-23 to 2023-24. Audit conducted during the period from March 20, 2024 to April 29, 2024 and October 09, 2024 to November 04, 2024. Query/Para raised by the C&AG vide letter/report dated December 03, 2024.
			Current Status: The Company, vide its letter dated December 12, 2024, has provided the C&AG with the required justifications to the matter raised by them along with the requisite documents, supporting the reply of the Company. No further queries have been raised by the C&AG in the matter.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त सी एंड ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट			
क्र. सं.	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**लेखापरीक्षा पैरा का संक्षिप्त विवरण**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
8.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के भाग बी, पैरा 4	लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों (डीपीई) का उल्लंघन करते हुए कार्मिकों के चार पहिया वाहन का व्यक्तिगत उपयोग	2022-23 से 2023-24 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड की अनुपालन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। 20 मार्च, 2024 से 29 अप्रैल, 2024 और 09 अक्टूबर, 2024 से 04 नवंबर, 2024 की अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 03 दिसंबर, 2024 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा दि. 14 जनवरी, 2025 और दिनांक 29 मार्च, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से सी एंड ए जी को सूचित किया गया है कि नवंबर, 2023 से नए दिशानिर्देश जारी किए गया गए थे और उसके पश्चात केवल स्वीकृत दरों पर ही वसूली की गई थी और सी एंड ए जी से पैरा के समापन किए जाने का अनुरोध किया। इस मामले में सी एंड ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाए गए हैं।

C&AG Audit Report received during FY 2024-25			
S. No.	**Name of the Audit Para**	**Brief of the Audit Para**	**Reporting Status**
8.	Part IIB, Para 4 of the year 2022-23 and 2023-24	Personal Usage of Staff Car in violation of Department of public enterprises Guidelines (DPE)	Inspection report on the compliance audit of ECGC Limited for the period 2022-23 to 2023-24. Audit conducted during the period from March 20, 2024 to April 29, 2024 and October 09, 2024 to November 04, 2024. Query/Para raised by the C&AG vide letter/report dated December 03, 2024.
			Current Status: The Company, vide its letter dated January 14, 2025 and March 29, 2025, has informed the C&AG that new guidelines were issued w.e.f. November, 2023 and recoveries thereafter were made on approved rates only and further requested the C&AG to close the para. No further queries have been raised by the C&AG in the matter.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त सी एंड ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क्रं. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षिप्त विवरण	रिपोर्टिंग स्थिति
	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के भाग बी, पैरा 5	सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम पोर्टल) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद न करना, जो सामान्य वित्तीय नियम 149 का उल्लंघन है।	2022-23 से 2023-24 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के अनुपालन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। 20 मार्च, 2024 से 29 अप्रैल, 2024 और 09 अक्टूबर, 2024 से 04 नवंबर, 2024 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा किया गया। सी एंड ए जी द्वारा 03 दिसंबर, 2024 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा दि. 14 जनवरी, 2025 और 29 मार्च, 2025 के पत्र के माध्यम से अपने वर्तमान पत्राचार में सी एंड ए जी को विभिन्न कारणों के विषय में सूचित किया, गया जिसके कारण कुछ मद जेम के माध्यम से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसमें विशिष्ट मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) लाइसेंस, गैर-सूचीबद्ध खरीद श्रेणियां, जेम पर उपलब्ध नहीं होने वाली सेवाएँ और सरकारी कंपनियों के माध्यम से अंतिम रूप दी जाने वाली सेवाएँ आदि शामिल हैं और सी एंड ए जी से पैरा को हटाने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में सी एंड ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाए गए हैं।

C&AG Audit Report received during FY 2024-25

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
9.	Part IIB, Para 5 of the year 2022-23 and 2023-24	Non-Procurement of Goods & Services through Government e-Marketplace (GeM Portal) which is in Violation of General Financial Rule149	Inspection report on the compliance audit of ECGC Limited for the period 2022-23 to 2023-24. Audit conducted during the period from March 20, 2024 to April 29, 2024 and October 09, 2024 to November 04, 2024. Query/Para raised by the C&AG vide letter/report dated December 03, 2024.
			Current Status: The Company, in its recent communication vide letter dated January 14, 2025 and March 29, 2025, informed the C&AG about the various reasons due to which certain items are not procurable through GeM. This included specific Original Equipment Manufacturer (OEM) licences, Non-listed Procurement categories, Services not available on GeM and Services finalized through Govt. Companies etc. and requested the C&AG to drop the Para. No further queries have been raised by the C&AG in the matter.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त सी एंड ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क्रं. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षिप्त विवरण	रिपोर्टिंग स्थिति
10.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के भाग बी, पैरा 6	पॉलिसीधारक को दावे के लिए ₹ 0.65 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान	2022-23 से 2023-24 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के अनुपालन लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। दिनांक 20 मार्च, 2024 से 29 अप्रैल, 2024 और 09 अक्टूबर, 2024 से 04 नवंबर, 2024 की अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा। सी एंड ए जी द्वारा दिनांक 03 दिसंबर, 2024 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा दि. 12 दिसंबर, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से सी एंड ए जी को उनके द्वारा उठाए गए मामले के लिए आवश्यक औचित्य के साथ-साथ कंपनी के उत्तर का समर्थन करने वाले आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस मामले में सी एंड ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाए गए हैं।

C&AG Audit Report received during FY 2024-25

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
10.	Part IIB, Para 6 of the year 2022-23 and 2023-24	Excess payment of ₹ 0.65 crore towards claim to a Policyholder.	Inspection report on the compliance audit of ECGC Limited for the period 2022-23 to 2023-24. Audit conducted during the period from March 20, 2024 to April 29, 2024 and October 09, 2024 to November 04, 2024. Query/Para raised by the C&AG vide letter/report dated December 03, 2024.
			Current Status: The Company, vide its letter dated December 12, 2024, has provided the C&AG with the required justifications to the matter raised by them along with the requisite documents, supporting the reply of the Company. No further queries have been raised by the C&AG in the matter.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त सी एंड ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट			
क्रं. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षिप्त विवरण	रिपोर्टिंग स्थिति
11.	वर्ष 2020-24 के लिए भाग-IIA, पैरा I	पॉलिसीधारक को ₹5.05 करोड़ के दावे का अयोग्य भुगतान।	ईसीजीसी लिमिटेड, चेन्नई की वर्ष 2020-24 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। दिनांक 07 फरवरी, 2025 से 21 फरवरी, 2025 की अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2025 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा दि. 23 अप्रैल, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से सी एंड ए जी को उनके द्वारा उठाए गए मामले में आवश्यक औचित्य के साथ-साथ कंपनी के उत्तर का समर्थन करने वाले अपेक्षित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस मामले में सी एंड ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाए गए हैं।

C&AG Audit Report received during FY 2024-25			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
11.	PART-IIA, Para I for the year 2020-24	Ineligible Payment of Claim of ₹5.05 crore to a Policyholder.	Inspection report on the audit of ECGC Limited, Chennai for the period 2020-24. Audit conducted during the period from February 07, 2025 to February 21, 2025. Query/Para raised by the C&AG vide letter/report dated March 13, 2025.
			Current Status: The Company, vide its letter dated April 23, 2025, has provided the C&AG with the required justifications in the matter raised by them along with the requisite documents, supporting the reply of the Company. No further queries have been raised by the C&AG in the matter.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त सी एंड ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट			
क्रं. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षिप्त विवरण	रिपोर्टिंग स्थिति
12.	वर्ष 2020-24 के लिए भाग-बी, पैरा 1	एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी के अनियमित दावा निपटान के परिणामस्वरूप ₹60.88 लाख का अतिरिक्त वित्तीय व्यय हुआ	ईसीजीसी लिमिटेड, चेन्नई की वर्ष 2020-24 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। दिनांक 07 फरवरी, 2025 से 21 फरवरी, 2025 की अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2025 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा दि. 23 अप्रैल, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से सी एंड ए जी को उनके द्वारा उठाए गए मामले में आवश्यक औचित्य के साथ-साथ कंपनी के उत्तर का समर्थन करने वाले अपेक्षित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस मामले में सी एंड ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाए गए हैं।

C&AG Audit Report received during FY 2024-25			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
12.	PART-IIB, Para 1 for the year 2020-24	Irregular claim settlement of Single Buyer Exposure Policy resulting in excess financial outgo of ₹60.88 lakhs	Inspection report on the audit of ECGC Limited, Chennai for the period 2020-24. Audit conducted during the period from February 07, 2025 to February 21, 2025. Query/Para raised by the C&AG vide letter/report dated March 13, 2025.
			Current Status: The Company, vide its letter dated April 23, 2025, has provided the C&AG with the required justifications in the matter raised by them along with the requisite documents, supporting the reply of the Company. No further queries have been raised by the C&AG in the matter.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त सी एंड ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट			
क्रं. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षिप्त विवरण	रिपोर्टिंग स्थिति
13.	वर्ष 2020-24 के लिए भाग-बी, पैरा 2	बकाया दावों का भुगतान किया गया तथा ₹280.13 करोड़ की वसूली लंबित है	ईसीजीसी लिमिटेड, चेन्नई की 2020-24 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। दिनांक 07 फरवरी, 2025 से 21 फरवरी, 2025 की अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2025 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।
			वर्तमान स्थिति: कंपनी द्वारा दि. 23 अप्रैल, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से सी एंड ए जी को उनके द्वारा उठाए गए मामले में आवश्यक औचित्य के साथ-साथ कंपनी के उत्तर का समर्थन करने वाले अपेक्षित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस मामले में सी एंड ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाए गए हैं।

C&AG Audit Report received during FY 2024-25			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
13.	PART-IIB, Para 2 for the year 2020-24	Outstanding claims paid and pending for recovery of ₹ 280.13 crore	Inspection report on the audit of ECGC Limited, Chennai for the period 2020-24. Audit conducted during the period from February 07, 2025 to February 21, 2025. Query/Para raised by the C&AG vide letter/report dated March 13, 2025.
			Current Status: The Company, vide its letter dated April 23, 2025, has provided the C&AG with the required justifications in the matter raised by them along with the requisite documents, supporting the reply of the Company. No further queries have been raised by the C&AG in the matter.

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

कंपनी के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में एक आरटीआई सेल स्थित है, जिसका नेतृत्व सहायक महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) का नेतृत्व उप महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का उत्तर, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत समय-सीमा के अधीन दिया जाता है। निपटाए गए आवेदनों की संख्या की रिपोर्ट तिमाही आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर अद्यतन की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 122 आवेदन निपटाए गए। कंपनी द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदनों के संदर्भ में सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

RIGHT TO INFORMATION (RTI)

The Company has an RTI Cell at its Head Office in Mumbai which is headed by an officer of the rank of Assistant General Manager. The First Appellate Authority (FAA) at the Head Office in Mumbai is headed by a Deputy General Manager. The applications received under the RTI Act are responded to as and when received within the timeline permitted under the RTI Act. The report of number of applications handled is updated on the Central Information Commission's (CIC) website on a quarterly basis. A total of 122 applications were handled during the FY 2024-25. The Company has complied with all the regulatory requirements in respect of the RTI applications received.

अनुलग्नक V

दिनांक 31 मार्च 2025 तक कंपनी की सेवाओं में दिव्याङ्गजनों (पीडबल्यूडी) का प्रतिनिधित्व

समूह	ईसीजीसी में दिव्याङ्गजनों के संदर्भ में डेटा				कुल वीआई + एचआई + ओसी + चतुर्थ श्रेणी
	वीआई	एचआई	ओसी	चतुर्थ श्रेणी	
क	3	1	5	0	9
ख	4	1	2	2	9
ग	0	0	1	0	1
घ	1	0	0	0	1
कुल	8	2	8	2	20
वीआई	दृष्टि बाधित				
एचआई	श्रवण बाधित				
ओसी	अस्थि बाधित				
चतुर्थ श्रेणी	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी) या चतुर्थ श्रेणी में वीआई, एचआई, ओसी सहित बहु दिव्यांगता				

Annexure V

Representation of Persons with Disabilities (PwD) in the Services of the Company as of March 31, 2025

Group	Data of persons with disabilities in ECGC				Total VI+ HI+OC+4th Category
	VI	HI	OC	4th Category	
A	3	1	5	0	9
B	4	1	2	2	9
C	0	0	1	0	1
D	1	0	0	0	1
Total	8	2	8	2	20
VI	Visually Impaired				
HI	Hearing Impaired				
OC	Orthopaedically Challenged				
4th Category	Specific Learning Disability (SLD) or Multiple disabilities including VI, HI, OC in 4th Category				

अनुलग्नक VI

कंपनी में भर्ती से संबंधित अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का प्रतिनिधित्व-2024-25

समूह	भर्ती किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	भर्ती किये गये एससी कार्मिकों की संख्या	भर्ती किये गये एसटी कार्मिकों की संख्या	भर्ती किये गए ओबीसी कार्मिकों की संख्या	भर्ती किये गये ईडब्ल्यूएस कार्मिकों की संख्या
श्रेणी क	0	0	0	0	0
श्रेणी ख	5	1	0	0	0
श्रेणी ग	0	0	0	0	0
श्रेणी घ	0	0	0	0	0
कुल	5	1	0	0	0

नोट:

उपरोक्त डेटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजित भर्ती प्रक्रिया के लिए कंपनी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की शेष संख्या को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयोजित भर्ती प्रक्रिया के लिए, उम्मीदवार वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी में शामिल होंगे।

Annexure VI

Representation of Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC) and Economically Weaker Section (EWS) pertaining to recruitment in the Company-2024-25

Group	Total No. of Employees recruited	No. of SC Employees recruited	No. of ST Employees recruited	No. of OBC Employees recruited	No. of EWS Employees recruited
Group A	0	0	0	0	0
Group B	5	1	0	0	0
Group C	0	0	0	0	0
Group D	0	0	0	0	0
TOTAL	5	1	0	0	0

NOTE:

The data above reflects the remaining number of candidates who joined the Company for recruitment exercise conducted in the FY 2023- 24. For the recruitment exercise conducted in the FY 2024-25, candidate shall be joining the Company in the FY 2025-26.

अनुलग्नक VII / Annexure VII

दिनांक 31 मार्च 2025 तक कंपनी के कार्यबल में अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का प्रतिनिधित्व

Representation of Scheduled Castes (SC) / Scheduled Tribes (ST) / Other Backward Classes (OBC) / Economically Weaker Section (EWS) in the Company's workforce as on March 31, 2025'

समूह Group	कार्मिकों की कुल संख्या Total of Employees	एससी कार्मिकों की संख्या No. of SC No. Employees	एससी कार्मिकों का % % of SC Employees	एसटी कार्मिकों की संख्या No. of ST Employees	एसटी कार्मिकों का % % of ST Employees	ओबीसी कार्मिकों की संख्या No. of OBC Employees	ओबीसी कार्मिकों का % % of OBC Employees	ईडब्ल्यूएस कार्मिकों की संख्या No. of EWS Employees	ईडब्ल्यूएस कार्मिकों का % % of EWS Employees
श्रेणी क Group A	244	45	18.4%	18	7.4%	68	27.9%	0	0
श्रेणी ख Group B	300	52	17.3%	23	7.7%	72	24.0%	12	4%
श्रेणी ग Group C	18	2	11%	3	17%	1	6%	0	0
श्रेणी घ Group D	3	1	33%	0	0%	0	0%	0	0%
कुल TOTAL	565	100	17.7%	44	7.8%	141	25.0%	12	4%

वित्तीय विवरण
Financial Statements

वित्तीय विवरण पर प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, जिन्हें निदेशक मंडल के समक्ष स्वीकार किए जाने एवं मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया गया है, में कोई असत्य अथवा भ्रामक विवरण अथवा आंकड़े नहीं हैं एवं कोई भी इस प्रकार का महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है, जो इसमें निहित विवरण अथवा आंकड़ों को भ्रामक बनाता हो।

Certificate on Financial Statements

This is to certify that the financial statements of the company for the year ended 31st March, 2025 placed before the Board of Directors for adoption and approval do not contain any false or misleading statements or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.

हस्ता /-
(आनंद सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता /-
(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आई एन - 10375617

Sd /-
(Anand Singh)
Chief Financial Officer

Sd /-
(Sristiraj Ambastha)
Chairman cum Managing Director DIN - 10375617

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27 मई, 2025

Place: Mumbai
Date : 27th May, 2025

फार्म बी - आर ए / FORM B-RA

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु राजस्व खाता

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule Ref.	वर्तमान अवधि अनुसूची (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व अवधि अनुसूची (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
1	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premiums earned (Net)	1	1155,69.11	1079,76.43
2	निवेश की बिक्री/शोधन से लाभ Profit/Loss on Sale/Redemption of Investment		25,73.30	29,52.67
3	निवेश की बिक्री/शोधन से हानि Interest, Dividend & Rent - Gross (Note 1)		357,98.24	433,03.82
4	अन्य / Others			
	(क) अन्य आय / (a) Other Income			
	(i) शुल्क / Fee		1,76.12	1,63.73
	(ii) विविध आय / Profit on Sale of Asset		4.48	12.31
	(iii) संपत्ति की बिक्री से लाभ / Miscellaneous Income		7,00.90	63.84
	(ख) शेयर धारक के खाते से अंशदान (b) Contribution from the Shareholder's Account			
	(i) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय हेतु Towards Excess Expenses of Management		-	-
	(ii) प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक/ अन्य प्र प्र का की पारिश्रमिक हेतु / Towards remuneration of MD/CEO/WTD/ Other KMPs		-	-
	कुल (क) / TOTAL (A)		**1548,22.15**	**1544,72.80**
5	उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	2	(632,01.01)	(974,47.46)
6	कमीशन / Commission	3	(11,34.44)	19,05.48
7	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	364,28.08	336,69.91
8	प्रीमियम की कमी / Premium Deficiency		-	-
	कुल (ख) / TOTAL (B)		**(279,07.37)**	**(618,72.07)**
	कारोबार परिचालन से लाभ/(हानि) ग = (क-ख) Operating Profit/(Loss) C = (A-B)		**1827,29.52**	**2163,44.87**
	विनियोजन / APPROPRIATIONS			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholder's Account		1827,29.52	2163,44.87
	आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve		-	-
	अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves		-	-
	कुल (ग) / TOTAL (C)		**1827,29.52**	**2163,44.87**

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशवक
(SRISTIRAJ AMBASTHA)
Chairman cum Managing Director
डीआईएन/DIN - 10375617

(रामस्वामी नारायणन)
निदेशक
(RAMASWAMY NARAYANAN)
Director
डीआईएन/DIN - 10337640

(सुबीर कुमार दास)
निदेशक
(SUBIR KUMAR DAS)
Director
डीआईएन/DIN- 10871349

(पलनियप्पन मुथु)
निदेशक
(PALANIAPPAN MUTHU)
Director
डीआईएन/DIN- 10200176

(आनंद सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ANAND SINGH)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary (F-3166)

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते एमएल पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या. 002312N
For M. L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002312N

कृते शाह एंड तपाडिया
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या. 109463W
For Shah and Taparia
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109463W

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार सदस्यता सं. 095584
(RAJESH CHAND GUPTA)
साझेदार/Partner - M.No. 095584
यूडीआईएन/UDIN : 25095584BMLLPS4938

(भरत रमेश जोशी)
भागीदार सदस्यता सं. 130863
(BHARAT RAMESH JOSHI)
साझेदार/Partner - M.No. 130863
यूडीआईएन/UDIN : 25130863BMIQHF2494

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 मई, 2025

Place : Mumbai
Date : 27th May, 2025

नोट 1 / Note 1

पॉलिसी धारक की निधियों से संबन्धित Pertaining to Policyholder's funds	वर्तमान लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
ब्याज, लाभांश एवं किराया / Interest, Dividend & Rent	362,94.82	438,06.29
जोड़ें / घटाएँ / Add/Less		
निवेश व्यय / Investment Expenses	21.94	39.95
प्रीमियम का परिशोधन/निवेश पर छूट Amortisation of Premium/Discount on Investments	5,37.11	7,33.23
मूल्य ह्रास हुए निवेशों के संबंध में बट्टे खाते में डाली गयी राशि Amount written off in respect of depreciated Investments	-	-
अशोध्य ऋणों हेतु प्रावधान Provision for Bad and Doubtful Debts	(62.47)	(2,70.71)
सक्रिय इक्विटी के अतिरिक्त मूल्य में कमी हेतु प्रावधान Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities	-	-
समूह निवेश आय / Investment income from Pool	-	-
ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल **Interest, Dividend & Rent - Gross**	**357,98.24**	**433,03.82**

फॉर्म बी - पी एल / FORM B-PL

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
1	**परिचालन लाभ/(हानि) / OPERATING PROFIT/(LOSS)**		
	(क) अग्नि बीमा / (a) Fire Insurance	-	-
	(ख) मरीन बीमा / (b) Marine Insurance	-	-
	(ग) विविध बीमा / (c) Miscellaneous Insurance	1827,29.52	2163,44.87
2	**निवेशों से आय / INCOME FROM INVESTMENTS**		
	(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-सकल / (a) Interest, Dividend & Rent - Gross	807,36.39	684,55.04
	(ख) निवेश की बिक्री से लाभ / (b) Profit on Sale of Investments	57,27.67	46,18.28
	(ग) (निवेशों पर बिक्री/मोचन पर हानि) / (c) (Loss on Sale/redemption of Investments)	-	-
	(घ) निवेशों पर प्रीमियम/ छूट का परिशोधन (d) Amortization of Premium/Discount on Investments	(11,95.50)	(11,46.85)
3	**अन्य आय / OTHER INCOME**		
	(क) अन्य ब्याज आय / (a) Other Interest Income	101,48.65	1,29.50
	(ख) अन्य विविध आय एवं फैकटरिंग आय (b) Other Miscellaneous Income and Factoring Income	3,94.63	2,03.70
	कुल (क) / TOTAL (A)	**2785,41.36**	**2886,04.54**
4	**प्रावधान (कराधान के अतरिक्त) / PROVISIONS (Other than Taxation)**		
	(क) निवेश के मूल्य में क्षरण हेतु / (a) For diminution in the value of investments	-	-
	(ख) अशोध्य ऋण हेतु / (b) For Doubtful Debts	60.75	(4,23.18)
5	**अन्य व्यय / OTHER EXPENSES**		
	(क) बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यय के अतरिक्त अन्य व्यय (a) Expenses other than those related to Insurance Business	1,42.47	1,22.94
	(ख) बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण / (b) Bad Debts Written Off	15,10.93	-
	(ग) गौण ऋण पर ब्याज / (c) Interest on Subordinated Debt	-	-
	(घ) कं सा दा संबंधी गतिविधियों हेतु / (d) Expenses towards CSR Activities	45,20.00	30,10.00
	(ड.) दंड / (e) Penalties	-	-
	(च) पॉलिसीधारकों के खातों में अंशदान / (f) Contribution to the Policyholder's Account		
	(i) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय हेतु / (i) Towards Excess Expenses of Management	-	-
	(ii) प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्र प्र का के पारिश्रमिक हेतु (ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs	-	-
	कुल (ख) / TOTAL (B)	**62,34.15**	**27,09.76**
6	**कर पूर्व लाभ (क-ख) / Profit/(Loss) Before Tax (A - B)**	**2723,07.21**	**2858,94.78**
7	**कराधान हेतु प्रावधान / Provision for Taxation**		
	(क) आस्थगित कर / (a) Deferred Tax	16,34.08	51.61
	(ख) आयकर / (b) Income Tax	656,00.00	700,00.00
	(ग) पूर्व अवधि समायोजन / (c) Prior Period Adjustments	(29,08.83)	(32.04)
	(घ) कर समायोजन-पूर्व के वर्षो के / (d) Tax Adjustments - Earlier years	3,14.63	(29.44)
8	**कर पश्चात लाभ / (हानि) / Profit/(Loss) After Tax**	**2076,67.33**	**2159,04.65**
9	**विनियोग / APPROPRIATIONS**		
	(क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश / (a) Interim Dividends Paid During the Year	-	-
	(ग) प्रदत्त अंतिम लाभांश / (b) Final Dividend Paid	-	-
	(ङ) फैक्टरिंग योजना के आरक्षणों में स्थानांतरित / (c) Transfer to Reserve for Factoring Scheme	-	-
	(च) सामान्य आरक्षणों में स्थानांतरित / (d) Transfer to General Reserve	1642,87.33	1725,24.65
	पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ/हानि शेष Balance of profit/loss brought forward from last year	-	-
	तुलन पत्र में अग्रेषित किया गया शेष / Balance carried forward to Balance Sheet	433,80.00	433,80.00
	प्रतिशेयर मूलभूत अर्जन (₹ में) / Basic Earnings Per Share (In ₹)	47.87	49.77
	प्रतिशेयर मिश्रित आय (₹ में) / Diluted Earnings Per Share (In ₹)	47.87	49.77

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशवक
(SRISTIRAJ AMBASTHA)
Chairman cum Managing Director
डीआईएन/DIN - 10375617

(रामस्वामी नारायणन)
निदेशक
(RAMASWAMY NARAYANAN)
Director
डीआईएन/DIN - 10337640

(सुबीर कुमार दास)
निदेशक
(SUBIR KUMAR DAS)
Director
डीआईएन/DIN- 10871349

(पलनियप्पन मुथु)
निदेशक
(PALANIAPPAN MUTHU)
Director
डीआईएन/DIN- 10200176

(आनंद सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ANAND SINGH)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary (F-3166)

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते एमएल पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या. 002312N
For M. L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002312N

कृते शाह एंड तपाडिया
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या. 109463W
For Shah and Taparia
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109463W

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार सदस्यता सं. 095584
(RAJESH CHAND GUPTA)
साझेदार/Partner - M.No. 095584
यूडीआईएन/UDIN : 25095584BMLLPS4938

(भरत रमेश जोशी)
भागीदार सदस्यता सं. 130863
(BHARAT RAMESH JOSHI)
साझेदार/Partner - M.No. 130863
यूडीआईएन/UDIN : 25130863BMIQHF2494

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 मई, 2025

Place : Mumbai
Date : 27th May, 2025

फॉर्म बी - पी एल / FORM B-PL

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: / CIN: U74999MH1957GOI010918

दिनांक 31 मार्च 2025 तक का तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31 2025

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule Ref.	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
निधियों के स्त्रोत / SOURCES OF FUNDS			
शेयर पूंजी / Share Capital	5 & 5A	4338,00.00	4338,00.00
शेयर आवेदन राशि, आबंटन हेतु लंबित Share Application Money Pending Allotment		-	-
प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष / Reserves and Surplus	6	9146,75.85	7503,88.52
उचित मूल्य परिवर्तन खाता-शेयरधारक Fair Value Change Account Shareholders' Funds		1107,18.70	940,29.63
उचित मूल्य परिवर्तन खाता-पॉलिसीधारक Fair Value Change Account Policyholders' Funds		497,43.18	601,17.30
ऋण / Borrowings	7	-	-
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability		-	-
कुल / Total		**15089,37.73**	**13383,35.45**
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS			
निवेश - शेयरधारक / Investments - Shareholders	8	12270,68.69	10093,43.24
निवेश - पॉलिसीधारक / Investments - Policyholders	8A	5512,91.75	6453,17.81
ऋण / Loans	9	-	-
अचल संपत्ति / Fixed Assets	10	463,34.64	405,67.54
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / Deferred Tax Assets (Net)		27,46.69	43,80.77
वर्तमान परिसंपत्तियाँ / Current Assets			
नकद व बैंक शेष / Cash and Bank Balances	11	1101,78.42	1158,97.06
अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	803,13.23	1221,57.55
उप कुल (क) / Sub-Total (A)		**1904,91.65**	**2380,54.61**
आस्थगित कर देयता (शुद्ध) / Deferred Tax Liability (Net)		-	-
वर्तमान देयताएँ / Current Liabilities	13	4358,96.06	5213,23.19
प्रावधान / Provisions	14	730,99.63	780,05.33
उप कुल (ख) / Sub-Total (B)		**5089,95.69**	**5993,28.52**
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (ग)=(क-ख) Net Current Assets (C) = (A-B)		**(3185,04.04)**	**(3612,73.91)**
विविध व्यय / Miscellaneous Expenditure (उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो)	15	-	-
लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष (to the extent not written off or adjusted) Debit Balance in Profit & Loss Account		-	-
कुल / Total		**15089,37.73**	**13383,35.45**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	**16**		
लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS	**17**		

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशवक
(SRISTIRAJ AMBASTHA)
Chairman cum Managing Director
डीआईएन/DIN - 10375617

(रामस्वामी नारायणन)
निदेशक
(RAMASWAMY NARAYANAN)
Director
डीआईएन/DIN - 10337640

(सुबीर कुमार दास)
निदेशक
(SUBIR KUMAR DAS)
Director
डीआईएन/DIN- 10871349

(पलनियप्पन मुथु)
निदेशक
(PALANIAPPAN MUTHU)
Director
डीआईएन/DIN- 10200176

(आनंद सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ANAND SINGH)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary (F-3166)

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते एमएल पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या. 002312N
For M. L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002312N

कृते शाह एंड तपाडिया
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या. 109463W
For Shah and Taparia
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109463W

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार सदस्यता सं. 095584
(RAJESH CHAND GUPTA)
साझेदार/Partner - M.No. 095584
यूडीआईएन/UDIN : 25095584BMLLPS4938

(भरत रमेश जोशी)
भागीदार सदस्यता सं. 130863
(BHARAT RAMESH JOSHI)
साझेदार/Partner - M.No. 130863
यूडीआईएन/UDIN : 25130863BMIQHF2494

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 मई, 2025

Place : Mumbai
Date : 27th May, 2025

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 1 / SCHEDULE - 1

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / PREMIUM EARNED (NET)

विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
सीधे कारोबार से प्रीमियम / Gross Direct Premium	1366,53.22	1270,76.53
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add : Premium on Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on Reinsurance Ceded	234,77.42	91,14.10
शुद्ध दर्ज प्रीमियम/शुद्ध प्रीमियम आय Net Written Premium/Net Premium Income	**1131,75.80**	**1179,62.43**
जोड़ें : अनर्जित प्रीमियम आरक्षण (यू पी आर) का आरंभिक शेष Add : Opening Balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	589,81.21	489,95.21
घटाएँ : अनर्जित प्रीमियम आरक्षण (यू पी आर) का अंतिम शेष Less: Closing Balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	565,87.90	589,81.21
शुद्ध अर्जित प्रीमियम / Net Earned Premium	**1155,69.11**	**1079,76.43**
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम / Gross Direct Premium		
- भारत में / - In India	1366,53.22	1270,76.53
- भारत के बाहर / - Outside India	-	-

अनुसूची - 2 / SCHEDULE - 2
उपगत दावे (शुद्ध) / CLAIMS INCURRED (NET)

विवरण Particulars		वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
प्रदत्त दावे (प्रत्यक्ष) / Claims Paid (Direct)		453,46.11	450,30.55
जोड़ें : प्रत्यक्ष दावों के लिए स्वीकृत पुनर्बीमा Add : Reinsurance Accepted to Direct Claims		-	-
घटाएँ : प्रदत्त दावों के लिए सौंपा गया पुनर्बीमा Less : Reinsurance Ceded to Claims Paid		56,30.29	90,23.46
घटाएँ : / Less :			
वर्ष के दौरान वसूल किए गए / Recovered during the year	222,03.48		173,91.36
जोड़ें : प्रदत्त दावों की वसूली पर प्राप्त ब्याज Add : Interest received on Recovery of Claims Paid	1,93.95		44.30
घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता हिस्सा / Less : Share of Reinsurer	56,42.74		69,37.63
	167,54.69	167,54.69	104,98.03
शुद्ध प्रदत्त दावे (क) / Net Claims Paid (A)		**229,61.13**	**255,09.06**
जोड़ें : वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध) Add : Claims Outstanding at the end of the year Minus provision for recovery		3838,12.43 -	4699,74.57 -
(ख) / (B)		**3838,12.43**	**4699,74.57**
घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less : Claims Outstanding at the beginning Minus Provision for recovery		4699,74.57 -	5929,31.09 -
(ग) / (C)		**4699,74.57**	**5929,31.09**
कुल उपगत दावे (क + ख + ग) / Net Incurred Claim (A + B - C)		**(632,01.01)**	**(974,47.46)**
प्रदत्त दावे (प्रत्यक्ष) / Claims Paid (Direct)			
- भारत में / - In India		453,46.11	450,30.55
- भारत के बाहर / - Outside India		-	-
अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर का अनुमान (शुद्ध) Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (Net)		3428,25.68	4550,64.57
अवधि की आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर का अनुमान (शुद्ध) Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (Net)		4550,64.57	5572,29.75

अनुसूची - 3 / SCHEDULE - 3
कमीशन / COMMISSION

विवरण Particulars	वर्तमान अवधि (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
सकल कमीशन / Gross Commission	36,99.67	31,31.77
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add : Commission on Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन / Less : Commission on Reinsurance Ceded	48,34.11	12,26.29
शुद्ध कमीशन / Net Commission	**(11,34.44)**	**19,05.48**
चैनलवार कमीशन का ब्यौरा (सकल): / Channel wise break-up of Commission (Gross):		
व्यक्तिगत एजेंट / Individual Agents	-	-
कॉरपोरेट एजेंट - बैंक/एफआईआई/एचएफसी / Corporate Agents - Banks/FII/HFC	-	-
कॉरपोरेट एजेंट - अन्य / Corporate Agents - Others	-	-
बीमा ब्रोकर / Insurance Brokers	36,99.67	31,31.77
प्रत्यक्ष व्यापार - ऑनलाइन / Direct Business - Online	-	-

विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
एमआईएसपी (प्रत्यक्ष) / MISP (Direct)	-	-
वेब एग्रीगेटर / Web Aggregators	-	-
बीमा मार्केटिंग फर्म / Insurance Marketing Firm	-	-
सामान्य सेवा केंद्र / Common Service Centers	-	-
माइक्रो एजेंट / Micro Agents	-	-
बिक्री केंद्र (प्रत्यक्ष) / Point of Sales (Direct)	-	-
कुल / Total	**36,99.67**	**31,31.77**
कमीशन (पुनर्बीमा को छोड़कर) दर्ज कारोबार **Commission (Excluding Reinsurance) Business Written :**		
- भारत में / - In India	36,99.67	31,31.77
- भारत के बाहर / - Outside India	-	-

अनुसूची - 4 / SCHEDULE - 4

बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएं / Employees' Remuneration & Welfare Benefits	224,40.62	230,40.10
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय / Travel, Conveyance and Vehicle Running Expenses	12,76.32	10,33.66
3	प्रशिक्षण व्यय / Training Expenses	1,67.99	2,33.70
4	किराया, दर व कर / Rent, Rates & Taxes	10,81.40	9,85.03
5	मरम्मत / Repairs	18,75.11	14,03.51
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी / Printing & Stationery	2,66.47	2,45.04
7	सूचना व्यय / Communication Expenses	2,28.53	1,09.80
8	कानूनी व व्यवसायिक प्रभार / Legal & Professional Charges	9,79.43	10,92.85
9	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि / Auditors' Fees, Expenses etc.		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में / (a) As auditor	1,30.56	79.72
	(ख) निम्न के संबंध में परामर्शदाता अथवा किसी अन्य सेवा के रूप में (b) As adviser or in any other capacity, in respect of		
	(i) कराधान मामले / (i) Taxation matters	19.79	14.83
	(ii) बीमा मामले / (ii) Insurance matters	-	-
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ / (iii) Management services	-	-
	(ग) किसी अन्य सेवा के लिए / (c) In any other capacity	63.24	1,02.93
10	विज्ञापन व प्रचार / Advertisement and Publicity	1,57.39	5,73.59
11	ब्याज अथवा बैंक प्रभार / Interest & Bank Charges	8.01	8.90
12	मूल्यहास / Depreciation	35,55.48	11,60.10
13	ब्रांड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क/प्रभार / Brand/Trade Mark Usage Fee/Charges	-	-
14	व्यवसाय विकास व बिक्री संवर्धन व्यय Business Development and Sales Promotion Expenses	5,39.76	3,89.64
15	सूचना प्रौद्योगिकी व्यय / Information Technology Expenses	17,38.39	13,09.09
16	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) / Goods and Services Tax (GST)	-	-
17	अन्य - विविध व्यय अथवा अन्य व्यय Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses	18,99.59	18,87.42
	कुल / TOTAL	**364,28.08**	**336,69.91**
	- भारत में / - In India - भारत के बाहर / - Outside India	364,28.08 -	336,69.91 -

अनुसूची - 5 / SCHEDULE - 5

शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
1	प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital		
	100 ₹ प्रत्येक के 1,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	10000,00.00	10000,00.00
	1,00,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each		
	(पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 1,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Period 1,00,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
2	निर्गमित पूंजी / Issued Capital		
	100 ₹ प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर	4338,00.00	4338,00.00
	4338,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each		
	(पिछले वर्ष 100 ₹ प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Period 4338,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
3	अभिदत्त पूंजी / Subscribed Capital	4338,00.00	4338,00.00
	100 ₹ प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर		
	4338,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each		
	(पिछले वर्ष 100 ₹ प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Period 4338,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
4	मांगी गई पूंजी / Called-up Capital	4338,00.00	4338,00.00
	100 ₹ प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर		
	4338,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each		
	(पिछले वर्ष 100 ₹ प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर		
	(Previous Period 4338,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
	घटाएँ : अदत्त मांग / Less : Calls unpaid	-	-
	जोड़ें : जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से चुकता राशि)		
	Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up)	-	-
	घटाएँ : पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सं मूल्य		
	Less : Par Value of Equity Shares bought back	-	-
	घटाएँ : आरंभिक व्यय / Less : Preliminary Expenses	-	-
	शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय		
	Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares	-	-
	अधिमानित शेयर / Preference Shares	-	-
	कुल / TOTAL	**4338,00.00**	**4338,00.00**

अनुसूची - 5 क / SCHEDULE - 5 A

शेयर धारण का नमूना / PATTERN OF SHAREHOLDING

(प्रबंधन द्वारा प्रमाणन के अनुसार) / (As Certified by the Management)

शेयरधारक Shareholder	वर्तमान वर्ष Current Year		पिछली वर्ष Previous Year	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding
प्रवर्तक / Promoters	-	-	-	-
भारतीय / Indian	43,38,00,000	100.00	43,38,00,000	100.00
भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामिति	-	-	-	-
President of India & His Nominees	-	-	-	-
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
निवेशक / Investors	-	-	-	-
भारतीय / Indian	-	-	-	-
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
अन्य / Others	-	-	-	-
भारतीय / Indian	-	-	-	-
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
कुल / TOTAL	**43,38,00,000**	**100.00**	**43,38,00,000**	**100.00**

अनुसूची - 6 / SCHEDULE - 6

प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि / Capital Reserve	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि / Capital Redemption Reserve	-	-
3	शेयर प्रीमियम / Share Premium	-	-
4	पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि / Revaluation Reserve	-	-
5	सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा / General Reserve - Opening Balance	7010,08.52	5284,83.87
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1642,87.33	1725,24.65
		8652,95.85	7010,08.52
	घटाएँ : पुनर्खरीद हेतु उपयोग की गयी राशि	-	-
	Less: Amount Utilized for Buy Back		
	घटाए : बोनस शेयर जारी करने के लिए उपयोग की गयी राशि	-	-
	Less: Amount Utilized for Issue of Bonus Shares		
		8652,95.85	7010,08.52
6	आकस्मिक प्रारक्षित निधि / Catastrophe Reserve	-	-
7	फ़ैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि		
	Other Reserve - Factoring Scheme Reserve	60,00.00	60,00.00
	अन्य प्रारक्षित निधियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य)		
8	लाभ व हानि खाता में शेष / Balance in Profit & Loss Account	433,80.00	433,80.00
	कुल / TOTAL	**9146,75.85**	**7503,88.52**

अनुसूची - 7 / SCHEDULE - 7

उधार / BORROWINGS

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
1	डिबेंचर/बॉन्ड / Debentures/Bonds	-	-
2	बैंक / Banks	-	-
3	वित्तीय संस्थान / Financial Institutions	-	-
	कुल / TOTAL	-	-

अनुसूची 8 व 8 क / SCHEDULE 8 AND 8A
निवेश अनुसूचित / INVESTMENT SCHEDULE

क्र. सं. S. No.	Particulars / विवरण	अनुसूची 8 / SCH - 8 शेयर धारक / Shareholders		अनुसूची 8 क / SCH - 8A पॉलिसी धारक/ Policyholders		कुल / Total	
		वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Year Audited (₹ लाख में) (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Year Audited (₹ लाख में) (₹ in Lakhs)	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Year Audited (₹ लाख में) (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Year Audited (₹ लाख में) (₹ in Lakhs)	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Year Audited (₹ लाख में) (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Year Audited (₹ लाख में) (₹ in Lakhs)
	दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS						
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं ट्रेज़री बिल / Government securities and Government सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड / guaranteed bonds including Treasury Bills	5001,62.68	4033,62.24	2247,10.77	2578,87.33	7248,73.45	6612,49.57
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities	343,36.61	312,71.13	154,26.60	199,93.01	497,63.21	512,64.14
3	अन्य निवेश / Other Investments						
	क. शेयर / a. Shares						
	कक. इक्विटी / aa. Equity	2287,12.24	1784,48.14	1027,54.77	1140,89.80	3314,67.01	2925,37.94
	खख. अधिमानित शेयर / bb. Preference	-	-	-	-	-	-
	ख. म्यूचल फंड / b. Mutual Funds	146,32.37	46,96.51	65,73.97	30,02.68	212,06.34	76,99.19
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र / c. Derivative Instruments	-	-	-	-	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड / d. Debentures/Bonds	815,40.69	1265,54.68	366,34.23	809,12.01	1181,74.92	2074,66.69
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (सी बी एल ओ) / e. Other Securities - CBLO	-	-	-	-	-	-
	- Fixed Deposit due beyond 12 Months	228,39.00	62,83.00	102,61.00	40,17.00	331,00.00	103,00.00
	च. अनुषंगी संस्थाएं / f. Subsidiaries	-	-	-	-	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन / g. Investment Properties-Real Estate	-	-	-	-	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश / Investments in Infrastructure and Housing	2563,69.53	1757,99.57	1151,80.51	1123,96.44	3715,50.04	2881,96.01
5	अनुमोदित निवेशों के अतरिक्त / Other than Approved Investments	39,12.77	92,25.74	17,57.91	58,98.42	56,70.68	151,24.16
	कुल (क) / Total (A)	**11425,05.89**	**9356,41.01**	**5132,99.76**	**5981,96.69**	**16558,05.65**	**15338,37.70**
	अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS						
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं ट्रेज़री बिल / Government securities and Government सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड / guaranted bonds including Treasury Bills	298,72.18	126,25.08	134,20.84	80,71.78	432,93.02	206,96.86
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities	10,22.41	3,66.13	4,59.34	2,34.08	14,81.75	6,00.21
3	अन्य निवेश / Other Investments						
	क. शेयर / a. Shares						
	कक. इक्विटी / aa. Equity	-	-	-	-	-	-
	खख. अधिमानित शेयर / bb. Preference	-	-	-	-	-	-
	ख. म्यूचल फंड / b. Mutual Funds	304,83.05	256,26.31	136,95.29	163,84.03	441,78.34	420,10.34
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र / c. Derivative Instruments	-	-	-	-	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड / d. Debentures/Bonds	17,25.00	136,16.27	7,75.00	87,05.49	25,00.00	223,21.76
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (सी बी एल ओ) / e. Other Securities - CBLO	-	39,62.91	-	25,33.67	-	64,96.58
	च. अनुषंगी संस्थाएं / f. Subsidiaries	-	-	-	-	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन / g. Investment Properties-Real Estate	-	-	-	-	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश / Investments in Infrastructure and Housing	156,62.72	115,25.35	70,36.88	73,68.67	226,99.60	188,94.02
5	अनुमोदित निवेशों के अतरिक्त / Other than Approved Investments	57,97.44	59,80.18	26,04.64	38,23.40	84,02.08	98,03.58
	कुल (ख) / Total (B)	**845,62.80**	**737,02.23**	**379,91.99**	**471,21.12**	**1225,54.79**	**1208,23.35**
	कुल (क + ख) / GRAND TOTAL (A + B)	**12270,68.69**	**10093,43.24**	**5512,91.75**	**6453,17.81**	**17783,60.44**	**16546,61.05**

नोट / Note:

अनुसूची 8 एवं 8 क की परिसंपत्तियों के लिए अनुसूची 14 के अंतर्गत दर्शाए गई सदिंग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Provision made for Doubtful Assets shown under Schedule 14 against Assets in Schedule 8 and Schedule 8A	96,48.31	98,49.81

सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों एवं व्युत्पन्न उपकरणों के अलावा अन्य निवेशों का कुल मूल्य
Aggregate value of Investments other than Listed Equity Securities and Derivative Instruments

विवरण / Particulars	अनुसूची 8 / SCH - 8 शेयर धारक / Shareholders		अनुसूची 8 क /SCH - 8A पॉलिसी धारक / Policyholders		कुल / Total	
	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत Current Year Audited (₹ लाख में) (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत Previous Year Audited (₹ लाख में) (₹ in Lakhs)	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत Current Year Audited (₹ लाख में) (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत Previous Year Audited (₹ लाख में) (₹ in Lakhs)	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत Current Year Audited (₹ लाख में) (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत Previous Year Audited (₹ लाख में) (₹ in Lakhs)
दीर्घावधिक निवेश / Long Term Investment						
अंकित मूल्य / Book Value	9119,01.32	7485,35.00	4096,94.80	4785,71.56	13215,96.12	12271,06.56
बाज़ार मूल्य / Market Value	9423,49.18	7668,01.16	4233,74.27	4902,49.93	13657,23.45	12570,51.09
अल्पावधिक निवेश / Short Term Investment						
अंकित मूल्य / Book Value	841,89.19	736,16.22	378,24.13	470,66.11	1220,13.32	1206,82.33
बाज़ार मूल्य / Market Value	792,84.44	679,04.83	356,20.54	434,14.57	1149,04.98	1113,19.40

नोट / Note: 1. निवेश मूल्य में सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों एवं व्युत्पन्न उपकरणों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।
1. Investments value does not include investments made in Listed Equity Securities and Derivative Instruments.
2. निवेश मूल्य में 12 महीने के भीतर देय सावधि जमा में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं, क्योंकि इसका प्रकटन नकदी तथा बैंक शेष के अंतर्गत किया जाता है।
2. Investments value does not include investments made in Fixed deposits due within 12 Months, as it is disclosed under Cash and Bank balances.

अनुसूची - 9 / SCHEDULE - 9
ऋण / LOANS

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
1	**प्रतिभूतिवार वर्गीकरण / SECURITY-WISE CLASSIFICATION**		
	जमानती / Secured		
	(क) संपत्ति को बंधक रखने पर / (a) On mortgage of property		
	(कक) भारत में / (aa) In India	-	-
	(खख) भारत के बाहर / (bb) Outside India	-	-
	(ख) शेयरों, बॉन्डों, सरकारी प्रतिभूतियों पर / (b) On Shares, Bonds, Government Securities	-	-
	(ग) अन्य / (c) Others	-	-
	गैर जमानती / Unsecured	-	-
	कुल / TOTAL	-	-
2	**लेनदारवार वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION**		
	(क) केंद्र व राज्य सरकार / (a) Central and State Governments	-	-
	(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान / (b) Banks and Financial Institutions	-	-
	(ग) अनुषंगी / (c) Subsidiaries	-	-
	(घ) औद्योगिक उपक्रम / (d) Industrial Undertakings	-	-
	(ड.) कंपनियाँ / (e) Companies	-	-
	(च) अन्य / (f) Others	-	-
	कुल / TOTAL	-	-
3	**निष्पादनवार वर्गीकरण / PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION**		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण / (a) Loans classified as standard		
	(कक) भारत में / (aa) In India	-	-
	(खख) भारत के बाहर / (bb) Outside India	-	-
	(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण / (b) Non-performing loans less provisions		
	(कक) भारत में / (aa) In India	-	-
	(खख) भारत के बाहर / (bb) Outside India	-	-
	कुल / TOTAL	-	-
4	**परिपक्वता आधारित वर्गीकरण / MATURITY-WISE CLASSIFICATION**		
	(क) अल्पावधि / (a) Short Term	-	-
	(ख) दीर्घावधि / (b) Long Term	-	-
	कुल / TOTAL	**-**	**-**

अनुसूची 10 / SCHEDULE 10
अचल परिसंपत्तियाँ / FIXED ASSETS

(₹ लाख में) / (₹ in Lakhs)

क्र सं Sl. No.	विवरण Particulars	सकल ब्लॉक / Gross Block				मूल्यह्रास / Depreciation				निवल ब्लॉक/Net Block	
		प्रारंभिक Opening	परिवर्धन Additions	कटौतियाँ Deductions	अंतिम Closing	पिछले वर्ष तक Up to Last Year	वर्ष के लिए For the Year	बिक्री पर/ समायोजन On Sale /Adjustments	दिनांक तक To date	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
1	साख Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अमूर्त Intangibles	8,15.58	129,53.01	-	137,68.59	7,51.56	17,60.90	-	25,12.46	112,56.13	64.02
3	भूमि पूर्ण स्वामित्व वाली Land - Freehold	74,81.52	-	-	74,81.52	-	-	-	-	74,81.52	74,81.52
4	पट्टे पर ली गई संपत्ति Leasehold Property	60,58.30	-	-	60,58.30	11,57.87	1,86.96	-	13,44.83	47,13.47	49,00.43
5	भवन Building	164,12.45	4,97.94	-	169,10.39	21,00.38	2,85.79	(11.54)	23,97.71	145,12.68	143,12.07
6	फर्नीचर तथा फिटिंग Furniture and Fittings	31,26.05	1,29.65	69.89	31,85.81	13,52.02	2,32.92	68.66	15,16.28	16,69.53	17,74.03
7	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण / Information Technology Equipment	15,25.08	53,83.54	13.57	68,95.05	12,00.78	7,82.98	10.98	19,72.78	49,22.27	3,24.30
8	वाहन / Vehicles	9,18.29	-	7.53	9,10.76	3,73.41	1,09.06	7.53	4,74.94	4,35.82	5,44.88
9	कार्यालयी उपकरण Office Equipment	9,64.85	2,14.61	47.78	11,31.68	7,15.76	1,00.29	32.50	7,83.55	3,48.13	2,49.09
10	विद्युत स्थापना एवं यंत्र Electrical Installations and Equipment	9,10.63	44.56	-	9,55.19	1,22.97	96.58	(6.20)	2,25.75	7,29.44	7,87.66
	कुल / Total	**382,12.75**	**192,23.31**	**1,38.77**	**572,97.29**	**77,74.75**	**35,55.48**	**1,01.93**	**112,28.30**	**460,68.99**	**304,38.00**
	प्रगतिरत कार्य Work in Progress									**2,65.65**	**101,29.54**
	कुल योग Grand Total	**382,12.75**	**192,23.31**	**1,38.77**	**572,97.29**	**77,74.75**	**35,55.48**	**1,01.93**	**112,28.30**	**463,34.64**	**405,67.54**
	पिछले वर्ष Previous Year	**370,91.91**	**15,95.63**	**4,74.79**	**382,12.75**	**71,15.25**	**11,60.10**	**5,00.60**	**77,74.75**	**405,67.54**	**373,47.88**

अनुसूची - 11 / SCHEDULE - 11
नकदी व बैंक शेष / CASH AND BANK BALANCES

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट अथवा स्टैम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	2.83	1.60
2	बैंक शेष / Bank Balances		
	(क) जमा खाते / (a) Deposit Accounts		
	(कक) अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय): (aa) Short Term (due within 12 months):		
	बैंकों के पास / With Banks	1049,05.00	1127,80.00
	वित्तीय संस्थानों के पास / With Financial Institutions	-	-
	(खख) अन्य / (bb) Others		
	(ख) चालू खाता / (b) Current Accounts	52,69.59	31,14.46
	(ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष (c) Others - Balance with Reserve Bank of India	1.00	1.00
3	मांगी गयी राशि एवं अल्प नोटिस / Money at Call and Short Notice		
	(क) बैंकों के पास / (a) With Banks	-	-
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास / (b) With Other Institutions	-	-
4	अन्य (स्पष्ट करें) / Others (to be specified)	-	-
	कुल / TOTAL	**1101,78.42**	**1158,97.06**
	उक्त 2 व 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि Balances with Non-Scheduled Banks included in 2 and 3 above	-	-
	नकदी एवं बैंक शेष / CASH AND BANK BALANCES		
	- भारत में / - In India	1101,78.42	1158,97.06
	- भारत के बाहर / - Outside India	-	-
	प्राप्त चेकों की राशि / Cheques on hand Amount to	2.01	0.27

अनुसूची - 12 / SCHEDULE - 12
अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (लाख ₹ में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (लाख ₹ में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
	अग्रिम / ADVANCES		
1	सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ Reserve deposits with ceding companies	-	-
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि / Application money for investments	-	-
3	समय पूर्व भुगतान / Prepayments	7,54.41	7,94.17
4	निदेशकों को अग्रिम / Advance to Directors/Officers	17,25.98	20,85.33
5	प्रदत्त अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान) Advance Tax paid and Taxes Deducted at Source (Net of Provision for Taxation)	43,20.30	255,55.92
6	कर्मचारियों को अग्रिम / Goods & Service Tax Credit	-	-
7	व्ययों के लिए अग्रिम / Others - Advance for Expenses	3,82.88	3,97.36
	कुल (क) / TOTAL (A)	**71,83.57**	**288,32.78**

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars		वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
	अन्य परिसंपत्तियाँ / OTHER ASSETS			
1	निवेशों पर प्रोद्भूत आय / Income accrued on Investments		409,31.05	382,60.15
2	बकाया प्रीमियम / Outstanding Premiums		-	-
	घटाएँ : अशोध्य, यदि कोई हो तो, हेतु प्रावधान Less : Provision for Doubtful, if any		-	-
3	एजेंटों के शेष / Agents' Balances		-	-
4	विदेशी एजेंसियों के शेष / Foreign Agencies Balances		-	-
5	बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन्य इकाइयों से देय Due from other entities carrying on Insurance Business (including reinsurers)		21,45.48	217,19.98
	घटाएँ : अशोध्य, यदि कोई हो तो, हेतु प्रावधान Less : Provision for Doubtful, if any		-	-
6	अनुषंगी/धारक इकाइयों से देय / Due from subsidiaries/holding		-	-
7	पॉलिसी धारकों की अदावित राशि का निवेश Investments held for Unclaimed Amount of Policyholders		1,21.40	1,54.95
8	पॉलिसी धारकों की अदावित राशि के निवेश पर ब्याज Interest on Investment held for Unclaimed Amount of Policyholders		76.89	69.03
9	अन्य: / Others:			
	(क) आवास ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज (a) Interest accrued on Housing Loan		81.54	1,00.94
	(ख) विविध देनदार / (b) Sundry Debtors			
	मानक परिसंपत्तियाँ / Standard Asset	1,62.26		2,14.06
	घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Standard Asset	0.65		0.85
	(I)	1,61.61	1,61.61	2,13.21
	अवमानक परिसंपत्तियाँ / Sub - Standard Asset		-	-
	घटाएँ : अवमानक परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान Less : Provision for Sub - Standard Asset		-	-
	(II)		-	-
	सदिंग्ध परिसंपत्तियाँ / Doubtful Asset	9,04.27		7,04.27
	घटाएँ : सदिंग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Asset	9,04.27		7,04.27
	(III)		-	-
	(I + II + III)		1,61.61	2,13.21
	(ग) अन्यों से वसूली योग्य राशि (c) Amount Recoverable from others	121,47.46		161,90.81
	घटाएँ : सदिंग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	94.71		94.71
		120,52.75	120,52.75	160,96.10
	(घ) विविध जमाएँ / (d) Sundry Deposits	82,86.52		78,21.98
	घटाएँ : सदिंग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts		-	-
		82,86.52	82,86.52	78,21.98
	(ड.) भारत सरकार की ओर से ए टी आई भागीदारी (e) ATI Participation on behalf of Govt. of India		92,72.42	88,88.43
	कुल (ख) / TOTAL (B)		**731,29.66**	**933,24.77**
	कुल (क+ख) / TOTAL (A+B)		**803,13.23**	**1221,57.55**

अनुसूची - 13 / SCHEDULE - 13
वर्तमान देयता / CURRENT LIABILITIES

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
1	एजेन्टों का शेष / Agents' Balances	-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष / Balances due to other Insurance Companies	76,10.44	82,38.65
3	सौंपे गए पुनर्बीमा पर जमा / Deposits held on re-insurance ceded	-	-
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम / -Premiums received in advance	-	-
	(क) दीर्घावधिक पॉलिसियों के लिए / (a) For Long Term Policies	38,96.70	52,97.72
	(ख) अन्य पॉलिसियों के लिए / (b) For Other Policies	205,00.82	180,96.71
5	अनाबंटित प्रीमियम / Unallocated Premium	64,52.88	43,38.46
6	विविध लेनदार / Sundry Creditors	96,79.38	86,93.05
7	अनुषंगी/धारक कंपनी को देय / Due to subsidiaries/holding company	-	-
8	बकाया दावे / Claims outstanding	3838,12.43	4699,74.57
9	अधिकारियों/निदेशकों को देय / Due to Officers/Directors	15,19.57	45,08.78
10	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि / Unclaimed Amount of Policyholders	1,17.48	1,11.65
11	अदावित राशि से अर्जित आय / Income accrued on Unclaimed Amounts	59.72	49.66
12	बॉन्डों/डिबेंचरों पर देय ब्याज / Interest Payable on Debentures/Bonds	-	-
13	माल व सेवा कर देयताएं / Goods and Service Tax Liabilities	1,76.75	1,11.18
14	अन्य / Others		
	(क) एन ई आई ए / (a) NEIA	10,29.80	11,38.57
	(ख) फ़ैक्टरिंग / (b) Factoring	65.88	40.27
	(ग) विविध / (c) Miscellaneous	9,74.21	7,23.92
	कुल / TOTAL	**4358,96.06**	**5213,23.19**

अदावित राशि एवं उस पर निवेश आय का विवरण
Details of Unclaimed Amounts and Investment Income thereon

विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
आरंभिक शेष / Opening Balance	1,61.31	1,83.50
जोड़ें : हस्तांतरित राशि को अप्राप्त राशि में जोड़ें Add : Amount transferred to unclaimed amount	15.16	15.53
जोड़ें: अदावीत राशि से जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए चेक (केवल तभी शामिल किए जाएं जब चेक पुराने हो जाएं) Add : Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the Policyholders (To be included only when the cheques are stale)	0.51	-
जोड़ें : निवेश आय / Add : Investment Income	13.92	14.77
घटाएँ : वर्ष के दौरान जारी राशि / Less : Amount paid during the year	1.73	22.04
घटाएँ : एस सी डबल्यू एफ को अंतरित / Less : Transferred to SCWF	11.97	30.45
अदावित राशि का अंतिम शेष / Closing Balance of Unclaimed Amount	1,77.20	1,61.31

अनुसूची - 14 / SCHEDULE - 14
प्रावधान / PROVISIONS

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित / Reserve for Unearned Premium Reserve	565,87.90	589,81.21
2	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित / Reserve for Premium Deficiency	-	-
3	कराधान के लिए - आय कर (अग्रिम कर को घटा कर)	-	-
	For Taxation (Less Advance Tax Paid and Taxes Deducted at Source)		
4	कार्मिक लाभ / For Employees Benefits		
	(क) छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा / (a) Leave Encashment & Long Service	66,58.18	61,10.52
	(ख) उपदान / (b) Gratuity	2,05.24	1,66.36
	(ग) पेंशन / (c) Pension	-	28,97.43
5	अन्य / Others		
	(क) निवेश परिसम्पतियो हेतु / (a) For Investment Assets	96,48.31	98,49.81
	कुल / TOTAL	**730,99.63**	**780,05.33**

अनुसूची - 15 / SCHEDULE - 15
विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
1	शेयर/डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर छूट Discount Allowed in issue of Shares/Debentures	-	-
2	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	**-**	**-**

अनुसूची 16 / SCHEDULE 16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. लेखा प्रणाली

1.1 ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1); बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधीन निर्मित विनियमों के अनुसरण में तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा दर्शाया न गया हो, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने) विनियमन 2002 के अनुपालन में प्रचलित लागत प्रथा तथा उपचयित आधार पर तैयार किए गए हैं तथा ये कंपनी (लेखमानक) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढे जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखा मानकों की आवश्यकताओं की लेखामानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर का पता तब चलेगा, जब इनके परिणाम ज्ञात होंगे / सामने आएंगे।

2. अचल संपत्ति तथा मूल्य ह्रास

2.1 अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण के मूल्य में से संचित मूल्य ह्रास को कम कर अंकित किया गया है।

2.2 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के अनुसार प्रासंगिक दरों पर सीधी रेखा पद्धति आधार पर मूल्य ह्रास की गणना की गयी है। वर्ष के दौरान शामिल की गई/ निपटान की गयी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास उन्हें शामिल किए जाने / निपटान की तारीख के संदर्भ में यथानुपातिक आधार पर गणना की गयी है। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य ह्रास उनका उपयोग की गयी अवधि के दौरान हुआ है।

2.3 पट्टे पर ली गयी परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है।

2.4 हार्ड वेयर का अभिन्न अंग बनाने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले से लोड किया गया सॉफ्टवेयर तथा नए खरीदे गए हार्डवेयर को लोड करने के लिए खरीदा गया सॉफ्टवेयर शामिल है, को हार्डवेयर के साथ पूंजीकृत कर दिया गया है।

2.5 सॉफ्टवेयर विकास तथा अधिग्रहण मूल्य जो कंपनी लेखामानक नियम 2006 द्वारा जारी ए एस 26 अमूर्त परिसंपत्तियाँ - के मान्यता प्राप्त मानदंडों को पूरा करते हैं, को ''अमूर्त'' शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया गया है तथा 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन परिसंपत्तियों के उपयोग किए गए समय के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

2.6 परियोजनाएं जो आरंभ की जा चुकी हैं को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (CWIP) के रूप में मूल्य पर आगे लाया गया है तथा यह अग्रिमों व सीधे प्रदान करने योग्य लागत सहित संविदाकारों को की गयी अदायगियों को प्रदर्शित करता है।

1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulation 2024 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

1.2 **USE OF ESTIMATES:**

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.

2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule II to the Companies Act, 2013. Assets added/ disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/ disposal. Assets are depreciated fully during the course of its useful life.

2.3 Leased Assets are amortised over the period of lease.

2.4 The computer software forming integral part of hardware which comprises pre-loaded software and the software procured for loading in the newly bought-out hardware is capitalized along with the hardware.

2.5 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS 26 Intangible Assets issued by Companies Accounting Standard Rules, 2006 are capitalised under the head “Intangibles” and amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.

2.6 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work-in-Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

3. **हानि**

आगे लायी जाने वाली परिसंपत्तियों की राशियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार की हानि का संकेत तो नहीं है। यदि हानि के कोई आसार दिखाई देते हैं तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान किया गया है। जहां कहीं भी परिसंपत्ति की अग्रेषित की जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि को माना गया है।

4. **निवेश**

4.1 अल्पावधि मुद्रा बाज़ार उपकरण जैसे वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाण पत्रों को छूट प्राप्त मूल्य में दर्शाया गया है तथा अधिग्रहण मूल्य और ऋणमुक्ति मूल्य के बीच के अंतर को समय आधार पर विभाजित किया गया व उपचित आय के रूप में उसकी पहचान की गयी।

4.2 शेयर, बॉन्ड, तथा डिबेंचरों आदि की खरीद व बिक्री की संविदा को संव्यवहार की तारीख को ''निवेश'' के रूप में स्वीकार किया गया है।

4.3 निवेश मूल्य में अधिग्रहण पर प्रीमियम, व्यय जैसे ब्रोकरेज, अंतरण स्टैम्प, अंतरण शुल्क आदि के व्यय शामिल हैं एवं यह, उस पर प्राप्त प्रोत्साहन / शुल्क, यदि कोई हो तो, का निवल है।

4.4 लाभांश को घोषणा वर्ष में आय में शामिल किया गया है। वसूली पर आपत्ति / सुपुर्दगी के लिए लंबित शेयर्स पर लाभांश / डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गयी है। अन्तरिम लाभांश की गणना 31 मार्च अथवा उससे पहले के वारंटों के लिए की गयी है।

4.5 निवेशों की आय पर लाभ/हानि का आंकलन, सरकार की प्रतिभूतियों, जिन्हें परिपक्वता अवधि तक रखा जाता है के अलावा उन निवेशों के मूल्य को भारित औसत बही मूल्य के आधार पर किया गया है तथा इस प्रकार के निवेशों पर लाभ / हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन विधि (FIFO) पर की गयी है।

4.6 सरकार की प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमान शेयरों को परिपक्वता तक रखने योग्य माना गया है व उनकी गणना मूल्य लागत तक आँका गया है। तथापि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों की शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय अदा किए गए प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के लिए किया गया है।

4.7 क) म्युचुअल फंडों में निवेशों की गणना वर्ष के अंत तक निवल आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर की गयी है तथा मूल्य / बही मूल्य तथा एन ए वी के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गयी है। तथापि यदि मूल्य में किसी प्रकार की हानि पायी गयी तो उसे राजस्व से प्रभारित किया गया है तथा निवेश के बही मूल्य को तदनुसार घटाया गया है। यदि पहले पाई गई हानि में किसी प्रकार का प्रत्यावर्तन पाया गया तो उसे पहले पाई गई हानि में कटौती की सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा।

ख) तुलन पत्र की तारीख तक यदि एन ए वी उपलब्ध न हो तो निवेश को लागत मूल्य तक दर्शाया गया है।

3. **IMPAIRMENTS**

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

4. **INVESTMENTS**

4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit, are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.

4.2 Contracts for purchase and sale of shares, bonds, debentures, etc., are accounted for as "Investments" as on date of Transaction.

4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc., and is net of incentive/fee if any, received thereon.

4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on shares/interest on debentures under objection/pending delivery is accounted for, on realisation. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.

4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and profit/loss on such investments are worked out on First In First Out Basis (FIFO).

4.6 Investment in Government Securities, debt securities and redeemable preference shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time of acquisition of securities is amortised over the residual period of maturity.

4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost/book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.

b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.

4.8 क) इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार वृद्धिशील व्यापारित और अल्प व्यापारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एन एस ई तथा बी एस ई दोनों में मार्च माह के दौरान किए गए संव्यवहारों के आधार पर शेयरों को अल्प व्यापारित माना गया है।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी/ इक्विटी संबन्धित साधनों के मूल्य का अंकन आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इक्विटी निवेशों के मूल्यांकन नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन एस ई) जो कि प्राथमिक एक्सचेंज माना गया है, पर अंतिम मूल्य कोट के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी साधन को एन एस ई में कोट नहीं किया गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी एस ई) (गौण एक्सचेंज) में लगे अंतिम कोट को मूल्यांकन के लिए आधार लिया जाएगा। भारित औसत मूल्य तथा कोट किए गए मूल्य के बीच के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है।

4.9 अल्प व्यापारित ईक्विटियों तथा असूचीबद्ध ईक्विटियों में किए गए निवेशों को लागत मूल्य में दर्शाया गया है। तथापि लागत व विश्लेषित लागत के अंतर का प्रावधान मूल्य में कमी किया गया है। यह भी कि पिछले तीन लेखा वर्षों के लिए अल्प व्यापारित / असूचीबद्ध शेयरों के लिए प्रावधान करने की तारीख के तत्काल पहले असूचीबद्ध कंपनियों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो सम्पूर्ण मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है।

4.10 सूचीबद्ध ईक्विटियों / इक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयरों के रूप में उन कंपनियों में निवेश किया गया है जिन्हें पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि हो रही हो तथा जहां पूंजी ह्रास हो रहा हो तो ऐसे निवेशों को मूल्य में हानि माना गया है। यदि लगातार पिछले तीन लेखा वर्षों की समाप्ति पर अथवा मूल्य में हानि के मूल्यांकन की तारीख के तत्काल पहले के लिए कंपनी के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं है तो यह माना गया कि निवेशों के मूल्य की पूर्ण हानि हुई है तथा ₹1/- प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य पर उसे बट्टे खाते में डाला गया है।

4.11 क) निवेशों के मूल्यांकन को मूल्य में हानियुक्त मानते हुए उनकी निम्नानुसार गणना की गयी :

अ) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के संबंध में :- लागत मूल्य की न्यूनतम राशि, बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य बशर्ते की विश्लेषित मूल्य धनात्मक है। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य ₹1/- लिया गया है।

ब) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में:- लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य ₹1/- लिया गया।

4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The shares are treated as thinly traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.

b) Actively Traded Equity/Equity related instruments will be valued as per IRDAI guidelines. The equity investments will be valued at the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE) which will be the primary exchange. If any of the instruments is not quoted on NSE, then the last quoted closing price on the Bombay Stock Exchange (BSE) (as secondary exchange) will be taken for valuation. The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account.

4.9 Investment in thinly traded Equity shares and unlisted equity shares are shown at cost. However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out provision for thinly/unlisted shares or if the break-up value is negative then the provision is made for the entire cost.

4.10 Investment in Listed Equity/Equity related instruments/Preference shares made in those Companies, which are making losses continuously for last three years and where capital is eroded, are considered to have Impairment in value. Further, if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of investments is fully impaired and is written off to a nominal value of ₹1/- per Company.

4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:

a) In respect of Actively Traded Equity shares: - Least of Cost Price, Market Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹1/- per Company.

b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹1/- per Company.

स) अधिमानित शेयर्स के मामले में, यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश प्राप्त नहीं हुआ हो तो:- अधिमानित शेयर्स के मूल्य ह्रास की गणना उनके अंकित मूल्य के आधार उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य के आधार पर मूल्य की गणना की गयी / इक्विटी शेयर्स के मूल्यह्रास के मूल्य की गणना की जाती। तथापि यदि इक्विटी शेयर्स को ₹1/- प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला गया है तो अधिमानित शेयर्स को भी ₹1/- प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला जाएगा।

ख) एक बार जब ऊपर उल्लिखित नीति के अनुसार सूचीबद्ध शेयर/ ईक्विटी संबन्धित साधनों/ अधिमानित शेयर्स में निवेशों के मूल्य हानि की गणना की गयी है, इस प्रकार की हानियों के प्रत्यावर्तन को केवल तब राजस्व/ लाभ व हानि खाते में शामिल किया गया जब निवेश की गयी कंपनियों की हानियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं व उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित लेखों के अनुसार अथवा प्रत्यावर्तन के तत्काल पहले की तारीख को उसकी पूंजी पुनः स्थापित की गई थी।

4.12 रिवर्स रेपो संव्यव्हारों को सुरक्षित ऋण संव्यवहार माना जाता है तथा तद्नुसार वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है। संव्यव्हारों के प्रथम व द्वितीय चरण के कुल आगम के अंतर को आय माना गया है।

4.13 ''ट्राई पार्टी रेपो प्रणाली (ट्रेप्स)'', जिसे अंकित मूल्य में छूट पर जारी किया जाता है, को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाज़ार का उपकरण माना गया है। ट्रेप्स के जरिये ऋण पर अर्जित छूट को आय में दर्शाया गया है और उसका सामयिक आधार पर प्रभाजन किया गया है।

4.14 क) अप्राप्त लाभ, सूचीबद्ध एक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हानि को ''अंकित मूल्य परिवर्तन खाता'' शीर्ष में लिया गया है तथा उसकी उगाही पर उसे लाभ व हानि खाते में रिपोर्ट किया गया है।

ख) वसूली के लिए लंबित, ''अंकित मूल्य परिवर्तन खाता'' में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

4.15 ''शेयरधारकों'' एवं ''पॉलिसीधारकों'' की निधियों में निवेशों का आबंटन:- महत्वपूर्ण लेखा नीति (पैरा सं 10.2) में उल्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में कंपनी के निवेशों को अनुसूची 8 व 8क में क्रमशः ''शेयरधारकों की निधियाँ'' व ''पॉलिसीधारकों की निधियाँ'' शीर्ष ''शेयरधारकों'' व ''पॉलिसीधारकों'' की निधि में आबंटित किया गया है।

4.16 आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता तथा ऋणों/ अग्रिमों / डिबेंचरों से संबन्धित प्रावधान के संबंध में कंपनी बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई)/ भारतीय रिज़र्व बैंक के संबन्धित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

c) In respect of preference shares, if the dividend is not received for the last three years: - The preference shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/which would have been taken for writing down equity shares bears to the face value of the equity shares. However, if the equity shares are written off to ₹1/- per Company, preference shares also will be written off to a nominal value of ₹1/- per Company.

B) Once the value of investment in listed equity/equity related instruments/preference shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of such impairment losses are recognised in revenue/ profit & loss account only when the accumulated losses of such investee companies are completely wiped out and capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.

4.12 REVERSE REPO Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the 1st and 2nd leg of the transaction is treated as income.

4.13 "TriParty Repo System (TREPS), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through TREPS is shown as income, which is apportioned on time basis.

4.14 a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares are taken under the head "Fair Value Change Account" and on realisation reported in profit and loss account.

b) Pending realisation, the credit balance in the "Fair Value Change Account" is not available for distribution.

4.15 "Allocation of Investments into Shareholders' & Policyholders' Funds": Investments of the Company are allocated to Shareholders' and Policyholders' funds as presented in schedule 8 and 8a in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Fund respectively as at the beginning of the financial year as stated in Significant Accounting Policy (para) No.10.2

4.16 The Company follows the prudential norms prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)/related Reserve Bank of India (RBI) guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans/ advances/ debentures.

5. प्रीमियम आय

5.1 जोखिम के पूर्वानुमान पर प्रीमियम आय की पहचान की गयी है। आई आर डी ए आई के पत्र संख्या एफ एन ए/जी ई सी/एल आर/001/2013-14/12 दिनांक 30 जनवरी, 2014 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार मार्च महीने में निर्यातकों द्वारा किए गए पोतलदानों/बैंकों द्वारा वितरित निर्यात ऋणों से संबंधित जोखिम धारिता तथा प्रीमियम आय की पहचान आगामी वर्ष के लिए की जाती है, एवं इसका लगातार अनुपालन किया जाता रहा है।

5.2 प्रीमियम की अग्रिम प्राप्ति: अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम उस प्रीमियम को दर्शाता है, जहां जोखिम के आरंभ होने की अवधि लेखा अवधि से बाहर हो तथा इसे चालू देयता के अधीन दर्शाया जाता है।

5.3 अनाबंटित प्रीमियम: यह जमा प्रीमियम एवं उस प्रीमियम को दर्शाता है जिसकी प्राप्ति हो चुकी हो परंतु किस जोखिम के लिए उसकी प्राप्ति हुई है उस पर कोई टिप्पणी नहीं हो। इसे चालू देयता के अधीन दर्शाया जाता है।

6. असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि (यू आर आर)

6.1 अनर्जित प्रीमियम प्रारक्षण (यू पी आर): पिछले बारह महीनों के दौरान शुद्ध लिखित प्रीमियम के 50% अनर्जित प्रीमियम प्रारक्षण किया गया है।

6.2 प्रीमियम कमी प्रारक्षण (पी डी आर): प्रीमियम की कमी तब मानी जाती है जब अपेक्षित दावा लागत, संबंधित व्यय एवं रखरखाव लागत का कुल योग अनर्जित प्रीमियम प्रारक्षण से अधिक हो।

7. बीमा अनुबंधों की अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत जो नए एवं नवीकृत बीमा अनुबंधों तथा मुख्य रूप से उनसे संबंधित लागतें होती हैं जो उनके अधिग्रहण के साथ बदलती रहती हैं। प्रीमियम की पहचान करने वाले वर्ष के दौरान अधिग्रहण लागतों की पहचान की जाती है।

8. बकाया दावों के लिए आरक्षित राशि

8.1 अल्पावधि (अ आ) रक्षाओं के अधीन प्रक्रिया किए गए बकाया दावों एवं मध्यम तथा दीर्घावधिक रक्षा के अधीन सभी बकाया दावों के मामले में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया दावों के लिए आरक्षित राशि को देय अनुमानित राशि के रूप में पहचान की जाती है। अल्पावधिक रक्षाओं के अधीन प्रक्रिया किए जाने वाले बकाया दावों के लिए, पिछले वर्षों के दावा भुगतान अनुभव के बीमांकिक विश्लेषण के आधार पर प्राप्त औसत दर पर प्रावधान किया जाता है। इस तरह के प्रावधानों को तदुपरान्त प्राप्त जानकारी की उपलब्धता/सहायक दस्तावेजों की जांच के उपरांत उपलब्ध जानकारी के आधार पर उचित परिवर्तनों के लिए उत्तरोत्तर संशोधित किया जाता है।

8.2 इसके अलावा, उपगत परंतु रिपोर्ट न किए गए (आईबीएनआर) दावों, उपगत परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) दावों के लिए प्रावधानों की गणना वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

5. PREMIUM INCOME

5.1 Premium Income is recognised on assumption of risk. The assumption of risk and the premium income, relating to shipments made by the exporters/export credits disbursed by banks in the month of March is recognised in the subsequent year as per the directions of IRDAI vide its letter no. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, and the same is consistently followed.

5.2 Premium Received in Advance: Premium received in advance represents the premium where the period of inception of the risk is outside the accounting period and it is shown under current liability.

5.3 Unallocated Premium: It represents the deposit premium and premium which has been received but for which risk has not commenced. It is shown under current liability.

6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS (URR)

6.1 Unearned Premium Reserve (UPR): Unearned premium reserve is created at 50% of net written premium during the preceding twelve months.

6.2 Premium Deficiency Reserve (PDR): Premium deficiency is recognised when the sum of expected claim costs, related expenses and maintenance costs exceed the unearned premium reserve.

7. ACQUISITION COST OF INSURANCE CONTRACTS

Acquisition costs are those costs that vary with, and are primarily related to, the acquisition of new and renewal insurance contracts. Acquisition costs incurred are recognised in the year in which the premium is recognised.

8. RESERVE FOR OUTSTANDING CLAIMS

8.1 In case of processed outstanding claims under Short Term (ST) covers and in case of all outstanding claims under Medium and Long Term covers the reserve for outstanding claims on the reporting date is recognised as the amount estimated as payable. For the outstanding claims that are yet to be processed under ST covers, a provision will be made on an average rate arrived on the basis of actuarial analysis of earlier years claim paid experience. Such provision is progressively modified for changes as appropriate on availability of further information/scrutiny of supporting documents.

8.2 Further, the provision for Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.

8.3 निम्नलिखित दावों जिन्हें आकस्मिक देयता मानते हुए, किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया:

(i) कंपनी द्वारा खारिज किए गए दावे एवं ऐसे दावे जिनके संबंध में कानूनी कार्रवाई तथा/ अथवा मध्यस्थता आरंभ की गई है, जिसमें प्रतिकूल निर्णय के मामले शामिल हों जहां कंपनी द्वारा कानूनी कार्रवाई तथा/ अथवा मध्यस्थता जारी रखी गयी हो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा उन्हीं मामलों में, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत तक दावित अथवा प्रदत्त अथवा लागू ब्याज, यदि कोई हो दावा किया गया या दिया गया या वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू ब्याज, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो हेतु आकस्मिक देयता हेतु प्रावधान किया जाएगा।

(ii) बैंकों द्वारा अधिमानित एवं पुष्टि किए गए दावों जहां वसूली देयों हेतु समझौता प्रस्ताव विचारधीन हों के लिए प्रावधान नहीं किया गया।

9. पुनर्बीमा

9.1 जोखिम के हस्तांतरण पर बीमा प्रीमियम की उसी वर्ष पहचान की जाती है जिस वर्ष जोखिम आरंभ होता है। हस्तांतरित प्रीमियम में किसी भी प्रकार के संशोधनों को , संशोधनों के वर्ष के दौरान पहचान की जाती है। पॉलिसियों के रद्द होने पर उत्पन्न होने वाले पुनर्बीमा प्रीमियम में समायोजन को उसी वर्ष पहचान की जाती है जिस वर्ष के दौरान उसे रद्द किया गया हो।

9.2 हस्तांतरित पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उसी अवधि में आय के रूप में पहचान की जाती है जिसमें पुनर्बीमा प्रीमियम हस्तांतरित किया गया हो।

9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन लाभ कमीशन, जहाँ भी लागू हो, लाभ के अंतिम निर्धारण के वर्ष के दौरान एवं पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किए जाने के उपरांत पहचान की जाती है।

9.4 पुनर्बीमा व्यवस्था की शर्तों के अधीन पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त/प्राप्त की जाने वाली संभावित राशि को दावे की पहचान के साथ साथ पहचान की जाती है।

10. प्रबंधन व्यय

10.1 कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किए गए व्यय की गणना बीमा कारोबार से संबन्धित व्यय के रूप में की गयी है तथा अतः उसे राजस्व खाते के शीर्ष में रखा गया है। निवेशों से संबन्धित व्यय को राजस्व तथा लाभ व हानि खाते के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया गया है जैसा की महत्वपूर्ण लेखानीति सं 10.2 में उल्लिखित है।

10.2 वित्तीय वर्ष के आरंभ में निवेश आय को लाभ व हानि खाता एवं राजस्व खाते में क्रमशः ''शेयर धारक निधि'' व ''पॉलिसीधारक निधि'' के रूप में प्रभाजित किया गया है। ''शेयरधारक'' निधि में शेयर पूंजी, सामान्य प्रारक्षित निधियाँ तथा पूंजी प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं। ''पॉलिसीधारकों'' की निधि में असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि, बकाया दावों आदि के लिए प्रारक्षित निधि शामिल हैं।

10.3 प्रिंटिंग व स्टेशनरी का उपयोग खरीद वर्ष के दौरान ही कर लिया गया ऐसा मान लिया गया है।

8.3 No provision is made for following claims which are treated as Contingent Liability:

(i) Claims rejected by the Company and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or arbitration has been initiated including cases of adverse ruling where the Company has continued legal action and/or arbitration. The Company shall provide for contingent liability including the interest claimed or awarded or applicable as of end of a financial year, if any, as the case may be.

(ii) Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery of dues are under negotiation and therefore not provided for claim provision.

9. REINSURANCE

9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled.

9.2 Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

9.3 Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the profits and as intimated by re-insurer.

9.4 Amounts received/receivable from the re-insurers, under the terms of the reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

10. EXPENSES OF MANAGEMENT

10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Company, incurred by the Company are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to revenue account. Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.

10.2 Investment Income is apportioned between Profit & Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds respectively at the beginning of the financial year. Shareholders' Fund consists of Share Capital, Reserves and Surplus. Policyholders' Fund consists of Estimated Liability for Outstanding Claims including IBNR and IBNER, Unearned Premium Reserve, Premium Deficiency, Catastrophe Reserve and Other Liability net of Other Assets.

11. कर्मचारी लाभ

11.1 कंपनी सभी पात्र कार्मिकों के लिए उपदान, एक निश्चित लाभ योजना प्रदान करता है। योजना के अधीन पात्र क ार्मिकों के लिए संबन्धित कर्मचारी का वेतन तथा कंपनी में पूर्ण की गयी सेवा की अवधि के आधार पर सेवा निवृत्ति अथवा सेवाओं के समापन के आधार पर एक मुश्त राशि प्रदान करता है। कंपनी बीमा कंपनी द्वारा रखी गयी उपदान निधि में अपना अंशदान देता है। राशि का अंशदान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कंपनी का उपदान निधि में अंशदान का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के अंशदानों को राजस्व खाते में दर्शाया गया है।

11.2 परिकल्पित इकाई ऋण विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन में पायी गयी कमियों तथा तुलन पत्र की तारीख तक बीमा कंपनी के निधिक शेषों के बीच के अंतरों लिए प्रावधान किए गए हैं।

11.3 कंपनी की नीति के अनुसार, कुछ निबंधन व शर्तों के अधीन कर्मचारी अपने त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा शेष छुट्टी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर अल्पावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए प्रावधान किया गया है। प्रावधान, दीर्घावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

11.4 भविष्य निधि निश्चित लाभ योजना है। निधि में किए जाने वाले कंपनी का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि की प्राप्ति संवैधानिक निर्धारित न्यूनतम से कम है तो उस कमी की भरपाई कंपनी को करनी होगी।

11.5 कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये भविष्य निधि की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें, आवरित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कर्मचारी अपना अंशदान करते हैं। कंपनी, उन पात्र कार्मिकों जिन्होने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी में कार्य ग्रहण किया है व पेंशन का विकल्प नहीं चुना है के मामले में समान राशि का अंशदान करता है। कंपनी ने भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें भविष्य निधि के लिए प्रत्येक माह किए जाने वाले अंशदानों को जमा किया जाता है। भविष्य निधि ट्रस्ट में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी आवधिक आधार पर ऐसे अंशदानों पर विनिर्दिष्ट प्राप्तियों की गारंटी देता है, प्राप्तियों में हुई कमी, यदि कोई हो तो, की भरपाई कंपनी करेगी।

11.6 कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें, रक्षित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कंपनी अपना अंशदान करती है। वे कर्मचारी जिन्होंने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की व पेंशन का विकल्प चुना है पेंशन योजना के अधीन पेंशन सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं। कंपनी ने पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह पेंशन के लिए अंशदान किया जाता है। पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी द्वारा दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आधार पर निवल देयता का मूल्यांकन करेगा तथा तुलन पत्र के आधार पर उसके लिए प्रावधान किया जायेगा।

11. EMPLOYEE BENEFITS

11.1 The Company provides for gratuity, a defined benefit plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the Company. The Company contributes to a gratuity fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.

11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.

11.3 As per Company's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at the time of resignation/retirement subject to terms and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of availment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at Balance Sheet date.

11.4 Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Company's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Company will have to fund the shortfall.

11.5 Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a defined benefit plan in which employees make monthly contributions to the plan, @ 10%, of the covered employees' basic salary. The Company contributes an equal amount in case of the eligible employees who have joined the Company on or before 31/03/2010 and have not opted for pension benefit. The Company has established a Provident Fund Trust to which contributions towards Provident Fund are made and contributions towards Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company guarantees the specified rate of return on such contributions on a periodical basis. The Company will meet the shortfall in the return, if any.

11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a defined benefit plan to which the Company contributes to the plan, @ 10%, of the covered employee's basic salary. Employees who have joined the Company on or before 31/03/2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Company has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.

11.7 जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की वे निश्चित अंशदान योजना (नयी पेंशन योजना) के सदस्य होने के लिए पात्र हैं जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (डी ए) के 10% के हिसाब से अपना मासिक अंशदान करते हैं। पात्र कर्मचारियों के मामले में कंपनी समान राशि का अंशदान करती है। कंपनी के अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।

11.8 अन्य सभी दीर्घावधिक लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है।

11.9 कर्मचारी लाभों पर बीमांकिक लाभ / हानि, तत्काल राजस्व खाते में अंकित की जाती है।

12. आय कर

12.1 कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार चालू लेखाअवधि के लिए अभिकलित कर योग्य लाभों के आधार पर किया जाता है।

12.2 आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख तक निर्धारित कर दरों तथा अधिनियमों तथा पर्याप्त रूप में अधिमानित क़ानूनों के आधार पर की जाती है तथा यह गणना उनकी उत्पत्ति की अवधि के आधार पर अलग अलग समय में की जाती है व इसे बाद की अवधियों के लिए एक अथवा अधिक बार उलटाया भी जा सकता है। जहां, आगे ले जायी जाने वाली कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यह्रास हैं, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित हो। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जहां भविष्य में उनकी वसूली पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताए व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

13.1 प्रावधान को तभी स्वीकृति दी जाती है जब किसी उद्यम का वर्तमान दायित्व किसी भूतपूर्व घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तथा इस प्रकार के दायित्व के निपटान के लिए स्रोतों का बहिर्गमन संभव हो व जिसके लिए उचित अनुमान किए जा सकते हैं। प्रावधानों करते समय उनके वर्तमान मूल्य से किसी प्रकार की रियायत नहीं किए जाते बल्कि तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की गयी है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किए गए हैं।

13.2 आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब कंपनी की संभावित देयता अथवा वर्तमान दायित्व होते है तथा यह संभव हो कि दायित्वों के निपटान के लिए नकदी की आवश्यकता न हो।

13.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों की न तो पहचान की गयी है न ही उनका प्रकटन किया गया है।

14. फ़ैक्टरिंग

14.1 ब्याज सहित फ़ैक्टरिंग सेवा शुल्क की गणना जब भी वे उत्पन्न होते हैं तब की गयी है।

11.7 Those employees who have joined the Company on or after 01.04.2010 are eligible to be the members of a Defined Contribution Plan (New Pension Scheme) in which employees make monthly contributions to the plan @ 10% of their Basic Salary and Dearness Allowance (on Basic Salary). The Company also contributes @ 14% of the Basic Salary and Dearness Allowance (on Basic Salary) of the eligible employees. The Company's contributions are charged to the Revenue Account on an accrual basis.

11.8 All other Long-Term Benefits are provided for on Actuarial Basis.

11.9 The actuarial gains/losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.

12. INCOME TAX

12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961.

12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business losses or depreciation, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Other deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Company has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.

13.3 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

14. FACTORING

14.1 Factoring Service Charges including interest are accounted as and when accrued.

14.2 फैक्टर किए गए ऋणों को चालू परिसंपत्ति शीर्ष में विविध देनदार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक तथा अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक देनदारों को आई आर डी ए द्वारा निर्धारी मानदंडों के आधार पर निम्न मानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है

14.3 फैक्टर किए गए ऋणों तथा वसूली पर ग्राहकों को देय राशि के मूल्य के अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा वे फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते में परिलक्षित हैं।

14.4 निपटान / मुद्रागत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ तथा हानि, ग्राहकों पर प्रभारित की जाती है।

14.5 समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए मानदंडों के अनुसार फ़ैक्टरिंग ऋणों के लिए प्रावधान किए गए। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसंपत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि आई आर डी ए द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है :-

मानक परिसंपत्तियाँ :	i. 10% के सामान्य प्रावधान ii. असुरक्षित अटल आरम्भों (जहां प्रतिभूति का वसूलीयोग्य मूल्य अटल आरम्भों 10% से अधिक न हो) के लिए 10% के अतिरिक्त प्रावधान
संदिग्ध परिसंपत्ति : सुरक्षित अंश : असुरक्षित अंश	i. एक वर्ष तक - 20% ii. एक वर्ष से तीन वर्षों तक - 30% iii. तीन वर्षों से अधिक - 100% 100%
हानि परिसंपत्ति :	100%

15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को पूरी रक्षा अवधि के दौरान समान रूप से आबंटित किया गया है।

16. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

16.1 आरंभिक मान्यता विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर के अनुसार गणना कर रिपोर्टिंग मुद्रा रिकॉर्ड किया गया है।

16.2 परिवर्तन - विदेशी मुद्रा मुद्रागत मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है। गैर मुद्रागत गत उपकरणों जिनकी गणना पारंपरिक लागत अंकन के आधार पर विदेशी मुद्रा में की गयी है को संव्यवहार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।

16.3 विनिमय अंतर मुद्रागत मदों के निपटान अथवा परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है व राजस्व उन्हें खाते में प्रभारित किया गया है।

14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDAI. Performing debtors are classified as Standard assets, Non-Performing debtors are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the classification criteria stipulated by IRDAI.

14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.

14.4 Gain and loss arising on account of differences in foreign exchange rates on settlement/translation of monetary assets and liabilities are charged to clients

14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDAI norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on standard assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the IRDAI:

Substandard Assets:	i. A general provision of 10% ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 % ab- initio)
Doubtful Assets: Secured portion Unsecured portion	i. Upto one year – 20% ii. One to three years – 30% iii. More than three years – 100% 100%
Loss Assets:	100%

15. NEIA TRUST ACCOUNT

The administrative charges received from NEIA Trust is being allocated equally throughout the cover period.

16. FOREX TRANSACTIONS

16.1 Initial Recognition - Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.

16.2 Conversion – Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

16.3 Exchange Differences – Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to revenue account.

अनुसूची 17 / SCHEDULE 17

लेखों से संलग्न एवं उनका हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ:/ NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS:

1. वित्तीय विवरण तैयार करना

इसके साथ संलग्न वित्तीय विवरण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002 एवं वित्तीय विवरण तैयार के सम्बंध में जारी परिपत्र तथा/अथवा दिशानिर्देशों; कंपनी अधिनियम 2013 तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. वर्णित राशियों की वसूली

प्रबंधन की राय में व्यवसाय के सामान्य प्रवाह के दौरान की गयी वसूली पर चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों के अधीन मूल्य का अंकन उनकी वसूली के आधार पर किया जाता है कम से कम तुलन पत्र में उल्लिखित राशि के समतुल्य एवं सभी ज्ञात देयतों एवं संदिग्ध परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान किए गए हैं।

3. अचल सम्पत्तियाँ:

3(क) अचल संपत्तियों के अंतर्गत ''भवन'' में एक संपत्ति (जुहू गीतांजली वास्तुशिल्प सीएचएस) शामिल है जिसकी कीमत य3.98 लाख (पिछले वर्ष ₹3.98 लाख) है, जहां स्टैम्प ड्यूटी का की अदायगी की गयी है, परंतु कंपनी द्वारा जुहू गीतांजली वास्तुशिल्प सीएचएस के साथी सोसायटी सदस्यों के साथ संपत्ति डेवलपर के साथ किया गया पुनर्विकास समझौते सहित पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी लंबित हैं। इसके अलावा, इसमें एक संपत्ति (मेट्रोपॉलिटन बीकेसी, मुंबई) भी शामिल है जिसकी कीमत ₹5,77.44 लाख (पिछले वर्ष ₹5,77.44 लाख) है, जहां स्टैम्प किए गए समझौते खो गए हैं तथा वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, कंपनी के पास इन संपत्तियों के संबंध में सहकारी संस्था के शेयर प्रमाणपत्र हैं।

3(ख) कंपनी की अचल संपत्ति अनुसूची में भूमि, भवन, वाहन, विद्युत स्थापना तथा उपकरण, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर तथा फिटिंग, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत वस्तुएं शामिल हैं। कंपनी द्वारा अपनी उपयोग पद्धति के अनुसार उपरोक्त शीर्षों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया जा रहा है।

3(ग) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है तथा भौतिक सत्यापन के आधार पर, परिसंपत्तियों के लिए हानि का कोई संकेत नहीं था।

4. अग्रिम तथा अन्य आस्तियाँ:

4(क) अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियों में शामिल हैं: कंपनी के खिलाफ दायर दावों के लिए न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में न्यायालयों में ₹75,11.85 लाख (पिछले वर्ष ₹69,32.11 लाख) की राशि जमा की गई है तथा जिसके संबंध में अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है। इसे विविध जमा के अधीन प्रकट किया गया है।

1. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Function of Insurers) Regulation, 2024 and circulars and/or guidelines issued in the context of preparation of the financial statements; Companies Act, 2013 and the Insurance Act, 1938.

2. REALISABILITY OF STATED AMOUNTS

In the opinion of the Management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet and provision for all known liabilities and doubtful assets have been made.

3. FIXED ASSETS:

3(a) "Buildings" under Fixed Assets include a property (Juhu Geetanjali Vastushilp CHS) costing ₹3.98 lakh (previous year ₹3.98 lakh) where stamp duty has been paid but registration formalities are pending including redevelopment agreement entered by the Company along with fellow society members of Juhu Geetanjali Vastushilp CHS with the property developer. Further, it also includes a property (The Metropolitan BKC, Mumbai) costing ₹5,77.44 lakh (previous year ₹5,77.44 lakh) where stamped agreements are lost and presently not available with the Company. However, the Company is in the possession of the share certificates of the co-operative institution in respect of these properties.

3(b) The Fixed Asset Schedule of the company contains items classified in different categories like Land, Building, Vehicles, Electrical Installation and Equipment, Office Equipment, Furniture & Fittings, Information Technology Equipment etc. The company is categorising the assets in the above heads according to its usage methodology.

3(c) The Company has conducted the physical verification of the assets during the year and on the basis of the physical verification, there was no indication of impairment for the assets.

4. ADVANCES AND OTHER ASSETS:

4(a) Advances and other assets include: An amount of ₹75,11.85 lakh (previous year ₹69,32.11 lakh) is deposited with the Courts in pursuance of Court Orders for claim suits filed against the Company and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.

4(ख) कार्मिकों पर आवास ऋण पर ब्याज का हिसाब प्रोद्भव आधार पर लगाया जाता है। यदि कोई समायोजन आवश्यक है, तो अंतिम निपटान के समय किया जाता है।

4(ग) अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 12) में, एक आईटी विक्रेता से ₹17,23.93 लाख की राशि वसूली योग्य थी तथा इसे ''अन्य से वसूली योग्य राशि'' के रूप में उल्लेख किया गया। मामला मध्यस्थता के अधीन था क्योंकि विक्रेता द्वारा कंपनी की ₹29,17.48 लाख की मांग के विरुद्ध ₹146,98.02 लाख का प्रति दावा भी दायर किया गया। मध्यस्थता का परिणाम वर्ष के दौरान आया है जिसमें ₹17,23.93 लाख की वसूली योग्य राशि के विरुद्ध कंपनी को ₹2,12.99 लाख की अंतिम राशि प्रदान की गई। तदनुसार, कंपनी द्वारा ₹15,10.94 लाख की शेष राशि को बट्टे खाते में डाला गया एवं इसे लाभ व हानि खाते में दर्शाया गया है।

4(घ) अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 12) में जून 2014 से हानि की अधिकता (एक्सओएल) संधि के कारण एक पुनर्बीमाकर्ता से उनके साथ दायर दावे के संबंध में ₹160,69.69 लाख की राशि प्राप्त होने योग्य थी। उक्त पुनर्बीमाकर्ता कंपनी को ₹35,46.73 लाख का पुनर्स्थापन प्रीमियम भी देय था। पुनर्स्थापन प्रीमियम समायोजित करने के बाद ₹125,22.96 लाख की शुद्ध प्राप्य राशि वर्ष के दौरान प्राप्त हुई।

4(ङ.) अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां (अनुसूची 12) में भारत सरकार की ओर से अफ्रीकी व्यापार एवं निवेश विकास बीमा (ए टी आई डी आई) में पूंजीकृत ₹92,72.42 लाख (पिछले वर्ष ₹88,88.43 लाख) की राशि शामिल है। ए टी आई डी आई द्वारा ₹3,83.98 लाख (4.60 लाख अमरीकी डॉलर) का लाभांश घोषित किया गया एवं इसे चालू वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया।

4(च) फैक्टरिंग: कंपनी द्वारा मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹0.65 लाख (पिछले वर्ष ₹0.85 लाख) का प्रावधान किया गया, जबकि संदिग्ध परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा आई आर डी ए आई मानदंडों के अनुरूप ₹2,00.00 लाख (पिछले वर्ष ₹7,04.27 लाख तक) का प्रावधान किया गया।

5. चालू देयताएं:

5(क) चालू देयताओं में कर्मचारियों को देय उत्पादकता से जुड़ी एकमुश्त प्रोत्साहन राशि (पी एल एल आई) के लिए ₹5,56.50 लाख (पिछले वर्ष ₹4,52.90 लाख) शामिल हैं, जिसकी गणना प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन (स ज्ञा) के अधीन 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की अनंतिम रेटिंग के आधार पर किया गया तथा प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अंतिम रेटिंग अभी लंबित है।

5(ख) कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा पद्धति के अनुसार, एकल दावों के आकलन के आधार पर अधिमानित एवं बकाया दावों के प्रति देयता की गणना की जाती है। ऐसे दावों के प्रति देयताओं की वर्ष के अंत तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहचान की गई है। प्रबंधन की राय में, यदि कोई प्रभाव है, तो वर्ष के दौरान रिपोर्ट न किए गए एवं पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर और आईबीएनईआर) दावों, असंबद्ध हानि समायोजन व्यय (यूएलएई) तथा बकाया दावों के लिए अतिरिक्त प्रावधान के समग्र प्रावधान का आकलन करते समय विचार किया गया जिसकी गणना नियुक्त बीमांकिक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की गयी। तदनुसार, रिपोर्ट न किए गए एवं पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए दावों तथा यूएलएई के लिए अनुमानित देयता के रूप में ₹3482,89.89 लाख (पिछले वर्ष ₹4550,64.57 लाख) की राशि की पहचान की गई।

4(b) Interest on housing loans to employees is accounted for on accrual basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.

4(c) In Advances and Other Assets (Schedule 12), an amount of ₹ 17,23.93 lakh was recoverable from an IT Vendor and were mentioned as “Amount Recoverable from Others”. The matter was under arbitration as the Vendor had also filed a counter claim of ₹146,98.02 lakh as against Company’s demand of ₹29,17.48 lakh. The outcome of arbitration has come during the year awarding the final amount of ₹2,12.99 lakh to the Company against the recoverable amount of ₹17,23.93 lakh. Accordingly, the Company has written off the balance amount of ₹15,10.94 lakh and charged it to Profit and Loss Account.

4(d) In Advances and Other Assets (Schedule 12) an amount of ₹160,69.69 lakh was receivables from a Reinsurer on account of Excess of Loss (XOL) Treaty since June 2014 in respect of a claim filed with them. The reinstatement premium of ₹35,46.73 lakh was also payable to the said reinsurer company. The net amount receivable of ₹125,22.96 lakh after adjusting Reinstatement premium was received during the year.

4(e) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes amount of ₹92,72.42 lakh (previous years ₹88,88.43 lakh) capitalised in African Trade & Investment Development Insurance (ATIDI) on behalf of the Govt. of India. ATIDI has declared dividend of ₹3,83.98 lakh (USD 4.60 lakh) and the same is capitalised during the current year.

4(f) Factoring: The Company has made provision of ₹0.65 lakh (previous year ₹0.85 lakh) on account of standard assets, whereas in relation to doubtful assets the Company has made a provision of ₹2,00.00 lakh (upto previous year ₹7,04.27 lakh) in line with IRDAI norms.

5. CURRENT LIABILITIES:

5(a) Current Liabilities include ₹5,56.50 lakh (previous year ₹4,52.90 lakh) towards Productivity Linked Lump Sum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of the Company as on 31st March, 2025 under the annual Memorandum of Understanding (MOU) signed with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.

5(b) As per the Accounting practice followed by the Company, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of individual claims. Liabilities towards such claims have been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management, the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims, Unallocated Loss Adjustment Expenses (ULAE) and additional provision for outstanding claims which is arrived at based on actuarial valuation by the Appointed Actuary. Accordingly, an amount of ₹3482,89.89 lakh (previous year ₹4550,64.57 lakh) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims and ULAE.

5(ग) कंपनी द्वारा एक पॉलिसी धारक के दावे को खारिज कर दिया गया जिसके खिलाफ पॉलिसी धारक (पॉ धा) द्वारा अनुबंध के निष्पादन के लिए कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है तथा 31/03/2025 तक मामला विचाराधीन था। अनुसूची 13 के अधीन - चालू देयताओं में, अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम को पॉलिसी धारक से घोषणा प्राप्त न होने के कारण समायोजित नहीं किया गया, में प्रीमियम की ₹2,32.45 लाख राशि शामिल है। कंपनी द्वारा जारी की गई पॉलिसी 31 अगस्त, 2009 को समाप्त हो गई। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, पॉलिसी धारक द्वारा कंपनी को न्यूनतम प्रीमियम के रूप में ₹2,40.00 लाख देने का वचन दिया गया एवं शेष राशि को यदि उसका समायोजन न किया जाये तो पॉलिसी धारक को वापस लौटा दी जानी थी। चूंकि पॉलिसी दस्तावेज में प्रीमियम को लौटाने अथवा समायोजित करने का विकल्प दिया गया है एवं मामला विचाराधीन है, अतः ₹2,32.45 लाख की सम्पूर्ण राशि (न्यूनतम प्रीमियम से अधिक ₹30.00 लाख की राशि सहित) को विविध लेनदार - अनुसूची 13 शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5(घ) इसके अलावा, अनुसूची 13 - चालू देयताओं के अंतर्गत विविध लेनदार में विभिन्न निर्यातक-उधारकर्ता को बैंकों द्वारा प्रदान की गई गारंटी के कारण बैंकों से कंपनी द्वारा विभिन्न बैंकों को जारी की जाने वाली रक्षाओं के विस्तार के लिए प्राप्त प्रीमियम के कारण ₹24.62 लाख (पिछले वर्ष ₹24.62 लाख) की राशि शामिल है। कंपनी द्वारा उक्त राशि को स्वीकार नहीं किया एवं रक्षा का विस्तार करने में अपनी असमर्थता के बारे में बैंकों को सूचित कर दिया गया है। कंपनी द्वारा उक्त प्रीमियम राशि बैंकरों को वापस लौटा दी गयी है, कुछ बैंकों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा उक्त राशि को विविध लेनदार शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. प्रावधान

डिबेंचर में निवेश की राशि ₹105,00.00 लाख अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹105,00.00 लाख) रहा एवं इसका बही मूल्य ₹98,03.58 लाख (पिछले वर्ष ₹104,97.71 लाख) रहा। वर्ष के दौरान, कंपनी को ₹14,01.50 लाख (नकद के रूप में य2,01.50 लाख व इन्विट के रूप में ₹12,00.00 लाख) एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹6,94.12 लाख प्राप्त हुए। शेष ₹84,02.08 लाख के बही मूल्य संदिग्ध मानते हुए आई आर डी ए आई के मानदंडों के अनुरूप पिछले वर्षों में लेखा बहियों में इसका पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है। इसे निवेश परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया है - अनुसूची 14। कंपनी द्वारा अपनी बही खातों में में ₹12,00.00 लाख (इन्विट के रूप में प्राप्त) का भी प्रावधान किया है।

7. पुनर्बीमा

कंपनी द्वारा अल्पावधि व्यवसाय में कोटा शेयर के अधीन 16.75% तथा मध्यम व दीर्घावधिक व्यवसाय, घरेलू व्यवसाय एवं आवक व्यवसाय में 16% का हस्तांतरण किया गया। आई आर डी ए आई दिशानिर्देशों के अधीन कंपनी के संपूर्ण व्यवसाय (अल्पावधिक व साथ ही साथ मध्यम व दीर्घावधिक व्यवसाय, घरेलू एवं आवक) का 4% अनिवार्य हस्तांतरण जी आई सी आर ई को किया जाना आवश्यक है। पिछले वर्ष के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम निम्नानुसार था:

5(c) The Company has rejected the claim of a Policy Holder against which the Policy Holder (PH) has filed a suit against the Company for performance of the contract and as on 31/03/2025 the matter is sub-judice. Premium Received in advance under Schedule 13 – Current Liabilities includes an amount of ₹2,32.45 lakh of premium not adjusted due to non-receipt of declaration from the PH. The Policy issued by the Company has expired on August 31, 2009. As per the terms of the policy, the PH committed ₹2,40.00 Lakh as the minimum premium to the Company and the balance is to be refunded to the PH in case the same is not utilized. As the policy documentation gives the option of refund or adjusting the premium and the issue being sub-judice, the entire amount of ₹2,32.45 lakh (including amount of ₹30.00 lakh being over and above the minimum premium) is shown under the head Sundry Creditors – Schedule 13.

5(d) Further, 'Sundry Creditors' under 'Schedule 13 - Current Liabilities' includes an amount of ₹24.62 lakh (previous year ₹24.62 lakh) on account of premium received from various banks, towards extension of cover to be given by the Company to various banks on account of guarantees provided by the banks to an exporter - borrower. The Company has not accepted the said amount and has communicated to the banks about its inability to extend the cover. The Company has refunded the said premium amount to the bankers some of the banks have not accepted the refund. Accordingly, the Company has reflected the said amount under the head 'Sundry Creditors'.

6. PROVISIONS

Investment in Debentures amounting to ₹105,00.00 lakh Face Value (previous year ₹105,00.00 lakh) and has a Book Value of ₹98,03.58 lakh (previous year ₹104,97.71 lakh). During the year, the company has received ₹14,01.50 lakh (`2,01.50 lakh in form of cash and ₹12,00.00 lakh in form of InvIT) and ₹6,94.12 lakh received in FY 2023-24 The remaining book value of ₹84,02.08 lakh is treated as doubtful and fully provided in the Books of accounts in the earlier years in line with IRDAI norms. It is shown under the head Provision for Investment Assets - Schedule 14. The Company has also provided for ₹12,00.00 lakh (received in form of InvIT) in the Books of accounts.

7. REINSURANCE

The Company has ceded 16.75% under Quota Share in Short Term business and 16% in Medium and Long-Term business, Domestic Business and Inward business. The obligatory cession of 4% of the entire business of the Company (Short-Term as well as Medium and Long-Term business, Domestic and Inward) as required under the IRDAI guidelines to GIC RE. The reinsurance program for the earlier year was as under:

वित्तीय वर्ष	कोटा शेयर		एक्सओएल (अल्पावधि)
	अनिवार्य	संधि(अल्पावधि)	
2007-08 (केवल अल्पावधि)	15%	20%	एक्सओएल उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	एक्सओएल उपलब्ध
2009-10	10%	15%	एक्सओएल उपलब्ध
2010-11	10%	कुछ नहीं	एक्सओएल उपलब्ध नहीं
2011-12	10%	13%	एक्सओएल उपलब्ध
2012-13	10%	12%	एक्सओएल उपलब्ध
2013-14	5%	15%	एक्सओएल उपलब्ध
2014-15 (पॉलिसी)	5%	20%	एक्सओएल उपलब्ध
2014-15 (ईसीआईबी)	5%	13%	एक्सओएल उपलब्ध
2015-16 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध
2015-16 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध
2016-17 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध
2016-17 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध
2017-18 (पॉलिसी)	5%	27%	एक्सओएल उपलब्ध
2017-18 (ईसीआईबी)	5%	23%	एक्सओएल उपलब्ध
2018-19 (पॉलिसी)	5%	26%	एक्सओएल उपलब्ध
2018-19 (ईसीआईबी)	5%	21.5%	एक्सओएल उपलब्ध
2019-20 (पॉलिसी)	5%	26%	एक्सओएल उपलब्ध
2019-20 (ईसीआईबी)	5%	14.5%	एक्सओएल उपलब्ध
2020-21 (पॉलिसी)	5%	15%	एक्सओएल उपलब्ध
2020-21 (ईसीआईबी)	5%	8%	एक्सओएल उपलब्ध
2021-22 (पॉलिसी)	5%	19.24%	एक्सओएल उपलब्ध
2021-22 (ईसीआईबी)	5%	8.85%	एक्सओएल उपलब्ध
2022-23 (पॉलिसी)	4%	21%	एक्सओएल उपलब्ध नहीं
2022-23 (ईसीआईबी)	4%	10%	एक्सओएल उपलब्ध नहीं
2023-24 (पॉलिसी एवं ईसीआईबी)	4%	कुछ नहीं	एक्सओएल उपलब्ध नहीं

8. वैकल्पिक जोखिम अंतरण समझौते (आर्ट)

कंपनी द्वारा भारत सरकार द्वारा स्थापित एनईआईए ट्रस्ट के साथ मध्यम व दीर्घ अवधि (एमएलटी) रक्षा के अधीन कुछ उच्च मूल्य जोखिमों के लिए जोखिम साझा करने की व्यवस्था की गयी। जून 2022 से अतिरिक्त राशि सीमा की अनुपलब्धता के कारण एनईआईए समर्थन की अनुपस्थिति में, कंपनी द्वारा जोखिम मानदंडों के अनुसार पूर्ण जोखिम प्रतिधारण के साथ रक्षा जारी किए जा रहे हैं।

9. प्रीमियम आय

जोखिम प्रतिधारिता के उपरांत प्रीमियम आय को मान्यता दी जाती है। लेखांकन नीति के अनुसार, मार्च के महीने में निर्यातकों द्वारा किए गए पोतलदान /बैंकों द्वारा वितरित निर्यात ऋणों से संबंधित जोखिम की प्रतिधारिता एवं प्रीमियम आय को अगले वर्ष में मान्यता दी जाएगी। आई आर डी ए आई द्वारा अपने पत्र संख्या एफएन।जीईसी। एलआर/001/2013-14/12 दिनांक 30 जनवरी, 2014 के माध्यम से कंपनी द्वारा आरंभ से ही लगातार अपनाई गई प्रीमियम लेखांकन पद्धति से सहमति व्यक्त की गयी। कंपनी द्वारा मार्च 2025 के माह में किए गए पोतलदानों/प्रदान किए गए अग्रिमों से संबंधित उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी प्रीमियम आय का अनुमान ₹13,88.53 लाख (पिछले वर्ष ₹59,20.15 लाख) लगाया गया है, जिसे आगामी वर्ष अवधि के लिए पहचान की गई है।

Financial year	Quota Share		XOL (ST)
	Obligatory	Treaty (ST)	
2007-08 (Only ST)	15%	20%	XOL not available
2008-09	10%	10%	XOL available
2009-10	10%	15%	XOL available
2010-11	10%	NIL	XOL not available
2011-12	10%	13%	XOL available
2012-13	10%	12%	XOL available
2013-14	5%	15%	XOL available
2014-15 (Policy)	5%	20%	XOL available
2014-15 (ECIB)	5%	13%	XOL available
2015-16 (Policy)	5%	25%	XOL available
2015-16 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2016-17 (Policy)	5%	25%	XOL available
2016-17 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2017-18 (Policy)	5%	27%	XOL available
2017-18 (ECIB)	5%	23%	XOL available
2018-19 (Policy)	5%	26%	XOL available
2018-19 (ECIB)	5%	21.5%	XOL available
2019-20 (Policy)	5%	26%	XOL available
2019-20 (ECIB)	5%	14.5%	XOL available
2020-21 (Policy)	5%	15%	XOL available
2020-21 (ECIB)	5%	8%	XOL available
2021-22 (Policy)	5%	19.24%	XOL available
2021-22 (ECIB)	5%	8.85%	XOL available
2022-23 (Policy)	4%	21%	XOL not available
2022-23 (ECIB)	4%	10%	XOL not available
2023-24 (Policy and ECIB)	4%	NIL	XOL not available

8. ALTERNATE RISK TRANSFER AGREEMENTS (ART)

The Company had risk sharing arrangement for some high value exposures under Medium and Long Term (MLT) covers with the NEIA Trust set up by Government of India. In the absence of NEIA support due to non-availability of headroom since June 2022, the covers are being issued with complete risk retention by the Company as per the exposure norms in place.

9. PREMIUM INCOME

Premium income is recognised on assumption of risk. As per the accounting policy, the assumption of risk and the premium income, relating to shipments made by the exporters/ export credits disbursed by banks in the month of March is recognised in the subsequent year. IRDAI vide its letter No. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, has concurred with the method of Premium accounting consistently followed by the Company since inception. The Company has estimated such premium income, based on available information relating to shipments made/advances granted in the month of March 2025 at ₹13,88.53 lakh (previous year ₹59,20.15 lakh) which is recognised in subsequent year.

10. एनईआईए ट्रस्ट

कंपनी द्वारा एनईआईए ट्रस्ट से प्राप्त किए जाने वाले प्रशासनिक शुल्क ₹1,88.33 लाख (पिछले वर्ष ₹2,08.14 लाख) रहा। शुल्क चालू देयताओं - अन्य - एनईआईए ट्रस्ट में, अग्रिम रूप से प्राप्त ₹10,29.80 लाख (पिछले वर्ष ₹11,38.57 लाख) का प्रशासनिक शामिल हैं।

11. कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रथा के अनुसार, दावों का निपटारा कंपनी के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसमें मुख्यालय दावा समिति (एचसीसी) भी शामिल है, जो दावों में कुछ चूकों को माफ उनको प्रदत्त अधिकारों के भीतरका निपटान किया जाता है। इन सभी निपटाए गए दावों को कंपनी के सामान्य कारोबार के अधीन निपटाया गया माना गया।

12. पूर्व अवधि समायोजन में शामिल हैं:

डेबिट (₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	54.67	-
मूल्यह्रास	33.01	3.30
अन्य	-	0.44
कुल	**87.68**	**3.74**

क्रेडिट (₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अभ्यर्पण कमीशन पर जी एस टी देयता	29,19.45	-
मरम्मत और रखरखाव	76.87	-
संपत्ति कर - अंधेरी परिसर	-	35.43
कर देयता हेतु प्रावधान	0.19	0.35
अन्य	**29,96.51**	**35.78**
कुल पूर्व अवधि समायोजन में निवल नामे / जमा	**(29,08.83)**	**(32.04)**

13. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय: (₹ लाख में)

आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
पुनर्बीमा*	4,11.57	3,21.73
अन्य प्राप्तियां	1.38	5.04
व्यय	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
सदस्यता शुल्क और अन्य व्यय	41.34	36.79
परामर्श शुल्क	1,06.82	61.61
हैसियत जांच शुल्क	81.45	86.03
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	79.12	17.97

*पुनर्बीमा अर्जन, पुनर्बीमा प्रीमियम से निवल भुगतान किए गए दावों के लिए विदेशी मुद्रा में वसूली है।

10 NEIA TRUST

The administrative charges receivable by the Company from the NEIA Trust is ₹1,88.33 lakh (previous year ₹2,08.14 lakh). Administrative charges received in advance of `10,29.80 lakh (previous year ₹11,38.57 lakh), are included in Current Liabilities – Others – NEIA Trust.

11. As per the standard practice followed by the Company, claims are settled by the various officials of the Company including the Head Office Claims Committee (HCC) within their delegated powers by condoning some lapses in the claims preferred. All these settled claims are considered to have been settled in the normal course of business of the Company.

12. Prior Period Adjustments Include:

Debits: (₹ in Lakh)

Particulars	Current Year	Previous Year
Premium	54.67	-
Depreciation	33.01	3.30
Others	-	0.44
Total	**87.68**	**3.74**

Credits: (₹ in Lakh)

Particulars	Current Year	Previous Year
GST Liability on Ceding Commission	29,19.45	-
Repair and Maintenance	76.87	-
Depreciation	-	35.43
Others	0.19	0.35
Total	**29,96.51**	**35.78**
Net Debit / (Credit) in prior Period Adjustments	**(29,08.83)**	**(32.04)**

13. Earnings and Expenditure in Foreign Exchange: (₹ in Lakh)

Earnings	Current Year	Previous Year
Re-insurance*	4,11.57	3,21.73
Other Receipt	1.38	5.04
Expenditure	**Current Year**	**Previous Year**
Membership Fees and other expenses	41.34	36.79
Consultancy Charges	1,06.82	61.61
Status Enquiry Fees	81.45	86.03
Books and periodicals	79.12	17.97

*Reinsurance earning is the recoveries in foreign currency for claims paid net off reinsurance premium.

14. कंपनी का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स तथा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई जोखिम/कार्य नहीं है। कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा (बिना हेज) में किसी प्रकार का जोखिम प्रतिधारण नहीं किया गया है।

14. The Company does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Company has no exposure in foreign currency (un-hedged).

15. खंडवार रिपोर्ट (लेखा मानक 17)

कंपनी मुख्य रूप से निर्यात ऋण बीमा के कार्य में संलग्न है। कंपनी निर्यातकों के लिए फैक्टरिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान फैक्टर किए गए कुल बिल की राशि ₹5,00.61 लाख (पिछले वर्ष ₹4,58.76 लाख) रही। वर्ष के दौरान कुल राजस्व ₹7.51 लाख (पिछले वर्ष ₹7.17 लाख) रहे। चूँकि फैक्टरिंग राजस्व, लाभ अथवा हानि व परिसंपत्तियाँ कुल खंड गतिविधियों के 10% से कम हैं, अतः यह ले मा 17 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

15. Segmental Reporting (Accounting Standard 17)

The Company operates mainly in 'Export Credit Insurance'. The Company also provide factoring activities to exporters. Total bill factored during the year amounting to ₹5,00.61 lakh (previous year ₹4,58.76 lakh) Total revenue during the year is ₹7.51 lakh (previous year ₹7.17 lakh). Since factoring revenue, profit or loss and assets are less than 10% of total segment activity, therefore, it is not reportable segment as per AS 17.

16. लेखा मानक सं 18 के अनुकरण में संबन्धित पार्टी प्रकटन:

(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक:

16. Related Party Disclosures pursuant to Accounting Standard No. 18:

(i) Key Management Personnel:

क्र. सं. S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	श्रेणी Category	दि. 31.03.2025 को As of 31.03.2025
1	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	कार्यकारी निदेशक - कार्यपालक Functional Director - Executive	16.12.2024 से नियुक्त Appointed w.e.f. 16-12-2024
		Executive Director (Policy Matters)/ Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge)		15-12-2024 से कार्यमुक्त Ceased w.e.f. 15-12-2024
2	श्री सुबीर कुमार दस Shri Subir Kumar Das	कार्यपालक निदेशक पॉलिसी मामले) Executive Director (Policy Matters)	कार्याकारी निदेशक - कार्यपालक Functional Director - Executive	13.01.2025 से नियुक्त Appointed w.e.f. 13-01-2025
		कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director (Policy Matters)	16.12.2024 से नियुक्त Appointed w.e.f. 16-12-2024
		कार्यपालक निदेशक (परिचालन) (अतिरिक्त प्रभार) Executive Director (Operations) (Additional Charge)	कार्यपालक निदेशक (परिचालन) (अतिरिक्त प्रभार) Executive Director (Operations) (Additional Charge)	16.12.2024 से नियुक्त Appointed w.e.f. 16-12-2024
3	श्री पी एल ठाकुर Shri P. L. Thakur	महाप्रबंधक General Manager	मुख्य विपणन अधिकारी Chief Marketing Officer	08.06.2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 08-06-2023
4	श्री ईशनाथ झा Shri Ish Nath Jha	महाप्रबंधक General Manager	(i) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख (i) Chief of Internal Audit (ii) मुख्य सतर्कता अधिकारी (ii) Chief Vigilance Officer	30.06.2024 से कार्यमुक्त Ceased w.e.f. 30-06-2024
5	सुश्री स्मिता वी. पंडित Smt. Smita Pandit	महाप्रबंधक General Manager	कम्पनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी Company Secretary & Chief Compliance Officer	04-06-2013 से नियुक्त Appointed w.e.f. 04-06-2013
6	श्री आनंद सिंह Shri Anand Singh	महाप्रबंधक General Manager	मुख्य बीमांकन (ई सी आई बी अ आ) अधिकारी Chief Underwriting Officer (ECIB-ST)	08.06.2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 08-06-2023
			मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	30.07.2024 से नियुक्त Appointed w.e.f. 30-07-2024

क्र. सं. S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	श्रेणी Category	दि. 31.03.2025 को As of 31.03.2025
8	श्री गौरव अंशुमान Shri Gaurav Anshuman	महाप्रबंधक General Manager	महाप्रबंधक मानव संसाधन विकास एवं प्रशासन विभाग General Manager Human Resource Development and Administration Department	01.09.2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 01-09-2023
			मुख्य जोखिम अधिकारी Chief Risk Officer	02.11.2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 02-11-2023
9	सुश्री अर्पिता सेन Smt. Arpita Sen	महाप्रबंधक General Manager	(i) मुख्य बीमांकन अधिकारी (पॉलिसी) (ii) मुख्य बीमांकन अधिकारी (म व दी र) (i) Chief Underwriting Officer (Policy) (ii) Chief Underwriting Officer (MLT)	01.11.2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 01-11-2023
10	सुश्री प्रिसिला सिन्हा Smt. Priscilla Sinha	नियुक्त बीमांकिक Appointed Actuary	नियुक्त बीमांकिक Appointed Actuary	27.01.2020 से नियुक्त Appointed w.e.f. 27-01-2020
11	श्री सब्यसाची दाश Shri Sabyasachi Dash	महाप्रबंधक General Manager	मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी Chief Technology Officer	25.09.2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 25-09-2023
12	श्री यशवंत वी ब्रीद Shri Yashwant Breed	उप-महाप्रबंधक Deputy General Manager	मुख्य निवेश अधिकारी Chief Investment Officer	09-09-2021 से नियुक्त Appointed w.e.f. 09-09-2021

(ii) वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को अदा की गयी परिलब्धियां:

(₹ लाख में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन एवं भत्ते	7,88.63	6,19.16
नियुक्त बीमांकिक	1,14.25	1,07.38

(iii) वर्ष के दौरान सम्बंधित पार्टियों के साथ किये गए संव्यवहार: एन ई आई ए ट्रस्ट - एन ई आई ए ट्रस्ट ईसीजीसी के अध्यक्ष एन ई आई ए ट्रस्ट के प्रबन्धक ट्रस्टी हैं।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	समव्यवहारों की प्रकृति	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	1,88.33	2,08.14
2	अग्रिम रूप में प्राप्त प्रशासनिक प्रभार (आज की तारीख तक शेष)	10,29.80	11,38.57
3	एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किया गया (आज की तारीख तक शेष)	2,21.26	3,58.17
4	वर्ष के अंत में बकाया राशि - डेबिट शेष	73,27.90	92,27.34
5	प्रदत्त गारंटी शुल्क	1,36.91	1,77.50

(ii) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year:

(₹ in Lakh)

Particulars	Current Year	Previous Year
Salary and Allowances	7,88.63	6,19.16
Appointed Actuary	1,14.25	1,07.38

(iii) Transactions during the year with related parties: NEIA Trust – Chairman of ECGC is Managing Trustee of NEIA Trust.

(₹ in Lakh)

S. No.	Nature of Transactions	Current year	Previous Year
1	Administrative Charges Received for the Year	1,88.33	2,08.14
2	Administrative Charges received in advance (Balance as on date)	10,29.80	11,38.57
3	Prepaid Expenses paid to NEIA (Balance as on date)	2,21.26	3,58.17
4	Outstanding Dues as at year end – Debit Balance	73,27.90	92,27.34
5	Guarantee Fees paid	1,36.91	1,77.50

17. आस्थगित कर लेखांकन

वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखा मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर की गणना की गई है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान ₹16,34.08 लाख (पिछले वर्ष जमा ₹51.61 लाख) की राशि का शुद्ध आस्थगित कर जमा किया गया।वर्ष के अंत में शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति ₹27,46.69 लाख (पिछले वर्ष आस्थगित कर संपत्ति ₹43,80.77 लाख) रही।

आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	01-04-2024 से प्रारम्भ	वर्ष के दौरान प्रभारित /जमा	31-03-2025 तक समाप्त
देयता			
मूल्यहास	4,68.75	13,18.05	17,86.80
कुल	**4,68.75**	**13,18.05**	**17,86.80**
परिसंपत्तियाँ			
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	15,37.89	1,37.84	16,75.73
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	26,80.30	(0.43)	26,79.87
उपदान हेतु प्रावधान	16.77	20.83	37.60
कर देयता हेतु प्रावधान	3,96.08	(3,96.08)	-
एन पी एस	1.78	(1.55)	0.23
पी एल एल आई	1,13.99	26.07	1,40.06
वेतन के संशोधन (भविष्य निधि व छुट्टी का नकदीकरण)	1,02.71	(1,02.71)	-
कुल	**48,49.52**	**(3,16.03)**	**45,33.49**
आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	**43,80.77**	**(16,34.08)**	**27,46.69**

18. प्रतिशेयर अर्जन की निम्नानुसार गणना की गई:

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क)	गणक : लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ (₹ 'लाख)	2076,67.33	2159,04.65
ख)	हर : वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	43,38,00,000	43,38,00,000
ग)	प्रति शेयर अर्जन : मौलिक (₹)	47.87	49.77
घ)	शेयरों का नाम मात्र मूल्य (₹)	100.00	100.00

कंपनी के पास भविष्य में इक्विटी शेयरों को कम करने की कोई योजना नहीं है। तदनुसार कंपनी के आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के उपरांत हुए प्रतिशेयर अर्जन एक समान हैं।

19. आकस्मिक देयताएं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1.	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश	Nil	Nil
2.	पॉलिसियों के अधीन दावों को छोड़ कर अन्य जिन्हें कंपनी द्वारा ऋण के रूप नहीं माना गया है	23,85.75	170,83.44
3.	कंपनी के खिलाफ पॉलिसी तथा ई सी आई बी दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2773,14.10	2907,55.66
4.	कंपनी द्वारा तथा कंपनी की ओर से दी गयी गारंटियाँ	Nil	Nil
5.	आय कर	66,98.39	71,43.26

20. पूँजी दायित्व

कुल बकाया पूँजी दायित्व ₹131,67.85 लाख (पिछले वर्ष ₹87,28.94 लाख)

17. DEFFERED TAX ACCOUNTING

During the year the Company has accounted for the Deferred Tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax Credit during the year amounting to ₹16,34.08 lakh (previous year Credit ₹51.61 lakh). The Net Deferred Tax Assets at the end of the year amounts to ₹27,46.69 lakh (previous year Deferred Tax Assets ₹43,80.77 lakh).

The breakup of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities is as under:

Particulars	Opening at 01-04-2024	Charge/ Credit during the year	Closing at 31-03-2025
Liability			
Depreciation	4,68.75	13,18.05	17,86.80
Total	**4,68.75**	**13,18.05**	**17,86.80**
Assets			
Provision for Leave Encashment	15,37.89	1,37.84	16,75.73
Provision for Doubtful Debts	26,80.30	(0.43)	26,79.87
Provision for Gratuity	16.77	20.83	37.60
Provision for Tax Liability	3,96.08	(3,96.08)	-
NPS	1.78	(1.55)	0.23
PLLI	1,13.99	26.07	1,40.06
Wage Revision (PF& Leave Encashment)	1,02.71	(1,02.71)	-
Total	**48,49.52**	**(3,16.03)**	**45,33.49**
Deferred Tax Asset/(Liability)	**43,80.77**	**(16,34.08)**	**27,46.69**

18. EARNINGS PER SHARE IS CALCULATED AS UNDER:

S. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Numerator: Net Profit as per Profit & Loss A/c (₹ 'lakh)	2076,67.33	2159,04.65
b)	Denominator: Weighted Average Number of Shares Outstanding during the year	43,38,00,000	43,38,00,000
c)	Earnings per share: Basic (₹)	47.87	49.77
d)	Nominal Value of Shares (₹)	100.00	100.00

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

19. CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Lakh)

S. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	Partly paid-up investments	Nil	Nil
2.	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Company	23,85.75	170,83.44
3.	Policies and ECIB claims against the Company not acknowledged as debt	2773,14.10	2907,55.66
4.	Guarantees given by or on behalf of the Company	Nil	Nil
5.	Income Tax	66,98.39	71,43.26

20. CAPITAL COMMITMENTS

Amount of capital commitments outstanding is ₹131,67.85 lakh (previous year ₹87,28.94 lakh).

21. आई आर डी ए आई की आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त बीमांकिक द्वारा किये गए बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर प्रीमियम में कमी हेतु किसी प्रकार के प्रारक्षण नहीं किये गए हैं.

22. निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) के लिए प्रारक्षित निधि

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा धारा 198 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए सी एस आर प्रावधान को अभिकलित किया है। आरंभिक प्रारक्षणों, किए गए भुगतानों तथा अंतिम आरक्षणों के विवरण निम्नानुसार हैं :

23. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियमन, 2024 तथा बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त एवं निवेश कार्य पर आईआरडीएआई मास्टर परिपत्र संदर्भ: आई आर डी ए आई/ए सी टी एल/सी आई आर/एम आई एस सी/80/05/2024 दिनांक 17 मई, 2024 के अधीन आवश्यक प्रकटीकरण अनुलग्नक - 1 तथा 2 के अनुसार संलग्न हैं।

21. Based on the actuarial valuations by the Appointed Actuary, no premium deficiency reserve is provided as per IRDAI requirements.

22. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Company has computed CSR provision for the year 2024-25 as per section 135 and section 198 of the Companies Act, 2013. The details of opening reserve, payments made and closing reserve is as follows:

23. Disclosures as required under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Function of Insurers) Regulation, 2024 and IRDAI Master Circular Ref: IRDAI/ACTL/CIR/MISC /80/05/2024 dated 17th May, 2024 on Actuarial, Finance and Investment Function of Insurers are enclosed herewith as per Annexure – 1 and 2.

(₹ लाख में)/(₹ in Lakh)

(क) (a)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि: Gross amount required to be spent by the Company during the year:	47,76.45
(ख) (b)	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि: Amount approved by the Board to be spent during the year:	45,20.00
(ग) (c)	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि : Amount spent during the year on:	
	(i) निर्माण/ नई संपत्ति की खरीद (i) Construction / acquisition of any asset	कोई नहीं / NIL
	(ii) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से (ii) On purposes other than (i) above	30,77.41
(घ) (d)	संबंधित पक्षों के संव्यवहार यथा, धारा 8 के अनुसार लेखा मानक (ए एस) 18 के अनुसार सी एस आर से संबंधित कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट/सोसाइटी को अंशदान, संबंधित पक्ष उद्घोषणा. Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust/society/ section 8 company controlled by the company in relation to CSR expenditure as per Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures.	कोई नहीं / NIL
(ङ) (e)	धारा 135(5) एवं 135(6) के अनुसार विवरण निम्नानुसार है: The details as per section 135(5) and section 135(6) are given below:	

धारा 135 (5) व्यय न की गई राशि / Section 135(5) Unspent Amount

आरंभिक शेष Opening Balance	6 माह के भीतर अनुसूची VII में निर्धारित निधियों में जमा की गई राशि Amount Deposited in Specified Fund of Schedule VII within 6 Months Year	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि Amount Required to be Spent During the	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि Amount Spent during the Year	शेष राशि Closing Balance
2,56.45	1.80	45,20.00	30,75.61	16,99.04

धारा 135 (5) अधिक व्यय की गई राशि / Section 135(5) Excess Amount Spent

आरंभिक शेष Opening Balance	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि Amount Required to be Spent During the	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि Amount Spent during the Year	शेष राशि Closing Balance
लागू नहीं / Not Applicable			

धारा 135 (6) जारी परियोजना / Section 135(6) Ongoing Project

वर्ष Years	आरंभिक शेष Opening Balance		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि Amount Required to be Spent	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि Amount Spent During the Year		शेष राशि Closing Balance	
	कंपनी के पास With Company	अलग सी एस आर राशि व्यय न किए गए खाते में In Separate CSR Unspent A/c		कंपनी के बैंक खाते से From Company's Bank A/c	अलग सी एस आर खाते से Amount Spent During the Year	कंपनी के पास With Company	अलग सी एस आर राशि व्यय न किए गए खाते में In Separate CSR Unspent A/c
2023-24	1.80*	2,54.65	-	1.80	2,54.65	-	-
2024-25	-	-	45,20.00	28,20.96	-	2,77.02**	14,22.02

* व्यय न की गई राशि ₹1.80 लाख जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की किसी परियोजना (स्वच्छता कार्य योजना एवं प्रशासनिक व्यय से संबंधित व्यय न की गई राशि) से संबंधित नहीं थी को स्वच्छ भारत कोष में हस्तांतरित किया गया।

** व्यय न की गई राशि ₹2,77.02 लाख जो कि वर्तमान वर्ष की किसी परियोजना (स्वच्छता कार्य योजना एवं प्रशासनिक व्यय से संबंधित व्यय न की गई राशि) से संबंधित नहीं थी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वच्छ भारत कोश में हस्तांतरित किया गया।

* Unspent amount of ₹1.80 lakh not relating to any project (Balance unspent amount related to Swachta Action Plan and Administrative Expenses) for FY 2023-24 was transferred to Swachh Bharat Kosh during the FY 2024-25.

** Unspent amount of ₹2,77.02 lakh not relating to any project (Balance unspent amount related to Swachta Action Plan and Administrative Expenses) for the current year proposed for transfer to Swachh Bharat Kosh during the FY 2025-26.

24. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (अनुसूची 8) में शामिल निवेशों में शामिल हैं :

(क) 7.54% 2036 भारत सरकार बॉन्ड जिसका अंकित मूल्य ₹5,00.00 लाख है (पिछले वर्ष ₹5,00.00 लाख 7.54% 2036 भारत सरकार बॉन्ड) कंपनी द्वारा जाने वाले द्वितीयक बाजार समव्यवहारों हेतु मार्जिन के लिए क्लियरिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रभारित किया गया।

(ख) 7.54% 2036 भारत सरकार बॉन्ड जिसका अंकित मूल्य ₹1,00.00 लाख है (पिछले वर्ष ₹1,00.00 लाख 7.54% 2036 भारत सरकार बॉन्ड) कंपनी द्वारा संपार्श्विक ऋण एवं उधार दायित्वों के लिए मार्जिन हेतु क्लियरिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रभारित किया गया।

(ग) ₹40,00.00 लाख अंकित मूल्य वाले 2032 भारत सरकार बॉन्ड (पिछले वर्ष 7.95% 2032 भारत सरकार बॉन्ड ₹40,00.00 लाख) पर नियामक आवश्यकता के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए द्वितीयक बाजार इक्विटी समव्यवहारों हेतु मार्जिन के रूप में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को प्रभारित किया गया है।

25. निवेश

(क) वर्ष 2018-19 में, कंपनी द्वारा शोधन सीमा से अधिक शेयरधारक निधि के लिए ₹290,58.37 लाख बही मूल्य (अंकित मूल्य ₹275,00.00 लाख) को पृथक किया गया। पैरा 4(ई) में उल्लिखित अनुसार अफ्रीकी व्यापार बीमा को हस्तांतरण के उपरांत, 31 मार्च, 2025 तक शोधन सीमा से अधिक शेयरधारक निधि में शेष राशि ₹308,28.47 लाख बही वैल्यू (अंकित मूल्य ₹300,07.00 लाख) रहा।

(बी) एमटेक ऑटो लिमिटेड के लिए माननीय एन सी एल टी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ₹48.59 लाख की राशि प्राप्त करने की हकदार थी। उपरोक्त में से, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹2.36 लाख प्राप्त हुए हैं तथा शेष प्राप्य राशि ₹46.23 लाख है जो पहले ही पूरी तरह से अदा की जा चुकी है।

26. कर्मचारी लाभ:

(क) निश्चित लाभ पेंशन योजना का विस्तार उन सभी कार्मिकों को शामिल करने के लिए किया गया है जो 31/03/2010 को अथवा उससे पहले कंपनी में शामिल हुए हैं। जो कार्मिकों 01/04/2010 को अथवा उसके उपरांत कंपनी में शामिल हुए हों, वे निश्चित अंशदान योजना के अधीन नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं।

(ख) कंपनी द्वारा एन पी एस के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक पात्र कार्मिकों के लिए पेंशन फंड प्रशासक को मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14% की अदायगी की जाती है।

(ग) उन कार्मिकों के मामले में जो निश्चित लाभ पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, कंपनी द्वारा पेंशन फंड ट्रस्ट में अंशदान भेजा जाता है। उन कार्मिकों के लिए, जो निश्चित लाभ पेंशन योजना अथवा निश्चित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, कंपनी द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट को अपनी ओर का हिस्सा भेजा जाता है।

(घ) आई सी ए आई द्वारा जारी ले माँ 15 (संशोधित 2005) के कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित है कि नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जिसके लिए नियोक्ता द्वारा ब्याज की कमी को पूरा करने की आवश्यकता होती है, को निश्चित लाभ योजना माना जाये।

(ई) चूंकि भविष्य निधि का कोष एवं उस पर होने वाली आय भविष्य निधि पर देय ब्याज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, अतः इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया तथा खाते में प्रावधान के कारण कोई विशिष्ट प्रकटीकरण नहीं किया गया।

(च) कंपनी के कर्मचारी कंपनी की नीति के अनुसार छुट्टी एवं लंबी सेवा लाभ के हकदार हैं। लेखा वर्ष के अंतिम दिन तक संचित छुट्टी तथा लंबी सेवा लाभ के कारण निर्मित देयता की, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तारीख को निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य पर पहचान की गयी है।

24. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes:

(a) 7.54% 2036 Government of India bonds having face value of ₹5,00.00 lakh (previous year ₹5,00.00 lakh 7.54% 2036 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Company.

(b) 7.54% 2036 Government of India bonds having face value of ₹1,00.00 lakh (previous year ₹1,00.00 lakh 7.54% 2036 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Company.

(c) 7.95% 2032 Government of India bonds having face value of ₹40,00.00 lakh (previous year 7.95% 2032 Government of India bonds ₹40,00.00 lakh) is charged to National Stock Exchange Limited towards margin for secondary market equity transactions entered into by the company as per the regulatory requirement.

25. Investments

(a) In the year 2018-19, Company has segregated ₹290,58.37 lakh Book Value (Face Value ₹275,00.00 lakh) for Shareholders Fund in excess of solvency margin. After transfer to the African Trade Insurance as mentioned in para 4(e), balance in the Shareholders fund in excess of Solvency Margin as on March 31, 2025 is ₹308,28.47 lakh Book Value (Face Value ₹300,07.00 lakh.

(b) As per the resolution plan approved by the Hon'ble NCLT for Amtek Auto Limited, the Company was entitled to receive an amount of ₹48.59 lakh. Out of above, the Company has received ₹2.36 lakh during the financial year 2022-23 and balance receivable amount is ₹46.23 lakh which has already been fully provided.

26. EMPLOYEE BENEFITS:

(a) The Defined Benefit Pension Scheme has been extended to include all employees who have joined the Company on or before 31/03/2010. The employees who have joined the Company on or after 01/04/2010 are covered by the New Pension Scheme (NPS) under the Defined Contribution Scheme.

(b) The Company pays 14% of basic salary & dearness allowance on basic salary to a Pension Fund administrator for each eligible employee covered under NPS.

(c) In case of employees who are eligible for the Defined Benefit Pension Scheme, the Company remits the contribution to the Pension Fund Trust. For those employees, who are not covered under Defined Benefit Pension Scheme or Defined Contribution Pension Scheme, the Company remits the Company's share to the Provident Fund Trust.

(d) The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that provident funds set-up by employers, which require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a defined benefit plan.

(e) As the corpus of the Provident Fund and earnings thereon are sufficient to meet the requirement of the interest payable on the Provident fund, no provision for the same and no specific disclosure on account of provision is made in the account.

(f) The employees of the Company are entitled to leave and long service benefits as per the policy of the Company. The liability on account of accumulated leave and long service benefits as on last day of the accounting year is recognised at present value of the defined obligation at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

(₹ लाख में)

	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	**तुलन पत्र में स्वीकृत**		
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	66,58.18	61,10.52
	वर्ष के आरंभ में देयता	61,10.52	56,66.74
	तुलन पत्र में स्वीकृत अतिरिक्त देयता	5,47.66	4,43.78

(छ) उपदान एवं सेवानिवृत्ति के कारण वित्त पोषण योग्य ''निश्चित कर्मचारी सुविधा योजना'' के अधीन कर्मचारी सुविधाओं के विवरण निम्नानुसार हैं :-

पेंशन (₹ लाख में)

	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	431,36.18	416,44.75
	ब्याज लागत	31,27.37	31,35.85
	वर्तमान सेवा लागत	9,52.35	10,51.99
	अंतरित देयता		
	प्रदत्त लाभ	(51,84.90)	(48,25.87)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(12,59.86)	21,29.46
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ देयताएं	407,71.14	431,36.18
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	402,38.75	381,57.06
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	29,17.31	28,73.23
	अंशदान	39,28.43	38,88.00
	अंतरित परिसंपत्तियाँ		-
	प्रदत्त लाभ	(51,84.90)	(48,25.87)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	5,53.03	1,46.33
	वर्ष के अंत तक उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	424,52.62	402,38.75
3	**तुलन पत्र में स्वीकृत**		
	परिभाषित लाभदायित्व का वर्तमान मूल्य	407,71.14	431,36.18
	वर्ष के अंत तक उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	424,52.62	402,38.75
	तुलन पत्र में स्वीकृत देयता	-	28,97.43
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	चालू सेवा लागत	9,52.35	10,51.99
	ब्याज लागत		
	(योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित अर्जन सहित)	2,10.06	2,62.62
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(18,12.88)	19,83.12
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	(6,50.47)	32,97.73

(₹ in Lakh)

	Category	Current Year	Previous Year
1	**Recognized in the Balance Sheet**		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	66,58.18	61,10.52
	Liability at the beginning of the year	61,10.52	56,66.74
	Additional Liability recognised in the Balance Sheet	5,47.66	4,43.78

g) The details of employee benefits under "defined employee benefit plans" for the period on account of pension and gratuity which are funded are as under.

Pension (₹ in Lakh)

	Category	Current Year	Previous Year
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected benefit obligations at the beginning of the year	431,36.18	416,44.75
	Interest Cost	31,27.37	31,35.85
	Current Service Cost	9,52.35	10,51.99
	Liability Transferred		
	Benefits paid	(51,84.90)	(48,25.87)
	Actuarial (Gain) / Loss	(12,59.86)	21,29.46
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	407,71.14	431,36.18
2	**Change in Plan Assets**		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	402,38.75	381,57.06
	Expected return on Plan Assets	29,17.31	28,73.23
	Contributions	39,28.43	38,88.00
	Assets Transferred in		-
	Benefits paid	(51,84.90)	(48,25.87)
	Actuarial Gain / (Loss)	5,53.03	1,46.33
	Plan Assets at the end of the year at fair value	424,52.62	402,38.75
3	**Recognized in the Balance Sheet**		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	407,71.14	431,36.18
	Plan Assets at the end of the year at fair value	424,52.62	402,38.75
	Liability recognised in the Balance Sheet	-	28,97.43
4	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	9,52.35	10,51.99
	Interest Cost		
	(Includes Expected return on Plan Assets)	2,10.06	2,62.62
	Actuarial (Gain) / Loss	(18,12.88)	19,83.12
	Expense recognised in the Revenue account	(6,50.47)	32,97.73

उपदान (₹ लाख में)

	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	42,09.32	40,58.55
	ब्याज लागत	3,03.49	3,03.99
	चालू सेवा लागत	73.61	84.00
	पिछली सेवा लागत निहित लाभ		
	प्रदत्त लाभ	(5,15.04)	(4,12.67)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	46.81	1,75.45
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ दायित्व	41,18.19	42,09.32
2	योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य म योजना परिसंपत्तियाँ	40,42.96	39,15.34
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	2,91.50	2,93.26
	अंशदान	94.46	2,44.64
	अंतरित परिसंपत्तियाँ	-	-
	प्रदत्त लाभ	(5,15.04)	(4,12.67)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.93)	2.39
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँय	39,12.95	40,42.96
3	तुलन पत्र में उल्लिखित		
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	41,18.19	42,09.32
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	39,12.95	40,42.96
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी (देयता)	2,05.24	1,66.36
4	वर्ष के लिए लागत		
	चालू सेवा लागत	73.61	84.00
	ब्याज लागत		
	(योजना आस्तियों पर अनुमानित अर्जन सहित)	11.99	10.73
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	47.74	1,73.05
	पिछली सेवा लागत निहित लाभ	-	-
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	1,33.34	2,67.78
	श्रेणी	**पेन्शन**	**ग्रेच्युइटी**
5	अनुमान		
	भुनाने पर ब्याज दर	7.05% (7.25%)	6.92% (7.21%)
	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन का अनुमानित दर	7.05% (7.25%)	6.92% (7.21%)
	वेतन संवर्धन	6.00% (7.00%)	6.00% (7.00%)
	कर्मचारी पण्यावर्त दर	0.50%	0.50%

6.	**मूल्यांकन की पद्धति**	**परियोजित इकाई जमा विधि**
	योजना आस्तियों पर अनुमानित दर के निर्धारण के लिए उपयोग में लाये गए आधार	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर की गणना परिसंपत्तियों की चालू पोर्टफोलियो, निवेश नीति तथा बाज़ार परिदृश्य के आधार पर की गयी है ताकि पूंजी की सुरक्षा की जाये तथा स्वीकारने योग्य जोखिम मानदंडों के भीतर अधिक से अधिक अर्जन अर्जित किए जा सकें; योजना परिसंपत्तियाँ पूर्ण रूप से विविधिकृत हैं।

Gratuity (₹ in Lakh)

	Category	Current Year	PreviousYear
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected Benefit Obligations at the beginning of the year	42,09.32	40,58.55
	Interest Cost	3,03.49	3,03.99
	Current Service Cost	73.61	84.00
	Past Service Cost – Vested Benefit		
	Benefits paid	(5,15.04)	(4,12.67)
	Actuarial (Gain) / Loss	46.81	1,75.45
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	41,18.19	42,09.32
2	Change in Plan Assets		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	40,42.96	39,15.34
	Expected return on Plan Assets	2,91.50	2,93.26
	Contributions	94.46	2,44.64
	Assets Transferred In	-	-
	Benefits paid	(5,15.04)	(4,12.67)
	Actuarial Gain / (Loss)	(0.93)	2.39
	Plan Assets at the end of the year, at fair value	39,12.95	40,42.96
3	Recognized in the Balance Sheet		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	41,18.19	42,09.32
	Plan Assets at the end of the year at fair value	39,12.95	40,42.96
	Liability recognised in the Balance Sheet	2,05.24	1,66.36
4	Cost for the year		
	Current Service Cost	73.61	84.00
	Interest Cost		
	(Includes Expected return on Plan Assets)	11.99	10.73
	Actuarial (Gain) / Loss	47.74	1,73.05
	Past Service Cost – Vested Benefit	-	-
	Expense Recognised in the Revenue account	1,33.34	2,67.78
	Category	**Pension**	**Gratuity**
5	Assumptions		
	Interest rate for Discounting	7.05% (7.25%)	6.92% (7.21%)
	Estimated rate of return on Plan Assets	7.05% (7.25%)	6.92% (7.21%)
	Salary Escalation	6.00% (7.00%)	6.00% (7.00%)
	Rate of Employee Turnover	0.50%	0.50%

6.	**Method of Valuation**	**Projected Unit Credit Method**
	Basis used to determine the expected rate of return on Plan Assets.	The expected rate of return on plan assets is based on the current portfolio of the assets, investment strategy and the market scenario, in order to protect capital and optimize returns within acceptable risk parameters; the Plan Assets are well diversified.

27. **परिचालन पट्टे**

कंपनी के पास विभिन्न स्थलों पर कार्यालय परिसर एवं आवासीय फ्लैटों के लिए परिचालन पट्टे हैं, जिन्हें समय-समय पर नवीनीकृत किया जा सकता है तथा एक महीने से छह महीने तक की अवधि की नोटिस अवधि देकर उसे रद्द किया जा सकता है। किराए में वृद्धि के नियम अनुबंध दर अनुबंध अलग-अलग होते हैं। परिचालन पट्टों के लिए राजस्व खाते में शामिल किराया व्यय ₹7,40.41 लाख (पिछले वर्ष ₹6,28.21 लाख) है। ले मा 19 ''पट्टों'' के अनुसार परिचालन पट्टों के लिए न्यूनतम भविष्य के भुगतान की राशि ₹41,84.89 लाख (पिछले वर्ष ₹21,60.57 लाख) है।

28. **एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार:**

(क) आपूर्तिकर्ता को निर्धारित तारीख तक बकाया मूलधन तथा उस पर ब्याज: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

(ख) विलंबित भुगतानों के कारण खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

(ग) विलंबित अवधि के लिए निर्धारित तारीख के उपरांत बकाया मूलधन तथा ब्याज: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

(घ) प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित एवं बकाया ब्याज की राशि: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

(ङ) आगे के ब्याज की राशि: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

(च) बकाया एवं आगामी वर्षों में भी देय शेष राशि, उस तारीख तक जब तक कि एम एस एम ई को देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं कर दिया जाता: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

29. पूर्व के वर्षों (अनुसूची 2) में अदा किए गए दावों से, कंपनी द्वारा लगातार अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार ऐसी वसूली हेतु किए जाने वाले के व्यय जैसे कि वसूली कमीशन, बैंक शुल्क, आदि, को घटा कर ₹222,03.48 लाख (पिछले वर्ष ₹173,91.36 लाख) दर्शाई गयी है।

30. बीमाकर्ताओं के बीमांकिक वित्त एवं निवेश कार्य पर आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र संदर्भ: आई आर डी ए आई/ए सी टी एल/परि/विविध /80/05/2024 दिनांक 17 मई, 2024 के अनुकरण में नियामक आवश्यकता के अनुसार निम्न अतिरिक्त प्रकटीकरण किया गया:

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
I	आउट सोर्सिंग व्यय	27,14.32	37,15.74
II	कारोबार विकास	5,39.76	3,89.64
III	विपणन समर्थन	1,57.39	5,73.59

31. **गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात**

बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त एवं निवेश कार्य पर आई आर डी ए आई मास्टर परिपत्र संदर्भ: आई आर डी ए आई/ए सी टी एल/सी आई आर/एम आई एस सी/80/05/2024 दिनांक 17 मई, 2024 के अनुकरण में नियामक आवश्यकता के अनुसार लेखांकन अनुपात अनुलग्नक-3 में दिया गया हैं।

32. निम्न दर्शाये अनुसार धारित तथा पुनर्बीमित जोखिम

	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए प्रीमियम विवरण प्रीमियम				
वित्तीय वर्ष	प्रीमियम	प्रतिधारण	%	पुनर्बीमा को सौंपना	%
2024-25	1366,53.22	1131,75.80	82.82%	234,77.42	17.18%
2023-24	1270,76.53	1179,62.43	92.83%	91,14.10	7.17%

27 **Operating Leases**

The Company has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract. Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases are ₹7,40.41 lakh (previous year ₹6,28.21 lakh). As per AS-19 "Leases" amount of minimum future payments for operating leases is ₹41,84.89 lakh (previous year ₹21,60.57 lakh).

28. **As per the provisions of the MSMED Act, 2006:**

(a) The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to the supplier till the appointed date: ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

(b) The amount of interest paid by the buyer on account of delayed payments: ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

(c) The principal amount and interest due beyond the appointed date for the period of delay: ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

(d) The amount of interest accrued and remained unpaid at the end of each year: ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

(e) The amount of further interests: ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

(f) Remaining due and payable even in succeeding years, until such date when the interest due is actually paid to the MSMEs: ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

29. The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses at ₹222,03.48 lakh (previous year ₹173,91.36 lakh) such as recovery commission, bank charges, etc. incurred on such recoveries as per the practice consistently followed by the Company.

30. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI Master Circular Ref: IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024 on Actuarial, Finance and Investment Function of Insurers the additional disclosure is given as under:

(₹ in Lakh)

S. No	Particulars	Current Year	Previous Year
I	Outsourcing Expenses	27,14.32	37,15.74
II	Business Development	5,39.76	3,89.64
III	Marketing Support	1,57.39	5,73.59

31. **RATIOS FOR NON – LIFE COMPANIES**

Accounting Ratios as per the regulatory requirement vide IRDAI Master Circular Ref: IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024 on Actuarial, Finance and Investment Function of Insurers is given as Annexure – 3.

32. Extent of risk retained and reinsured is set out below:

	Premium Statistics for the Period April 2024 to March 2025				
FY	Premium	Retention	%	RI Ceding	%
2024-25	1366,53.22	1131,75.80	82.82%	234,77.42	17.18%
2023-24	1270,76.53	1179,62.43	92.83%	91,14.10	7.17%

33. आई आर डी ए परिपत्र संख्या आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि / विवि /282 /11/2010 दिनांक 17.11.2020 के अनुसार पॉलिसी धारकों की दावा न की राशि का अवधिवार विश्लेषण दर्शाते हुए विवरण अनुबंध 4 एवं 5 में दर्शाया गया है।

34. बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त एवं निवेश कार्य पर आई आर डी ए आई मास्टर परिपत्र संदर्भ: आई आर डी ए आई/ए सी टी एल/सी आई आर/एम आई एस सी/80/05/2024 दिनांक 17 मई, 2024 के के अनुकरण में नियामक आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण दर्शाया गया है:

क्र सं	प्राधिकारी	गैर अनुपालन /उल्लंघन	₹ लाख में राशि		
			दिया गया दंड	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	बीमा विनियम व विकास प्राधिकरणकुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
2.	सेवाकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	आयकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	अन्य कर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	प्रवर्तन निदेशालय / न्यायनिर्णयन प्राधिकारी / फेमा के अधीन नयायाधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	कंपनी अधिमयम 1956 के अधीन कंपनियों का रजिस्ट्रार / एन सी एल टी / सी एल बी / कॉर्पोरेट मामलों का विभाग अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7.	दावा निपटान सहित किसी मामले में न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया दंड , जिसमें प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया	कम्पनी सूचीबद्ध इकाई नहीं है अतः लागू नहीं			
9.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10.	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकारी	*महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम 1958	4.47	कुछ नहीं	कुछ नहीं

नोट:

महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम, 1958: स्टैम्प कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य ने 07.04.2012 को प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ किए गए निर्माण अनुबंध समझौते पर देय ₹7,20,500/ - के स्टाम्प शुल्क की अदायगी न करने के कारण अपने दिनांक 06/01/2015 के पत्र के जरिये ₹4,46,710/- (चार लाख छियालीस हजार सात सौ दस रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया है।

ईसीजीसी द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण एवं पंजीकरण महानिरीक्षक, महाराष्ट्र के समक्ष अपील दायर की गयी क्योंकि निर्माण अनुबंध के अनुसार स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करने का दायित्व यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का है। उक्त अपील वर्तमान में लंबित है।

33. Statement showing Age-wise Analysis of un-claimed amount of the policy-holders as per IRDAI Master Circular no. IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 dated 17/11/2020 is given in Annexure – 4 and 5.

34. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI Master Circular Ref: IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024 on Actuarial, Finance and Investment Function of Insurers the additional disclosure is given as under:

S. No	Authority	Non-Compl-iance/ Violation	Amount in ₹ lakh		
			Penalty Levied	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	Income Tax Authorities.	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	GST Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Any other Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	NIL	NIL	NIL	NIL
6.	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act,2013	NIL	NIL	NIL	NIL
7.	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	NIL	NIL	NIL	NIL
8.	Securities and Exchange Board of India	Not Applicable as the Company is not a Listed Entity			
9.	Competition Commission of India	NIL	NIL	NIL	NIL
10.	Any other Central/State/ Local Government / Statutory Authority	*The Mahar-ashtra Stamp Act, 1958	4.47	NIL	NIL

Note:

The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State, vide its letter dated January 06, 2015, has imposed a penalty of ₹4,46,710/- (Rupees four lakh forty-six thousand seven hundred and ten only), for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500/- (Rupees seven lakh twenty thousand and five hundred only) payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, Unity Infra projects Limited on April 07, 2012.

ECGC preferred an appeal before the Chief Controlling Revenue Authority & Inspector General of Registration, Maharashtra as the obligation to pay the Stamp Duty is with Unity Infra projects Limited as per the construction contract. The said appeal is currently pending.

35. आय तथा व्यय का आबंटन

पॉलिसीधारकों की निधियों एवं शेयरधारकों के निधियों के आरंभिक शेष के आधार पर राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते के बीच निवेश आय एवं व्यय को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाता है। बीमाकर्ताओं के बीमांकिक , वित्त एवं निवेश कार्य पर 17 मई, 2024 को जारी आई आर डी ए आई मास्टर परिपत्र संदर्भ: आई आर डी ए आई/ए सी टी एल/सी आई आर/एम आई एस सी/80/05/2024 के अनुकरण में नियामक आवश्यकता के अनुसार वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पॉलिसीधारकों की निधियों एवं शेयरधारकों की निधियों का विभाजन अनुलग्नक-6 के रूप में दर्शाया गया है।

36. निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठक में कंपनी के प्रति शेयर ₹10 का लाभांश प्रस्तावित किया गया है, जो आगामी वार्षिक साधारण बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी लेखा मानक नियम 2016 में संशोधन के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित लेखा मानक ले मा - 4 'तुलन पत्र की तारीख के उपरांत होने वाली आकस्मिकताएं एवं घटनाओं के संदर्भ में, कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते से ₹433,80.00 लाख की प्रस्तावित लाभांश राशि को विनियोजित नहीं किया गया है।

37. आई आर डी ए आई द्वारा बीमा क्षेत्र में के कार्यान्वयन पर अपने पत्र संख्या: 100/2/ -मिशन मोड/2022-23 दिनांक: 14 जुलाई, 2022 और 100/2/ -मिशन मोड/2022-23 दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से सूचित किया गया कि के कार्यान्वयन से वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों, प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा , इस तरह, इन परिवर्तनों को कार्यान्वयन से पूर्व योजनाबद्ध, प्रबंधित, परीक्षण एवं निष्पादित करने की आवश्यकता है। भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति का गठन आई आर डी ए आई की सलाह पर किया गया ताकि कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति, मुद्दे/चुनौतियों एवं उन्हें कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा की जा सके। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक के सफल कार्यान्वयन के लिए नॉलेज पार्टनर की नियुक्ति की गयी। कंपनी द्वारा नॉलेज पार्टनर के माध्यम से अंतर आकलन गतिविधि का संचालन किया गया एवं उसी के आधार पर, मार्च 2025 के महीने में नियत समय सीमा के भीतर आई आर डी ए आई को अंतर आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

38. पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि/वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, उन्हें पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया। पुनर्समूहन विवरण अनुलग्नक-7 में दिया गया है।

35. ALLOCATION OF INCOME AND EXPENSES

Investment income and expenses are allocated pro-rata between the Revenue Account and the Profit & Loss Account on the basis of opening balances of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund. Bifurcation of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund at the beginning of financial year as per the regulatory requirement vide IRDAI Master Circular Ref: IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024 on Actuarial, Finance and Investment Function of Insurers is given as Annexure – 6.

36. The Board of Directors at their meeting has proposed a dividend of ₹10 per share of the Company subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. In terms of revised Accounting Standard AS-4 'Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date' as notified by the Ministry of Corporate Affairs through the amendments to the Companies Accounting Standard Rules 2016, the Company has not appropriated proposed dividend amounting to ₹433,80.00 lakh from the Profit Loss Account for the year ended on March 31, 2025.

37. The IRDAI has vide its letter No.:100/2/Ind AS-Mission Mode/2022-23 dated: 14th July, 2022 and 100/2/Ind AS-Mission Mode/2022-23 dated 31st October, 2022, on implementation of Ind AS in insurance sector stated that Ind AS implementation is likely to significantly impact the financial reporting systems, processes and, as such, these changes need to be planned, managed, tested and executed well in advance of the implementation. The steering committee for implementation of Ind AS has been formed as advised by IRDAI to review the progress made towards implementation, issue/challenges and course of action to mitigate the same. During the year, the Company had appointed knowledge partner for successful implementation of Ind AS. The Company through the knowledge partner has conducted the Gap Assessment Activity and on the basis of the same, a Gap Assessment Report has been submitted to IRDAI in the month of March 2025 within the due timeline.

38. The figures for the previous period/year have been re-grouped/re-classified wherever necessary to make them comparable with the current period's/year's figures. Regrouping statement is given as Annexure – 7.

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशवक
(SRISTIRAJ AMBASTHA)
Chairman cum Managing Director
डीआईएन/DIN - 10375617

(रामस्वामी नारायणन)
निदेशक
(RAMASWAMY NARAYANAN)
Director
डीआईएन/DIN - 10337640

(सुबीर कुमार दास)
निदेशक
(SUBIR KUMAR DAS)
Director
डीआईएन/DIN- 10871349

(पलनियप्पन मुथु)
निदेशक
(PALANIAPPAN MUTHU)
Director
डीआईएन/DIN- 10200176

(आनंद सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ANAND SINGH)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary (F-3166)

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते एमएल पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या. 002312N
For M. L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002312N

कृते शाह एंड तपाडिया
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या. 109463W
For Shah and Taparia
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109463W

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार सदस्यता सं. 095584
(RAJESH CHAND GUPTA)
साझेदार/Partner - M.No. 095584
यूडीआईएन/UDIN : 25095584BMLLPS4938

(भरत रमेश जोशी)
भागीदार सदस्यता सं. 130863
(BHARAT RAMESH JOSHI)
साझेदार/Partner - M.No. 130863
यूडीआईएन/UDIN : 25130863BMIQHF2494

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 मई, 2025

Place : Mumbai
Date : 27th May, 2025

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: / CIN: U74999MH1957GOI010918

वित्तीय विवरणों के अंश बनने वाले प्रकटन

DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक - 1 / Annexure - 1 to Schedule 17

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
1	कंपनी की परिसंपत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं The details of encumbrances to the assets of the Company are as under		
	क) भारत में a) In India	शून्य Nil	शून्य Nil
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	शून्य Nil	शून्य Nil
2	बकाया दायित्व / Commitments Outstanding		
	क) ऋणों एवं निवेशों के लिए की गयी एवं बकाया प्रतिबद्धता a) Commitments made and outstanding for loans and investments	शून्य Nil	शून्य Nil
	ख) अचल परिसंपत्तियों के लिए की गयी बकाया प्रतिबद्धता (अग्रीमों का शुद्ध) b) Commitments made for Fixed Assets (Net of advances) Claims, less reinsurance, paid to claimants	131,67.85	87,28.94
3	दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुनर्बीमा को घटाकर Claims, less reinsurance, paid to claimants		
	क) भारत में a) In India	397,15.82	360,07.09
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	शून्य Nil	शून्य Nil
4	दावा दायित्व, चार वर्षों से अधिक की दावा अदायगी अवधि Claim liabilities where claim payment period exceeds four years	शून्य Nil	शून्य Nil
5	छह माह से अधिक के लिए बकाया सकल दावे Gross Claims outstanding for more than six months		
	क) दावों की संख्या a) Number of Claims	23	31
	ख) राशि / b) Amount	50,78.73	36,31.09
	छह माह से कम के लिए बकाया सकल दावे Gross Claims outstanding for less than six months		
	क) दावों की संख्या a) Number of Claims	212	114
	ख) राशि / b) Amount	380,39.03	142,61.71
	बकाया दावों की कुल संख्या Total Number of Claims outstanding	235	145
	सकल दावा बकाया कुल राशि Total Gross Claim Outstanding Amount	431,17.76	178,92.80
6	कारोबार से प्राप्त प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर Premiums, less reinsurance, written from business		
	क) भारत में a) In India	1131,75.80	1179,62.43
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	शून्य Nil	शून्य Nil
7	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रूप में स्वीकार किया गया है। शुद्ध प्रीमियम आय के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है। Premium is recognised as Income as per the Significant Accounting Policy. A reserve for Unearned Premium is created at 50% of Net Premium.	565,87.90	589,81.21
8	निवेशों के संबंध में निविदा के विवरण, Details of contracts in relation to investments for,		

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
	क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है a) Purchase where deliveries are pending ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हो b) Sales where payments are due	शून्य Nil शून्य Nil	शून्य Nil शून्य Nil
9	कंपनी का ऋण बीमा कारोबार संबंधी सम्पूर्ण परिचालन व्यय The Company's entire operating expenses pertain to credit insurance business.		
10	घोषित लेखा नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है। Investments are valued in accordance with the Significant Accounting Policy.		
11	सीमांत पारिश्रमिक की गणना : सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 462 के अंतर्गत जी एस आर 463 के जरिए इससे छूट प्रदान की गयी है। Computation of Managerial Remuneration: The Company is exempted vide notification: GSR 463 u/s 462 of the Companies Act, 2013, being a Government Company.		
12	ऋण प्रतिभूति परिशोधन का आधार : महत्व पूर्ण लेखा नीति के मद सं 4.6 का संदर्भ लें। Basis of amortisation of debt securities: - Refer Point no. 4.6 of Significant Accounting Policy निवेशों के मूल्यहास के लिए प्रावधान Provision for diminution in the value of the investments	शून्य Nil	शून्य Nil
13	क) उचित मूल्य परिवर्तन खाते के अंतर्गत सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ और हानि a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed equity shares under Fair Value Change Account ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है b) Pending realisation, credit balance in Fair Value Change Account not available for distribution.	1604,61.88 1604,61.88	1541,46.94 1541,46.94
14	कंपनी ने रीयल स्टेट निवेश संपत्ति में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है The Company does not have any investment in 'Real Estate Investment Property'.		
15	तुलन पत्र की तारीख तक अदा किए गए व छः माह से अधिक के लिए लंबित दावे निम्नानुसार हैं : Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under क) दावों की संख्या / a) Number of Claims ख) राशि / b) Amount	शून्य /Nil शून्य /Nil	शून्य/Nil शून्य/Nil
16	महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार प्रीमियम में कमी की पहचान की गयी है। Premium Deficiency is recognised as per the Significant Accounting Policy.		
17	निवेशों को क्रियाशील और गैर-क्रियाशील निवेशों में विभाजन Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under क्रियाशील निवेश / Performing (Standard) Investments गैर क्रियाशील निवेश / Non Performing Investments कुल बही मूल्य (अंतिम मूल्य) / Total Book Value (Closing Value)	18736,17.13 96,48.31 18832,65.44	17575,91.24 98,49.81 17674,41.04
18	क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत / Percentage of business sectorwise: चूंकि कंपनी ऋण बीमा व्यवसाय से संबन्धित है, अतः ऐसे कोई क्षेत्र विशेष रूप से पहचान योग्य नहीं हैं। As the Company is in credit insurance business, no such sectors are specifically identifiable.		
19	निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान पॉलिसी रद्द करने का प्रावधान Provision made for policy cancellations during free look period	शून्य Nil	शून्य Nil
20	अन्य अनुपात / Other Ratios क) शेयर पूंजी की तुलना में कर पूर्व लाभ (%) / a) Profit Before Tax to Share Capital (%) ख) निवल मालियत की तुलना में कर पूर्व लाभ (%) / b) Profit Before Tax to Net Worth (%) (ग) कुल रोजगार की तुलना में पी बी डी टी / c) PBDT to Total Employment	 62.77 20.19 4,88.25	 65.90 24.14 4,85.71

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: / CIN: U74999MH1957GOI010918

वित्तीय विवरणों के अंश बनने वाले प्रकटन

DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 में अनुलग्नक - 2 (₹ लाख में) / Annexure - 2 to Schedule 17 (₹ in Lakhs)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
	परिचालन परिणाम OPERATING RESULTS					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	1366,53.22	1270,76.53	1197,52.86	1106,61.68	1062,28.20
2	सकल दर्ज प्रीमियम Gross Written Premium	1366,53.22	1270,76.53	1197,52.86	1106,61.68	1062,28.20
3	शुद्ध प्रीमियम आय Net Premium Income	1131,75.80	1179,62.43	977,67.23	902,00.41	862,32.32
4	निवेशों से आय (शुद्ध) Income from Investments (Net)	383,71.54	462,56.49	556,51.48	587,77.85	566,17.10
5	अन्य आय (शुल्क और प्राप्तियाँ) Other Income (Fee & Other Receipts)	8,81.50	2,39.88	2,05.93	3,06.12	1,10.75
6	शेयर धारकों के खाते से अंशदान Contribution from the Shareholder's Account					
	- अतिरिक्त ईओएम के लिए - Towards excess EOM	-	-	-	-	-
	- अन्य निर्दिष्ट हेतु शेष - Others to be specified	-	-	-	-	-
	कुल आय Total Income	**1524,28.84**	**1644,58.80**	**1536,24.64**	**1492,84.38**	**1429,60.17**
7	कमीशन (शुद्ध) Commission (Net)	(11,34.44)	19,05.48	(4,41.16)	(31,37.84)	(26,19.86)
8	परिचालन व्यय Operating Expenses	364,28.08	336,69.91	297,82.32	281,32.81	270,92.58
9	प्रीमियम की कमी Premium Deficiency	-	-	(308,52.00)	(8,02.00)	106,24.00
10	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claim	(632,01.01)	(974,47.46)	(702,92.05)	546,19.29	884,52.05
11	अनर्जित प्रीमियम आरक्षण में परिवर्तन Change in Unearned Premium Reserve	23,93.31	(99,86.00)	(38,95.01)	(19,84.04)	(35,01.68)
12	**परिचालन लाभ / (हानि) Operating Profit / (Loss)**	**1827,29.52**	**2163,44.87**	**2215,32.52**	**684,88.08**	**159,09.72**
	गैर परिचालन परिणाम NON OPERATING RESULTS					
13	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय Total Income under Shareholders' Account	958,11.84	722,59.67	570,63.70	497,64.45	441,01.58
14	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल व्यय Total Expenses under Shareholder's Account	62,34.15	27,09.76	24,78.86	21,66.09	12,01.59
15	कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit/(Loss) Before Tax	2723,07.21	2858,94.78	2761,17.36	1160,86.44	588,09.71

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
16	कर हेतु प्रावधान Provision for Tax	646,39.88	699,90.13	596,91.98	285,70.24	127,79.21
17	कर पश्चात लाभ / (हानि) Profit/(Loss) after tax	2076,67.33	2159,04.65	2164,25.38	875,16.20	460,30.50
	विविध MISCELLANEOUS					
18	पॉलिसीधारक खाता * Policyholders' Account *					
	कुल निधियाँ Total Funds	5658,02.84	6736,59.94	8339,63.97	8627,45.44	8027,76.02
	कुल निवेश # Total Investments #	5838,12.29	6893,02.01	8130,92.88	8523,15.27	7892,22.18
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	7.63	7.83	7.81	8.12	8.52
19	शेयरधारक का खाता * Shareholders' Account *					
	कुल निधियाँ Total Funds	12593,67.61	10536,73.25	8339,63.97	7058,82.63	6056,02.96
	कुल निवेश # Total Investments #	12994,53.15	10781,39.04	8130,92.88	6973,48.86	5953,78.13
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	7.63	7.83	7.81	8.12	8.52
20	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	4338,00.00	4338,00.00	4338,00.00	3950,00.00	3190,00.00
21	निवल मालियत Net Worth	13484,75.85	11841,88.52	10116,63.88	7840,88.49	6365,22.29
22	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets	20179,33.42	19376,63.97	17884,44.89	16929,71.23	15303,60.22
23	कुल निवेशों पर प्रतिफल Yield on Total Investments	7.63	7.83	7.81	8.12	8.52
24	प्रति शेयर आय (रु) Earnings Per Share -Basic (Rs.)	47.87	49.77	54.06	25.59	16.01
25	प्रतिशेयर आंकित मूल्य (रु) Book Value per share (Rs.)	310.85	272.98	233.21	198.50	199.54
26	कुल लाभांश Total Dividend Declared/Paid for the Year	-	433,80.00	433,80.00	276,50.00	159,50.00
27	प्रति शेयर लाभांश (रु) Dividend per share (Rs.)	-	10.00	10.00	7.00	5.00
28	सॉल्वेंसी अनुपात (गुना) Solvency Ratio (Times)	57.13	47.87	47.93	30.05	19.25

* ऊपर उल्लिखित कुल निधियाँ एवं निवेश वर्ष के अंत तक के हैं। निधियों एवं निवेशों को पॉलिसीधारकों (पॉ धा) तथा शेयरधारकों (शे धा) के खातों में पॉलिसी धारक एवं शेयर धारक खाते के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल निधियों के अनुपात में विभाजित किया गया है।

* Total funds & total investments shown above are as of year end. Funds & investments have been divided into Policyholders(PH) & shareholders(SH) accounts in the ratio of total funds available at the start of year under PH & SH account.

निवेश में अनुसूची 11 के अंतर्गत सावधि जमा - नकदी एवं बैंक शेष शामिल हैं।

Investments include Fixed deposits under Sch 11 - Cash & Bank Balances.

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: / CIN: U74999MH1957GOI010918

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात

ANALYTICAL RATIOS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025

अनुसूची 17 का अनुलग्नक - 3 / Annexure - 3 to Schedule 17

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर / Gross Direct Premium Growth Rate		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम / Gross Direct Premium	1366,53.22	1270,76.53
	वृद्धि / Growth	7.54%	6.12%
2	निवल मालियत के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (गुना) Gross Direct Premium to Net Worth Ratio (Times)		
	कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम / Total Gross Direct Premium	1366,53.22	1270,76.53
	निवल मालियत (समापन) / Net Worth (Closing)	13484,75.85	11841,88.52
	अनुपात (गुना) / Ratio (times)	0.10	0.11
3	निवल मालियत की वृद्धि दर / Growth Rate of Net Worth		
	निवल मालियत (प्रारंभिक) / Net Worth (Opening)	11841,88.52	10116,63.88
	निवल मालियत (समापन) / Net Worth (Closing)	13484,75.85	11841,88.52
	निवल मालियत की वृद्धि दर / Growth rate of Net Worth	13.87%	17.05%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात / Net Retention Ratio		
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	1131,75.80	1179,62.43
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम / Gross Direct Premium	1366,53.22	1270,76.53
	निवल प्रतिधारण अनुपात / Net Retention Ratio	82.82%	92.83%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात / Net Commission Ratio		
	शुद्ध कमीशन / Net Commission	(11,34.44)	19,05.48
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	1131,75.80	1179,62.43
	अनुपात / Ratio	-1.00%	1.62%
6	प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय / Expenses of Management	406,86.80	375,74.86
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम / Gross Direct Premium	1366,53.22	1270,76.53
	अनुपात / Ratio	29.77%	29.57%
7	प्रबंधन व्यय की तुलना में शुद्ध लिखित प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Net Written Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय / Expenses of Management	358,52.69	363,48.57
	शुद्ध लिखित प्रीमियम / Net Written Premium	1131,75.80	1179,62.43
	अनुपात / Ratio	31.68%	30.81%
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुद्ध उपगत दावे / Net Incurred Claims to Net Earned Premium		
	शुद्ध उपगत दावे / Net Incurred Claims	(632,01.01)	(974,47.46)
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम / Net Earned Premium	1155,69.11	1079,76.43
	अनुपात / Ratio	-54.69%	-90.25%
9	दावा प्रावधान की तुलना में प्रदत्त दावे / Claims Paid to Claims Provisions		
	प्रदत्त दावे / Claims Paid	453,46.11	450,30.55
	वर्ष के आरंभ में दावा प्रावधान / Claims Provisions at Beginning of the Year	4699,74.57	5929,31.09
	अनुपात / Ratio	9.65%	7.59%
10	सम्मिलित अनुपात / Combined ratio		
	शुद्ध उपगत दावे / Net Incurred Claims	(632,01.01)	(974,47.46)
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम / Net Earned Premium	1155,69.11	1079,76.43
	अनुपात (क) / Ratio (a)	-54.69%	-90.25%

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
	प्रबंधन व्यय / Expenses of management	358,52.69	363,48.57
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम / Net Written Premium	1131,75.80	1179,62.43
	अनुपात (ख) / Ratio (b)	31.68%	30.81%
	सम्मिलित अनुपात (क + ख) / Combined Ratio (a + b)	-23.01%	-59.44%
11	निवेश आय अनुपात / Investment Income Ratio		
	निवेश आय (शुद्ध) / Investment Income (Net)	1236,40.10	1181,82.96
	प्रबंधनाधीन औसत परिसंपत्तियाँ / Average Assets Under Management	16855,85.38	15923,44.26
	अनुपात / Ratio	7.34%	7.42%
12	तकनीकी आरक्षित निधियों की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात (गुना) Technical Reserves to Net Premium Ratio (Times)		
	बकाया दावों के लिए आरक्षित / Reserve for Outstanding Claims	3838,12.43	4699,74.57
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित / Reserve For Un-expired Risks	565,87.90	589,81.21
	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित / Reserve for Premium Deficiency	-	-
	कुल / Total	4404,00.33	5289,55.78
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	1131,75.80	1179,62.43
	अनुपात (गुना) / Ratio (Times)	3.89	4.48
13	बीमांकन शेष अनुपात / Underwriting Balance Ratio		
	बीमांकन लाभ / Underwriting Profit	1434,76.48	1698,48.50
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	1155,69.11	1079,76.43
	अनुपात / Ratio	124.15%	157.30%
14	परिचालन लाभ अनुपात / Operating Profit Ratio		
	परिचालन लाभ / Operating Profit	1827,29.52	2163,44.87
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम / Net Earned Premium	1155,69.11	1079,76.43
	अनुपात / Ratio	158.11%	200.36%
15	देयता की तुलना में चल परिसंपत्तियां : (बीमाकृत की चल परिसंपत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना) Liquid assets to liabilities ratio: (Liquid assets of the insurer divided by the policy holders' liabilities) (Times)		
	चल परिसंपत्तियाँ / Liquid Assets	2327,32.21	2367,19.41
	पॉलिसी धारकों की देयताएँ / Policy Holder Liabilities	4766,94.60	5431,44.67
	अनुपात (गुना) / Ratio (Times)	0.49	0.44
16	शुद्ध अर्जन अनुपात / Net earnings ratio		
	कर पश्चात लाभ / Profit After Tax	2076,67.33	2159,04.65
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	1131,75.80	1179,62.43
	अनुपात / Ratio	183.49%	183.03%
17	शुद्ध मालियत पर अर्जन / Return on net worth		
	कर पश्चात लाभ / Profit After Tax	2076,67.33	2159,04.65
	निवल मालियत / Net Worth	13484,75.85	11841,88.52
	अनुपात / Ratio	15.40%	18.23%
18	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता (गुना) Available Solvency to Required Solvency margin Ratio (Times)		
	उपलब्ध शोधन क्षमता / Available Solvency Margin	12931,94.77	11292,75.23
	आवश्यक शोधन क्षमता / Required Solvency Margin	226,35.16	235,92.49
	अनुपात (गुना) / Ratio (Times)	57.13	47.87
19	अनर्जक खाता अनुपात / NPA Ratio		
	पॅलिसी धारक की निधियाँ / Policyholders' Funds		
	सकल अनर्जक खाता अनुपात - निवेश / Gross NPA Ratio - Investment	0.51%	0.56%

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
	शुद्ध अनर्जक खाता अनुपात - निवेश / Net NPA Ratio - Investment	0.51%	0.56%
	शेयरधारक की निधियाँ / Shareholders' Funds		
	सकल अनर्जक खाता अनुपात / Gross NPA Ratio		
	निवेश / Investment	0.51%	0.56%
	फैक्टरिंग / Factoring	84.85%	76.78%
	शुद्ध अनर्जक खाता अनुपात / Net NPA Ratio		
	निवेश / Investment	0.51%	0.56%
	फैक्टरिंग / Factoring	84.85%	76.78%
20	ऋण ईक्विटी अनुपात / Debt Equity Ratio	-	-
21	ऋण सेवा रक्षा अनुपात / Debt Service Coverage Ratio	-	-
22	ब्याज सेवा रक्षा अनुपात / Interest Service Coverage Ratio	-	-
23	इक्विटी धारण पद्धति एवं आय जानकारी		
	Equity Holding Pattern and Information on Earnings		
	शेयरों की संख्या / No. of Shares	433,800,000	433,800,000
	शेयर धारिता का प्रतिशत / Percentage of Shareholding		
	- भारतीय / - Indian	100.00%	100.00%
	- विदेशी / - Foreign	-	-
	सरकारी धारिता का प्रतिशत / Percentage of Government Holding	100.00%	100.00%
	अवधि के लिए असाधारण मदों से पूर्व मूल ईपीएस (कर व्यय को घटाकर शुद्ध) (वार्षिकीकृत नहीं किया जाए)		
	Basic EPS before Extraordinary Items (Net of Tax expense) for the period (Not to be Annualized)	47.87	49.77
	अवधि के लिए असाधारण मदों से पूर्व विस्तारित ईपीएस (कर व्यय को घटाकर शुद्ध) (वार्षिकीकृत नहीं किया जाए)		
	Diluted EPS before Extraordinary Items (Net of Tax expense) for the period (Not to be Annualized)	47.87	49.77
	अवधि के लिए असाधारण मदों से पूर्व मूल ईपीएस (कर व्यय को घटाकर शुद्ध) (वार्षिकीकृत नहीं किया जाए)		
	Basic EPS after Extraordinary Items (Net of Tax expense) for the period (Not to be Annualized)	47.87	49.77
	अवधि के लिए असाधारण मदों से पूर्व विस्तारित ईपीएस (कर व्यय को घटाकर शुद्ध) (वार्षिकीकृत नहीं किया जाए)		
	Diluted EPS after Extraordinary Items (Net of Tax expense) for the period (Not to be Annualized)	47.87	49.77
	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु में) / Book Value Per Share (₹)	310.85	272.98

दिनांक 31 मार्च 2025 तक पॉलिसीधारकों की अघोषित राशि का आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण

Statement showing the Age-wise Analysis of the Unclaimed Amount of the Policyholders as on 31-March-2025

अनुसूची 17 का अनुलग्नक - 4 (₹ लाख में) / Annexure - 4 to Schedule 17 (₹ in Lakh)

क्र. सं Sl. No	विवरण / Particulars	कुल राशि Total Amount	आयु-वार विश्लेषण / AGE-WISE ANALYSIS							
			0-6 माह 0-6 months	7-12 माह 7-12 months	13-18 माह 13-18 months	19-24 माह 19-24 months	25-30 माह 25-30 months	31-36 माह 31-36 months	37-120 माह 37-120 months	120माह से अधि More than 120 months
1	पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों की ओर से अभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से पॉलिसीधारकों/लाभार्थिया को अप्रदत्तें दावे Claims settled but not paid to the policyholders/ beneficiaries due to any reasons except under litigation from the policyholders/ beneficiaries	12.22	12.22	-	-	-	-	-	-	-
2	परिपक्वता पर अथवा अन्यथा पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को देय राशि Sum due to the policyholders/ beneficiaries on maturity or otherwise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	प्रीमियम/कर अथवा किसी अन्य शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार अथवा कानून के अनुसार अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित रूप में वापस किया जा सकता है लेकिन अभी तक वापस नहीं किया गया है। Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholders/ beneficiaries either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	65.84	0.05	1.15	3.00	7.69	0.00	0.62	49.93	3.40
4	जारी किए गए चेक, लेकिन पॉलिसीधारक/लाभार्थियों द्वारा भुनाए नहीं गए Cheques issued but not encashed by the policyholder/ beneficiaries	39.42	0.61	0.00	2.59	0.22	3.01	2.83	30.08	0.08
	कुल / Total	**1,17.48**	**12.88**	**1.15**	**5.59**	**7.91**	**3.01**	**3.45**	**80.01**	**3.48**

नोट : उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के अंतर्गत जारी किए गए लेकिन भुनाए नहीं गए चेक में केवल उन चेकों की राशि शामिल है जिनकी वैधता समाप्त हो गई है। जारी किए गए लेकिन समाशोधित नहीं किए गए अन्य चेक के संबंध में, प्रबंधन का मत है कि पॉलिसीधारक कानूनी रूप से चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने का हकदार है। तदनुसार ऐसे चेक की राशि को दावा नहीं किए गए के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

Note: Cheques issued but not encashed under point no 4 above includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other cheques issued but not cleared, the management is of the opinion that the policyholder is legally entiltled to encash the cheque anytime till the validity of cheque. Accordingly the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: / CIN: U74999MH1957GOI010918

दिनांक 31 मार्च 2025 तक दावा नहीं की गई राशि एवं उस पर निवेश आय का विवरण

DETAILS OF UNCLAIMED AMOUNTS AND INVESTMENT INCOME THEREON AS ON 31-MARCH-2025

अनुसूची 17 का अनुलग्नक - 5 (₹ लाख में) / Annexure - 5 to Schedule 17 (₹ in Lakh)

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year		पिछले वर्ष Previous Year	
	पॉलिसी बकाया Policy Due	**अर्जित आय Income Accrued**	**पॉलिसी बकाया Policy Due**	**अर्जित आय Income Accrued**
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1,11.65	49.66	1,40.11	43.39
जोड़ें: दावा रहित निधि में अंतरित की गई राशि Add: Amount transferred to Unclaimed Fund	15.16	-	15.53	-
जोड़ें: अदावित राशि से जारी किए गए चेक किंतु पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए (केवल तभी शामिल किए जाएं जब चेक पुराने हो जाएं) Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	0.51	-	-	-
जोड़ें: अदावित निधि पर निवेश आय Add: Investment Income on Unclaimed Fund	-	13.92	-	14.77
घटाएँ: तिमाही के दौरान प्रदत्त दावों की राशि Less: Amount of claims paid during the quarter	1.59	0.15	21.94	0.10
घटाएँ: एससीडब्ल्यूएफ को अंतरित राशि (पूर्व अंतरित राशिके संबंध में प्रदत्त दावों का निवल अंश) Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	8.25	3.71	22.05	8.40
अदावित राशि निधि का अंतिम शेष Closing Balance of Unclaimed Amount Fund	**1,17.48**	**59.72**	**1,11.65**	**49.66**

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: / CIN: U74999MH1957GOI010918

दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से वर्ष की शुरुआत में शेयरधारकों के फंड एवं पॉलिसीधारकों के फंड का विभाजन

BIFURCATION OF SHAREHOLDRS' FUND AND POLICYHOLDERS' FUND AT THE BEGINNING OF THE YEAR 1ST APRIL, 2024

अनुसूची 17 का अनुलग्नक - 6 (₹ लाख में) / Annexure - 6 to Schedule 17 (₹ in Lakh)

	क. शेयरधारकों के फंड **A. Shareholders' Funds**	**(₹ लाख में)** **(₹ in lakh)**	**%**
1	शेयर पूंजी Share Capital	4338,00.00	
2	सामान्य रीज़र्व एवं अधिशेष General Reserves and surpluses	7503,88.52	
	कुल शेयरधारकों के फंड (क) **Total Shareholders' funds (A)**	**11841,88.52**	**69%**
	ख. पॉलिसीधारकों के फंड **B. Policyholders' Funds**	**(₹ in lakh)**	**%**
1	बकाया दावे जिनमें आईबीएनआर एवं आईबीएनईआर शामिल हैं Outstanding claims Including IBNR & IBNER	4699,74.57	
2	अनर्जित प्रीमियम रिजर्व Unearned Premium Reserve	589,81.21	
3	प्रीमियम कमी-पूरक रिजर्व Premium Deficiency Reserve	- -	
4	आपदा रिजर्व Catastroph Reserve	- -	
5	अन्य देयताएं अन्य परिसंपत्तियों का शुद्ध योग: Other Liabilities Net of Other Assets:		
	अन्य देयताएं: **Other Liabilities:**		
	i. प्रीमियम अग्रिम रूप से प्राप्त हुआ i. Premium received in advance	233,94.43	
	ii. असंबद्ध प्रीमियम ii. Unallocated Premium	43,38.46	
	iii. अन्य बीमा कम्पनियों को देय शेष राशि iii. Balance Due to other Insurance Companies	82,38.65	
	iv. बीमाकृत के कारण - दावा नहीं किया गया iv. Due to Insured - Unclaimed	1,61.31	
	कुल अन्य देयताएं **Total Other Liabilities**	**361,32.85**	
	अन्य परिसंपत्तियां: **Other Assets:**		
	i. अन्य बीमा कम्पनियों से देय i. Due from other Insurance Companies	217,19.98	
	ii. पॉलिसी धारकों की अप्राप्त राशि ii. Unclaimed Amount Policy Holders	2,23.98	
	कुल अन्य परिसंपत्तियां **Total Other Assets**	**219,43.96**	
	कुल अन्य देयताएं अन्य परिसंपत्तियों का निवल **Total Other Liabilities Net of Other Assets**	**141,88.89**	
	कुल पॉलिसीधारकों की निधि (ख) **Total Policyholders' Funds (B)**	**5431,44.67**	**31%**
	कुल फंड सी = (क+ख) **Total Funds C = (A+B)**	**17273,33.19**	**100%**

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: / CIN: U74999MH1957GOI010918

दिनांक 31 मार्च 2025 तक पुनः समूहन विवरण

REGROUPING STATEMENT AS ON 31ST MARCH 2025

अनुसूची 17 का अनुलग्नक - 7 (₹ लाख में) / Annexure - 7 to Schedule 17 (₹ in Lakh)

क्र. सं. S. No.	विवरण / Particulars		पुनः समूहित पुनर्कथित राशि Regrouped restated amount	पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण के अनुसार राशि Amount as per Financilas of Previous Year	अंतर Difference	कारण Reason
	पुनः समूहित से Regrouped From	पुनः समूहित को Regrouped To				
1	अनुसूची-4 (अन्य - विविध व्यय एवं अन्य व्यय)	लाभ एवं हानि खाता	1,43.32	1,43.32		जिन व्ययों को बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय नहीं माना जाता है, उन्हें तदनुसार पुनर्समूहीकृत किया गया।
	Schedule-4 (Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses)	Profit & Loss Account	1,43.32	1,43.32	-	Expenses which are not considered as Operating expenses relating to Insurance Business were regrouped accordingly.
2	अनुसूची-11 नकद एवं नकद समतुल्य	अनुसूची 8 एवं 8 क-निवेश अनुसूची	103,00.00	103,00.00	-	12 माह से अधिक अवधि वाले सावधि जमा को आईआरडीएआई विनियमों के अनुरूप पुनर्समूहित किया गया।
	Schedule-11 Cash & Cash Equivalent	Schedule 8 and 8A - Investment Schedule	103,00.00	103,00.00	-	The Fixed Deposits which are due beyond 12 months were regrouped to in line with IRDAI Regulations.

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: / CIN: U74999MH1957GOI010918

प्राप्ति एवं भुगतान खाता / नकदी प्रवाह विवरण - (प्रत्यक्ष विधि) दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

Receipts & Payments Account / Cash Flow Statement - (Direct Method) for the year ended 31st March 2025

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
क A	**परिचालन गतिविधि से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY**		
1	अग्रिम रसीदों सहित पॉलिसीधारक से प्राप्त प्रीमियम Premium Received from Policyholder including Advance Receipts	1389,66.07	1256,93.36
2	अन्य प्राप्तियां / वसूली / शुल्क Other Receipts / Recoveries / Fees	218,64.63	124,43.99
3	कमीशन एवं दावों को छोड़कर पुनर्बीमाकर्ताओं को किया जाने वाला भुगतान Payments to Reinsurers net of Commission and Claims	10,89.08	(34,42.15)
4	दावा वसूली के पश्चात सह-बीमाकर्ताओं को प्रदत्त भुगतान Payments to Co-Insurers net of Claims Recovery	-	-
5	प्रदत्त दावें Payments of Claims	(453,46.11)	(450,30.55)
6	कमीशन एवं ब्रोकरेज का भुगतान Payments of Commission & Brokerage	(27,81.00)	(25,10.18)
7	अन्य परिचालन व्यय का भुगतान Payments of Other operating expenses	(379,38.92)	(268,19.56)
8	प्रारंभिक एवं परिचालन-पूर्व व्यय Preliminary and Pre-Operative Expenses	-	-
9	जमा, अग्रिम एवं कार्मिक ऋण Deposits, Advances & Staff Loan	(10,82.46)	11,33.41
10	प्रदत्त (शुद्ध) आयकर Income Tax Paid (Net)	(307,17.53)	(693,80.70)
11	प्रदत्त जी एस टी GST Paid	(6,16.82)	(3,14.87)
12	अन्य भुगतान/वसूली (शुद्ध) Other Paymens/Collection (net)	(10,17.09)	(12,45.52)
	असाधारण मदों से पूर्व नकदी प्रवाह Cash Flow before extra ordinary items	**424,19.85**	**(94,72.77)**
	असाधारण परिचालनों से नकदी प्रवाह Cash Flow from extra ordinary operations	-	-
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क) Net Cash Flow from Operating Activities (A)	**424,19.85**	**(94,72.77)**
ख B	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
1	अचल संपत्तियों की खरीद (पूंजीगत प्रगतिशील कार्य सहित) Purchase to Fixed Assets (including capital work in progress)	(39,69.09)	(2,42.29)
2	अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय Proceeds from Sale of Fixed Assets	1.92	11.61
3	निवेश की खरीद एवं बिक्री - शुद्ध Purchase and Sale of Investments - Net	(813,17.03)	(2095,18.77)
4	वितरित ऋण Loans Disbursed	-	-

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Current Year Audited (₹ in Lakhs)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षीत (₹ लाख में) Previous Year Audited (₹ in Lakhs)
5	प्राप्त पुनर्भुगतान / Repayment Received	-	-
6	प्राप्त किराया / ब्याज / लाभांश Rent / Interest / Dividends Received	1141,31.29	1099,58.37
7	मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एवं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश - शुद्ध Investments in Money Market Instruments and in Liquid Mutual Funds - Net	-	-
8	निवेश से संबंधित व्यय Expenses related to investments	(13.63)	(24.15)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख) Net Cash Flow from Investing Activities (B)	**288,33.46**	**(998,15.23)**
ग C	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
1	शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय (शेयर पूंजी के लिए प्राप्त अग्रिम राशि शामिल है) Proceeds from issuance of share capital (Includes Advance Received for Share Capital)	-	-
2	ऋण से प्राप्त आय/ Proceeds from Borrowing		
3	ऋण की अदायगी/ Repayments of Borrowing		
4	ब्याज / लाभांश का भुगतान/Interest / Dividend paid	(433,80.00)	(433,80.00)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	**(433,80.00)**	**(433,80.00)**
घ	**नकदी एवं नकदी समतुल्य पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव, शुद्ध Effect of foreign exchange rates on Cash and Cash equivalents, net**	**3.05**	**0.67**
	शुद्ध नकदी प्रवाह (क+ख+ग+घ) Net Cash Flow (A+B+C+D)	**278,76.36**	**(1526,67.33)**
ङ E	**नकदी एवं नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धिः Net increase in Cash and Cash equivalents:**		
1	- वर्ष के प्रारम्भ में / - at the beginning of the year	96,97.06	1623,64.39
2	- वर्ष के अंत में / - at the end of the year	375,73.42	96,97.06
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में परिवर्तन Change in Cash and Cash equivalent	**278,76.36**	**(1526,67.33)**

नोटः नकदी प्रवाह विवरण तैयार करते समय नकदी एवं नकदी समतुल्य में 3 माह से 12 माह की सावधि जमा शामिल नहीं है, हालांकि इसे अनुसूची 11 में शामिल किया गया है।

Note: Cash and Cash Equivalents does not include Fixed Deposits beyonds 3 Months to 12 Months while preparing the Cash Flow Statement, however the same is included in Schedule 11.

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशवक
(SRISTIRAJ AMBASTHA)
Chairman cum Managing Director
डीआईएन/DIN - 10375617

(रामस्वामी नारायणन)
निदेशक
(RAMASWAMY NARAYANAN)
Director
डीआईएन/DIN - 10337640

(सुबीर कुमार दास)
निदेशक
(SUBIR KUMAR DAS)
Director
डीआईएन/DIN- 10871349

(पलनियप्पन मुथु)
निदेशक
(PALANIAPPAN MUTHU)
Director
डीआईएन/DIN- 10200176

(आनंद सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ANAND SINGH)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary (F-3166)

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते एमएल पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या. 002312N
For M. L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002312N

कृते शाह एंड तपाडिया
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या. 109463W
For Shah and Taparia
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109463W

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार सदस्यता सं. 095584
(RAJESH CHAND GUPTA)
साझेदार/Partner - M.No. 095584
यूडीआईएन/UDIN : 25095584BMLLPS4938

(भरत रमेश जोशी)
भागीदार सदस्यता सं. 130863
(BHARAT RAMESH JOSHI)
साझेदार/Partner - M.No. 130863
यूडीआईएन/UDIN : 25130863BMIQHF2494

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 मई, 2025

Place : Mumbai
Date : 27th May, 2025

प्रबंधन की रिपोर्ट
MANAGEMENT REPORT

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त एवं निवेश कार्य) विनियमन 2024 की अनुसूची के भाग में अपेक्षित प्रबंधन रिपोर्ट।

1. हम पुष्टि करते हैं कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है। इसे वर्ष 2024-25 के लिए नवीकृत किया गया।
2. हम पुष्टि करते हैं कि वैधानिक प्राधिकारियों को देय सभी बकाया राशि का विधिवत भुगतान किया गया है/उसका प्रावधान किया गया है।
3. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारिता पैटर्न एवं शेयरों का हस्तांतरण वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।
4. हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी पॉलिसियों के धारकों की धनराशि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं की गई है।
5. हम पुष्टि करते हैं कि आवश्यक ऋण-शोधन क्षमता बनाए रखा गया है।
6. हम प्रमाणित करते हैं कि सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा तुलन पत्र की तिथि पर की गई है एवं हमारे सर्वोत्तम विश्वास में तुलन पत्र में दर्शाई गई परिसंपत्तियों को कुल राशि में दर्शाया गया है, कई शीर्षकों के अंतर्गत - ''ऋण'', ''निवेश'', ''ब्याज, लाभांश एवं किराए जो देय हैं परंतु देय नहीं हैं'', ''बीमा कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों से देय राशि'', ''विविध देनदार'', ''प्राप्तियां बिल'', ''नगद'', एवं ''अन्य परिसंपत्तियां'' के अंतर्गत निर्दिष्ट कई मदें, जो उनके वसूली योग्य अथवा बाजार मूल्य से अधिक नहीं है।
7. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 09.03.2022 के पत्र के अंतर्गत ₹150000,00 लाख की वर्धित अधिकतम देयता के लिए कंपनी का कुल जोखिम ₹144015,70 लाख है।
8. हमारा कोई विदेशी परिचालन नहीं है।
9. पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान समय की प्रवृत्ति को दर्शाने वाले दावों की अवधि अनुलग्नक ख के अनुसार है।
10. हम प्रमाणित करते हैं कि निवेश का मूल्यांकन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।
11. सभी निवेश परिसंपत्तियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है एवं परिसंपत्तियों को आई आर डी ए आई मानदंडों के आधार पर निष्पादित एवं गैर-निष्पादित रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
12. हम इसकी पुष्टि करते हैं कि:
    - क. वित्तीय विवरण तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों एवं पॉलिसीयों का पालन किया गया है।
    - ख. प्रबंधन द्वारा लेखांकन पॉलिसीयां अपनाई गई हैं एवं उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया है तथा इस प्रकार के निर्णय लिए गए एवं अनुमान लगाए गए हैं, जो उचित एवं विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति एवं वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा शुद्ध लाभ का सटीक तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

AS REQUIRED IN PART II OF SCHEDULE II OF INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (ACTUARIAL, FINANCE AND INVESTMENT FUNCTIONS OF INSURERS) REGULATION 2024.

1. We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory & Development Authority of India is valid during the year. The same was renewed for the year 2024-25.
2. We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid/ provided for.
3. We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.
4. We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.
5. We confirm that required solvency margins have been maintained.
6. We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings – "Loans'', "Investments'', "Interest, Dividend and Rents accruing but not due'', "Amount due from other persons or Bodies carrying on Insurance Business'', 'Sundry Debtors'', "Bills Receivable'', "Cash'', and the several items specified under "Other Assets''.
7. The overall exposure of the Company is ₹144015,70 lakh against the enhanced Maximum Liability of ₹150000,00 lakh by Ministry of Commerce & Industry vide letter dated 09.03.2022.
8. We do not have any overseas operations.
9. Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per **Annexure I.**
10. We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.
11. All Investment assets are reviewed periodically and assets are classified into performing and non-performing based on IRDAI norms.
12. We hereby confirm:
    - a. That in preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies has been followed.
    - b. That the management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Company for the year.

ग. प्रबंधन द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उन्हें चिन्हित किए जाने हेतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ. प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरण को जारी कारोबार चालू के आधार पर तैयार किया गया है।

ङ. प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि कारोबार के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है तथा प्रभावी रूप से कार्यरत है।

13. कारोबार के साधारण क्रम में किए गए संव्यवहार को छोड़कर किसी व्यक्तिगत फर्म, कंपनी अथवा संगठन को कोई भुगतान नहीं किया जाता है, जिसमें कंपनी के निदेशकों की रुचि हो।

कृते ईसीजीसी लिमिटेड के लिए

(सृष्टिराज अम्बष्ठ) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डी आई एन - 10375617	**(रामास्वामी नारायणन)** निदेशक डी आई एन - 10337640
(सुबीर कुमार दास) निदेशक डी आई एन - 10871349	**(पलनियप्पन मुथु)** निदेशक डी आई एन – 10200176

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 मई, 2025

c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.

e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.

13. There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

For ECGC Limited.

(SRISTIRAJ AMBASTHA) Chairman cum Managing Director DIN - 10375617	**(RAMASWAMY NARAYANAN)** Director DIN - 10337640
(SUBIR KUMAR DAS) Director DIN - 10871349	**(PALANIAPPAN MUTHU)** Director DIN – 10200176

Place : Mumbai
Date : 27th May, 2025

अनुलग्नक / Annexure

I. दिनांक 31 मार्च, 2025 तक बकाया सकल दावों की अवधि विश्लेषण। (₹ **लाख में**)

I. Ageing Analysis of Gross Claim Outstanding as of 31st March, 2025. **(₹ in Lakh)**

अवधि **Period**	साख बीमा / Credit Insurance	
	दावों की संख्या **No. of Claims**	संदर्भित राशि **Amount Involved**
0 से 30 दिन 0 to 30 Days	72	87,74.60
31 दिन से 6 माह 31 Days to 6 Months	140	292,64.43
6 माह से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	21	43,93.99
1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years	2	6,84.74
5 वर्ष एवं उससे अधिक 5 years and above	- -	- -
कुल Total	235	431,17.76

II. पिछले पांच वर्षों के औसत दावा निपटान समय का विवरण। **(₹ लाख में)**

II. Details of Average Claim Settlement Time for the Preceding Five Years. **(₹ in Lakh)**

खंड Segment	2024-25			2023-24			2022-23			2021-22			2020-21		
	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	निपटान किए गए दावों की संख्या No. of Claims Settled	निपटान राशि Amount Settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	निपटान किए गए दावों की संख्या No. of Claims Settled	निपटान राशि Amount Settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	निपटान किए गए दावों की संख्या No. of Claims Settled	निपटान राशि Amount Settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	निपटान किए गए दावों की संख्या No. of Claims Settled	निपटान राशि Amount Settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)	निपटान किए गए दावों की संख्या No. of Claims Settled	निपटान राशि Amount Settled
साख बीमा Credit Insurance	37.73	471	453,46.11	43.72	538	450,30.55	77.54	551	763,04.86	76.36	681	687,20.43	62.92	734	1046,74.05

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ECGC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of ECGC LIMITED for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions ofInsurers) Regulations, 2024 and Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 27 May 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of ECGC LIMITED for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd /-
(Vijay Nanalal Kothari)
Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai

Place: Mumbai
Date : 04.08.2025

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Auditors' report

एम. एल. पुरी एंड कंपनी सनदी लेखाकार बी 21 आहूजा टॉवर एएम मार्ग, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पीछे, वर्लिका, प्रभादेवी, मुंबई - 400025	शाह एवं तपाडिया सनदी लेखाकार 203, सेंटर पॉइंट बिल्डिंग, 100, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मार्ग, परेल, मुंबई - 400012

M. L. Puri & Co. Chartered Accountants B 21 Ahuja Tower AM Marg, Behind ICICI Prudential, Worlika, Prabhadevi, Mumbai - 400025	Shah & Taparia Chartered Accountants 203, Centre Point Building, 100, Dr Babasaheb Ambedkar Marg, Parel, Mumbai - 400012

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्यगण,

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने ईसीजीसी लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2025 तक का तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ एवं हानि खाता, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (प्राप्तियां एवं भुगतान खाता) एवं वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश शामिल है, जिसमें भारत में स्थित छियालीस शाखाओं तथा चार क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणी शामिल हैं, जिनमें से पैंतालीस शाखाओं एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों का लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों की अन्य फर्मों द्वारा किया गया है।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 (''बीमा अधिनियम''), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (''आईआरडीएआई अधिनियम''), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त एवं निवेश कार्य) विनियम, 2024 (''आईआरडीएआई वित्तीय विवरण विनियम''), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (''आईआरडीएआई''/''प्राधिकरण'') द्वारा जारी आदेश/निर्देश/परिपत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं एवं पॉलिसियों तथा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (''आईआरडीएआई'') द्वारा बीमाकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण पर दिनांक 30-09-2021 को जारी परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएंडए/ सीआईआर/ एमआईएससी /256/09/ 2021 अपेक्षित तरीके से एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति के संबंध में एक यथार्थ एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है, जहां तक यह निम्न से संबंधित है:

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Members of ECGC Limited,

Report on Audit of Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of the ECGC Limited ("the Company") which comprises of the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Revenue Account, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) for the year ended on that date and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated returns of Forty-six branches and Four regional offices situated in India out of which Forty-five branches and Four regional offices have been audited by other firms of Auditors appointed by Comptroller and Auditor General of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 ("the Insurance Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ("the IRDAI Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 ("the IRDAI Financial Statements Regulations"), orders/directions/circulars issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"/ "the Authority") to the extent applicable, the Companies Act, 2013 ("the Act") including the Accounting Standard specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 with other recognized accounting practices and policies and Circular No. IRDAI/ F&A/CIR/MISC/256/09/2021 dated 30-09-2021 on 'Public Disclosures by Insurers' issued by Insurance Regulatory Development Authority of India ("the IRDAI"), in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025 in so far as it relates to:

i. तुलन पत्र के संबंध में, दि. 31 मार्च 2025 तक कंपनी की स्थिति

ii. राजस्व खाते के संबंध में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष का;

iii. लाभ एवं हानि खाते के संबंध में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ का;

iv. नकदी प्रवाह विवरण (प्राप्तियां एवं भुगतान खाता) के संबंध में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्तियां एवं भुगतान।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों वाले अनुभाग में विस्तार से दिया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार भी हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, एवं हमने इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूर्ण किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामला

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में तथा उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में विचार किया गया था, तथा हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है:

i. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025

ii. In the case of Revenue Account, of the surplus for the year ended on that date;

iii. In the case of Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended on that date;

iv. In the case of Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account), of the receipts and payments during the year ended on that date.

Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under provision of Act and the Rules made thereunder, the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Key Audit Matter

Key Audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक का उत्तर
निवेश	
निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं आवंटन, राजस्व मान्यता तथा गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान एवं उनके लिए प्रावधान (अनुसूची 16 के खंड संख्या 4 को वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 17 के नोट 24 एवं 25 के साथ पढ़ें)। निवेश में कंपनी द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, म्युचुअल फंड एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं निवेशों में किए गए निवेश शामिल हैं। निवेश कंपनी की कुल परिसंपत्तियों का 88.13% है। ये भा रि बैं एवं आईआरडीएआई के परिपत्रों एवं निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। भा रि बैं एवं आईआरडीएआई के इन निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, आय की गैर-मान्यता एवं उसके विरुद्ध प्रावधान शामिल हैं। सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों एवं ईटीएफ का मूल्यांकन एनएसई के समापन मूल्य पर किया जाता है। यदि ऐसी प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध नहीं है/बंद होने के दिन उसका कारोबार नहीं होता है, तो बीएसई के बंद मूल्य पर विचार किया जाता है। म्युचुअल फंड का मूल्यांकन वर्ष के अंत में समापन एनएवी के आधार पर किया जाता है, जो हानि परीक्षण के अधीन होता है। सरकारी प्रतिभूतियों एवं प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों को ऐतिहासिक लागत पर मापा गया है, जो शेष अवधि में भुगतान किए गए प्रीमियम के परिशोधन के अधीन है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं एवं निर्णय की सीमा, लेन-देन की मात्रा, उपलब्ध निवेश तथा विनियामक केंद्रित स्तर को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला निर्धारित किया गया है।	तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान एवं निवेशों से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित थी। आरबीआई एवं आईआरडीएआई परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, राजस्व मान्यता, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/संबंधी आंतरिक नियंत्रण एवं मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी।: - एनपीआई के आवंटन, वर्गीकरण, मूल्यांकन, राजस्व मान्यता एवं पहचान एवं प्रावधान प्रक्रिया पर प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना। - इन निवेशों के उचित मूल्य का निर्धारण करने, मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता, राजस्व मान्यता एवं भा रि बैं तथा आईआरडीएआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के संदर्भ में एनपीआई के प्रावधान के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन एवं मूल्यांकन करना। - हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों से नमूने चयनित किए एवं भा रि बैं तथा आईआरडीएआई परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया तथा इन निवेशों के मानचित्रण, वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं राजस्व मान्यता की यथार्थता का निर्धारण किया तथा साथ ही एनपीआई की पहचान एवं प्रावधान की प्रक्रिया का आकलन एवं मूल्यांकन किया।

KEY AUDIT MATTERS	AUDITOR'S RESPONSE
INVESTMENTS	
Classification, Valuation & Allocation of Investments, Revenue Recognition and Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Clause no. 4 of Schedule 16 read with Note 24 & 25 of Schedule 17 to the financial statements). Investments include investments made by the Company in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Mutual Funds and other approved securities & Investments. Investments constitute 88.13% of the Company's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI and IRDAI. These directions of RBI and IRDAI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. Valuation of actively traded equity shares and ETFs is made on the closing price of NSE. If such security is not listed/ not traded on NSE on closing day, the closing price of BSE is considered. Valuation of Mutual Funds is made on the closing NAV of the year end subject to impairment test. All debts securities including government securities and redeemable preference shares have been measured at historical cost subject to amortization of premium paid over residual period. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI and IRDAI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, revenue recognition, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/ related to Investments. In particular: - Test the design, implementation and operating effectiveness of key internal financial controls over allocation, classification, valuation, revenue recognition and identification & provisioning process of NPIs. - Assess & evaluate the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments, appropriateness of the valuation methodologies, revenue recognition & provisioning of NPIs with reference to prudential norms of the RBI and IRDAI. - We selected samples from the investments of each category and tested for ensuring compliance with the presentation & disclosure requirements as per RBI and IRDAI Circular/directions and determining correctness of mapping of investments, classification, valuation and revenue recognition of these investments along-with assessed and evaluated the process of identification & provisioning of NPIs.

सूचान प्रौद्योगिकी	
वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में इंट्रानेट, स्माइल और इंटेलेक्ट नामक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (सू प्रौ) प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। कंपनी की परिचालन एवं वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर संसाधित किए जाने वाले बड़ी मात्रा में संव्यवहार के कारण सू प्रौ प्रणालियों पर निर्भर हैं तथा इसलिए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है, जिसकी यथार्थता एवं प्रभावशीलता मुख्य रूप से इंट्रानेट, स्माइल एवं इंटेलेक्ट नामक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (सू प्रौ) प्रणालियों के साथ-साथ अन्य संबद्ध प्रणालियों/पैकेजों पर निर्भर करती है। हमने आय पहचान, प्रावधान, फैक्टरिंग, पुनर्बीमा एवं निवेश के संबंध में प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (सू प्रौ) प्रणालियों एवं अन्य संबद्ध प्रणालियों/पैकेजों के सुसंगत तथा सटीक कार्य पद्धति पर भरोसा किया है, जो कि आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के साथ-साथ अन्य वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग रिकॉर्ड तथा संव्यवहार के अनुरूप है।	हमने एक मूल्यांकन किया एवं प्रमुख सू प्रौ अनुप्रयोगों, डेटाबेस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान की जो हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं एवं हमने इंट्रानेट, स्माइल तथा इंटेलेक्ट सिस्टम नामक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (सू प्रौ) प्रणालियों की पहचान मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक के रूप में की है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में सामान्य सू प्रौ नियंत्रणों के डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता की समझ तथा परीक्षण शामिल था, जो इस प्रकार है: - लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के सू प्रौ नियंत्रण वातावरण, सू प्रौ अवसंरचना अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम एवं डेटाबेस तथा सू प्रौ पॉलिसियों की समझ प्राप्त की गई। - परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग एवं अभिगम नियंत्रणों सहित कंपनी के सामान्य सू प्रौ नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई। - आईएस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की गई एवं प्रमुख आईएस नियंत्रणों के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की गई। - परीक्षण जांच के आधार पर लेखापरीक्षा अवधि के लिए डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता के लिए सामान्य, अनुप्रयोग तथा पहुंच सू प्रौ नियंत्रण का परीक्षण किया।

INFORMATION TECHNOLOGY	
Key Information Technology (IT) systems called Intranet, Smile and Intellect used in financial reporting process. Company's operational and financial processes are dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence, considered as a key audit matter, correctness & effectiveness of which are mainly dependent on the Key Information Technology (IT) systems called Intranet, Smile and Intellect along-with other allied systems/packages. We have relied upon the consistent and accurate functioning of Key Information Technology (IT) systems & other allied systems/packages with respect to Income Recognition, Provisioning, Factoring, Reinsurance & Investments in conformity with the IRDAI guidelines along with such other financial accounting and reporting records & transactions.	We conducted an assessment and identified key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified Key Information Technology (IT) systems called Intranet, Smile and Intellect System primarily as relevant for financial reporting. Our audit approach consisted understanding & testing of the design and operating effectiveness of the general IT controls as follows: - Obtained understanding of the Company's IT control environment, IT infrastructure i.e. Operating systems and databases and IT policies during the audit period. - Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Company's general IT controls including application & access controls that are critical to financial reporting on test check basis. - Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IS Department on compliance to key IS Controls. - Test the general, application & access IT controls for design and operating effectiveness for the audit period on test check basis

मामले पर बल

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

(क) अनुसूची 17 के लिए नोट संख्या 3(क) उन संपत्तियों के संदर्भ में है जिनके पंजीकरण की औपचारिकताएं उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ पूर्ण नहीं की गई हैं एवं ऐसी संपत्तियां जिनके करार लुप्त हो गए हैं/वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि कंपनी के पास मूल शेयर प्रमाणपत्र हैं जो संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व के साथ कंपनी के पास निहित हैं।

इन मामलों के संदर्भ में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण एवं उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण एवं उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट हमें लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के पश्चात उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है एवं हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें एवं ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों अथवा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई गलत विवरण दिया गया है, तो हमें इस मामले को शासन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को सूचित करना होगा तथा लागू कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई निर्धारित करनी होगी।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की उत्तरदायित्व एवं शासन का प्रभार संभालने वाले व्यक्ति

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 (''बीमा अधिनियम''), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (''आईआरडीएआई अधिनियम''), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 (''आईआरडीएआई वित्तीय विवरण विनियम), कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं।

इस उत्तरदायित्व में बीमा अधिनियम 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 एवं कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उचित लेखांकन पॉलिसियों का चयन एवं अनुप्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाना; एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो एक सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं एवं धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।

Emphasis of Matter

We draw attention to the following:

a. Note no. 3(a) to Schedule 17 regarding properties where registration formalities with appropriate authorities have not been completed and properties where agreements are lost/presently not available with the Company, though the Company is in possession of original share certificates which vests with the Company, with legal ownership of the properties.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to communicate the matters to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Management's Responsibility and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Insurance Act 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 ('the Insurance Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ('the IRDAI Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 ('the IRDAI Financial Statements Regulations), the Companies Act, 2013 ('the Act') including the Accounting Standard specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with Insurance Act 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करने एवं लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने अथवा परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता हो, अथवा उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण में कोई भी गलत विवरण नहीं है, फिर वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, एवं एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार किया गया लेखा-परीक्षण हमेशा किसी भौतिक गलत विवरण का पता लगा लेगा, जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं एवं उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा संपूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना एवं उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना एवं उनका पालन करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगा पाने का जोखिम, त्रुटि के कारण हुई गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जिससे परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(ळ) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन पॉलिसियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी के कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। यद्यपि, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण कंपनी का कार्यशील संस्था के रूप में बने रहना बंद हो सकता है।
- प्रकरनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना, तथा यह भी देखना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहार एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

भौतिकता वित्तीय विवरण में गलत विवरण की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरण के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्य क्षेत्र की योजना बनाने एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित कार्य क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए उत्तरदायी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए उत्तरदायी लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के विषय में भी जानकरी उपलब्ध कराते हैं।

शासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे एवं इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून अथवा विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है अथवा जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

शासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे एवं इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून अथवा विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है अथवा जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले

(क) हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल छियालीस शाखाओं (गुवाहाटी उप कार्यालय सहित) एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-परीक्षण नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कुल परिसंपत्तियां ₹1477,99.96 लाख, प्रीमियम के रूप में कुल परिचालन राजस्व ₹1333,35.31 लाख तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹453,46.11 लाख के भुगतान किए गए दावे दर्शाए गए हैं, जैसा कि वित्तीय विवरणों में माना गया है। पैंतालीस शाखाओं एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरण/सूचना का लेखापरीक्षा लेखापरीक्षकों की अन्य फर्मों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध करा दी गई है, तथा एक अलेखापरीक्षित शाखा का लेखापरीक्षा प्रबंधन द्वारा किया गया है। जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों एवं प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत रिटर्न पर आधारित है।

Materiality is the magnitude of misstatement in the financial statement that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of reasonably knowledgeable user of the financial statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the Key Audit Matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

a. We did not audit the financial statements/information of Forty-six branches (including Guwahati sub office) and Four regional offices included in the financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹1477,99.96 lakh as at 31st March, 2025, total operating revenues in terms of Premium of ₹1333,35.31 lakh and Claims paid of ₹453,46.11 lakh for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements / information of Forty-five branches and Four regional offices have been audited by the other firms of Auditors, whose reports have been furnished to us, and one unaudited branch whose returns have been furnished to us by the management. Our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors and returns furnished to us by the management.

(ख) दिनांक 31 मार्च 2025 तक उपगत परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर), उपगत परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर), असम्बद्ध हानि समायोजन व्यय आरक्षित निधियाँ (यू एल ए ई) तथा प्रीमियम कमी संबंधी आरक्षित निधियाँ के संबंध में देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन, जो कि कंपनी के नियुक्त बीमांकिक (नियुक्त बीमांकिक) का उत्तरदायित्व है , के संबंध में नोट सं 5(ख) एवं 21 से अनुसूची 17 में उल्लिखित है। कंपनी के नियुक्त बीमांकिक द्वारा आई बी एन आर , आई बी एन ई आर यू एल ए ई तथा प्रीमियम कमी संबंधी आरक्षित निधियों को विधिवत प्रमाणित किया गया तथा नियुक्त बीमांकिक की राय में इस प्रकार के संबन्धित मूल्यांकन हेतु अनुमान आई आर डी ए आई के संवर्तन में आई आर डी ए आई एवं भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं निबंधनों के अनुसार ही है। हमारे द्वारा कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के निर्धारण हेतु इस संबंध में नियुक्त बीमांकिक के प्रमाणन को स्वीकार किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

क) दिनांक 31 मार्च, 2025 तक के वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त एवं निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अपेक्षा के अनुसार, हमने अनुसूची खख के भाग खखख के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों को प्रमाणित करते हुए दिनांक 27 मई, 2025 को एक अलग प्रमाणपत्र जारी किया है। ग) इस रिपोर्ट में कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2020, (''आदेश'') के पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान शामिल नहीं है, जो भारत की केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार जारी किया गया है, क्योंकि आदेश कंपनी पर लागू नहीं है।

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि;

क) हमने वह सारी जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगा तथा प्राप्त किया है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ख) छियालीस शाखाओं (गुवाहाटी उप शाखा सहित) एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों , जिनका हमारे द्वारा दौरान नहीं किया गया है , से प्राप्त बहियों एवं विवरणियों (लेखा परीक्षित / प्रमाणित) जांच के उपरांत हमारी राय में एवं हमारी सर्वोच्च जानकारी में तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के आधार पर कानूनी रूप से अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा उचित लेखा बहियों का रखरखाव किया जा रहा है।

ग) अधिनियम की धारा 143(8) के अधीन अन्य लेखा परीक्षित फर्मों द्वारा कंपनी की पैंतालीस शाखाओं एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा परीक्षित रिपोर्टें एवं एक शाखा की अलेखापरीक्षित विवरणी हमें सौंपी गयी थी जिसका हमारे द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उचित ध्यान रखा गया है।

घ) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ एवं हानि का विवरण, एवं नकदी प्रवाह विवरण (प्राप्तियां एवं भुगतान खाता) हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए शाखाओं से प्राप्त खाता बही एवं विवरण से हम सहमत हैं;

ङ) हमारी राय में कंपनी के वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

b. Note No. 5(b) and 21 to Schedule 17 regarding the Actuarial Valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR), Incurred But Not Enough Reported (IBNER), Unallocated Loss Adjustment Expenses Reserve (ULAE) and Premium Deficiency Reserve as at 31st March, 2025 which is the responsibility of the Company's Appointed Actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of these liabilities IBNR, IBNER, ULAE and Premium Deficiency Reserve as at March 31, 2025 and in the Appointed Actuary's opinion the assumptions considered for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. We have relied upon the Appointed Actuary's Certificate in this regard for forming our opinion on the Financial Statements of the Company.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

a) The financial statements as at March 31, 2025 have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder and the Companies Act, 2013.

b) As required by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, we have issued a separate Certificate on May 27, 2025 certifying the matters specified in paragraphs 3 and 4 of Part III of Schedule II.

c) This report does not include a statement on the matters specified in paragraph 3 of the Companies (Auditors' Report) order 2020, ("the order"), issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Act, as the Order is not applicable to the Company.

As required by section 143 (3) of the Act, we report that;

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, proper books of account, as required by law, have been kept by the Company, so far as appears from our examination of those books and proper returns (audited/certified) have been received from the Forty-six branches (including Guwahati sub office) and Four regional offices, not visited by us;

c) The reports on the accounts of the Forty-five branches and Four regional offices of the Company audited under Section 143(8) of the Act by other firms of Auditors and returns of one unaudited branch have been sent to us, have been properly dealt with by us in preparing this report;

d) The balance sheet, the revenue account, the statement of profit and loss, and the cash flow statement (Receipts and Payments Account) dealt with by this Report are in agreement with the books of account and returns received from the branches not visited by us;

e) In our opinion financial statements of the Company comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act.

च) सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया ''अनुलग्नक क'' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय विवरणों पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

ज) हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

i. कंपनी द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट किया गया है। वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट संख्या 19 का संदर्भ लें;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित घाटा हुआ हो;

iii. कंपनी के लिए निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं थी;

iv. (क) प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया कि उसकी सर्वोच्च जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लिखित अथवा अन्यथा इस समझ के साथ कि किसी मध्यस्थ द्वारा सुझाए गए किसी व्यक्ति अथवा संस्थान (अंतिम लाभार्थी) को कंपनी की ओर से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थ'') सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा संस्थान (संस्थानों) को अग्रिम , ऋण अथवा निवेश के रूप ऋण देने अथवा निवेश किए जाने की किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी गयी है ताकि अंतिम लाभार्थी द्वारा उसे किसी प्रकार का लाभ पहुंचाया जाए।

(ख) प्रबंधन द्वारा यह दर्शाया गया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (''वित्तपोषण पक्ष'') सहित किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो अथवा अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को ऋण देगी अथवा निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा ऐसा कुछ प्रदान करेगी।

(ग) हमारी राय में, ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त माना गया था, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खण्ड (क) (ख) के अंतर्गत किए गए अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण असत्य विवरण है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित अथवा भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुरूप है।

f) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. G.S.R 463(E) dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.

g) With respect to the adequacy of internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over the financial statements.

h) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements. Refer to Note No. 19 to Schedule 17 to the financial statements;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;

iii. There was no amount which was required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company;

iv. (a) The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested by the company to or in any other person(s) or entity(ies) including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other person or entities identified in any manner whatsoever by or in behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or like on behalf of the Ultimate Beneficiary.

(b) The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies) including foreign entities ("Funding Parties") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or like on behalf of the Ultimate Beneficiary.

(c) In our opinion based on such audit procedures that were considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under the sub-clause (a) and (b) above contain any material misstatement.

v. The dividend declared or paid during the year by the company is in compliance with section 123 of Companies Act, 2013.

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल है, कंपनी दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए निवेश संचालन के लिए लाइसेंस सॉफ्टवेयर सहित ईआरपी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है एवं सॉफ्टवेयर सिस्टम में दर्ज सभी प्रासंगिक संव्यवहार के लिए यह पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखा परीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला एवं कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम कंपनी के वित्तीय विवरणों के खातों पर की गई कार्रवाई एवं वित्तीय प्रभाव के बारे में नीचे रिपोर्ट करते हैं:

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास सू प्रौ सिस्टम के जरिए सभी लेखांकन संव्यवहार को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो सू प्रौ सिस्टम के बाहर लेखांकन संव्यवहार के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	हां, कंपनी के पास सू प्रौ सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहार को संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है। कंपनी द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक की अवधि के लिए एवं दिनांक 1 अगस्त, 2024 से स्माइल बेस्पोक नए सॉफ्टवेयर के जरिए अपने लेखांकन संव्यवहार के लिए लीगेसी सू प्रौ सिस्टम का उपयोग किया गया है, निम्नलिखित के अतिरिक्त: • पुनर्बीमा व्यवसाय का कार्य, अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास कार्य, फैक्टरिंग एवं अभी तक संसाधित नहीं किए गए (वाईटीबीपी) दावों के प्रावधान की गणना। पुनर्बीमा व्यवसाय के कार्य पद्धति, मूल्यह्रास की गणना, फैक्टरिंग एवं बकाया दावा प्रावधानों के लिए एक अलग एक्सेल उपयोगिता फ़ाइल रखी गई है, जिसे सू प्रौ प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है। • निवेश सॉफ्टवेयर को मुख्य सू प्रौ प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं किया गया है, तथा निवेश विभाग के अंतिम परीक्षण शेष को मुख्य परीक्षण संतुलन में मैन्युअल रूप से शामिल किया गया है, जिसे समेकन के लिए सू प्रौ प्रणाली में बनाए रखा गया है।

vi. Based on our examination, which include test checks, the Company has been using ERP Software including license software for Investment operation for maintaining its books of account for the financial year ended 31st March, 2025 which has a feature of recording Audit Trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software systems. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with and the audit trail has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention.

With regards to the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India u/s 143(5) of the Companies Act, 2013, based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the financial statements of the Company:

S. No.	DIRECTIONS	ANSWER
1	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes, the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT systems. The Company has used Legacy IT System for its accounting transactions for the period 1st April, 2024 to 31st July, 2024 and from 1st August, 2024 through Smile bespoke new software) except for the following: • Working of Reinsurance Business, Depreciation Working of Fixed Assets, Factoring and calculation of provision of 'Yet to be processed' (YTBP) claims. A separate Excel utility file is maintained for the working of Reinsurance Business, computation of depreciation, Factoring and outstanding claims provisions, which is integrated with the IT systems. • Investment software is not integrated with the main IT system, and the final Trial Balance of Investment Department is manually incorporated in the main trial balance, maintained in IT system for consolidation.

		यद्यपि मुख्य परीक्षण शेष में निवेश परीक्षण शेष को शामिल करने के समय कंपनी का नियंत्रण होता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं हो सकता है, इसलिए निवेश सॉफ्टवेयर को भी मुख्य सूप्रौ प्रणाली के साथ विलय कर दिया जाना चाहिए। विशिष्ट गणनाओं के लिए मैन्युअल नियंत्रण के उपयोग के बावजूद, कोई वित्तीय प्रभाव नहीं देखा गया है।
2	क्या कंपनी के वर्तमान ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है अथवा कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित तरीके से लेखा-जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)।	यह लागू नहीं होगा क्योंकि कंपनी द्वारा कोई पैसा उधार नहीं लिया गया है एवं किसी अन्य कंपनी को कोई पैसा उधार नहीं दिया गया है।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार अथवा उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	वर्ष के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार अथवा उसकी एजेंसियों से ऐसी कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अतिरिक्त निर्देशों के संबंध में, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी के वित्तीय विवरणों के खातों पर की गई कार्रवाई एवं वित्तीय प्रभाव के विषय में रिपोर्ट निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	उत्तर
1	सीजीएस/एसजीएस/बांड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के शीर्षकों की संख्या भौतिक/डीमैट रूप में उपलब्ध है एवं इनमें से कुछ मामले कंपनी की लेखा बही में दर्शाई गई संबंधित राशियों से मेल नहीं खाते हैं, उनका सत्यापन किया जा सकता है एवं पाई गई विसंगति की उचित रूप से रिपोर्ट की जा सकती है।	सीजीएस/एसजीएस में सभी निवेश आरबीआईएसजीएल खाते में रखे गए हैं एवं रिकार्ड से उनका सत्यापन किया गया है तथा कोई विसंगति नहीं पाई गई है। सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार परिचालन एवं टीआरईपीएस परिचालन के लिए दो केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों को सीसीआईएल के पास रखा गया है, तथा इक्विटी परिचालनों के विरुद्ध मार्जिन आवश्यकता के लिए एक केंद्रीय सरकारी प्रतिभूति को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास रखा गया है, जिसके लिए हमने आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए हैं।

		Though the Company has control at the time of incorporation of the Investment Trial Balance in the Main Trial Balance, it may not suffice hence Investment Software should also be merged with the main IT system. Despite the use of manual controls for specific computations, no financial implications have been observed.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	Not Applicable as the Company has not borrowed any money nor it has lent any money to other company.
3	Whether funds (grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.	No such Funds received from Central/State Government or its agencies during the year.

With respect to additional directions issued by Comptroller and Auditor General of India U/S 143(5) of the Companies Act, 2013, based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the financial statements of the Company:

S. No.	DIRECTIONS	ANSWER
1	Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/ Bonds/ Debentures etc. available in physical/ DEMAT form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	All the investments in CGS/SGS are held with RBISGL Account and have been verified with records and no discrepancies have been found. Two Central Government Securities have been kept with CCIL for secondary market operations of Government Securities and TREPS operations & further one Central Government Security is kept with National Stock Exchange, towards margin requirement against equity operations, for which we have obtained the necessary certificates.

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	उत्तर
		बांड/डिबेंचर आईसीआईसीआई बैंक (कस्टोडियन) के पास डीमैट खाते में रखे जाते हैं। सभी प्रतिभूतियों का अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सत्यापन किया गया है एवं कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

प्रतिभूति का प्रकार	डीमैट फॉर्म में शीर्षकों की संख्या	शीर्षकों की संख्या भौतिक रूप में
केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियां	42	शून्य
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	627	शून्य
बांड, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूतियाँ	174	शून्य
इक्विटी शेयर	57	शून्य

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	उत्तर
2	क्या निवेश नीति मौजूद है एवं क्या इसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने की व्यवस्था शामिल है तथा क्या स्टॉप लॉस सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो क्या इसका पालन किया गया? यदि अस्तित्व में नहीं है अथवा इसका पालन नहीं किया गया है, तो विवरण दिया जाए।	जैसा कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश पॉलिसी, एसओपी एवं रणनीति है जिसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने की व्यवस्था भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि कंपनी द्वारा बताया गया है, कंपनी के पास कोई ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है। कंपनी का संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो एचटीएम (हेल्ड-टू-मैच्योरिटी) / एएफएस (बिक्री के लिए उपलब्ध) श्रेणी के अंतर्गत है। तदनुसार, कंपनी के पास स्टॉप लॉस पॉलिसी/स्टॉप लॉस सीमा नहीं है।

S. No.	DIRECTIONS	ANSWER
		Bonds/Debentures are held in DEMAT account with the ICICI Bank (custodian). All securities have been verified with the underlying records and no discrepancies have been found.

Type of security	No. titles in DEMAT Form	No. of titles in Physical Form
Central Govt Securities	42	Nil
State Govt Securities	627	Nil
Bonds, debentures and other securities	174	Nil
Equity Shares	57	Nil

S. No.	DIRECTIONS	ANSWER
2	Whether Investment Policy exists and includes mechanism to review investment portfolios and also whether stop loss limits are prescribed? If yes, whether it was adhered to? If not in existence or not adhered to, details may be given.	As informed by the Management of the Company, the Company is having the Board approved Investment policy, SOP and Strategy which includes mechanism to review investment portfolio. Further, as informed by the Company, the Company does not have trading portfolio. Company's entire investment Portfolio is under HTM (Held-to-Maturity) / AFS (Available-for-Sale) category. Accordingly, Company is not having stop loss policy / stop loss limits.

कृते एमएल पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002312N

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या. 095584

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 मई, 2025

यूडीआईएन : 25095584BMLLPS4938

कृते शाह एंड तपाडिया
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 109463W

(भरत रमेश जोशी)
भागीदार
सदस्यता संख्या. 130863

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 मई, 2025

यूडीआईएन : 25130863BMIQHF2494

For M. L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002312N

(RAJESH CHAND GUPTA)
Partner
Membership No. 095584

Place : Mumbai
Date : 27th May, 2025

UDIN : 25095584BMLLPS4938

For Shah and Taparia
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109463W

(BHARAT RAMESH JOSHI)
Partner
Membership No. 130863

Place : Mumbai
Date : 27th May, 2025

UDIN : 25130863BMIQHF2494

एम एल पुरी एंड कंपनी	**शाह एंड तपाडिया**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
बी 21 आहूजा टॉवर एएम मार्ग,	203, सेंटर पॉइंट बिल्डिंग, 100,
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पीछे,	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मार्ग,
वर्लिका, प्रभादेवी,मुंबई - 400025	परेल, मुंबई - 400012

स्वतंत्र लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र

(''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के अंतर्गत पैराग्राफ (बी) में संदर्भित, जो दिनांक 27 मई, 2025 की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग है।)

प्रति,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोट

1. यह प्रमाणपत्र ईसीजीसी लिमिटेड (''कंपनी''), मुंबई के दिनांक 31 मार्च, 2025 तक भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची के भाग के पैरा 3 और 4 के प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु जारी किया गया है।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013, बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 (''विनियम'') और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी आदेशों/परिपत्रों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें लेखा बही और प्रबंधन रिपोर्ट की तैयारी एवं रखरखाव शामिल है। इसमें डेटा एकत्र करना, मिलान करना एवं पुष्टि करना तथा पूर्वोक्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइनिंग, कार्यान्वयन एवं निगरानी किया जाना शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम समुचित आश्वासन प्राप्त करें एवं अपनी लेखापरीक्षा और बही तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर राय बनाएं कि क्या कंपनी ने विनियमों के भाग अनुसूची के पैरा 3 और 4 में निहित मामलों का अनुपालन किया है।

4. हमने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिस पर हमने दिनांक 27 मई 2025 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से एक अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय जारी की है। इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हमारी लेखा परीक्षा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों और अन्य लागू आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार की गई थी। उन मानकों के अनुसार हमें लेखापरीक्षा की योजना बनानी होगी और उसे निष्पादित करना होगा ताकि इस बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन नहीं है। हमारे लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन को किसी भी संव्यवहार के संदर्भ में नहीं किया गया था जिससे कि उन मामलों को चिन्हित किया जा सके जो तीसरे पक्ष के संभावित हित के हो सकते हैं।

5. हमने अपनी परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट और प्रमाणपत्रों पर गाइडेंस नोट के अनुसार आयोजित की है। गाइडेंस नोट के अनुसार हमें आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के संदर्भ में स्वतंत्रता और अन्य नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होता है।

6. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानकों (एसक्यूसी)-1, उन फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जो ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों की लेखा परीक्षा और समीक्षा करते हैं, के संदर्भ में प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

M. L. Puri & Co.	**Shah & Taparia**
Chartered Accountants	Chartered Accountants
B 21 Ahuja Tower AM Marg,	203, Centre Point Building,
Behind ICICI Prudential,	100, Dr Babasaheb
Worlika, Prabhadevi,	Ambedkar Marg, Parel,
Mumbai - 400025	Mumbai - 400012

INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE

(Referred to in paragraph (b) under "Report on other legal and regulatory requirements" forming part of our Independent Auditors' Report dated May 27, 2025)

To,

The Members of ECGC Limited,

Report on other legal and regulatory requirements

1. This certificate is issued to comply with the provisions of paragraphs 3 and 4 of Part III of Schedule II to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, as at March 31, 2025, of ECGC Limited ("the Company"), Mumbai.

Management Responsibility

2. The Company's Board of Directors is responsible for complying with the provisions of Companies Act, 2013, Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 ("the Regulations") and orders/ circulars issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) which includes the preparation and maintenance of books of accounts and the Management Report. This includes collecting, collating and validating data and designing, implementing and monitoring of Internal Controls suitable for ensuring compliance as aforesaid.

Auditors' Responsibility

3. Pursuant to the requirements of the Regulations, it is our responsibility to obtain reasonable assurance and form an opinion based on our audit and examination of books and records as to whether the Company has complied with the matters contained in paragraphs 3 and 4 of Part III Schedule II of the Regulations.

4. We have audited financial statements of the Company as of and financial year ended March 31, 2025 on which we have issued an unmodified audit opinion vide our audit report dated May 27th 2025. Our audits of these financial statements were conducted in accordance with the Standards on Auditing and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audits were not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.

5. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Audit Reports and Certificates for Special Purposes issued by the ICAI. The Guidance note requires that we comply with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standards on Quality Control (SQC)-1, Quality control for Firms that performs audits and reviews of Historical Financial Information and Other Assurance and Related service engagements.

राय

7. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार तथा दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा तैयार लेखा बही और अन्य अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि:

   क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है और हमारी समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों के मध्य कोई प्रत्यक्ष भूल या महत्वपूर्ण असंगतता नहीं है।

   ख) प्रबंधन के अभ्यावेदन और अनुपालन के लिए जिम्मेदार कंपनी के अधिकारियों द्वारा निदेशक मंडल को प्रस्तुत अनुपालन प्रमाणपत्रों और निदेशक मंडल द्वारा इसे नोट किए जाने के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे यह विश्वास हो कि कंपनी ने आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित पंजीकरण शर्तों का अनुपालन नहीं किया है।

   ग) हमने नकदी शेष (उन शाखाओं को छोड़कर जहां लेखापरीक्षकों की अन्य फर्मों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी और नकदी शेष को संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा सत्यापित किया गया था) और कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों और निवेशों से संबंधित प्रतिभूतियों को वास्तविक निरीक्षण द्वारा या कंपनी द्वारा नियुक्त कस्टोडियन और/या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से प्राप्त प्रमाण-पत्रों/पुष्टिकरणों या अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रस्तुतीकरण द्वारा सत्यापित किया है।

   घ) हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व के अनुसार, निवेश का मूल्यांकन बीमा अधिनियम और उसके विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है;

   ङ) हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी किसी भी ट्रस्ट की ट्रस्टी नहीं है; तथा

   च) कंपनी द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2024 तक पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारकों के फंड की परिसंपत्तियों को द्विभाजित किया है और तदनुसार निवेश पर अर्जित आय को राजस्व खाते और लाभ तथा हानि खाते में अलग किया गया है। चूंकि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(1बी) के अनुसार शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों से संबंधित कोई अलग लेखा नहीं रखे गए हैं, इसलिए उपलब्ध अभिलेखों के माध्यम से फंड के उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेखा बहियों के सत्यापन तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा के आधार पर, हमारे समक्ष ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जिसमें पॉलिसीधारकों के फंड की परिसंपत्तियों के किसी भाग का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया हो, जो पॉलिसीधारकों के फंड के उपयोग और निवेश से संबंधित है।

कृते एमएल पुरी एंड कंपनी सनदी लेखाकर फर्म पंजीकरण संख्या 002312N	**कृते शाह एंड तपाडिया** सनदी लेखाकर फर्म पंजीकरण संख्या 109463W
(राजेश चंद गुप्ता) भागीदार सदस्यता संख्या. 095584	**(भरत रमेश जोशी)** भागीदार सदस्यता संख्या. 130863
स्थान : मुंबई दिनांक : 27 मई, 2025	स्थान : मुंबई दिनांक : 27 मई, 2025
यूडीआईएन : 25095584BMLLPS4938	**यूडीआईएन : 25130863BMIQHF2494**

Opinion

7. In accordance with the information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief and based on our examination of the books of accounts and other records maintained by the ECGC Limited., for the year ended March 31, 2025, we certify that:

   a) We have reviewed the Management Report attached to the financial statements for the year ended March 31, 2025 and on the basis of our review, there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the Management Report and the financial statements.

   b) Based on management representations and compliance certificates submitted to the Board of Directors by the officers of the Company charged with compliance and the same being noted by the Board, nothing has come to our attention that causes to believe that the Company has not complied with the terms and conditions of the registration as stipulated by IRDAI.

   c) We have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the other firms of auditors and the cash balances were verified by the concerned auditors) and securities relating to the loans and investments made by the company by actual inspection or by production of certificates/confirmations received from the Custodian and/or Depository Participants appointed by the Company or the other documentary evidences.

   d) To the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act and its regulations;

   e) To the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, the Company is not a trustee of any trust; and

   f) The Company has bifurcated the assets of the shareholders' funds and policyholders' funds based on the nature of items as per the previous Balance Sheet as at 31st March, 2024 and accordingly the income earned on investments has been segregated in Revenue Account and Profit and Loss Account. Since no separate accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the account and based on the information and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across with the cases where any part of the assets of the policyholders' funds have been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders' funds.

For M. L. Puri & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 002312N	**For Shah and Taparia** Chartered Accountants Firm Registration No. 109463W
(RAJESH CHAND GUPTA) Partner Membership No. 095584	**(BHARAT RAMESH JOSHI)** Partner Membership No. 130863
Place : Mumbai Date : 27th May, 2025	Place : Mumbai Date : 27th May, 2025
UDIN : 25095584BMLLPS4938	**UDIN : 25130863BMIQHF2494**

एम एल पुरी एंड कंपनी सनदी लेखाकार बी 21 आहूजा टॉवर एएम मार्ग, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पीछे, वर्लिका, प्रभादेवी,मुंबई - 400025	शाह एंड तपाडिया सनदी लेखाकार 203, सेंटर पॉइंट बिल्डिंग, 100, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मार्ग, परेल, मुंबई - 400012

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक-ए''

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमारे द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ईसीजीसी लिमिटेड (''कंपनी'') के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया गया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा सहित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आई सी ए आई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है, जो कंपनी की पॉलिसीयों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित एवं कुशल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमारें द्वारा अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') एवं आई सी ए आई द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार की गई, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं एवं दोनों आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों एवं मार्गदर्शन नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा उसे निष्पादित करें, ताकि इस संदर्भ में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया एवं बनाए रखा गया था तथा क्या इस प्रकार के नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, किसी भौतिक दुर्बलता के जोखिम का आकलन करना, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक त्रुटिपूर्ण विवरण के जोखिम का आकलन भी शामिल है, भले ही वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान

M. L. Puri & Co. Chartered Accountants B 21 Ahuja Tower AM Marg, Behind ICICI Prudential, Worlika, Prabhadevi, Mumbai - 400025	Shah & Taparia Chartered Accountants 203, Centre Point Building, 100, Dr Babasaheb Ambedkar Marg, Parel, Mumbai - 400012

"Annexure-A" to the Independent Auditors' Report
Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls of ECGC Limited ("the Company"), as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI').

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally

करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे पॉलिसीयां एवं प्रक्रियाएं शामिल हैं जो: -

(1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहार एवं निपटान को सटीक तथा निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की मंजूरी प्रदान किए जाने हेतु संव्यवहार को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, एवं कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं;

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम अथवा समय पर चिन्हित किए जाने के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत अथवा नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन की छूट की संभावना भी शामिल है, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण भौतिक त्रुटिपूर्ण विवरण हो सकते हैं एवं उन्हें चिन्हित नहीं किया जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त, भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, अथवा पॉलिसीयों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री नष्ट हो सकती है।

अन्य मामले

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक उपगत परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आई बी एन आर), उपगत परंतु पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर), अआवंटित हानि समायोजन व्यय प्रारक्षित निधि (यू एल एई) एवं प्रीमियम न्यूनता प्रारक्षित निधि के संदर्भ में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी के नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित है एवं दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार हमारे द्वारा इस पर विश्वास किया गया है। तदनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय में मूल्यांकन पर प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता एवं पूर्ववर्ती बीमांकिक मूल्यांकन की सटीकता पर रिपोर्टिंग शामिल नहीं है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आई सी ए आई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

कृते एमएल पुरी एंड कंपनी सनदी लेखाकर फर्म पंजीकरण संख्या 002312N	**कृते शाह एंड तपाडिया** सनदी लेखाकर फर्म पंजीकरण संख्या 109463W
(राजेश चंद गुप्ता) भागीदार सदस्यता संख्या. 095584	**(भरत रमेश जोशी)** भागीदार सदस्यता संख्या. 130863
स्थान : मुंबई दिनांक : 27 मई, 2025	स्थान : मुंबई दिनांक : 27 मई, 2025
यूडीआईएन : 25095584BMLLPS4938	**यूडीआईएन : 25130863BMIQHF2494**

accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that: -

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company and;

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matter

The actuarial valuation of liability in respect of Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Incurred But Not Enough Reported (IBNER), Unallocated Loss Adjustment Expenses Reserve (ULAE) and Premium Deficiency Reserve as at March 31, 2025 is as certified by the Company's Appointed Actuary and has been relied upon by us as mentioned in our audit report on the financial statements for the year ended on March 31, 2025. Accordingly, our opinion on the internal financial controls over financial reporting does not include reporting on the operating effectiveness of the management's internal controls over the valuation and accuracy of the aforesaid actuarial valuation.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

For M. L. Puri & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 002312N	**For Shah and Taparia** Chartered Accountants Firm Registration No. 109463W
(RAJESH CHAND GUPTA) Partner Membership No. 095584	**(BHARAT RAMESH JOSHI)** Partner Membership No. 130863
Place : Mumbai Date : 27th May, 2025	Place : Mumbai Date : 27th May, 2025
UDIN : 25095584BMLLPS4938	**UDIN : 25130863BMIQHF2494**

सेवा तंत्र/SERVICE NETWORK

पंजीकृत कार्यालय REGISTERED OFFICE	पता/ADDRESS	दूरभाष/TEL	ईमेल/EMAIL
ईसीजीसी भवन , सीटीएस नंबर 393, 393/1 से 45, एम .वी. रोड,अंधेरी पूर्व मुंबई - 400069	ECGC Bhawan, CTS No.393,393/1 to 45, M.V Road Andheri East, Mumbai - 400069	(022) 66590500 / 0510	webmaster@ecgc.in
विपणन विभाग ईसीजीसी भवन , सीटीएस नंबर 393, 393/1 से 45, एम .वी. रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400069	**MARKETING DEPARTMENT** ECGC Bhawan, CTS No.393,393/1 to 45, M.V Road Andheri East, Mumbai - 400069	(022) 66590500 / 0510	marketing@ecgc.in
नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई दलामल हाउस, दूसरी मंजिल, जे.बी. मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021	**NARIMAN POINT BRANCH, MUMBAI** Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66138800	narimanpoint@ecgc.in
बांद्रा शाखा, मुंबई द मेट्रोपॉलिटन , 7 वीं मंजिल, प्लॉट नंबर सी -26 / 27, ई ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051	**BANDRA BRANCH, MUMBAI** The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, E Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051	(022) 6144 8130 / 8148 / 8110 / 8112	bandra@ecgc.in
नई दिल्ली एनबीसीसी प्लेस, दक्षिण टावर, चौथी मंज़िल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली - 110003	**NEW DELHI BRANCH** NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110003	(011) 49284011	newdelhi@ecgc.in
पश्चिमी क्षेत्र/WESTERN REGION			
पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय 506, टाउन सेंटर ख,मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट के निकट, मरोल, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400051	**WESTERN REGIONAL OFFICE** 506, Town Centre I, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri East, Mumbai - 400059	(022) 69655000/01/02/03	wro@ecgc.in
ठाणे शाखा कुसुमंजलि, पहली मंजिल, गोखले रोड, नौपाड़ा, ठाणे (पश्चिम) - 400602	**THANE BRANCH** Kusumanjali, 1st Floor, Gokhale Road, Naupada, Thane (West) - 400602	(022) 25347807	thane@ecgc.in
अहमदाबाद शाखा नागिन्दास चैम्बर्स, प्रथम तल, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380014	**AHMEDABAD BRANCH** Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380014	(079) 27544932	ahmedabad@ecgc.in
पुणे शाखा वास्तु चेंबर्स, पहली मंजिल, 1202/39, शिरोले रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411004	**PUNE BRANCH** Vastu Chambers, 1st Floor, 1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Pune - 411004	(020) 45130700/45130725	pune@ecgc.in
इंदौर शाखा 408, चौथी मंजिल, सिटी सेंटर, 570, एम जी रोड, इंदौर - 452001	**INDORE BRANCH** 408, 4th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road, Indore - 452001	(0731) 2544215	indore@ecgc.in
राजकोट शाखा निर्मल - दूसरी मंज़िल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, नगर आयुक्त के बंगले के सामने, राजकोट - 360001	**RAJKOT BRANCH** Nirmal - 2nd Floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg, Opp. Municipal Commissioner's Bungalow, Rajkot - 360001	(0281) 2465162/169	rajkot@ecgc.in

ईसीजीसी लि. (भारत सरकार का उद्यम) ECGC Ltd. (A Government of India Enterprise)

सेवा तंत्र/SERVICE NETWORK

पंजीकृत कार्यालय REGISTERED OFFICE	पता/ADDRESS	दूरभाष/TEL	ईमेल/EMAIL
ईसीजीसी भवन , सीटीएस नंबर 393, 393/1 से 45, एम .वी. रोड,अंधेरी पूर्व मुंबई - 400069	ECGC Bhawan, CTS No.393,393/1 to 45, M.V Road Andheri East, Mumbai - 400069	(022) 66590500/0510	webmaster@ecgc.in
विपणन विभाग ईसीजीसी भवन , सीटीएस नंबर 393, 393/1 से 45, एम .वी. रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400069	**MARKETING DEPARTMENT** ECGC Bhawan, CTS No.393,393/1 to 45, M.V Road Andheri East, Mumbai - 400069	(022) 66590500/0510	marketing@ecgc.in
नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई दलामल हाउस, दूसरी मंजिल, जे.बी. मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021	**NARIMAN POINT BRANCH, MUMBAI** Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021	(022) 66138800	narimanpoint@ecgc.in
बांद्रा शाखा, मुंबई द मेट्रोपॉलिटन , 7 वीं मंजिल, प्लॉट नंबर सी -26 / 27, ई ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051	**BANDRA BRANCH, MUMBAI** The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, E Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051	(022) 6144 8130/8148/ 8110/8112	bandra@ecgc.in
नई दिल्ली एनबीसीसी प्लेस, दक्षिण टावर, चौथी मंज़िल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली - 110003	**NEW DELHI BRANCH** NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110003	(011) 49284011	newdelhi@ecgc.in
पश्चिमी क्षेत्र/WESTERN REGION			
पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय 506, टाउन सेंटर ख,मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट के निकट, मरोल, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400051	**WESTERN REGIONAL OFFICE** 506, Town Centre I, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri East, Mumbai - 400059	(022) 69655000/01/02/03	wro@ecgc.in
ठाणे शाखा कुसुमंजलि, पहली मंजिल, गोखले रोड, नौपाड़ा, ठाणे (पश्चिम) - 400602	**THANE BRANCH** Kusumanjali, 1st Floor, Gokhale Road, Naupada, Thane (West) - 400602	(022) 25347807	thane@ecgc.in
अहमदाबाद शाखा नागिन्दास चैम्बर्स, प्रथम तल, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380014	**AHMEDABAD BRANCH** Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380014	(079) 27544932	ahmedabad@ecgc.in
पुणे शाखा वास्तु चेंबर्स, पहली मंजिल, 1202/39, शिरोले रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411004	**PUNE BRANCH** Vastu Chambers, 1st Floor, 1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Pune - 411004	(020) 45130700/45130725	pune@ecgc.in
इंदौर शाखा 408, चौथी मंजिल, सिटी सेंटर, 570, एम जी रोड, इंदौर - 452001	**INDORE BRANCH** 408, 4th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road, Indore - 452001	(0731) 2544215	indore@ecgc.in
राजकोट शाखा निर्मल - दूसरी मंज़िल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, नगर आयुक्त के बंगले के सामने, राजकोट - 360001	**RAJKOT BRANCH** Nirmal - 2nd Floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg, Opp. Municipal Commissioner's Bungalow, Rajkot - 360 001	(0281) 2465162/169	rajkot@ecgc.in

वडोदरा शाखा 504, कॉनकॉर्ड, 6 वीं मंजिल, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390007	**VADODARA BRANCH** 504, Concord, 6th Floor, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390007	(026 5) 2353304/4728	vadodara@ecgc.in
नागपुर शाखा लोटस प्लाजा, ग्राउंड फ्लोर, कार्यालय/ दुकान नंबर सी एंड डी, वीसीए स्टेडियम के सामने, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440001	**NAGPUR BRANCH** Lotus Plaza, Ground Floor, Office/Shop No. C & D, Opp VCA Stadium, Civil Lines, Nagpur - 440001	(0712) 4513461/2550504	nagpur@ecgc.in
सूरत शाखा 503, 21 सेंचुरी बिज़ सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बगल में, रिंग रोड, सूरत - 395002	**SURAT BRANCH** 503, 21st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395002	(0261) 2364074	surat@ecgc.in
गिफ्ट सिटी शाखा आईएफएससी बीमा कार्यालय, इकाई सं-304, तीसरा तल, हीरानन्दानी सिग्नेचर बिल्डिंग, ब्लॉक 13बी, ज़ोन 1, गांधीनगर - 382355	**GIFT CITY BRANCH** IFSC Insurance Office Unit No. 304, 3rd Floor, Hiranandani Signature Building, Block 13 B, Zone 1, Gandhinagar - 382355	(079) 27545446/ 9051610949	giftcityiio@ecgc.in
पूर्वी क्षेत्र/EASTERN REGION			
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1, शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700071	**EASTERN REGIONAL OFFICE** AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700071	(033) 40884999	ero@ecgc.in
कोलकाता शाखा एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1, शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700071	**KOLKATA BRANCH** AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700071	(033) 40884999	kolkata@ecgc.in
वाराणसी शाखा पीसीएफ प्लाजा, वाणिज्यिक परिसर, तीसरी मंजिल, यूनिट नंबर 1, नदेसर, वाराणसी - 221002	**VARANASI BRANCH** PCF Plaza, Commercial Complex, 3rd Floor, Unit No.1, Nadesar, Varanasi - 221002	(0542) 2507864	varanasi@ecgc.in
भुवनेशवर शाखा प्लॉट नंबर 611, तीसरी मंजिल, साहिद नगर, भुवनेश्वर - 751007	**BHUBANESHWAR BRANCH** Plot No. 611, 3rd Floor, Saheed Nagar, Bhubaneshwar - 751007	(0674) 2547772	bhubaneshwar@ecgc.in
रायपुर शाखा तीसरी मंजिल, उद्योग भवन पेरिस, रिंग रोड नंबर 1, तेलीबांधा, रायपुर - 492006	**RAIPUR BRANCH** 3rd Floor, Udyog Bhawan Parisar, Ring Road No. 1, Telebandha, Raipur - 492006	(0771) 4918826/28	raipur@ecgc.in
गुवाहाटी उप कार्यालय रूम नं 304, तीसरी मंजिल, ट्यूलिप टॉवर, चांदमारी, गुवाहाटी - 781003	**GUWAHATI SUB-OFFICE** Room No. 304, 3rd Floor, Tulip Tower, Chandmari, Guwahati – 781003	9681845169	guwahati@ecgc.in
दक्षिणी क्षेत्र/SOUTHERN REGION			
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय रहेजा टावर्स, 11वीं मंज़िल, वेस्ट विंग, 26 एम.जी.रोड, बेंगलुरू - 560001	**SOUTHERN REGIONAL OFFICE** Raheja Towers, 11th Floor., West Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560001	(080) 25591139/82575	sro@ecgc.in

बेंगलुरू शाखा रहेजा टावर्स, 11वीं मंज़िल, ईस्ट विंग, 26 एम.जी.रोड, बेंगलुरू - 560001	**BANGALORE BRANCH** Raheja Towers, 11th Floor, East Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560001	(080) 25596025/ 25583995/ 25580612	bangalore@ecgc.in
कोची शाखा एचडीएफसी हाउस, दूसरी मंज़िल, रविपुरम जंक्शन, एम.जी.रोड, एर्नाकुलम, कोची - 682015	**KOCHI BRANCH** HDFC House, 2nd Floor, Ravi Puram Junction, M.G. Road, Ernakulam, Kochi - 682015	(0484) 2359437/ 57	kochi@ecgc.in
कोल्लम शाखा सेवेंथ डे चर्च के पास, रेसीडेंसी रोड, कड़प्पकड़ा, कोल्लम - 691008	**KOLLAM BRANCH** Near Seventh Day Church, Residency Road Kadappakada, Kollam - 691008	(0474) 2748715	kollam@ecgc.in
हैदराबाद शाखा हाका भवन, दूसरी मंज़िल, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद - 500004	**HYDERABAD BRANCH** HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500004	(040) 23234334/40833	hyderabad@ecgc.in
विशाखापत्तनम शाखा प्रथम तल, न्यू इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी एनेक्सी बिल्डिंग, थिक्काना रोड, विशाखापत्तनम - 530004	**VISHAKHAPATNAM BRANCH** 1st Floor, New Investment Building, LIC Annex Building, Thikkana Road, Visakhapatnam - 530004	(0891) 2748653/ 54	visakhapatnam@ecgc.in
गुंटूर शाखा कृष्णा प्लाज़ा, दूसरी मंज़िल, 26-21-22, नागारम पालेम, जी.टी.रोड, गुंटूर - 522004	**GUNTUR BRANCH** Krishna Plaza, 2nd Floor, 26-21-22, Nagaram Palem, G T Road, Guntur - 522004	(0863) 2337096	guntur@ecgc.in
मंगलूर शाखा 1ली मंजिल, एस्सेल टॉवर्स, बंट्स हॉस्टल सर्कल, मंगलूर - 575003.	**MANGALORE BRANCH** 1st floor, Essel Tower, Bunts Hostel Circle, Mangalore - 575003	(0824) 2444288/289, 8341626980	mangalore@ecgc.in
चैन्नई शाखा ओवरसीज टावर, तीसरी मंजिल, 756-एल, माउंट रोड, चेन्नई - 600002	**CHENNAI BRANCH** Overseas Towers, 3rd Floor, L-756- Anna Salai, Chennai - 600002	(044) 42284488-99	chennai@ecgc.in
चैन्नई दक्षिण शाखा 15, पहली मंज़िल,सरयू पार्क, दूसरी मेन रोड, नई कालोनी, क्रॉम्पेट, चेन्नई - 600044	**CHENNAI SOUTH BRANCH** 15, First Floor, Sarayu park, 2nd Main Road, New Colony, Chrompet, Chennai - 600044	(044) 4796 4141/ 4796 4142/ 4796 4143	chennaisouth@ecgc.in
कोयम्बटूर शाखा चेन्नई प्लज़ा, दूसरी मंज़िल, 1090 त्रिची रोड, कोयम्बटूर - 641018	**COIMBATORE BRANCH** Cheran Plaza, 2nd Floor, 1090 Trichy Road, Coimbatore - 641018	(0422) 2304775/ 6/ 9	coimbatore@ecgc.in
मदुरै शाखा प्रथम तल, 69 पी.टी राजन सलाई, चोक्किकुलम, केंद्रीय विद्यालय, मदुरै- 625002	**MADURAI BRANCH** First Floor, 69 P.T. Rajan Salai, Chokkikulam, Opp. To Kendriya Vidyalaya, Madurai - 625002	(0452) 2525521/ 0340	madurai@ecgc.in

सेलम शाखा शांति प्लाज़ा, तीसरा तल, 1/5, वृन्दावन रोड, पोन्नुस्वामी गौंडर तिरुमना के सामने, मंडपम फेयर लैंड्स, सेलम - 636004	**SALEM BRANCH** Shanthi Plaza, 3rd Floor, 1/5, Brindavan Road, Opp. Ponnusamy Gounder Thirumana - Mandapam, Fair Lands, Salem - 636004	(0427) 2442275	salem@ecgc.in
तिरुपुर शाखा 346/347 के आर ई टावर, पहली मंजिल, कुमारन रोड, तिरुपुर - 641601	**TIRUPUR BRANCH** 346/347 KRE Towers, 1st Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641601	(0421) 4401111	tirupur@ecgc.in
तूतिकोरिन शाखा 209/ए- 1, वी ई रोड(पहला तल), बैंक ऑफ बड़ौदा के उपर, सुगम होटल के समीप, तूतीकोरिन - 628003	**TUTICORIN BRANCH** 209/A-1 ,V E Road, (First Floor) Bank of Baroda Upstairs, Near Sugam Hotel,Tuticorin - 628003.	(0461) 2324351	tuticorin@ecgc.in
करूर शाखा तीसरी मंज़िल, केवीआर कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, सेंगुंथपुरम, करूर - 639002	**KARUR BRANCH** 3rd Floor, KVR Complex, 80 Feet Road, Sengunthapuram, Karur - 639002	(04324) 233911/244910	karur@ecgc.in
उत्तरी क्षेत्र/NORTHERN REGION			
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय ब्लॉक 3, प्लेट ए, चौथी मंजिल, एनबीसीसी वाणिज्यिक परिसर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023	**NORTHERN REGIONAL OFFICE** Block 3, Plate A, 4th Floor, NBCC Commercial Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023	(011) 24346900	nro@ecgc.in
पश्चिम दिल्ली शाखा 305 - 306, के एल जे टावर(पूर्व), 3री मंज़िल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली - 110034	**WEST DELHI BRANCH** 305 - 306, KLJ Tower (North), 3rd Floor, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034	(011) 45638142/ 43/ 44	west.delhi@ecgc.in
गुरूग्राम शाखा प्लॉट नं. 470, उद्योग विहार, फेज़ 5, गुरुग्राम, हरियाणा - 122016	**GURUGRAM BRANCH** Plot No. 470, Udyog Vihar, Phase 5, Gurugram, Haryana - 122016	(0124) 4300603/04	gurgaon@ecgc.in
लुधियाना शाखा 92, सूर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंज़िल दि मॉल रोड, पी.ओ. बॉक्स नं. 281, लुधियाना - 141001	**LUDHIANA BRANCH** 92, Suryakiran Complex, 2nd Floor, The Mall Road, P.O. Box No. 281, Ludhiana - 141001	(0161) 2441082	ludhiana@ecgc.in
जालंधर शाखा ऑफिस सं-1, भूतल, मिडलैंड फाइनेंशियल सेंटर, आईसीआईसीआई बैंक के समीप, 21-22 जी.टी. रोड, जालंधर, पंजाब - 144001	**JALANDHAR BRANCH** Office No.1, Ground Floor, Midland Financial Centre, Adjoining ICICI Bank, 21-22 G.T. Road, Jalandhar, Punjab - 144001	(0181) 2233235	jalandhar@ecgc.in
कानपुर शाखा 14/147, स्काई लार्क कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, चुन्नीगंज, कानपुर - 208001	**KANPUR BRANCH** 14/147, Sky Lark Complex, 3rd Floor, Chunniganj, Kanpur - 208001	(0512) 2535855	kanpur@ecgc.in

मुरादाबाद शाखा पंडित शंकरदत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइंस, मुरादाबाद - 244001	**MORADABAD BRANCH** Pundit Shankar Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad - 244001	(0591) 2415476/ 2435395	moradabad@ecgc.in
जयपुर शाखा दूसरी मंज़िल आनंद भवन, संसार चंद्र रोड, जयपुर - 302001	**JAIPUR BRANCH** 2nd Floor, Anand Bhavan, Sansar Chandra Road, Jaipur - 302001	(0141) 2367292	jaipur@ecgc.in
आगरा शाखा 4/एस-109/एस-211 दूसरी मंजिल, कॉर्पोरेट पार्क, अशोक कॉसमॉस मॉल के पीछे संजय प्लेस, आगरा - 282002 (उ.प्र.)	**AGRA BRANCH** 4/S-109/S-211 2nd Floor, Corporate Park Behind Ashok Cosmos Mall Sanjay Place, Agra - 282002 (U.P.)	(0562) 2520035	agra@ecgc.in
पानीपत शाखा मलिक प्लाज़ा, 1ली मंज़िल, संजय चौक के पास, जी.टी. रोड, पानीपत - 132103	**PANIPAT BRANCH** Malik Plaza, 1st Floor, Near Sanjay Chowk, G.T. Road, Panipat - 132103	(0180) 2634933/ 3139	panipat@ecgc.in
जोधपुर शाखा 178, नारायणम, दूसरी मंज़िल, अपर चोपसनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्किल के समीप, जोधपुर - 342003	**JODHPUR BRANCH** 178, Narayanam, 2nd Floor, Upper Chopasani Road, Near Bombay Motor Circle, Jodhpur - 342003	(0291) 2770302/ 03	jodhpur@ecgc.in
चंडीगढ़ शाखा थ1-ख, टॉवर-ए, पहली मंजिल, गोदरेज एटर्निया, प्लॉट नंबर -70, औद्योगिक क्षेत्र चरण -1, चंडीगढ़ - 160002	**CHANDIGARH BRANCH** Godrej Eternia, 1st Floor, W1-I, Tower-A, Plot no. 70, Industrial Area, Phase-1, Chandigarh - 160002	(0172) 4187730/ 4187731/ 4187732/ 4187733	chandigarh@ecgc.in
नोएडा शाखा 1121, 11वां तल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सी - 1, सेक्टर 16, नोएडा, उ.प्र. - 201301	**NOIDA BRANCH** 1121, 11th Floor, World Trade Tower (WTT), C-1, Sector 16, Noida, UP - 201301	(0120) 4249186	noida@ecgc.in
फ़रीदाबाद शाखा एससीओ - 149 दूसरी मंज़िल, सेक्टर-21-सी, फरीदाबाद, हरियाणा - 121001	**FARIDABAD BRANCH** SCO-149, 2nd Floor, Sector-21-C, Faridabad, Haryana - 121001	(0129) 4315114/115/ 116/117	faridabad@ecgc.in
श्रीनगर शाखा दूसरा तल, जे.के. बैंक बिल्डिंग, सफ़ीना प्लाज़ा के निकट, हरि सिंह हाइ स्ट्रीट, श्रीनगर - 190001	**SRINAGAR BRANCH** 2nd Floor, JK Bank Building, Near Safina Plaza, Hari Singh High Street, Srinagar - 190001	0194-2477947	srinagar@ecgc.in

ईसीजीसी लि.
(भारत सरकार का उद्यम)

ECGC Ltd.
(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: ईसीजीसी भवन, सीटीएस नं. 393, 393/1 से 45,
एम. बी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069, महाराष्ट्र, भारत
वेबसाइट: www.ecgc.in

Regd. Office: ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393 / 1 to 45,
M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069, Maharashtra, India.
Website: www.ecgc.in

IRDAI Regn. No. 124 | CIN No. U74999MH1957GOI 010918 | @ecgclimited

आप निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे. | You focus on exports. We cover the risks.